राजस्थान विधान सभा

५४वीं बैठक, सोमवार, दिनांक २१ मई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८.१६ बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री मथुरादास माथुर के पत्र विषयक श्री वेदपाल त्यागी के प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष--श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर--Those who want to give personal explanation, Sir, may be given chance first.

(विराम)

श्री भोलानाथ--अध्यक्ष महोदय, परसों सदन के नेता मुख्य मंत्री की हैसियत से और शिक्षा मंत्री की हैसियत से इस प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे तब उन्होंने जिक्र किया था कि जब मैं शिक्षा मंत्री था उस वक्त जो गुनाह किये गये, उनमें कमी की गई और साथ ही यह भी कहा था कि यह जो मोशन आया है उस जमाने का था जिस समय मैं शिक्षा मंत्री था।

श्री अध्यक्ष--इन्सीडेन्स उस जमाने का है।

श्री भोलानाथ--इन्सीडेन्स उस जमाने का है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने ही नहीं कहा था, सन् ५३-५४ में होने वाली पूरी दो साल की घटनाओं का जिक्र किया था। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो लीकेज हुआ है कोड नम्बर का, वह मेरे शिक्षा मंत्रित्व के काल में नहीं हुआ है। उस समय तो नाथूरामजी शिक्षा मंत्री थे और मैं भी उनके साथ में मंत्री मंडल में जरूर था और मैं नहीं समझता हूं कि माननीय नाथूरामजी मिर्धा के वक्त में जो कार्यवाही हुई है, उस सिलसिले में मेरा रेफरेन्स क्यों दिया जा रहा है ? उस वक्त नाथूरामजी मिर्धा महसूस करते थे और जैसा मैं महसूस करता हूं और लोग भी महसूस करते हैं और मुझे पता नहीं नाथूरामजी मिर्धा की पोजिशन कैसे बदल गई ? वे क्लोजर मोशन मूव करना चाहते थे ताकि और फैक्ट्स कहीं सामने न आ जांय।

श्री अध्यक्ष--आप ऐसी बात कहते हैं जिसमें उनको भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़े।

श्री भोलानाथ--तो आज हिन्दुस्तान टाइम्स में भी रिपोर्टिंग हुआ है। मुझे सफाई देने का मौका है, मुझे जिम्मेदार ठहराने का जहां तक सवाल है और........

श्री अध्यक्ष--और मत पैदा करिये।

श्री भोलानाथ—तो उस समय, यह बात साफ है कि ८ जनवरी को लैटर पेश हुआ, १० जनवरी को पेश हुआ, नाथूरामजी ने पद बाद में छोड़ा है। यह नाथूरामजी के समय में हुआ है, मेरे समय में नहीं नहीं हुआ है, चार्ज नहीं देने दिया और दूसरा यह भी सही है कि दुबारा मिनिस्टर नहीं हो सके, चाहे कितनी ही ग्रूप बाजी हुई हो। तो यह उस जमाने में हुई थी जब हमने तो कार्यवाही को थी और जितनी हो सकती थी की। मेरी शिकायत यह थी कि कोड नम्बर आउट होने की शिकायत मुख्य मंत्री के जमाने में आयी तो उसके बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जो जवाब दिया तो उसमें बताया है कि २० दिन पहले ....

(घंटी)

श्री अध्यक्ष— Only explanation is necessary, no further debate.

श्री भोलानाथ—अर्ज करने का मेरा मतलब यह है कि यदि उस समय हमारे जमाने में कोड नम्बर मालूम करने की बात ज्ञात होती तो केवल जुर्माने की नौबत नहीं आती बल्कि वह किताब ही ब्लेक लिस्ट हो जाती। मैंने खुद ने स्वीकार किया है कि किसी भी गवर्नमेंट में कोड नंबर मालूम नहीं पड़ सकता था। कोड नंबर की बात मालूम पड़ जाती तो उस किताब को ब्लेक लिस्ट कर दिया जाता। जुर्माने को कम ज्यादा करने का सवाल इस केस से ताल्लुक नहीं रखता। औरों के साथ जैसा ट्रीट मेन्ट हुआ वैसा उसके साथ भी हुआ। बाद में उसने मेन्योर किया होगा। एक जोन के बजाय ३ जोन में किया गया और मुख्य मंत्रीजी की कार्यवाही के अनुसार ६ जोन में चालू हो गया, ६ साल के लिये हो गई।

श्री अध्यक्ष—Finish it please. No further points are to be raised in this debate except what is necessary for personal explanation.

चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, यह प्रश्न नहीं है।

श्री हजारीलाल--These are facts connected with the case.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, उनके पर्सनल एक्सप्लेनेशन में सुविधा रहेगी, यदि मैं तारीख बता दूं। तारीख २६-६-५४ को १० हजार से जुर्माना ४ हजार में रिड्यूस किया गया।

श्री अध्यक्ष--I will not allow further debate.

श्री भोलानाथ--मैं खुद मानता हूं कि यह कार्यवाही हुई थी। १०-१-५३ को चिट्ठी लिखी गई और १०-१-५३ को श्री नाथूरामजी मिर्धा शिक्षा मंत्री थे और उसके बाद जो एक्शन लिया गया और कार्यवाही बराबर जारी हुई और यह एक्शन इसलिये लिया गया कि उसकी किताब ठीक स्टेन्डर्ड के माफिक नहीं पाई गई। उस समय यह नहीं मालूम हुआ कि उसने कोड नंबर भी मालूम किया है, इसलिये उसे ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया। यदि उस समय यह मालूम होता तो जरूर उसको ब्लेक लिस्ट करते।

[श्री भोलानाथ]

एक बात जरूर कहना चाहता हूं वह यह कि जिस कोड ग्राफ कंडक्ट के बारे में जो बात कही गई थी वह सजेस्टिव थी.....

श्री अध्यक्ष—आप और डिबेट करना चाहते हैं क्या ?

श्री भोलानाथ—रेफरेन्स आया है। इसलिये कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member has only a right of explanation and not a right of speaking over again.

श्री मा.राम मिश्रा—मैं भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूं।

श्री अध्यक्ष--Then there will be no end to such explanations.

श्री मथुरादास माथुर—अध्यक्ष महोदय, सदन में २ रोज से माननीय त्यागीजी के प्रस्ताव पर बहस चल रही है और आज बहस का तीसरा दिन है, जिस वक्त कि मुझे आपके सम्मुख खड़ा रखकर जो २ दिन तक सदन में बहस हुई उस पर कुछ प्रकाश डालना है। वैसे यह सिलसिला शुरू हुआ २२ मार्च, सन् १९५५ को जब माननीय हरिकृष्ण व्यास ने सदन में इस पत्र को रखा। आज करीब १ साल से ज्यादा अर्सा गुजरा है जब कि इस सदन में इस पत्र पर कई मौकों पर वाद-विवाद हुआ है और माननीय सदस्यों को इस पर पूरा विचार करने का हर तरह से मौका मिला है। सदन में ये २ दिन ही नहीं बल्कि पहले भी कई दफा इस पर लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। आज दो दिन से इस पर मैं विचार सुन रहा हूं। इससे मैं यह महसूस कर रहा हूं कि जैसी इस अधिवेशन में हमने राजप्रमुख के अभिभाषण पर चर्चा की और बजट पर बहस की उसी तरह से ये २ दिन भी गुजरे। मैं यह सोच रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कि किसी सदस्य के कन्डक्ट को इम्पीच करने का कोई प्रस्ताव आया है, उसमें सदस्यों ने कितनी दिलचस्पी ली है। मैं उन सब सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इसमें दिलचस्पी ली। मैं साथ साथ यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को यदि कन्डक्ट का प्रश्न समझ कर चर्चा की होती तो मेरे साथ न्याय हो जाता। मगर जो चर्चा हमने सुनी उससे यह ज्ञात होता है कि मेरे कन्डक्ट को इम्पीच करने के साथ साथ सरकार के कन्डक्ट को भी इम्पीच किया गया और कुछ ऐसी बातें कही गई जो प्रस्ताव से संबंध नहीं रखतीं। मैं उन बातों का उत्तर थोड़े में नहीं दे सकता और न उनका उत्तर देने का मेरा कार्य ही है। मुख्य मन्त्रीजी ने उनका उत्तर दिया है और वे दो दफा उत्तर दे चुके हैं। मैं सिर्फ माननीय त्यागीजी के प्रस्ताव, जिससे मेरा संबंध है, उसके बारे में दो बातें अर्ज करूंगा। त्यागीजी के प्रस्ताव को यदि आप गौर से पढ़ें तो मालूम होगा कि त्यागीजी ने जो प्रस्ताव रखा है और जो भाषा उसमें प्रयोग की है, वह अपनी भाषा उन्होंने नहीं रखी है बल्कि मुद्गल केस के कुछ पेराग्राफ उठा कर इसमें रख दिये हैं और सिर्फ "मुद्गल" के स्थान पर "माथुर" रखा है। आप इसे पढ़ें। इसलिये मुद्गल केस सामने आता है। मैंने "मुद्गल" केस को शुरू से आखिर तक पढ़ा है। मैं उसको प्रोटेक्शन देने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं क्योंकि मुद्गल केस मुझ पर लागू नहीं होता है; इसलिये मैं बेगुनाह हूं। इसलिये आपके सामने "मुद्गल" केस के बिनाह पर उसके जो आंकड़े और पेराग्राफ हैं

[श्री मथुरादास माथुर]

मैं इस प्रस्ताव पर लागू होता या नहीं, यह बताना चाहता हूं। सबसे पहला सेन्टेंस जो त्यागीजी के प्रस्ताव का है पहले पेराग्राफ़ के अन्दर कि "the following facts with regard to his conduct as a member of this House". यह बिल्कुल मुद्गल केस के अन्दर से उठाई हुई चीज है। मुद्गल ने सदन में प्रश्न पूछे थे, एक फ़र्म से उन्होंने वायदा किया था जिसके बदले में उनको चैक मिला था। ये सब वाकयात हमारे प्रधान मन्त्री जवाहर लाल नेहरू के पास पहले ही पहुंच चुके थे। जिस फ़र्म ने उनको चेक दिया था उस फ़र्म ने उनकी शिकायत की थी। चेक लेने के बाद बहैसियत पालियामेन्ट के सदस्य के उन्होंने पालियामेन्ट में उसकी वकालत की थी इसलिये उनके खिलाफ़ प्राइमाफ़ेसी केस बना, और प्रधान मन्त्री, भारत सरकार, पन्डित नेहरू ने यह प्रश्न पालियामेन्ट के सामने रखा और पालियामेन्ट ने सिफ़ारिश की। "मुद्गल" केस के पृष्ठ ३६४ पर साफ़ कहा है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक प्रश्न उठाया गया कि सदन के किसी मेम्बर के कन्डक्ट को इंगीच करने के प्रस्ताव रखने का किसी दूसरे सदस्य को अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ सदन को भी अधिकार है कि किसी सदस्य की प्रतिष्ठा पर कोई हमला करे तो उसे प्रोटेक्ट करे, किसी की इज्जत पर हमला करते हैं तो वह सदन के सदस्यों के पास फ़रियाद लेकर जाता है। इसलिये आज के दिन यदि मेरे कन्डक्ट को इंपीच किया जाता है तो मैं अपने कन्डक्ट का प्रोटेक्शन किसी और जगह हासिल नहीं कर सकता, सिवाय हाउस के। इसलिये पालियामेन्ट के स्पीकर साहब ने कहा है, "As regards the question of safeguarding the reputation of a member I quite agree that if there is no *prima-facie* case and a case rested merely on suspicion without evidence then such a motion should not be permitted by me." उन्होंने यह साफ़ बात कही। यदि शक पर कोई सदन का सदस्य किसी मेम्बर के कन्डक्ट के खिलाफ़ बात कहता है या उसकी इज्जत पर हमला करता है तो मैं जब तक प्राइमाफ़ेसी केस साबित नहीं होगा तब तक कुछ नहीं करूंगा। इसके लिये दो चीजें जरूर होनी चाहियें, एक तो यह कि मेम्बर ने ग्रेटिफ़िकेशन लिया है; यह साबित होना चाहिये, पैसे लिये हैं, काम करते समय In discharging his duties as a member of Parliament, पैसे लिये हैं; ये चीजें साबित होनी चाहियें, यह पालियामेन्ट के स्पीकर साहब ने फ़रमाया था। "मुद्गल" केस में ये दो चीजें साबित थीं। पैसे लेना साबित था, चेक के नम्बर थे और जिस फ़र्म ने पैसे दिये पालियामेन्ट में प्रश्न पूछने के लिये वैसे ही प्रश्न पूछे गये थे, इसलिये बहैसियत पालियामेन्ट के मेम्बर के पैसे लिये और उस फ़र्म की वकालत की।

मगर माननीय अध्यक्ष, क्या मैं आपके जरिये प्रस्तावक महोदय से प्रार्थना करूं कि इस पत्र को हाउस में पेश हुए १४ महीने हुए और अभी यह जेर तजवीज है और आज भी इस पर किसी न किसी शक्ल में बहस की जा रही है इस पर सदन के १५, १६ प्रमुख सदस्यों के भाषण हुए हैं मगर किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा है कि मथुरादास माथुर ने गनपत माथुर से इसके लिये एक पैसा भी लिया हो या उससे इसके लिये एक पानी की ग्लास भी पी हो।

श्री हजारीलाल —What about Dalton case ?

श्री मथुरादास माथुर—डालटन केस भी आपके सामने आ जावेगा। माननीय अध्यक्ष, तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं, मुद्गल केस के बारे में, मैं डाल्टन केस का भी ज़िक्र करूंगा जिससे सदन के लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि यह मामला कहां तक ठीक है।

मैं अर्ज कर रहा था कि किसी माननीय सदस्य के पास इस तरह की शहादत नहीं है कि मथुरादास माथुर ने एक पैसा भी उससे लिया हो। यह पत्र २२ मार्च को पेश किया गया। यह पत्र श्री एच. के. व्यास के पास किसी न किसी सोर्स से तो आया ही होगा; कैसे आया इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। इसके लिये कोई शहादत नहीं कि उनके पास कैसे पहुंचा। श्री एच. के. व्यास यह फ़रमाते हैं कि यह उनको सड़क पर मिला। कैसे ही पहुंचा हो; मैं इसको बहस में नहीं जाना चाहता। चाहे उनको यह पत्र इस ओर बैठनेवालों ने दिया हो चाहे उधर की तरफ़ बैठने वालों ने दिया हो, मगर यह कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। न मैं उनसे इसकी इन्फ़ोरमेशन के बारे में पूछना चाहता हूं। मगर सदन में यह प्रश्न आने से पहले प्रस्तावक महोदय को यह मालूम था कि यह पत्र लिखा गया है। यह पत्र, १४ महीनों से बराबर सब को मालूम है कि लिखा गया। श्री त्यागीजी ने इस संबंध में ४ पेज का एक पत्र चीफ़ मिनिस्टर को लिखा है। श्री एच. के. व्यास ने मुख्य मन्त्रीजी को कई पत्र लिखे। उनको माननीय प्रस्तावक महोदय ने पढ़ा है, हमने उनको सुना है। उसमें दुर्गाबाई देशमुख की १२ बातें उन्होंने रखी हैं। मैं माननीय अध्यक्ष, यह निवेदन करूंगा कि श्री एच. के. व्यास ने, फ़ाइलों में क्या है उसकी तरफ़ इशारा किया। उनको भी यह इन्फ़ोरमेशन कैसे हो सकती है? इसके लिये मेरी तरह से वह भी मुलज़िम हो सकते हैं। उन्होंने भी यह इन्फ़ोरमेशन कैसे प्राप्त की उनके लिये भी कई माननीय सदस्य इस तरह की बात ला सकते हैं। मैं इन सारी बातों में पड़ना नहीं चाहता। माननीय अध्यक्ष, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि श्री एच. के. व्यास और श्री वेदपाल त्यागी के पत्रों में और जो उनके भाषण सदन में हुए हैं, जो पहले भी सदन में हुए और श्री एच. के. व्यास के तो दो-तीन दफ़ा भाषण हो चुके हैं, उनको मैंने सुना है और आपने भी सुना है। इसके अलावा १५ सदस्यों के भी भाषण हुए हैं, मगर इनमें से किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा है कि मथुरादास माथुर ने गनपत माथुर से इस पत्र के लिखने के लिये एक पानी की ग्लास भी पी थी और मेरे पास इसके लिये यह शहादत है। मगर कोई भी ऐसा कहते तो मेरे खिलाफ इन्क्वायरी होनी चाहिये थी। मैं उसको कबूल करता, लेकिन ऐसा किसी ने कहा नहीं। फिर भी मैं यह कहूंगा कि पास्ट सेशन में मैंने कहा था कि मैं इसकी इन्क्वारी के लिये तैयार हूं। उस समय सदस्यों ने कहा था, अब तक हमारे यहां प्राइवेट सदस्य द्वारा इस प्रकार प्रस्ताव लाने की स्वस्थ परम्परा नहीं है व इस प्रकार का प्रस्ताव मुख्य मन्त्री की तरफ़ से आना चाहिये। इसलिये स्वस्थ परम्पराओं को कायम रखने के लिये सभी सदस्यों ने यह उचित समझा और कहा कि चीफ़ मिनिस्टर उसकी जांच करें और इस पर श्री वेदपाल त्यागीजी ने उस प्रस्ताव को वापिस ले लिया था। चीफ़ मिनिस्टर ने इसकी जांच की और अपनी जांच का जो फ़ैसला था, सुना दिया। इससे मेरा क्या संबंध है, यह मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन जब फिर इतने महीनों के बाद फिर आज कहा जाता है और यह अपील की जाती है कि मैं इस कमेटी को मानलूं। मैं यह कहूंगा कि ६ महीने पहले मैंने कहा था मगर मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार का प्रश्न आज से १४ महीने पहले उठाया जाता है और आज उसको फिर लिया जाता है जब कि इस राजस्थान धारा सभा के इस सत्र का यह आखिरी दिन है, न मालूम अब फिर कब मिलेंगे। जब हम फ़िर मिलेंगे, अजमेर भी हमारे में शामिल होगा। हमारी बी स्टेट, ए स्टेट होगी

[श्री मथुरादास माथुर]
आपने एक व्यक्ति पर इस प्रकार की तलवार १४ महीनों से लटका रखी है और आगे फिर भी आप यह उम्मीद करें कि हमारी यह तलवार इसी तरह से आगे भी बकरे की गर्दन पर पड़ी रहे तो म समझता हूं, बकरा उसको कभी भी मंजूर नहीं करेगा ।

माननीय अध्यक्ष, में अर्ज करना चाहता हूं कि आज १४ महीनों के बाद मुझ से यह कहा जाता है कि मुझे सदन से इस्तीफा दे देना चाहिये । आज श्री त्यागी जी यह अपील करते हैं कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिये । माननीय अध्यक्ष, में यह अर्ज करना चाहता हूं कि में तो एक कांग्रेस का सिपाही हूं । में प्रस्तावक महोदय से अर्ज करूंगा कि आप स्वस्थ परम्पराओं की बात करते हैं, में यह कहूंगा कि में एक कांग्रेस का सदस्य हूं और इस सदन का भी सदस्य हूं, अगर में इस का सदस्य नहीं रहता हूं तो भी एक मेरे लिये कोई बड़ी बात नहीं। में तो एक कांग्रेस का सिपाही हूं। पहले जब सेवा करते थे उस समय कोई मिनिस्टर और मेम्बर नहीं थे, उस समय केवल सिपाही ही थे, में कांग्रेस में १६ साल से काम करता आ रहा हूं । दो साल यहां नहीं रहा तो इसका कोई असर नहीं पड़ने का । इसके अलावा आयन्दा मुझे सदन में आने का अवसर मिलेगा या नहीं, यह कोई नहीं जानता ।

अध्यक्ष महोदय, मुझ से आज त्याग-पत्र देने के लिये अपील की जाती है कि में सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूं ।

श्री वेदपाल त्यागी—में ने कभी अपील नहीं की त्याग-पत्र देने के लिये ।

श्री मथुरादास माथुर—आप अपनी रिपोर्ट में देख सकते हैं । आपने कहा है कि त्याग-पत्र दे देना चाहिये ।

श्री वेदपाल त्यागी—मेंने यह नहीं कहा है कि त्याग-पत्र दे देना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—(श्री त्यागी से) You will have a right of reply.

श्री मथुरादास माथुर—आपने यह कहा कि त्याग-पत्र दे देना चाहिये । मेंने उसको अपील समझा है, अगर आप इसको अपील नहीं समझते हैं तो दूसरी बात है ।

श्री अध्यक्ष— अब विदड्रा करते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर—तो में भी आगे चलता हूं । दुर्गाबाई खोटे के नाम पर· · · · (हंसी)

श्री एच. के. व्यास—दुर्गाबाई खोटे का याद आना अच्छी बात नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर—दुर्गाबाई देशमुख ने १२ बातें बताई, उनके बारे में ज्यादा रोशनी डालना नहीं चाहता और जो चीफ मिनिस्टर ने पढ़ कर सुनायी उनके बारे में बाद में अर्ज करूंगा । जहां तक सदस्य के कन्डक्ट का प्रश्न है उसके बारे में १२ बातें लिखी हैं और आखिर में यह लिखा है कि इस पर प्राइम मिनिस्टर विचार करे और अगर प्राइवेट मेम्बर द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही नहीं हो

[श्री मथुरादास माथुर]

तो हमारे देश का स्टेन्डर्ड अच्छा होगा। मैं यह कहूंगा कि इसमें दो-चार और बातें जोडी जा सकती हैं। १० बातें और जोड़ी जा सकती हैं। मैं यह कहूंगा कि एक बात यह भी जोड़ी जा सकती है कि, "A member who has contested election to Parliament on a party-ticket should not continue as a member of the Parliament if he or she has resigned or has been expelled from that party." यह भी हो सकता है कि एक पार्लियामेंट या एसेम्बली का सदस्य जो पार्टी बेसिस पर चुनाव लड़ता है और अगर उस पार्टी से निकल जाता है तो उस आदमी को चाहिये कि वह इस्तीफा देकर दुबारा चुनाव लड़े। यह भी एक कन्डक्ट की बात है।

(करतल-ध्वनि)

किस प्रकार की वे यहां पर अपील करते हैं? बड़े बड़े नेताओं से अपील आती है तो हम उसको सुनते हैं। मगर अपील आती है उस तरफ से जो खुद इस प्रकार की स्वस्थ परम्पराओं को सबसे पहले पालन नहीं करते। इसलिये मुझे खेद के साथ कहना पडता है कि मेरे दिमाग में इस प्रकार की अपील कोई असर नहीं कर सकती।

श्री वेदपाल त्यागी--आपके दिमाग पर कोई भी चीज असर नहीं करेगी।

श्री मथुरादास माथुर--हमारे देश में आज प्रजातन्त्र का नया प्रादुर्भाव हो रहा है। प्रजातन्त्र के अन्दर आज हम नये सिरे से पदार्पण कर रहे हैं, इसीलिये कई सदस्यों ने स्वतन्त्र रूप से चुनाव लड़े थे। आज यदि प्रजातन्त्र हमारे देश में पनपता है तो हमारे यहां पार्टी की नींव मजबूत होगी। वैसा समय आ सकता है कि पार्टी के सिद्धान्त पर ही चुनाव लडे जायेंगे। पार्टी का अगर कोई आदमी सदस्य बनता है, उसके सिद्धान्तों को लेकर या अपनी प्रतिष्ठा के लिये मेम्बर बनता है अगर वह किसी कारण पार्टी को छोड़ देता है या सरकार के विरुद्ध नो-कोन्फीडेन्स मोशन लाने के लिये इधर से उधर जा बैठता है, क्या इसे आप प्रजातन्त्र मानते हैं? मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष, कि जो इस प्रकार प्रजातन्त्र के सिद्धान्त की दुहाई देते हैं, वे अपने हृदय को टटोल कर देखें, वे प्रजातन्त्र के अनुसार कहां तक बर्ताव कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इन प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों की ओर आज ज्यादा जाना नहीं चाहता। मैं आज एक मुलजिम की तरह से सदन के सामने खड़ा हुआ हूं उस सदस्य की तरह जिसको लगातार साल भर से ज्यादा समय से जलील किये जाने की कोशिश की जा रही है, उस हैसियत से मैं खड़ा हुआ हूं। मेरा ज्यादा कहने का हौसला नही हो सकता। मैं किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहता जो खुद जख्मी है वह दूसरों को क्या जख्मी कर सकता है, इतनी ही बात में अर्ज करना चाहता हूं कि जहां हम स्वस्थ परम्परा की दुहाई देते हैं, उस वक्त हमें यह सोचना होगा कि स्वस्थ परम्परा की दुहाई दे कौन रहे हैं? अगर श्री जयनारायणजी व्यास ऐसी बात कहते हैं तो वह मन्जूर करने लायक बात हो सकती है।

एक माननीय सदस्य--वे तो कह रहे हैं, आप उन्हीं की बात को मान लीजिये।

श्री मथुरादास माथुर--मैं उसी पर आता हूं, आप धैर्य रखिये।

श्री हजारीलाल शर्मा--आप उन्हीं की मानलें।

श्री मथुरादास माथुर—आप जरा शान्ति रखिये। आज जब कि हमें प्रजातन्त्र को मजबूत बनाना है तो ऐसे लोगों की बातें समझ में आ सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जब कि हम सोशियलिस्टिक पेटर्न की ओर अग्रसर हो रहे हैं अगर हमें वास्तव में समाजवादी शासन व्यवस्था को पनपाना है तो हमें यह देखना होगा कि एक मेम्बर का कन्डक्ट क्या होना चाहिये, उसमें यह भी धारा होनी चाहिये,

"A member should not receive or accept the hospitability of a mill-owner when there is a labour dispute going on between the mill-owner and the labour"

यह भी ब्रोच आॅफ़ कन्डक्ट में आना चहिये। अगर ऐसी कोई चीज जोड़ी जाती है तो सदन का संरक्षण हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दुर्गाबाई देशमुख ने जो १२ बातें कही हैं उन चीजों को भी पार्लियामेन्ट ने मन्जूर नहीं किया। फ़िलहाल यह मैं कहूंगा कि जहां तक इनके वेरिफ़िकेशन का मामला है उसमें यही उन्होंने कहा है कि एक मेम्बर का किन हालतों में ब्रोच आफ़ कन्डक्ट मानेंगे उन बातों को हमें सोचना है। मैं इस संबंध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सब से पहले जो पोइन्ट श्री त्यागीजी ने रखा है वह यह कि मैंने एक चिट्ठी लिखी है जो चिठ्ठी मेरे खिलाफ़ प्लेइंग कार्डस हो सकती है। मैंने, श्री दुर्गाबाई देशमुख ने जो बातें लिखी उनको भी गौर से पढ़ा। इनके अन्दर उन्होंने सिर्फ़ दो बातें कहीं हैं। उनमें उन्होंने लिखा है कि मेम्बरों को चिठ्ठी नहीं लिखनी चाहिये। दुर्गाबाई देशमुख ने उस स्टैन्जा में लिखा है:

"A member means a member in the discharge of his duties as a member of the legislature".

आज मैं आपसे अर्ज करूं, कि हमारे यहां गवर्नमेन्ट सरवेन्ट्स के प्रोटेक्शन के लिये नियम है। अगर कोई काम करता है तो उसे क्रीमिनल लॉ के अन्दर प्रोटेक्शन है। मगर कोई गवर्नमेंट सरवेन्ट कोई कसूर करता है तो उस वक्त सवाल पैदा होता है, उस वक्त डिफ़ेन्स यह लिया जाता है कि क्या उस गवर्नमेंट सरवेन्ट ने एज ए पब्लिक सरवेन्ट काम किया है. तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि अपने सदन के अन्दर एक आदमी बहुत बड़ा बिजनेस करता है और वह उसमें ब्लेक मार्केट भी कर लेता है, जब कि कानून के अन्दर ब्लेक मार्केट करना अपराध है लेकिन वह अगर सदन का सदस्य है तो क्या यह उसका ब्रोच आफ़ कन्डक्ट नहीं होगा, क्या ऐसी हालत में उसे ब्रीच आफ़ करेक्टर एन्ड कन्डक्ट के लिये इम्पीच करना पड़ेगा, क्या उसके लिये मोशन आफ़ प्रीविलेज होगा? उसी तरह मान लीजिये-किसी काश्तकार को कोई लेन्ड लार्ड जो सदन का सदस्य है बेदखल करता है तो मैं यह तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो उसके लिये इजेक्टमेन्ट के कानून बने हुए उसके ऊपर टीनेन्ट्स प्रोटेक्शन आर्डिनेन्स के अन्तर्गत मुकदमा चलाना चाहिये। तो ऐसी हालत में अगर सदन का सदस्य जो लेन्ड लार्ड है, किसी टीनेन्ट को एजेक्ट कर देता है, क्या आप उसके खिलाफ़ भी ब्रोच आफ़ कन्डक्ट का प्रस्ताव लाकर प्रस्तुत कर सकते हैं? क्या आप उसे स्वस्थ परम्परा कहना चाहते हैं? आप यदि मथुरादास माथुर को सजा देना चाहते हैं तो दीजिये, मैं भुगतने के लिये तैयार हूं लेकिन आप पहले यह तो तय कर दीजिये 'कि जो बातें मैंने रखीं क्या आप उनको भी ब्रोच आॅफ़ कन्डक्ट करार देकर, यहां सदन में ला सकते हैं? जहां तक

[श्री मथुरादास माथुर]
पार्लियामेन्ट का सवाल है वहां पर श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने जो सिफ़ारिशें कीं उनको अभी तक पार्लियामेन्ट ने नहीं माना है । उसमें ऐसा निर्णय हुआ है कि अगली पार्लियामेन्ट जब मिले तब वह इस बात के लिये कमेटी बैठाये और उस पर वही विचार कर सकती है और उसका उद्देश्य इसमें और बातों को भी जोड़ना हो सकता है या इसमें भी कमी की जा सकती है । अध्यक्ष महोदय, मैंने उन बातों को जानने की कोशिश की, दुनियां के किस किस देश में मेम्बर्स के कन्डक्ट के बारे में क्या क्या चीजें हैं । ब्रिटेन की पार्लियामेन्ट में इस प्रकार के कोई नियम हों, ऐसी कोई चीज नहीं है । सीनेट आफ़ अमेरिका में भी ऐसी कोई चीज नहीं । हमारे यहां पर जो कोन्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली बनी थी, उस वक्त संविधान सभा के मेम्बरों को रहने के लिये जो मकान दिये थे उस समय उनके दिमाग में यह बातें आईं कि उन मकानों को कई माननीय सदस्यों ने किराये पर अलोट कर दिये थे क्या उनको किराये पर अलोट करने का अधिकार है ? इस तरह की बातें उस समय संविधान असेम्बली के समक्ष आयी थीं । लेकिन जितनी भी नज़ीरें मेरे सामने हैं, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यों ज्यों देश की परिस्थितियां बदलती रहती हैं उनके साथ साथ देश की परम्परायें भी हुआ करती हैं और उसी प्रकार के कन्डक्ट का हमें एक माननीय सदस्य से एक्स्पेक्टेशन करना चाहिये । मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि पहले हम इस प्रकार की एक कमेटी बनालें जो एक मेम्बर के लिये क्या कन्डक्ट होना चाहिये उसके बारे में नियम निर्धारित करलें । जब हम एक मेम्बर के लिये कोड आफ़ कन्डक्ट बनाते हैं तो हमारे लिये यह भी आवश्यक है कि हमें एक मिनिस्टर के लिये और स्पीकर के लिये भी कोड ऑफ़ कन्डक्ट बनावें, चीफ़ मिनिस्टर के लिये भी बनाना पड़ेगा । अगर हम कन्डक्ट के लिये सिद्धान्त कायम करें तो हमें इन सब के लिये कन्डक्ट बनाने पड़ेंगे । आज हम जहां एक सदस्य से इस प्रकार के कन्डक्ट के बनाने को कहते हैं वहां हमें उससे ज्यादा कन्डक्ट की अपेक्षा एक मिनिस्टर से करनी चाहिये और उससे कहीं ज्यादा मुख्य मन्त्री और उससे भी कहीं अधिक हम अध्यक्ष महोदय से कन्डक्ट की आशा करते हैं । जहां तक स्पीकर महोदय के कन्डक्ट की हम उनसे उम्मीद करते हैं वह उम्मीद हमें बराबर मिली है । अगर माननीय अध्यक्ष, इस प्रकार कन्डक्ट के बारे में नियम बना लिये जांय उसके बाद यदि मथुरादास माथुर को इम्पीच किया जाय तो कोई बात नहीं । यहां दो दिनों से लगातार भाषण हो रहे हैं और एक ऐसे सदस्य को इम्पीच किया जाय जो एक पार्टी का चीफ़ व्हिप हो । अध्यक्ष महोदय, मेरी एक जवाबदारी है, कांग्रेस पार्टी का चीफ़ व्हिप होने के नाते मेरे पास इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले माननीय सदस्य भी आते हैं जो मेरे से अपनी अपनी बातें कहते हैं । मैं उन बातों में पड़ना नहीं चाहता । जैसा कि कल माननीय मानसिंह महार ने कहा था कि इम्पीच होने के कारण हमने तो कसम खाली है किसी की सिफ़ारिश करने को । यदि इस प्रकार के इम्पीच से यदि सदन के किसी माननीय सदस्य को फ़ायदा है तो मुझे सन्तोष हो जाना चाहिये । आज उन साथियों से, जो बड़े बड़े जोर से उछल उछल कर कह रहे थे, मैं उन अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि वे अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि क्या कभी उन्होंने मथुरादास माथुर को अपना काम करवाने के लिये नहीं कहा है ? आज यदि इसी बात पर मथुरादास माथुर को फांसी की सज़ा मिलती है तो कोई बात नहीं, उसको तो एक दफ़ा मरना है ही । लेकिन आप आज इन्क्वायरी करा कर, आप अपना राजनैतिक दाव पेच खेलना चाहते हैं, मैं इस संबंध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मथुरादास माथुर राजनैतिक तौर से नहीं मरने वाला है जब

[श्री मथुरादास माथुर]

तक उसको दल के प्रति, कांग्रेस के प्रति और देश के प्रति श्रद्धा है और जिस दिन मेरी श्रद्धा कांग्रेस से और देश से हट जायगी, उस दिन ही मेरी राजनैतिक मौत हो सकती है, वैसे हजारों माथुर मर गए, आज इतिहास में कोई उसको नहीं पूछता लेकिन जो ईमानदारी से देश के प्रति और अपनी पार्टी के प्रति श्रद्धा रखते हैं उनका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता।

एक माननीय सदस्य कल डेढ़ घंटे तक बोले और उन्होंने कई इधर उधर की बातें कहीं और कई सुनी सुनाई बातों को सदन में कह गये। मथुरालालजी से कहीं ज्यादा मोहब्बत और प्रेम है, मेरा, लेकिन हाउस में कहने को यह कह दिया गया कि हम चोर हैं, डकैत हैं। यहां तो आप कह सकते हैं, आज मुझे चोर कहा जा सकता है, कुम्भाराम को डकैत कहा जा सकता है, आपको यहां आजादी है कहने को और आप स्वस्थ परम्परा का नाम लेकर ऐसा कह भी सकते हैं और आप मथुरादास माथुर से यह चाहते हैं कि वह स्वस्थ परम्परा कायम करे। आपने मुझे चोर कहा, मुझको इम्पीच किया, आज करीब साल भर से आप इस प्रकार इम्पीच करते हुए चले आ रहे हैं। आखिर मथुरादास भी इन्सान है। मैं नहीं चाहता कि सदन के अन्दर इस प्रकार का वातावरण पैदा हो, जिससे वे पुराने साथी, जिनके साथ हमने लड्डू खाये थे, वे भूल जाते हैं और आज कहते हैं कि हलवाई के पैसे तुम दे दो।

श्री किशन लाल शाह—मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं (घंटी)

श्री माथुर—(जारी रखते हुए) अध्यक्ष महोदय, मैं उन वजूहातों में जाना नहीं चाहता। अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे सजा दीजिये।

(कुछ बाधा होने पर)

आप मुझे मेरी बात तो कहने दीजिये।

मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता। मैं तो थोड़े में इतना ही अर्ज कर देना चाहता हूं और मैं श्री भोलानाथ जी से यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि मुझे आपसे गिला नहीं है। आप शिक्षा मंत्री थे, नाथूरामजी शिक्षा मंत्री थे, इसके बाद में आज सुखाड़िया जी हैं शिक्षा मंत्री, तो राजस्थान में कई आये और कई चले गये। पर माननीय मित्र ने एक बात कही कि मैंने पत्र लिखा। तो मैं कहता हूं कि श्री गणपत माथुर ने एक किताब लिखी, उसे उसने पेश किया, मैंने चिट्ठी लिखी उसके लिये, मैं चिट्ठी को कुबूल करता हूं, मैं आज ही इसे कुबूल नहीं कर रहा हूं, मैंने उस रोज भी कुबूल किया। जब पहले पहल सदन में यह मामला आया और पहली अपोरचुनिटी मुझे मिली, तब भी कहा था। अब और जोर दिया गया है, त्यागीजी के प्रस्ताव का एक पार्ट है उसमें कहा गया है कि मैंने गवर्नमेंट के सीक्रेट्स को हासिल करने की कोशिश की, कोशिश करके उस सीक्रेट को हासिल किया और उसका उपयोग किया। मैं इससे कतई इन्कार करता हूं और जितना मुझ में आत्म-बल है उतने से इन्कार करता हूं कि मुझे यह कतई मालूम नहीं था कि यह कोड नम्बर है और सीक्रेट कोड नम्बर है। मुझे यह नहीं मालूम था कि किसी मिनिस्टर ने कोड नम्बर कायम किया या नहीं। मैं भी शिक्षा मंत्री रहा हूं और मेरे समय में पुस्तकें सिलेक्ट हुई थीं, तो उस वक्त कहीं पर कोई सीक्रेट नम्बर रखने की कोई प्रथा नहीं थी। क्रम संख्या जरूर होती थी और सीरियल नम्बर ही समझ

[श्री मथुरादास माथुर]

कर मैंने उसे लिखा था। यह मैं अव्वल अर्ज कर देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरे साथी रहे वे इसकी ताईद करेंगे। दूसरी बात यह भी अर्ज कर दूं कि जब यह सीक्रेट नम्बर मुकर्रर किये गये उस वक्त हम लोगों को किसी को पता नहीं था। मैं अपने उन माननीय साथियों को, माननीय सदस्यों को और कई लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि जिनका सम्पर्क रहता है इन मामलों से कि क्या उन्हें मालूम था कि इस प्रकार के सीक्रेट नंबर मुकर्रर किये गये हैं, "Ignorance of law is no excuse" न उनको इस बात का पता था, न अखबारों में यह निकला, न प्रेस में यह निकला, न गजट में ही शाया किया गया। मैं कह सकता हूं आप मेरी इस बात पर, जो विश्वास मुझ में रख सकते हैं, यकीन करेंगे। मैं यह भी जानता हूं कि कुछ लोगों को इससे सन्तोष नहीं हो सकता, मैं उनको सन्तोष दे भी नहीं सकता, क्योंकि उनको तो मथुरादास माथुर मेम्बर की तरह से नहीं दीखता है, उनके लिये दूसरी तस्वीर है। वे अपनी यह तस्वीर कायम रक्खें, उनकी यह तस्वीर मुबारक हो उनको। जब मथुरादास चिट्ठी लिखना कुबूल कर सकता है तो यह भी कुबूल कर सकता है। अगर वास्तव में सही बात होती कि कोड नम्बर भी उसे मालूम थे क्योंकि आखिर अगर कोई सजा होगी तो वह तो एक होगी। तो चिट्ठी लिखना मन्जूर करने में हिचकिचाहट नहीं की तो यह कोड नम्बर है, सीक्रेट है, यह भी मंजूर कर लेने में मुझे क्या हिचकिचाहट हो सकती थी ? अगर मुझे मालूम होता कि यह वास्तव में सीक्रेट नम्बर है और कोड नम्बर है, और अगर इसके लिये गजट में शाया कर देते, अखबारों में निकाल देते, प्रेस में आउट कर देते तो मैं कभी भी इन नम्बरों को काम में नहीं लेता। मुझे तो उस समय तक मालूम नहीं था, मैं तो इसे सीरियल नम्बर ही समझे हुए था और यहां मुझे गणपत माथुर ने बताया। उसने भी यह नहीं बताया कि यह सीक्रेट नम्बर है। मैंने लिखा कि बुक नम्बर ३१ का ध्यान रक्खें। तो यह भी इसी ख्याल से रक्खा क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री रह चुका था और उस वक्त सारी किताबों के सीरियल नम्बर ही लिखे जाते थे। इसलिये मैंने सीरियल नम्बर समझ कर लिखा। मुझे यह नहीं मालूम था, न बताया गया, न गजट में या अखबारों में ही देखने को मिला कि ये सीक्रेट कोड नम्बर हैं। यह तो नाथूराम जी की अक्ल की तारीफ है कि उन्होंने यह प्रणाली निकाली। (हंसी)

श्री किशनलाल शाह—यह तो अपने अपने स्तर की बात रही।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चोरी की चीज जिसके पास मिलती है उसको सुबूत देना पडता है कि वह उसके पास कैसे गई और ......

श्री अध्यक्ष—Order please !

श्री मथुरादास माथुर—चोरी की चीज है तो कोई और कह सकते हैं; श्री एच. के. व्यास मुझे नहीं कह सकते। वही इस काम में अग्रसर हैं कि सरकारी कागज, सरकारी फाइलों से निकाल ले आते हैं और इसको खुद अपनी तारीफ समझते हैं कि मैं तो निकालूंगा। मैं तो यही अर्ज करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, कि मैं यह अर्ज कर रहा था कि मुझे कुछ अपनी चन्द बातें कहनी थीं वह मैंने कह दीं। अब वे इन्हें मानें न मानें यह उनकी आदत की बात है। उनकी जो आदत है वह तो रहेगी, वह उनकी आदत मिटने वाली नहीं है। वह सीक्रेट नम्बर ३१ जिसकी कि चर्चा की जाती है, जोर शोर

[श्री मथुरादास माथुर]

से । उनकी सीक्रेसी के बारे में न तो राजस्थान सरकार ने अखबारों में सूचना निकाली, न प्रेस में ही दिया, न गजट में शाया किया गया । अगर शाया करते और मेरे नोटिस में भी नहीं आता और मैंने लिख दिया होता और बाद में मैं अपनी अज्ञानता की बात कहता तो इग्नोरेन्स आफ लॉ के अनुसार दोषी होता, इसमें बरियत नहीं है । परन्तु मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसकी सीक्रेसी के बारे में न मुझे इन अखबारों से या गजट से मालूम हुआ, न गणपत माथुर ने यह बात कही । बल्कि जो चिट्ठी गनपत माथुर ने चीफ मिनिस्टर को लिखी उसमें उसने साफ यह लिखा है कि इस नम्बर के सीक्रेट होने की न मुझे मालूम थी और न मैंने श्री मथुरादासजी माथुर को बताया, न उनको यह मालूम था; यह नम्बर मैं कहीं से हासिल करके आया हूं, मैंने उनको ३१ नम्बर कहा और उन्होंने लिख दिया । तो मैं यह कहता हूं, आप इस पर विश्वास करिये कि यह सीक्रेट नम्बर था इसका मुझे पता नहीं था । इस सीक्रेट नम्बर का तो तब पता लगता है जब यहां पर पुलिस के छापे की अखबारों में खबर आती है, पुलिस की छानबीन होती है, कागजात जब्त किये जाते हैं, पुलिस की दौड़ धूप होती है, और गंगासहाय नाम के एक अहलकार को गिरफ्तार किया जाता है, उसे सस्पेन्ड किया जाता है और कई जगह तलाशियां होती हैं और कई जगह से दस्तावेजात हाथ आते हैं । उस वक्त मैंने महसूस किया कि अपन ने तो गुनाह कर दिया है; अब वह चाहे जान में हो या अनजान में । तो मैं आपको पूरी तसल्ली दिलाता हूं कि अगर यह मुझे पहले मालूम होता तो मैं इस कोड शब्द का कभी भी उपयोग नहीं करता क्योंकि थोड़ी बहुत वकालत मैं भी जानता हूं, और कानून भी जानता हूं । तो मैंने तीन बातें निवेदन कीं कि सीक्रेट नम्बर मालूम करने का मैंने कोई प्रयत्न नहीं किया, न सरकारी अफसर से, किसी से बात की और न किसी सरकारी अफसर को प्रभावित किया, न मुझे यह मालूम था कि कोई सीक्रेट नम्बर मुकर्रर किया गया है । मैंने तो यह नम्बर भी गनपत माथुर के कहने से लिखा है । अब यह नम्बर उसने कहां से हासिल किया यह उसने अपने उस पत्र में लिखा है जो उसने चीफ मिनिस्टर को लिखा है । मैंने इसे सीरियल नम्बर समझते हुए ही काम में लिया है जैसा कि मेरे मन्त्रित्व के कार्यकाल में होता था । यही बातें मुझे कहनी हैं और अधिक कह कर मैं आपकी भावनाओं को भड़काना नहीं चाहता । पर सच्चा किस्सा यह है । मुझे अगर मालूम होता कि यह सीक्रेट नम्बर है तो मैं उसका उपयोग नहीं करता ।

इसके बाद में यह कहा गया है, इस प्रस्ताव के दूसरे पैराग्राफ में कहा गया है कि क्या मैंने इससे कोई डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली कोई फायदा उठाया ? मैं यह साफ कह दूं कि मैंने एक पाई का भी कोई फायदा नहीं उठाया । अब, गनपत को कोई नफा हुआ या नुकसान हुआ, यह तो वह जाने । तो कानून यह है कि मेम्बर को खुद को डाइरेक्टली या परसनली कोई गेन हुआ है या नहीं, यह साबित होना चाहिये । 'मुद्गल' के मामले में यही हुआ था । तो उन सारी बातों को अब फिर दोहराने की जरूरत मैं नहीं समझता । मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है । मुझे इससे कोई परसनल गेन नहीं हुआ है और फिर आज तक सदन के अन्दर भी, किसी भी साथी ने, यह नहीं कहा कि मुझे कोई परसनल गेन हुआ है, इस प्रस्ताव के पक्ष में बोलने वाले भी किसी सदस्य ने यह नहीं कहा । इतना तो कम से कम उन्होंने मेरे साथ न्याय किया है । तो इसके लिये न कोई एविडेन्स दी गई, न शहादत है उनके पास सिवाय इसके कि यह बात सिर्फ त्यागीजी ने प्रस्ताव में

[श्री मथुरादास माथुर]

लिख दी है, पर एविडेन्स लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा । न साउन्ड एवीडेन्स मौजूद है, न कोई शहादत है और इस तरह से बेबुनियाद है, यह पैराग्राफ । यह 'मुद्गल' के पैराग्राफ की नकल है पर वह यहां पर लागू नहीं होता । मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, कि त्यागीजी के प्रस्ताव के अन्दर सबसे पहले जो दर्ज किया गया, "Conduct as a member of this House" इसके लिये मैंने बात कही है कि सदन के मेम्बर की हैसियत से, मेम्बर आफ दी हाउस की हैसियत से मैंने वह पत्र लिखा, यह बात नहीं है । न मैंने मेम्बर आफ दी हाउस की हैसियत से पत्र लिखा, न एम. एल. ए. का पेड लिया, न मेरे दस्तखतों के नीचे मैंने एम. एल. ए. लिया । एक मामूली छोटे से चिट् पर लिखा, जिसे पत्र कहना भी ठीक नहीं होगा । अब मैंने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कुछ लिखा, मथुरालालजी से मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध है, नाथूरामजी से मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध है, थे और भविष्य में भी रहेंगे । अगर मेरे मन में यह कोई बात होती और किसी तरह का फायदा ही उठाना था या उनको प्रभावित ही करना होता तो घर पर जाकर भी कह सकता था । वे तो मेरे पास ही थे । एक मामूली सी स्लिप ही मैंने लिख दी और उसी को पत्र कहा जाता है और जिसको रिकमन्डेटरी लैटर कहा जाता है । लफ्जों के माने क्या होते हैं, मैं उसमें भी ज्यादा नहीं जाना चाहता । मैंने केवल मथुरालाल जी का ध्यान आकर्षित किया, अब उन्होंने खयाल रखा या नहीं, वह पत्र उन तक पहुंचा या नहीं यह बाद का प्रश्न है कोड नम्बर के बारे में अर्ज कर चुका हूं और यह भी कह चुका हूं कि मेम्बर की हैसियत से मैंने वह चिट् भी नहीं लिखी । कई कार्य जरूरी होते हैं जो हम लोगों को करने होते हैं, अब उनको लेकर आपको निर्णय करना है । मैंने कई मिसालें आपको बताई हैं, टीनेन्ट की और लैण्ड लार्ड की, पूंजीपति की और लेबर की, बहुत सी बातें मैंने आपको बताई हैं । फिर उसके बाद में मुझे यह कहा गया कि मैंने पर्सनल एन्डस के लिए आफिशियल्स को इन्फ्लुएन्स किया है तो मैं कहता हूं कि मेरा इसमें पर्सनल एन्ड कुछ नहीं है । पर्सनल एन्ड के मायने हैं कि पर्सनल ग्रेटिफिकेशन हो । कई एम. एल. एज. अपनी कान्स्टीटुएन्सीज को फायदा पहुंचाने के लिये, वहां के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये, अपने गांव को फायदा पहुंचाने के लिये, यहां मेम्बर की हैसियत से प्रस्ताव रखते हैं । आज दहेज की प्रथा के लिये प्रस्ताव रखते हैं ।

श्री किशनलाल शाह--आप की भावना कौन से स्तर पर थी ?

श्री मथुरादास माथुर--इसमें माननीय सदस्य को, यह बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आपको हमेशा मदद देता रहा हूं उसी तरह से उनको मदद दी थी ।

(सरकारी पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

श्री किशनलाल शाह--On a point of personal explanation, Sir.

श्री अध्यक्ष--The Hon'ble member himself invites the trouble and then raises a point of explanation.

(सरकारी पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

श्री माथुर—मैं यह नहीं चाहता कि यह बातें यहां कहूं, इसलिये माननीय सदस्य अपने जजबात को ठीक रखें। ऐसी बातें मैं नहीं करना चाहता हूं कि जिसकी वजह से उनके दिलों को चोट पहुंचे। मैं अर्ज करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, बडे अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने दो बातें आपके सामने रखीं; एक तो एज ए मेम्बर आफ दी हाउस की हैसियत से और दूसरा पर्सनल एन्ड के लिए यह किया है, बातें कह सकते हैं लेकिन अभी तक कोई ऐसा एवीडेन्स नहीं आया है। आज तक शहादत नहीं आई है ; १४ महीने से यह प्रस्ताव पड़ा है, कोई शहादत नहीं है। अगर इस बात की शहादत देने के लिए कोई आदमी तैयार हो यह चीज प्राइमाफेसी इम्पीच करती है। आप कमेटी बनाना चाहते हैं तो कमेटी किस चीज की एन्क्वायरी करना चाहती है ? यही पूछना चाहती है न, कि चिट्ठी लिखी है या नहीं, तो चिट्ठी लिखी है। यह मैं कुबूल करता हूं कि मैंने लिखी है। कोड नम्बर के बारे में आप कहना चाहते हैं तो मैंने अपना बयान दे दिया है, गणपत माथुर ने दे दिया है। सरकारी आफिस के रेकार्ड से सावित नहीं होता है। एक आदमी ने आकर शहादत नहीं दी। इन्वेस्टीगेशन की स्टेज पर एवीडेन्स नहीं है तो चालान कैसे कर सकते हैं ? इस कमेटी के सामने मुझे किस बात के लिये इम्पीच किया जायगा ? त्यागीजी जो प्रस्ताव लाये हैं उसके बजाय अगर वे यह प्रस्ताव लाते तो मैं उसको ज्यादा अच्छा समझता और और बातें कुछ भी होतीं। मथुरादास ने चिट्ठी लिखना कुबूल कर लिया है और चिट्ठी लिखना गुनाह है इसलिये उसको सजा मिलनी चाहिये। इसलिये जो सजा देना चाहते हैं वह प्रस्ताव के रूप में सदन मंजूर कर लेता और मैं सजा पा लेता, यह बात समझ में आ सकती है। आप १२ बातों का जिक्र करना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं, कन्वेन्शन बनाने जा रहे हैं। पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट नहीं है आज तक। उसके बाद मैं चिट्ठी रिकमन्डेटरी लिखने की मुझे सजा दी जाय तो दीजिये, लेकिन इस प्रकार के कई व्यक्ति हैं। उनमें श्री एच. के. व्यास भी आ सकते हैं, उन्हें भी सजा मिलने की गुंजायश है। दुर्गाबाई ने कहा है उसका आधार हो सकता है। वह यह भी हो सकता है कि उस वक्त जो मकानात लिए हुए थे, किसी ने फ्लैट लिये थे तो उन्होंने मकान किराये पर दे रखे थे दूसरे लोगों को। मैं उस आधार पर नहीं सोचता हूं कि कौन कौन थे माननीय अध्यक्ष, क्योंकि इसका अन्त नहीं होने वाला है। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे आप मजबूर नहीं करें कि मैं अपने साथियों के जख्म कुरेदूं और ऐसी बातें और कहूं और दूसरे उसको जवाब दें। मैंने उस दिन से इसके लिए कसम खाई है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। (हंसी) और मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह चिट्ठी लिखना कानूनी है या नहीं। अगर कानून के विरुद्ध बात है तो मैं उसको अपना गुनाह समझकर मन्जूर करना चाहता हूं। यह सीधी सी बात है। इसमें छिपाने को कोई बात नहीं है।

और मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि वैसे तो मेरे पास एवीडेन्स नहीं है मगर मुख्य मंत्रीजी के पास सदन के इस ओर, और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य जाते हैं और अपनी बातें कहते हैं, अपनी कान्स्टीटुएन्सी की बातें कहते हैं, अपने रिश्तेदारों की बातें करते हैं, अपने कुन्बों की बातें करते हैं, अपना दुखदर्द लेकर जाते हैं। कौन से एच. के. व्यास नहीं जाते होंगे मैं कुछ नहीं कहता। सारे लोग जानते हैं, सदन जानता है। सारे व्यक्ति करते हैं तो कैसे मुझे अकेले को इस बात की सजा दी जाय। मुझे अकेले की ही नहीं, सबकी बात कही जाय। मैं अकेला

[श्री मथुरादास माथुर]
ही आज के लिये ऐसा करता हूं सो बात नहीं है । वे करते जाते हैं, सेशन कोर्ट के जजेज को चिट्ठी लिखी जाती है और यहां कहा जाता है कि कन्डक्ट हमारा अच्छा होना चाहिये (शेम-शेम)....

श्री हजारीलाल शर्मा—नाम बताइये, किसने लिखी है ?

श्री मथुरादास माथुर—में नाम नहीं लेना चाहता हूं। माननीय सदस्य मुझे मजबूर नहीं करें।

मैं अर्ज कर रहा हूं कि चिट्ठी लिखने का गुनाह मैंने किया है और चिट्ठी लिखना ही गुनाह है तो सदन उसका फैसला करे। सदन फैसलाकरे कि चिट्ठी लिखना गुनाह है, वकालत करना गुनाह है। सदन के बहुत से माननीय सदस्य मिनिस्टरों के सामने जाते हैं, एक्जीक्यूटिव ऑफिसर के सामने जाते है, रेवेन्यू बोर्ड के सामने जाते हैं, वकालत करते है। वे इस बातसे इन्कार नहीं कर सकते है। इस प्रकार का सरक्यूलर निकाल दीजिये कि वकालत नहीं करें। वकालत करेंगे तो वह इम्पीचमेन्ट माना जायगा। कई माननीय सदस्यों की मिसाल निकाल कर मैं ला सकता हूं कि मेरे सामने वकालत की है। इस सदन के सदस्यों ने मेरे सामने वकालत की है, यद्यपि उस समय असेम्बली नहीं थी। अगर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप यह कह दें, दिल पर हाथ रख कर कह दें कि उन्होंने वकालत मेरे सामने नहीं की है। (सरकारी पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि) मैं आपको यह अर्ज करना चाहता हूं कि इन पांच वर्षों के अन्दर वे मिनिस्टर्स के सामने पेश नहीं हुए हैं। सरकारी रेकार्ड मौजूद है। मैं १०,२० मुकद्दमों के कागजात पेश कर सकता हूं। तो मैं यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि यह दुर्गाबाई ने कहा है तो दुर्गाबाई ने तजुर्बा हासिल किया इन्डियन पार्लियामेंट का, खास तौर से कि मकान किराये पर देने की बात है। मैं अर्ज कर रहा था कि उसके बाद में यह कहूं कि ऐसा नहीं होना चाहिये और नहीं होने के लिए पार्लियामेंट से सर्क्यूलर निकल गया कि मकान किराये पर नहीं दिये जायें। मैं यह अर्ज करूं कि आप यह कहें कि मकान किराये से देना ग्रेटिफिकेशन है तो अच्छी बात है। पूंजीपति की कोठी जब कि लेबर स्ट्राइक होता है तो वहां जाकर ठहर जाते हैं तो यह क्या चीज है ? समझ में नहीं आता कि किसानों को बेदखल किया जाता है जबकि सदन ने कानून बनाकर उनको प्रोटेक्शन दिया है, उनको आप बेदखल कर रहे हैं, उन पर मुकद्दमा चला रहे हैं उसको अगर हाउस में इम्पीच किया जायगा तो इस हाउस में कौन सदस्य रहेगा, यह मेरी समझ में नहीं आता है। यह सोचने की बात है। आज इस सदन में वे बातें नहीं लाना चाहता जो कि मेरे जजबात हैं। आप प्रिविलेज्ड पोजीशन में हैं, कुछ भी कह सकते है। मैं ऐसी बात नहीं कहूंगा कि जिससे किसी को हानि पहुंचती हो, किसी के जखम को ठेस पहुंचती हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा यह इरादा नहीं था कि सदन के अन्दर कुछ ऐसी बातें कहूं। मेरा इरादा यह भी नहीं था कि किसी के लिये कहूं।

अब प्रश्न यह रह जाता है कि वह पत्र पहुंचा या नहीं। पालीवालजी के बयान को तोलिये, डा० मथुरालाल के बयान को तोलिये। आप पालीवालजी के बयान को मानेंगे या जो डाक्टर मथुरालाल शर्मा ने कहा उसको मानेंगे। मैं उनकी (पालीवालजी) की बातों को मानूंगा कि वह चिट्ठी उनको लाकर बतलाई। जसवन्तसिंहजी का नाम भी लिया गया, उनकी बात भी मैं मानता हूं। माननीय त्यागीजी ने कह दिया वह बात भी मैं मान लेता हूं....

श्री हरिकृष्ण व्यास --मुझे भी कहा है ।

श्री माथुर--आपको भी कहा । मैं मानता हूं कि त्यागी जी और आपको भी कहा या नहीं कहा है, लेकिन आपको और त्यागीजी को लोग खूब समझते हैं और आपकी एवीडेन्स को समझ कर सोचना पडेगा ।

श्री अध्यक्ष -- No mutual talks please.

श्री माथुर --मैं यह मान लेता हूं कि चिट्ठी लिखी, मैंने तो चिट्ठी लिख डाली । लेकिन वह पहुंची या नहीं, इसके बारे में गणपत माथुर क्या कहता है, डा० मथुरालाल क्या कहते हैं और पालीवालजी ने क्या कहा है ?

यह प्वाइन्ट कोई मुद्दे का प्वाइन्ट नहीं है । मुद्दे का प्वाइन्ट तो मैं कहूंगा कि मेरा कोई ग्रेटिफिकेशन था या नहीं इसके अन्दर । गवर्नमेन्ट के रेकार्डस् में लेने की कोई बात नहीं है तो फिर मथुरादास की क्या एन्क्वायरी करवाना चाहते हैं ? चिट्ठी लिखी, इसी की एन्क्वायरी करवाना चाहते हो तो म कुबूल करता हूं कि मैंने लिखी । एन्क्वायरी में क्या करेंगे ? सिर्फ आप यह चाहते हैं कि मैं नीचे गिरूं और इसके लिए यह प्रश्न राजनैतिक प्रश्न बनाया गया है । हाउस में जिन लोगों का हलक सूख जाता है, प्यास लग जाती है, घूमते फिरते हैं, डेढ दो घंटे तक बोलते हैं तो इन्टेस्टाइन गले में आजाती है । यह मोशन क्यों उठा है, यह सब राजनैतिक कारण है, सदन के लोगों को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है । यह मौका उन्होंने ढूंढा है । मगर मेरा गुनाह है तो सजा दीजिये । बडी खुशी की बात है, लेकिन उस सदस्य का कोई नाम मर थोडे ही जाता है, वह जिन्दा रहता है । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को राजनैतिक प्रश्न नहीं समझा जाये । त्यागीजी इस प्रस्ताव को लाये हैं ताकि सदन के अन्दर एक परम्परा स्वस्थ कायम करना है, लेकिन उन्होंने कोई स्वस्थ परम्परा कायम नहीं की है । उन्होंने कत्ल के मुकद्मे चलाये हैं, ३२३ के मुकद्मे चलाये हैं । उन्होंने सदन के इस ओर से स्वस्थ परम्पराओं को तोडा है । वे सदन में मौजूद हैं । उन्होंने अस्वस्थ परम्परायें कायम की हैं । दुनिया का इतिहास देख लिया जाय प्रजातन्त्र में और रशिया में आप देख लीजिये कि जिस पार्टी के टिकिट पर चुनाव लडते हैं और वे पार्टी छोड देते हैं तो निश्चित रूप से सदन से इस्तिफा दे देते हैं । यूरोप को ही नहीं अपने यहां यू.पी. की एक मिसाल देता हूं कि हाफिज इब्राहीम जब मुस्लिम लीग से अलग हुए तो उन्होंने हाउस से इस्तीफा दिया और फिर कांग्रेस का टिकिट लेकर चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने उनको जितवाया और वे यू. पी. असेम्बली के मेम्बर बने । प्रजातन्त्र की अच्छी परम्पराओं की इस देश में कोई कमी नहीं है लेकिन हम तो परम्परा मानेंगे, जो हमारी मरजी की होगी । सरकारी रेकार्ड की सिक्रेसी को लायेंगे और यहां फिर जोर से कहेंगे कि हम तैयार हैं ।

माननीय अध्यक्ष, मैं उस संस्था का सदस्य नहीं हूं जो इस तरह की बात कह सकती है । मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि स्वस्थ परम्पराऐं कायम हों, यदि स्वस्थ परम्पराओं को कायम करना है तो पहले परम्पराओं की परिभाषा हो जाय, त्यागी जी की परम्पराओं की परिभाषा हो जाय, दूसरी पालीवालजी की परम्पराओं कि परिभाषा हो जाय, विशम्भरनाथ जोशी की परम्पराओं

[श्री मथुरादास माथुर]
की परिभाषा हो जाय, तीसरी हो गई, और मेरे दिमाग में है उनकी परिभाषा हो जाय, यह चौथी हो गई। सदन के सदस्यों को यहां बैठ कर इन परम्पराओं की परिभाषायें बनानी होगीं, हमारे यहां की आर्थिक और राजनैतिक स्थिति को देखना होगा। हमारे यहां की गवर्नमेण्ट की क्या पोजिशन है, उसको भी देखना पड़ेगा। अगर वह केपेटेलिस्टिक पेटर्न की गवर्नमेण्ट है तो पूंजीपतियों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, अगर वह मजदूरों की गवर्नमेण्ट है तो मजदूरों की पुष्टि करनी होगी और अगर किसानों की गवर्नमेण्ट है तो जागीरदारी इम्पोज नहीं हो सकेगी। नेश्नेलिस्ट गवर्नमेण्ट है तो उसको नेश्नेलिस्टिक व्यू से देखना पड़ेगा। अलग अलग गवर्नमेण्ट के नकशे पर प्रकाश डालना पड़ेगा। अगर प्रोग्रेसिव गवर्नमेण्ट है तो उसकी वैसी ही तस्वीर बनेगी। मैं चाहता हूं कि मॉरल स्टेण्डर्ड की बात होनी चाहिये।

गुनाह है कि चिट्ठी लिखी गई, लेकिन मैंने चिट्ठी लिखी, लेकिन मैं उस पर भी कोई गुनाह नहीं मानता। न ऐसी कोई परिभाषा है, परम्परा है, न प्रस्ताव है, न कमेटी की रिपोर्ट है, दुर्गाबाई कमेटी की रिपोर्ट है उसमें राव ने मंजूर नहीं किया है, और राव ने आखिर में कहा है कि और चीजें ठीक हो सकती हैं, यह विद्‌आऊट कण्ट्राडिक्शन कहा जा सकता है; ग्रेटिफिकेशन हासिल करने को मेम्बर की हैसियत से ऐसा करेगा तो वह ब्रीच ऑफ कण्डक्ट होगा।

मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता हूं। मैं एक चीज और अर्ज कर देना चाहता हूं, थोड़ी सी है। इस किताब के संबंध में जो माननीय त्यागी जी ने कहा था उसका मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। जब फाइनल होगई तो उस समय मथुरालालजी डाइरेक्टर नहीं हैं। दूसरे डाईरेक्टर थे और एजुकेशन मिनिस्टर भी दूसरे थे। गवर्नमेण्ट ने स्वीकार की है और गवर्नमेण्ट ने कोई रिकमण्डेशन स्वीकार नहीं किया। टेक्स्ट बुक्स कमेटी की रिपोर्ट थी, उसको स्वीकार किया। टेक्स्ट बुक्स कमेटी की भी चर्चायें कीं। हाउस में खड़े होकर माननीय सदस्यों की एक प्रिविलेज्ड पोजीशन है, लाउड स्पीकर पर हाथ रखा और जो कुछ चाहा बता दिया। उस कमेटी में एक प्रो०सहानी भी थे। मैं उनका स्टूडेण्ट रहा हूं। उस कमेटी के करेक्टर की बात कही गई। कमेटी के सदस्य सब चोर हैं और मैं जानता हूं, तो कमेटियों में फिर कौन काम करेगा? यही स्वस्थ परम्परायें कायम करना चाहते हैं? किसी भी आदमी को खड़े होकर गाली निकाल दें और यह ऐसा है और वह ऐसा है। कौन कमेटियों में काम करेगा? आपकी जिम्मेदारी केवल सरकार को क्रिटिसाइज़ करना ही नहीं है। आपकी जवाबदारी है प्रजातन्त्र को चलाने की और सरकार को चलाने की। जब कहने की बात हो तो कुछ कह दें और जब करने की बात हो तो कुछ कर दें और हमेशा दुहाई देते हैं कि स्वस्थ परम्पराय कायम करनी हैं! मैं दो तीन महीने से देख रहा हूं कि सदन में स्वस्थ परम्परायें क्या हो रही हैं, स्वस्थ परम्परायें एक तकिया कलाम बन गई हैं और कहा गया कि शिशु प्रजातन्त्र की हत्या हो रही है। यह भी है और माननीय सदस्य प्रजातन्त्र की बात से शुरू करते हैं और ऐंड भी प्रजातन्त्र की बात करके करते हैं और बीच में जो घोटाला करते हैं, वे वह ही जानते हैं। त्यागीजी मेरे से ऊंचे हैं, उनको कहने का हक है। मैं तो उनको कहता ही हूं और वे कह गुजरते हैं। यह कोई मेरे लिये नई चीज़ नहीं है, उन्होंने ही मुझे मुलजिम बना कर कठघरे में खड़ा किया, जब चिट्ठियां बुरी लगीं तो.....

(घंटी)

[श्री मथुरादास माथुर]
गनपत माथुर को दी। मुल्क की आजादी में हिस्सा लेने वाले किसी व्यक्ति को अगर १२४ ए में चालान किया गया तो वह त्यागीजी के हुक्म से किया गया।

("शेम शेम" की आवाजें)

आज त्यागीजी कहें कि गनपत माथुर के लिये जो विचार बने हुए हैं वे पहले से ही बने हुए हैं, सन् १९४९ से बने हुए हैं, आज की राजनैतिक परिस्थिति में सेट हो सकते हैं, बदलने से बदल सकते हैं और यदि वे अपने विचारों पर कायम रहते हैं तो मैं भी अपने विचारों पर कायम रहता हूं। राजनैतिक प्रश्न पर त्यागीजी लड़ना चाहते हैं तो बहुत मैदान खुला पड़ा है, मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न को सदन में लाने में, ब्रीच ऑफ कण्डक्ट बनाने में दिमाग त्यागीजी का है लेकिन हाथ और इशारा किसी दूसरे का है। इसलिये त्यागीजी को गुनहगार होते हुए भी मैं उनको माफी देने के लिये तैयार हूं। मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि त्यागीजी समझदार व्यक्ति हैं, होशियार और काबिल वकील हैं, लेकिन सच्चाई झूंठ नहीं हो सकती है और झूंठ सच्चाई नहीं हो सकती।

(करतल ध्वनि)

हाईकोर्ट में फरियाद लेकर आते हैं तो यह साबित हो जाता है कि फरियादी ही गुनहगार और गुनहगार गुनहगार नहीं है।

(करतल ध्वनि)

श्री अध्यक्ष--(घंटी) Order please!

श्री हरिकृष्ण व्यास--मुझे पर्सनल एक्स्प्लेनेशन देने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--श्री त्यागी।

श्री हरिकृष्ण व्यास--मुझे कहने का मौका दीजिये।

(कुछ सदस्यों की ओर से "आर्डर-आर्डर" करतल ध्वनि एवं शोरगुल)

श्री अध्यक्ष--Order! Order please!!

श्री हरिकृष्ण व्यास--कहने का मौका दीजिये।

(कुछ माननीय सदस्यों द्वारा "ऑर्डर-ऑर्डर" व शेम शेम)

श्री अध्यक्ष-- Does Mr. Tyagi not want to give his reply. I call Mr. Tyagi.

श्री वेदपाल त्यागी--Why not, Sir.

श्री हरिकृष्ण व्यास--जहां बार बार कहा गया है उसके बारे में एक्स्प्लेनेशन......

श्री अध्यक्ष--(घंटी) Order ! Order !! Order !!!

श्री हरिकृष्ण व्यास--अभी जवाब नहीं दें.......(घंटी एवं शोरगुल)

श्री अध्यक्ष--I don't see any reason of explanation.

श्री हरिकृष्ण व्यास--आप मेरी बात सुन कर फिर फैसला दीजिये।

श्री अध्यक्ष-- First the Member should come to order. This is the order of the Chair. Yes, Mr. Tyagi.

श्री हरिकृष्ण व्यास--आप फिर मेरी बात सुनने को तैयार हो जावेंगे ?

श्री मुक्तिलाल मोदी--भोलानाथजी को तो दिया इनको क्यों नहीं देते हैं ? पांच मिनिट इनको भी दे दीजिये।

अध्यक्ष--I will first hear Mr. Tyagi.

श्री वेदपाल त्यागी--अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से इस प्रस्ताव पर बहस हो रही है। आज जब माथुर साहब बोल रहे थे तो मैं यह सोच रहा था कि डेमोक्रेसी का यह क्या करिश्मा है कि जो आज मुल्जिम के रूप में इस अदालत के समक्ष खड़ा हुआ है वह मुल्जिम की हैसियत से नहीं, दूसरों को ट्राई करने के लिये बोल रहा है। यही डेमोक्रेसी का नमूना है।

(करतल ध्वनि)

कहा यह जाता है कि डेमोक्रेसी की दुहाई देकर मैं प्रारंभ करता हूं, और डेमोक्रेसी की दुहाई देकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और बीच में गड़बड़ घोटाला करता हूं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में मैं डेमोक्रेसी की दुहाई देता हूं, डेमोक्रेसी का जो नग्न रूप आज हमारे सामने आ रहा है, चिन्ता जरूर हुई है कि अगर इसी रूप में ही चलते रहे तो फिर डेमोक्रेसी का क्या होगा ? जो लोग डेमोक्रेसी को चलाने वाले हैं और दुहाई देकर काम बना रहे हैं और मुल्जिम के रूप में खड़े होकर दूसरों को डांटने की हिम्मत रखते हैं वे डेमोक्रेसी को क्या रूप देंगे और किस तरफ ले जावेंगे ? तो मैं यह निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, जवाब दे दिया गया है, श्री माथुर ने अपना एक्स्प्लेनेशन दिया है, नेता ने कुछ मुद्दे यहां उठाये उन पर प्रकाश डाला। लेकिन जहां तक कोड ऑफ कण्डक्ट का संबंध है, अध्यक्ष महोदय, वहां बजाय प्रकाश डालने के अन्धेरा डालने की कोशिश की, बादल छाने की कोशिश की ताकि लोग सही रूप में न देख सकें। इसलिये मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्व इसके

[श्री वेदपाल त्यागी]
कि सदन के माननीय सदस्य अपना दिमाग इस विषय पर बनायें वे इस बात को अच्छी तरह जान लें कि हाउस की प्रिविलेजेज क्या हैं, मेम्बर की प्रिविलेजेज क्या हैं, कोड ऑफ कण्डक्ट क्या है ?

इस प्रकार ब्रीच करने का क्या नतीजा होता है और किस तरह इसको ट्रीट करना चाहिये अभी हमारे देश में, इस में दो मत हो नहीं सकते क्यों कि डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई है। हमारे देश में सिवाय मुद्गल के दूसरा केस सामने नहीं आया। किसी भी विधान सभा में दूसरा केस कन्डक्ट के बारे में सामने नहीं आया है इसलिये 'मुद्गल' केस का हवाला देकर यह कहने की कोशिश की जाती है कि केवल उसी व्यक्ति की मिसाल लेकर इल्ज़ाम लगाया जा सकता है जिसने रिश्वत ली हो या रिश्वत लेकर सदन में कोई ऐसा काम किया हो जो साबित कर सके कि इसने सदन का ब्रीच किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने कांस्टिट्यूशन को बहुत गौर से पढ़ा है वे इस बात को जानते हैं कि हाउस के किसी मेम्बर के कन्डक्ट के बारे में आर्टिकल १०५ और १९६ में दिया उससे गवर्न होता है। जब तक पार्लियामेन्ट और लैजिस्लेचर्स कोई नियम या कानून नहीं बनादें कि हमारे हाउस के सदस्यों के क्या प्रिविलेजेज होंगे, क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी और क्या कन्डक्ट होगा तब तक ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में हाउस ऑफ कोमन्स के जो प्रिविलेजेज़ सदस्यों के माने गये हैं वे ही यहां माने जायेंगे। ब्रिटेन में डेमोक्रेसी बहुत अर्से से चल रही है और बहुत हैल्दी ग्राउन्ड्स पर चल रही है और डेवलप हुई है। वहां पर लिखित कांस्टिट्यूशन नहीं है जैसा कि आज हमारे यहां मोटा कांस्टिट्यूशन हमारे Founding fathers ने दिया है। वहां इस तरह का कोई कांस्टिट्यूशन नहीं है। वहां पर यूसेज, प्रेक्टिस और कन्वेन्शनके आधार परडेमोक्रेसी को डेवलप किया गया है। हमें यह देखना होगा कि अब तक जितने केसेज होते हैं यदि उनके पैरलल ओन आल फ़ोर्स नहीं मिलते हैं तो क्या यह कहदेंगे कि इस प्रकार का कोई केस नहीं हुआ इसलिये कन्डक्ट में नहीं आयगा, क्योंकि हमारी पार्लियामेन्ट में मिस कन्डक्ट आफ़ मुद्गल का एक केस हुआ है और दूसरा ऐसा कन्डक्ट का कोई केस नहीं हुआ है इसलिये पैरलल नहीं बनता। मैं निवेदन करूं कि हमारी पार्लियामेन्ट से पहले इन्गलैंड और दूसरी जगह कन्वेन्शन बने हैं कि क्या मिसकन्डक्ट होना चाहिये, क्या नहीं होना चाहिये उसके आधार पर श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने मुद्गल केस में रिकमन्डेशन की थी कि पार्लियामेन्ट की कमेटी बने, वह इस बात की जांच करे; रिकमन्डेशन मानी तभी जा सकती है। कन्डक्ट कोड बनाने का अधिकार नहीं है। मुझे बड़ा अचम्भा हुआ जब मुख्य मन्त्रीजी बोल रहे थे कि आज इस तरह से सोचना पड़ेगा। सोचना क्या पड़ेगा हमें मानना पड़ेगा। मैंने आपको याद दिलाई आप कांग्रेस के ए. आई. सी. सी. के मेम्बर हैं। जिस समय पट्टाभि सीतारमैया कांग्रेस के प्रधान थे उस समय उन्होंने एक सरक्यूलर जारी किया था और कई चीजों की ओर ध्यान दिलाया था जो कोड आफ कन्डक्ट प्रूव होना चाहिये और प्रूव न हो तो आता है उनकी जानकारी पर। दुर्गाबाई देशमुख ने जो रिकमन्डेशन की उनको माना गया और पार्लियामेन्ट ने एक नोट बुक निकाली उसका वही असर है जो एक स्टेच्यूट का होना चाहिये। जब एक स्टेच्यूअरी कानून की तरह ही उद्धत किया गया है, हमारे हाउस की प्रिविलेजेज इन्डिविज्युअल मेम्बर की प्रिविलेजेज़ नहीं होंगी। जो हाउस आफ़ कोमन्स में है, जो दुर्गाबाई देशमुख द्वारा रिकमन्ड किया गया है, उस के उपरान्त यदि कोई इन्सटान्स नहीं मिलती है तो हमें उसे स्टेच्यूअरी वेल्यू देनी होगी और इसे देखना चाहते हैं तो यह है, "E.O.14 House of the People. Handbook for Members"

[श्री वेदपाल त्यागी]

इसको पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि १२ बातों को उसी तरह से उद्धृत किया गया है। तो सही यह है कि जिन चीज़ों की तरफ़ श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने हमारी पार्लियामेन्ट का ध्यान आकर्षित किया उस पार्लियामेन्ट में सबसे ऊंचे आसन पर बैठने वाले स्पीकर महोदय ने उसे स्वीकार किया और पार्लियामेन्ट के सेक्रेटरी को उन्होंने आदेश दिया कि कोड ऑफ़ कन्डक्ट बनाया जाय। कहा यह जाता है कि एक आदमी यदि अपने मकान को सबलेट करता है तो क्या यह ब्रीच ऑफ़ कन्डक्ट बनेगा? मैं निवेदन करूं कि भारतीय दन्ड विधान में दन्ड की कई परिभाषाएं दी हैं लेकिन हर एक जुर्म एकसा महत्व नहीं रखता। कई जुर्म ज्यादा अहमियत रखते हैं और कई कम अहमियत रखते हैं। ३२३ के मामले में कम सज़ा दी जाती है। मामूली आदमी अगर किसी मामूली आदमी को थप्पड़ मारता है तो उसको कम **सजा मिलती है उसके १० रु० का जुर्माना हो जायगा लेकिन अगर वह आदमी अगर राजप्रमुख के चांटा मारदे तो उसको २ साल तक की सजा हो जायगी और कोई आदमी अगर कत्ल करदे तो उसको** फांसी की सज़ा हो जायगी। तो जब दन्ड विधान एक ही है तो उसी प्रकार से जब कोड बनाया गया है तो कोड में कई प्रकार के कन्डक्ट एलीमेन्ट किये गये हैं तो हर एक ब्रीच की एक सी वैल्यू नहीं रहती। हमें देखना चाहिये कि कौनसा ऐसा अपराध है जिसको अहमियत देनी चाहिये और कौनसा ऐसा जुर्म है जिसमें माइल्ड व्यू लेना चाहिये किन्तु उपहास किसी में नहीं करना चाहिये। यदि कोई भी ब्रीच ग्राफ़ कन्डक्ट है तो उसमें जरूर सज़ा दीजिये। सज़ा की अहमियत मुख्तलिफ़ हो सकती है। एक इल्जाम श्री माथुर पर आता है, उन्होंने एक पत्र लिख कर एक राज्य कर्मचारी पर दबाव डालना चाहा। आज वे ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो राज्य करती है और उस पार्टी में उनका प्रभाव इतना है कि उनके हाथ में मिनिस्टर रहते हैं इसलिये उनके शब्द कानून सा असर करते हैं उनके लिये मिनिस्टरों के मातहत काम करते हैं। **वे कहते हैं कि मैंने पत्र लिख दिया तो कौनसा पाप हो गया, यह तो उनके लिये पुण्य है; जिनको** ५०,००० रु० सालाना की आमदनी हुई। यदि पत्र लिखने की सभी को छुट्टी दी जायगी तो लोग मनमाने तरीके से चिट्ठी लिखेंगे और जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं और कांग्रेस में प्रभाव रखते हैं वे शासन करेंगे। क्या मिनिस्टर लोग शासन में इस तरह का हस्तक्षेप करना उचित समझते हैं। क्या वे यह उचित समझते हैं कि हर एक सदस्य पत्र लिखे और उस समय लिखे जब कि गवर्नमेन्ट इस बात के लिये सतर्क है कि कहीं ऐसा न हो जाय कि किसी को कोड नम्बर ज्ञात हो जाय या कमेटी के मेम्बर्स पर इन्फ्ल्यूएन्स लाया जा सके। लिहाज़ा इन्फ्ल्यूएन्स न लाने देने के लिये एक तरफ़ गवर्नमेन्ट सतर्क रहती है और यह चाहती है कि किसी को पता नहीं चले और दूसरी तरफ़ श्री मथुरादासजी इन्फ्ल्यूएन्स लाते हैं कि इस किताब को ध्यान में रखिये और आप कहते हैं कि इसमें दोष नहीं है, हम इस तरह की रिकमन्डेशन कर सकते हैं। मेरी कई सदस्यों से बातें हुई। वे कहते हैं कि रिकमन्डेशन करने में पाप नहीं है। पाप नहीं है क्योंकि मोरल स्टेन्डर्ड नीचे स्तर पर है और शासन पर असर पड़ता है। आज वे कहते हैं कि हम जो चाहें वह करालें क्यों कि शासन हाथ में आ गया है। लेकिन याद रखिये कि बहुमत के आधार पर आज धांधलेबाजी कर सकते हैं लेकिन धांधलेबाजी, दबाव और दूसरे तरीकों को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। मैं अपोजीशन में हूं और मेरा कर्तव्य है कि मैं सावधान करूं। मैं अपने कर्तव्य के नाते सवाल करता हूं कि इस मामले की जांच होनी चाहिये यदि

[श्री वेदपाल त्यागी]
नहीं करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को सुविधा होनी चाहिये कि वह लोगों को दवा कर काम करवा दे और फ़ायदा उठावे। आज ज़माना डेमोक्रेसी का है। डेमोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेन्ट ऑफ़ दी पीपल, बाइ दी पीपल एन्ड फ़ोर दी पीपल, and not for certain persons or certain Mathurs and certain other people.

मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी शुरूआत हो है और आपके हाथ में इसकी बागडोर है। श्री मथुरादासजी इस प्रकार प्रवेश में आकर व्याख्यान देकर सदन के सदस्यों पर प्रभाव डालना चाहते हैं कि उनको मालूम नहीं था कोड का। आपको बताऊंगा कि कोड का क्या मतलब है। सीक्रेट कोड के अक्षरों का क्या मतलब होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वास्तव में यह बात नहीं है जो माथुर साहब कहते हैं। सीक्रेट कोड को हासिल करना घोर अपराध है। आप इस प्रकार के घोर अपराध को गोलड करना चाहते हैं और यह कह रहे हैं कि उनको कोड नम्बर मालूम नहीं थे, उनको यह मालूम नहीं था कि ये सीक्रेट कोड नम्बर थे।

मैं यह कहना चाहता हूं कि १२ पोइन्ट जिनको दुर्गाबाई देशमुख ने बनाया वे पार्लियामेन्ट के सेक्रेटरी ने अपने यहां की एक पुस्तक में निकाले हैं जिसका नाम है 'हैन्ड बुक फ़ार मेम्बर्स' (पेज ३३) उनको स्पीकर ने एप्रूव करके रखे हैं। वह एक पार्लियामेन्ट की चीज है उसको इसमें रखा गया है। उसको एक्ट के रूप में तो नहीं रखा गया है मगर स्पीकर ने उसे मन्जूर कर लिया है इसलिये उसकी वही अहमियत हो जाती है जो एक्ट की होती है और जब सेक्रेटेरिएट से कोई नोटिस वगैरा निकलते हैं उसकी सदस्यों के लिये वही अहमियत होती है जो कानून की होती है। उसको हम इतना लाइटली नहीं ले सकते। कुल १२ पोइन्ट में से ३ या ४ पोइन्ट को छोड़ कर सभी इस केस पर लागू होते हैं, शेष ८ पोइन्ट चीफ़ मिनिस्टर ने भी पढ़े हैं। उन्होंने यह कहा कि यदि इन सब पोइन्टों पर अमल किया गया तो वकीलों के लिये भी बहुत मुश्किल हो जायगी। मैं तो यह चाहता हूं कि वकीलों के लिये मुश्किल ही नहीं बल्कि इम्पोसिबिलिटी हो जानी चाहिये जिसका नतीजा यह होगा कि न तो वे अपने मिलने वालों को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे और न खुद फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट ने भी आप लोगों के लिये इन्सट्रक्शन निकाली है, उसका पालन नहीं हो रहा है। केवल इसी वजह से इन १२ बातों की तरफ़ ध्यान नहीं देना चाहिये यह दलील तो मुझे पोची मालूम होती है। जो चार बातों का ज़िक्र नहीं किया गया, उनकी तरफ़ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली बात यह है "A member should not try to secure business from Government for a firm, company or organisation with which he is directly or indirectly concerned."

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें दो मत नहीं है। मथुरादासजी के बयान के बाद यह तो मालूम है कि वे गनपत माथुर में इन्ट्रेस्टेड थे, पोलीटिकल सफ़रर के कारण या ये माथुर थे और वह भी माथुर था या इनका क्या संबंध था या और कोई और चीज थी यह चीज तो इन्वेस्टीगेशन के बाद की चीज रह जाती है। यह तो इन्वेस्टीगेशन के बाद ही पता लग सकता है कि क्या संबंध था। उन्होंने इस बात को मन्जूर किया है कि उन्होंने यह पत्र उसको एक पोलीटिकल सफ़रर के नाते लिखा था। तो कम से कम वे पोलीटिकल सफ़रर के नाते, वे उसमें इन्ट्रेस्टेड थे। इसलिये यह तो नहीं कहा जा सकता कि वे उसमें

[श्री वेदपाल त्यागी]

इन्ट्रेस्टेड नहीं थे। इन्ट्रेस्टेड होने के कारण कई हो सकते हैं मगर स्पष्ट कारण जो उन्होंने बताया वह यह कि पोलीटिकल सफ़रर था उसकी वजह से पत्र लिख दिया गया। आप तो इसको पोलीटिकल सफ़रर मानते थे और मैं दूसरी चीज़ बताता हूं। इस प्रकार जब फ़ैक्ट्स में मत भेद है तो इसका निर्णय, कि कौनसी चीज़ सही है तो केवल इन्वेस्टीगेशन के बाद ही हो सकता है। इन्वेस्टीगेशन के बाद ही पता लग सकता है कि जो बात वे कह रहे हैं वह ठीक है या जो बातें मैं बता रहा हूं वे ठीक हैं। इस बात के लिये तो कोई कमेटी जांच करने के लिये बने, वही तय कर सकती है। जब तक इसका इन्वेस्टीगेशन नहीं हो इसका पता नहीं लग सकता। मगर जो बात उन्होंने कही है उससे यह पता लगता है कि वे डाइरेक्टली इन्ट्रेस्टेड थे। अब यह मालूम हो जाए कि वे उसमें इन्ट्रेस्टेड थे तो उससे वह क्या बिजनेस सिक्योर कर सके हैं देखने की बात है। यह बिजनेस जो वे इससे हासिल कर सके वह ऐसा बिजनेस है जिसमें ५० हज़ार रुपये सालाना आमदनी हो सकती है। सरकार ने इस प्रकार का प्रबन्ध किया कि कोई बेजा तौर से बिजनेस सिक्योर नहीं कर ले। इसके लिये उसने कोड निकाला। मगर आपने जो लेटर लिखा उससे वह ५० हज़ार रुपये का बिजनेस सिक्योर कर सका। उसके लिये आप यह कहते हैं कि एक लेटर लिखा और वकील लोग तो यही प्रजम्पशन निकालते हैं कि उसको इससे फ़ायदा हुआ। यह कहा जाता है कि उसको साबित करना चाहिये था कि फायदा हुआ। मैं यह कहूंगा कि साबित करना उनका फ़र्ज़ है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यदि चोरी की चीज़ का उपयोग किया जाता है और वह भी ऐसी चीज़ जिसके लिये गवर्नमेन्ट सतर्कता से उसको रोक रही हो फिर भी आज यह कहा जाता है कि कोई खिलाफ़ एवीडेन्स नहीं है। आपको एवीडेन्स देनी चाहिये। मगर आज वह मुलजिम हमारे पर उल्टा इल्ज़ाम लगाता है कि आपको एवीडेन्स पेश करनी चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि शहादत किसके सामने पेश करें। आखिर कोई सुनने वाला भी तो हो या कोई इन्वेस्टीगेशन करने वाला भी तो हो।

कहा यह जाता है कि मुझे तो इतना भी पता नहीं कि यह सीक्रेट कोड था मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिये अखबारों में दिया गया, उसके बारे में केसेज़ चले क्लर्क को सस्पेन्ड किया गया। केसेज़ चले जिस किताब में आप इन्ट्रेस्टेड हैं। फिर भी आप यह कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि यह कोड था। आप लेटर के लिये बड़ी शान से कहते हैं कि लेटर मैंने लिखा। आप इस बात को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं जिस तरह से लेटर के लिखने को स्वीकार करता हूं इसको भी स्वीकार कर लेता। लेटर क्या है एक चिट है। वह पूरा का पूरा आपके हैन्ड राइटिंग में है इसलिये आप उसको अस्वीकार नहीं कर सकते। कहीं प्रिन्टेड होता तो झट से आप कह देते कि दस्तखत बना लिये गये हैं। मगर यह पूरा का पूरा पत्र नीचे से ऊपर तक आपके हाथ का लिखा है इसलिये इसको तो आप कैसे नामन्जूर कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपने उस वक्त भी इसको स्वीकार इसलिये किया कि इससे आपका होगा ही क्या ? आपको यह मालूम नहीं था कि यह पत्र इस प्रकार से उग्र रूप धारण कर लेगा। आज आप बड़े गर्व से कहते हैं कि मैंने जब लेटर को स्वीकार कर लिया तो इसको भी स्वीकार कर सकता था। अगर वे इसको स्वीकार करते तो आज उनको पता लग जाता कि क्या माने रखता है। ओफ़िशियल सीक्रेट एक्ट है उसके अनुसार कार्यवाही हो सकती है।

[श्री वेदपाल त्यागी]

आपने यह सोचा कि स्वीकार कर लेना चाहिये। यदि आज आप किसी तरह से अपना बहुमत बनालें, किसी तरह से लोगों को लालच देकर अपना बहुमत बनालें, दबाव डाल कर अपना बहुमत बनालें। यदि आज कहने के लिये तो यह कहा जा सकता है कि लोगों पर किसी प्रकार का कोई व्हिप नहीं है लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज भी यहां इधर बैठने वालों पर भी यह व्हिप लगा हुआ है और पर भी व्हिप लगा हुआ है और उधर बैठने वालों पर भी व्हिप लगा हुआ है। हां कहने के लिये व्हिप नहीं हैं मगर यह व्हिप से भी ज्यादा है। लोगों को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सुबह से शाम तक मोटरें दौड़ाई जा रही है और इसके लिये हर प्रकार से जमीन आसमान के कुलावे एक किये जा रहे हैं फिर भी कहने को यह कहा जाता है कि कोई व्हिप इश्यू नहीं है। आज कोई चुन कर आए हुए व्यक्तियों के लिये सिद्धान्त नहीं। उनका अपना स्वतन्त्र मत देने का अधिकार नहीं। यह है डेमोक्रेसी का नग्न रूप। मगर इस पर मैं बाद में जिक्र करूंगा।

मैं यह कहूंगा कि १७ मार्च को यह लैटर उनके सामने आया और सदन की मेज पर रखा गया। १८ मार्च को श्री मथुरालालजी से मिल मिला कर यह कहा कि उनके पास लैटर नहीं पहुंचा। आपने यह तो कह दिया कि उनके पास लैटर पहुंचा नहीं। आपने वह लैटर तो लिख दिया मगर पहुंचा नहीं उस समय आपने यह नहीं कहा कि लैटर में जो नम्बर दिये गये हैं वे सीक्रेट कोड नम्बर हैं या नहीं। आज आप उसके लिये इलेवन्थआवर पर यह कहते हैं कि यह आपको मालूम नहीं था कि गवर्नमेन्ट ने कोड नम्बर मुकर्रर किये थे। दुनिया इस बात को जानती थी। अखबारों में इसकी चर्चा थी दूसरी सब जगह इसकी चर्चा थी लेकिन आपको मालूम नहीं था आप तो बंगले के बाहर निकलते ही नहीं थे कि सीक्रेट कोड नम्बर थे मच बाटर हैड फ्लोन सिन्स देन, कमेटी में कार्यवाही हो चुकी थी। पुलिस इन्वेस्टीगेशन हुआ। कुछ क्लर्क सस्पेन्ड हो चुके थे। वे तो बाहर निकलते ही नहीं थे उन्हें कैसे मालूम हो सकता था कि यह कोड नम्बर थे या नहीं।

लेकिन इस वक्त एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता प्रतीत हुई इसके पहले उन्होंने कभी इस बात का एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता अनुभव नहीं की। इसलिये यह आफ़्टर थॉट्स समझा जायगा। मैं भी एक वकील हूं और वे भी एक वकील हैं इस नाते मैं उनकी बातों को अच्छी तरह से समझ सकता हूं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थान वकालत करने का नहीं लम्बी लम्बी स्पीचें देने का नहीं, यह वह स्थान है जहां हम देश और प्रान्त के शासन की बागडोर का संचालन करते हैं। आज इस बागडोर के चलाने का नैतिक जिम्मा आपका और हमारा है। आज हमें इस शासन संचालन में नैतिकता को इन्ट्रोड्यूस करना है लेकिन आज लोगों के हाथ में हमारे प्रान्त का शासन भार है आज उनसे इस बात की आशा नहीं की जासकती। आज जिन लोगों के हाथों से शासन की बागडोर है, वे आज जिम्मेदार नही है। केवल यहीं नहीं जिस चीज का ब्रीच किया उसके लिये उन १२ मुद्दों में यह भी एक मुद्दा है।

"A member should not unduly influence a Government official or a Minister in a case in which he is interested financially either directly or indirectly."

[श्री वेदपाल त्यागी]

कहा यह जाता है कि उन पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया कि उनको किसी प्रकार का आर्थिक लाभ हुआ हो। मुख्य मन्त्री ने बड़े ज़ोरों से इस बात का समर्थन किया कि उनको तो आर्थिक लाभ नहीं हुआ। यद्यपि मैं यह कहदूं मुख्य मन्त्री ने जो समर्थन किया वह मथुरादासजी माथुर के कहने से किया हो लेकिन जो प्रिज़म्प्शन उन्होंने ड्रा किया है और जो आरग्यूमेन्ट दिया है उसमें उन्होंने कहा कि अगर यह मामला ऐसा होता अगर उसमें आर्थिक दृष्टि से वे इनवोल्व होते तो वे ऐसा चिट् नहीं लिखते। उन्होंने आर्थिक लाभ न होने का नतीजा चिट् के लिखने से निकाला। चिट् लिखना उनके कहने के मुताबिक यह बताता है कि मथुरादासजी को इससे कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, यह ऐसी बात है जैसी हमारे यहां कहावत है कि डूबता हुआ व्यक्ति तिनके का सहारा लेने की कोशिश करता है। उसी प्रकार हमारे मुख्य मंत्री महोदय चिट् का सहारा यह लेकर यह कहते हैं चिट् का लिखना ही यह बताता है कि उनको किसी प्रकार का आर्थिक लाभ नहीं हुआ। बलिहारी उनके आरग्यूमेन्ट की। वे व्यक्ति ऐसा सोचते हैं जो आज मुख्य मन्त्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इस तरह से प्रोटेक्शन का प्रयत्न करते हैं व्यक्ति के लिये जो आज जेल के सींकचों में होना चाहिये था। (हीअर, हीअर)

अध्यक्ष महोदय, जब इस सदन का जन्म हुआ था तब इस सदन में शुरूआत में उधर बैठने वाले माननीय सदस्य इधर बैठने वाले सदस्यों पर यह आरोप लगाते थे कि ये तो डाकुओं से मिले हुए हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद पासा पलटा इधर बैठने वाले सदस्यों ने उधर बैठने वाले लोगों पर इल्जाम लगाये, खुले रूप में इल्जाम लगाये और जिसका नतीजा यह हुआ कि कुछ व्यक्तियों को गवर्नमेन्ट से स्तीफा भी देना पड़ा। यहां यह भी कहा गया कि कइयों ने खुले आम जाकर डाकुओं से चर्चा की उनके साथ सांठगांठ की सौदेबाजी की गई ....

श्री अध्यक्ष—No relevancy of these things.

श्री वेदपाल त्यागी—(जारी रखते हुए) बिल्कुल रिलेवेन्सी है वह इसलिए है ....

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member has a right of reply, not a right of new insinuations.

श्री वेदपाल त्यागी—This is not an insinuation, Mr. Speaker, Sir. This is what Mr. Mathur has said and what he has instigated me to say.

अध्यक्ष महोदय, कहने का मेरा तात्पर्य यह था कि जब सदन ने यह मांग की तो मुख्य मंत्री का जिन्होंने जांच करने का आश्वासन दिया था कर्तव्य था कि वे इसकी जांच करवाते, सही तौर से जांच करते क्या उन्होंने जिनके खिलाफ चार्ज लगाया गया उनकी जांच की गई ?

यह भी कहा गया कि विरोधाभास हो रहा है कई लोग तो यह कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिये जब यह रेजोल्यूशन सदन में आया लोगों ने ऐतराज किया लेकिन जिन लोगों ने ऐतराज किया वह इसलिये नहीं किया कि इसकी जांच नहीं होनी चाहिये बल्कि इसलिये किया कि किसी व्यक्ति को इम्पीच उसी

[श्री वेदपाल त्यागी]

वक्त किया जा सकता है और किया जाना चाहिये जब कि पूरी तरह से यह यकीन करलें के वास्तव में वह अपराधी है। उसके लिये इस प्रकार की परम्परायें बनी हुई हैं यदि कोई ऐसी चीज़ नोटिस में आती हैं तो पहला कर्तव्य सदन के नेता का यह होता है कि वह उसकी जांच करलें और जब वह इस नतीजे पर पहुंच जाय कि इसका प्राइमाफेसी केस बनता है तो उसके लिये हमारे पास मेथड प्रस्क्राइब्ड हैं वे एक स्टेटमेन्ट देते हैं उसमें वे थोड़े से फेक्टस बताते हैं उसके बाद वे अपनी ओर से मोशन मूव करते हैं उस पर किसी प्रकार डिबेट नहीं होती और वह इन्क्वायरी कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाता है और इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद उस पर डिबेट हो सकती है और वास्तव में वह अपराधी पाया जाता है जिसके खिलाफ इलजामात हैं तो उस पर डिबेट करने का मौका दिया जाता है, उसको एक्स्प्लेनेशन का मौका दिया जाता है और लीडर ऑफ दी हाउस भी स्टेटमेन्ट देते हैं। यह प्रोसीजर इसलिए है कि किसी प्रकार की छींटाकशी न हो किसी पर किसी प्रकार इलजाम न लगे बिना जांच पड़ताल किये, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री इन चीज़ों से कतई नहीं घबराते अगर वे चाहते कि इस प्रकार की छींटाकशी न हो तो उन्हें पहले इसकी जांच करा लेनी चाहिये थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने सोचा अगर जांच की मन्जूरी कर लेता हूं तो कमेटी बैठेगी और अगर कमेटी बैठ गई और जांच हो गई तो कहीं उन्हें अपने साथी का साथ न छोड़ना पड़ जाय। कमेटी के बैठने के बाद तो वास्तव में अगर गलती हुई है तो सज़ा दी जानी चाहिये लेकिन मुख्य मंत्री को इन सब बातों का क्या डर उन्होंने तो इस चीज़ को दुनियां के सामने एक्स्पोज करना उचित समझा और इसी कारण उन्होंने जो इस चीज़ के लिये वास्तविक तरीका था, वह नहीं अपनाया।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि मैं किस तरह से इन्क्वायरी कर सकता हूं यह तो मेम्बर के कन्डक्ट की चर्चा का विषय बन सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप इन्क्वायरी करते तो हो सकता है आपके ख्याल से वे निर्दोष ही साबित होते। हम भी यही चाहते थे कि वे निर्दोष साबित होकर आयें लेकिन आप इन्क्वायरी करें कैसे, आप किसी को एसोसियेट नहीं करना चाहते आप निष्पक्ष जांच कमेटी बिठाते, यदि आपके साथी निर्दोष हैं तो तपे हुए सोने की भांति अग्नि परीक्षा से गुजर कर आते और दुनियां को वास्तव में पता चलजाता कि श्री मथुरादासजी माथुर निर्दोष व्यक्ति हैं। लेकिन आपन ये सब बातें नहीं कीं क्योंकि आपको खतरा है, मुख्य मंत्री को खतरा है। जिस उच्च स्वर से माननीय मथुरादासजी कह रहे थे मैं इन्क्वायरी के लिये तैयार हूं, उसको फेस करने के लिये तैयार हूं। अगर आपको इधर बैठने वाले साथियों से खतरा है तो आप उनको कमेटी में सम्मिलित न कीजिये आप चाहे उन लोगों की कमेटी बना दीजिये जो आपके बिल्कुल लॉयल हों लकिन जब फेक्टस सामने आयेंगे वे भी छुपा नहीं सकेंगे और किसी प्रकार भी मथुरादासजी माथुर को नहीं बचा सकते। इसलिए आज आप इन्क्वायरी को शील्ड करते हैं, शर्क करते हैं, शन करते हैं, आज मुख्य मंत्री कहते हैं कि इन्क्वायरी की क्या जरूरत है मैं अपने किसी साथी को एक्सपोज नहीं करना चाहता दुनिया के सामने एक्सपोज करना शोभा नहीं देता, डेमोक्रेसी के लिये शोभा नहीं देता। मैं यह भी निवेदन कर दूं अगर वास्तव में आपका साथी निर्दोष है तो वह कौनसी बात थी जिसके कारण हमारे पत्र लिखने पर भी हम लोगों को आपने एसोसियेट नहीं किया। आप भी एक लाख व्यक्तियों के नुमायन्दा है और जिस व्यक्ति ने शिकायत की है वह भी एक लाख व्यक्तियों का नुमायन्दा है जो अपने आपको

[श्री वेदपाल त्यागी]
जनता के प्रति उतना ही उत्तरदायी मानता है जितना कि आप अपने आपको मानते हैं। यह एक्सीडेन्ट की बात है कि आज आप मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं दूसरे लोग भी बैठ सकते हैं आप अपनी जितनी जिम्मेदारी समझते हैं, हम भी उतने ही जिम्मेदार लोग हैं। आज हम शिकायत करते हैं, जब हम कोई बात कहते हैं तो उसमें बड़े स्नेग्ज़ हैं। जो बातें हमने बतायीं उसमें ऐसी कई बातें हैं जो बातें हम यहां बताना नहीं चाहते। जहां मथुरादास माथुर द्वारा पत्र लिखे जाने पर जो जो बातें हुईं रिव्यूअर्स हैडरिव्यूअर्स की क्या क्या राय थी रिव्यूअर्स की कमेटी के और सब-कमेटी के जो मेम्बर्स थे उनके विषय में सैकड़ों बातें बतायीं तो हमको बुलाकर इतना ही कह देते कि ये रिपोर्टस पड़ीं है आप लोग देख लीजियेगा। जहां ३० नवम्बर तक तो आप हम लोगों को एसोसियेट करने के लिये कहते हैं लेकिन उसके बाद ऐसी कौनसी बात हो जाती है जिसके कारण वे सब बातें ठंडी हो जाती हैं। मालूम ऐसा पड़ता है उन कागजों में ऐसी कोई चीज़ मिल जाती है जिसको छिपाया नहीं जा सकता अगर उनको देखने को मिल जाता तो शायद उनको यह डर था कहीं उनको अपने साथी से विदा न लेनी पड़ जाय इसलिये उन्होंने इस चीज़ को छुपाना ही ठीक समझा और कह दिया मैंने इन्क्वायरी कर ली। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री तो इस वक्त मौजूद नहीं है लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्या इन्क्वायरी की क्या उन्होंने इस बात के लिये कि मथुरादास माथुर के चिट्ठी लिखने पर रिव्यूअर्स और हैड रिव्यूअर्स पर क्या असर पड़ा इस बात की जांच की ? क्या उन्होंने फ्रन्टियर पब्लिकेशन के कागजात मंगाकर देखे, किसी आदमी को एग्ज़ामिन किया, जब यह एक बार सदन के सामने प्रश्न आया उसके बारे में सदन के नेता ने इन्क्वायरी करके अध्यक्ष महोदय को उस इन्क्वायरी से जानकारी करवाई ? ये सब बातें नहीं हुईं। केवल कागजों के पढ़ लेने से जांच नहीं हो जाती जैसा कि वे मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त यह पहले प्रस्ताव आया था उस समय उन्होंने जांच का वादा कर लिया। यह बात नहीं थी कि इसको अन्य कोई न जानता हो, सदन में आने से पहले इसके बारे में अखबारों में निकल चुका था। अध्यक्ष महोदय, जब यह सत्र शुरू हुआ तब तक हमारे पत्र का कोई जवाब नहीं आया उन्होंने सोचा कि अगर यह सत्र किसी न किसी तरह निकल जाय अगर इसके बाद में चीज़ आजाती है तो हम किसी न किसी तरह से यह सत्र टाल दें उसके बाद तो जनरल इलेक्शन आजायेंगे और यह मामला अपने आप खत्म हो जायगा। यही एक कारण था जिसके कारण वे ढील कर रहे थे।

जो चीज़ उन्होंने एन्क्वायर की, एन्क्वायरी में सिर्फ उन्होंने एक फाइल पढ़ी। किसी का बयान नहीं लिया। इसके पहले मथुरादास माथुर का पत्र, गनपत माथुर का मामला और डाक्टर मथुरालाल का लैटर आ चुका था। इसके बाद उन्होंने किसी एक विटनैस को भी नहीं बुलाया। किसी एक कमेटी के मेम्बर को नहीं बुलाया, न उसको एग्ज़ामिन किया। फिर कहते हैं कि वह ऊंचे दर्जे के आदमी थे उन पर तो शक नहीं किया जा सकता। अगर पढ़ने लिखने से ही कोई बड़ा आदमी ऊंचे दर्जे का आदमी हो जाता है, या ऊंची जगह, ऊंची कुर्सी पर ऊंचे स्थान पर ही बैठने से कोई ऊंचे दर्जे का आदमी बन जाता है तो मैं कहूंगा कि माथुर साहब भी नीचे दर्जे के आदमी नहीं है, मथुरालाल शर्मा भी नीचे दर्जे के नहीं हैं पर आज इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि माथुर साहब

[श्री वेदपाल त्यागी]

१८ तारीख को बढ़ बढ़ कर बातें कर रहे थे कि मेरा वह पत्र डाक्टर मथुरालालजी के पास पहुंचा ही नहीं पर जब सदन के सन्मुख एक ऐसे व्यक्ति की बात हमारे सामने आई जिसको न सदन झूंठा मान सकता है और न अन्य कोई झूंठा मान सकता है और यह बात सामने आई कि पत्र उनके पास पहुंचा तो फिर माथुर साहब ने कह दिया कि मुझे इसकी मालूम नहीं कि वह पत्र पहुंचा या नहीं। तो यह तरीका है उनका अपने को डिफेण्ड करने का। पर मैं कहता हूं अपनों की मेजोरिटी के नाम पर और तथा कथित मेजोरिटी के आधार पर आज भले ही नाज़ कर लो, पर जैसा कि व्यासजी ने कहा कि आप मेजोरटी के आधार पर जीत सकते हो पर उस जीत में कांग्रेस की हार होगी। उस जीत में आपकी जीत में मेरी हार नहीं होगी, मेरी तो जीत होगी क्यों कि मैं तो एक्सपोज करना चाहता हूं आपको और आप दोनों एक्सपोज हुए हैं। क्योंकि आप दोनों इस अनस्क्रूपलस मोशन को जो किसी पर लान्छन नहीं लाता उनको भी न मानकर हाउस को डिसकस करने का मौका देते हैं और अध्यक्ष महोदय में कह दूं हमारे नेता महोदय ने अगर जांच कर ली होती और अपने आश्वासन को पूरा किया होता तो जरूरत नहीं थी कि यह मोशन यहां आता। परन्तु पिछले अक्टूबर मास में यह आया था तब उनकी इन्सिस्टेन्स इस बात पर रही कि यह डिसकस होजाना चाहिये था क्योंकि वे जानते थे कि मेजोरिटी है, उनको। अपने मेम्बरों को भी डीमोरेलाइज करना जानते हैं और अपने अपोजीशन के मेम्बरों को भी डीमोरेलाइज करना चाहते हैं। परन्तु उनकी हिम्मत तो वहां हुई अध्यक्ष महोदय, जहां उन्होंने उपाध्यक्ष महोदय से भी इसको अपोज कराया। यह इनएडमिजिबल है। ऐसा नहीं होना चाहिये। मैं याद दिलाऊं। यह मोशन पहले भी आया। पहले उपाध्यक्ष महोदय इस पर चुप रहे और उनकी पोजीशन भी ऊपर है उनको चुप रहना ही चाहिये। पर यह पहला ही कन्वेन्शन डाला गया है कि इस प्रकार के मोशन पर उनसे भी ओब्जेक्शन रेज कराया गया है। अपने पक्ष के लोगों से ही कराने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने दूसरी पोजीशन के आदमी को इन्वोल्व कर लिया। वे भी ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने ओब्जेक्शन रेज कर दिया। जितना पढ़ाया गया उतना कह दिया। आगे सवाल पैदा हुआ तो खामोश होना पड़ा और कुछ न बोल सके। ये है आज हमारे यहां की नैतिकता। और यह कहा जाता है कि हमने इन्क्वायरी की। आज मुश्किल यह है कि जो खुद कल्प्रिट हैं, कटघरे में खड़े हैं वे स्वयं अपने लिये जज बन रहे हैं और जज बनकर जोर शोर से घोषणा करते हैं कि हम निर्दोष हैं। मैं कहूंगा आज सुखाड़िया और माथुर में कोई अन्तर नहीं। अगर अनैतिकता का इल्जाम लगाते हैं तो वे यहां के नेता हैं और यहीं से यह अनैतिकता शुरू होती है।(करतल ध्वनि) क्योंकि वे अपने बड़े बड़े पंख पसार कर जो कि चीफ मिनिस्टर शाया दे सकते हैं, आज जो अनैतिक हैं उनको शाया दे रहे हैं, पनपा रहे हैं उनको। मैं यह निवेदन कर दूं कि यह अनैतिकता आप तक ही सीमित नहीं रहेगी। आपके साथ बैठने वाले साथियों तक ही सीमित नहीं रहेगी। इसका असर होता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन पर, आपके राज्य कर्मचारियों पर। जो देखते हैं आपको कि आप किस तरह से पक्षपात कर रहे हो, उनको जो भ्रष्ट हैं, अनैतिक हैं, उनको मदद दे रहे हैं तो वे फिर अनैतिक और भ्रष्टाचारी क्यों नहीं बनेंगे। यही कारण है आज चारों ओर त्राहि त्राहि मच रही है, भ्रष्टाचार फैल रहा है। क्यों न फैले। जब कि भ्रष्टाचार करने वालों के साथ हमारे चीफ मिनिस्टर हैं हमारे मुख्य सचेतक हैं और उस पार्टी के मुख्य मेम्बर हैं जो आज रूल कर रही है। ये

[श्री वेदपाल त्यागी]

सब अनैतिक बातें हो रही हैं इसी कारण से। सच्ची बातों पर आप परदा डालना चाहते हैं। पर आप उस सत्य को छिपा नहीं सकते और उसी सत्य को मुझे कहना पड़ रहा है। आज इस सदन में हरेक मेम्बर उठकर नेता पर इल्जाम लगा रहा है कि वे मुलजिम को डिफेन्ड करना चाहते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं और वह भी अनैतिकता द्वारा बनाकर रक्खी गई मेजोरिटी के बल पर, तो मैं कहता हूं कि क्या आप समझते हैं कि आज इस सरकार की इज्जत रहने वाली है। यह दूसरी बात है कि आप आज कान्स्टीट्यूशन के आधार पर बैठे हैं सरकार में। पर सरकार चला करती है इज्जत के आधार पर, सरकारें चला करती हैं प्रेम के आधार पर। सरकारें कभी बहुमत के आधार पर नहीं चला करती, पशुबल के आधार पर सरकारें नहीं चलती, तब चलती हैं जब लोगों का विश्वास उसमें हो, जनता को सरकार से प्रेम हो। जो बातें कही जाती हैं या जो बातें आप कहते हैं और जिनकी आप वकालत करते हैं उससे पता लगता है आप कैसे हैं। आपका काम इस कुर्सी पर बैठकर लोगों को राहत पहुंचाना है, पर आज तो आपका काम यह रह गया है इन अनैतिक व्यक्तियों को शील्ड करना, वे अनैतिक व्यक्ति जो खुले आम लूट मचा रहे हैं, अपनी बड़ी बड़ी हवेलियां बना रहे हैं, ऐश आराम कर रहे हैं, कारों में उड़ते हैं। मैं यह पूछलूं आपसे दिल पर हाथ रखकर आप बता सकेंगे कि जिनके कोई जरिया पास नहीं है, कमाने खाने का कोई तरीका नहीं है, वे इतने बड़े बड़े खर्चे कहां से चला रहे हैं? इतने बड़े बड़े बंगले कहां से खड़े कर रहे हैं, दो, दो चार, चार कारें कहां से चला रहे हैं, हजारों रुपया मासिक किस तरह से खर्च हो रहा है। यह है हमारी अनैतिकता, जिसका खुले आम आप प्रचार कर रहे हैं और यह क्रूर कहते हैं बड़े जोरों के साथ और बड़े फक्र के साथ कि हमारी बात न मानें तो डेमोक्रेट नहीं हैं और मान लें तो डेमोक्रेट हैं। यह बात नहीं है। मैं कहता हूं आप सत्य बात मानो क्योंकि सत्य त्रिकाल में एक रहता है। अगर इसकी बात मानोगे तो डेमोक्रेट हो, अगर असत्य के आधार पर, असत्य की नींव पर कोई बिल्डिंग खड़ी करोगे तो वह नींव कहां जावेगी और वह बिल्डिंग कहां होगी इसका पता भी नहीं चलेगा और आप कहां होंगे यह भी पता नहीं लगेगा। आपका तो थोड़े दिनों में ही पता नहीं लगेगा कि कोई कहां रहने वाला है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की स्पीचें यहां हुई उनका एक मात्र लक्ष्य यह था कि सही बात सदन के सदस्यों को नहीं बताकर उन पर आवरण डाला जावे ताकि सदस्यों को मालूम हो सके कि सदस्यों का कोड आँफ कन्डक्ट क्या है। उसकी अवहेलना करने वाले पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिये।

इसलिये दो बात मैं और बताऊं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि गनपत माथुर को इस चिट्ठी के लिखने से पचास हजार की इन्कम हुई। उसको फायदा हुआ। मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैंने दो बार इस बात को कहा कि बेनामा ट्रान्जेक्शन होता है उसकी क्या स्थिति होती है। अक्लमन्द के लिये इशारा काफी है। आज माथुर कहते हैं कि मैंने भी उन पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया कि उनको इससे कोई व्यक्तिगत आर्थिक लाभ हुआ। पर मैं पूछता हूं इस बेनामा ट्रान्जेक्शन होने का मतलब क्या है? नाम किसी और का हो, काम किसी और का हो, नाम किसी और का हो और लाभ दूसरे को पहुंचे यह बेनामा ट्रान्जेक्शन कहलाता है। इसलिये यह कहना कि आर्थिक

[श्री वेदपाल त्यागी]

लाभ नहीं है, यह सही बात नहीं है यह मामला सुबूत देने का है और इसलिये एन्क्वायरी जरूरी है। सुबूत तभी दिया जावेगा जब जांच हो, कोई पूछे कि क्या वाकई ऐसे आदमी ने ऐसा काम किया ? क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या यह उनका कर्त्तव्य था, एज ए मथुरादास माथुर या बहैसियत एक वकील के कि वे डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन को कोई इस तरह का पत्र लिखते। अदरवाइज अगर वे मेम्बर नहीं होते तो उनको, डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन को पत्र नहीं लिखते, इस मामले में। वे कहते हैं उनका व्यक्तिगत ताल्लुक था तो मैं कहूं व्यक्तिगत ताल्लुकात व्यक्तिगत कामों के लिये होते हैं, सरकारी कामों के लिये नहीं होते, व्यक्तिगत काम कराना होता तो करा सकते हैं। सरकारी कामों को कराने के इस तरह से हकदार नहीं हैं वे। अब सदस्य होने के नाते जो इन्फ्लुएन्स रखते हैं और उसी इन्फ्लूएन्स को इस्तेमाल किया।

कहा यह जाता है कि सदन में कोई काम ऐसा होना चाहिये कि जिससे यह कहा जा सके कि माननीय सदस्य ने कोई काम सदस्य की हैसियत से किया। मैं निवेदन करूं कि इन शब्दों का कोई यह मतलब निकाले कि "A member should not write recommendatory letter or speak to a Government official for employment or business contact for any of his relations or any other person in whom he is directly or indirectly interested." क्या इस प्रकार का रिकमन्डेटरी लेटर इस सदन में ही लिखा जा सकता है, इस सदन में ही कोई बात कही जा सकती है। इसका साफ मतलब यह है कि रिकमन्डेटरी लेटर तो जो लिखा जावेगा, वह बाहर ही लिखा जावेगा। इस सदन में क्या लिखा जावेगा ? इस सदन में बैठकर तो यह नहीं कहा जा सकता कि फलां किताब का ध्यान रखिये। यहां किसको क्या कहेंगे ? इसलिये यह काइटेरिया अगर रक्खा जावे कि इसी सदन में वह काम हो, इसी सदन में कोई काम करे तो सदस्य की हैसियत रहती है बाहर कोई काम करे तो वह हैसियत नहीं रहती तो यह यहां रखना बेकार हो जाता है क्योंकि रिकमन्डेटरी लेटर लिखकर कहना और या टेलीफोन करना इस सदन में नहीं हो सकता। यह तो सदन के बाहर ही होगा। तो इस तरह की जो गलतफहमी पैदा की जा रही है, जानबूझकर की जा रही है कि सदन के सदस्य होने के नाते यहां कोई काम किया जावे जो डेरोगेटरी है तो इसके खिलाफ एप्रोच किया जा सकता है और यह गलतफहमी है। इसको उन्हें दूर कर देना चाहिये।

मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार गलतफहमी कायम करने की कोशिश की गई तो गवर्नमेन्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में केओस (अराजकता) आवेगा। आज भी राज्य कर्मचारी ऊंचे स्वर से चिल्लाते हैं, आपके सामने नहीं, पर आपकी अनुपस्थिति में, उन लोगों से पूछो वे यही कहते हैं कि ये लोग हमें काम नहीं करने देते, आप लोग उन्हें काम नहीं करने देते, आपके इस तरह के अनैतिक हुक्मों का पालन करने से वे हैरान हैं यहां तक कि चपरासी के लिये और एक फोरेस्ट गार्ड तक के लिये कहते हैं आप उनको कि उनका तबादला मत करो।

आप आगे कहते हैं कि इस प्रकार सभी करते हैं। अगर सभी लोग करते हैं तो इस आधार पर आपको भी करने का कैसे अधिकार हो गया और अगर अब सभी चोरी करने लग गये और मैं पकड़ा

[श्री वेदपाल त्यागी]

जाऊं तो यह आड़ नहीं ली जा सकती कि सभी चोरी करते हैं, इसलिये मुझे भी चोरी करने का अधिकार है ।

यह दूसरी बात है कि चोर पकड़े नहीं जाते, लेकिन अगर चोर पकड़े जायें तो उनके साथ यह व्यवहार नहीं हो कि मेरी इन्क्वायरी मत कराओ अगर ऐसा हुआ तो मैं समझता हूं कि चोरी करने वालों को कभी भी सजा नहीं मिल सकती । जब इन्क्वायरी नहीं कराना चाहते तब देखना भी नहीं चाहिए कि आया चोरी है या नहीं । एक आदमी इल्जाम लगाता है कि सरकारी रेकार्ड की सीक्रेसी का आंच है और कहते हैं कि एन्क्वायरी मत कराओ । इसमें नुकसान हो जायगा आप कहना चाहते हैं कि यह स्वस्थ परम्परा है । स्वस्थ परम्परा की ओर मेरा ध्यान आकर्षित कराया है । कल बहुत से सदस्यों ने कहा कि व्यक्तिगत द्वेष के कारण इस तरह का प्रस्ताव इस सदन के समक्ष आया है । व्यक्तिगत द्वेष मेरा है या नहीं; अगर इसका एक्स्प्लेनेशन देने लगू तो शायद वे मानने को तैयार नहीं हों । मैं कोई एक्स्प्लेनेशन नहीं देना चाहता । मेरा और इनका व्यक्तिगत द्वेष है या नहीं, स्वयं श्री मथुरादास इस बात के गवाह हो सकते हैं । मैंने उनको किसी काम के लिये कहा हो और उन्होंने नहीं किया हो । उन्होंने कोई मेरा व्यक्तिगत नुकसान किया हो तो मैं उनके साथ व्यक्तिगत द्वेष रखूं । यह आप सोच सकते हैं । मैंने इस बात का बीड़ा उठाया कि यह अनैतिकता फैल रही है उसके खिलाफ आवाज बुलन्द करना है । उसका नतीजा यह हुआ कि मुझको उस पार्टी से निकाला गया, जो यह कहा जाता है कि पार्टी से निकालने के बाद आपको इस्तीफा देना चाहिये और जो आज मैं यहां बैठा हुआ हूं तो वह स्वस्थ परम्परा नहीं है । मैं यह निवेदन करूं कि इस सदन की स्वस्थ परम्परायें सदन की ही होती हैं । सदन की परम्पराओं की तरह पार्टी की परम्परायें नहीं होती हैं, लेकिन आज कौन व्यक्ति मुझसे ऐसा कहते हैं और किस मोशन पर मुझे इस्तीफा देना चाहिये ? उन्हें यह नहीं मालूम है कि इधर से जो लोग दूसरी पार्टी के टिकिट पर आये थे वे आज उधर बैठकर डिप्टी मिनिस्टर बने हुये हैं, लेकिन मुझसे कहा जाता है कि इस्तीफा दो । मुझको कहते हैं मैं तो निकाला गया था, लेकिन खुद तो वे ही कर रहे हैं, २०,२५ आदमियों को जो दूसरी पार्टी के टिकिट पर आये हुए थे इधर से उठाकर ले जाते हैं और अपनी पार्टी का मेम्बर बनाते हैं । अगर उनमें नैतिकता कुछ थी तो उनसे कहते कि अच्छा हो कि अगर वे मेम्बर बनना चाहते हैं तो अपनी पार्टी से इस्तीफा दें और साथ में असेम्बली से इस्तीफा दें और कांग्रेस टिकिट पर इलेक्शन लड़ें श्री मोहमम्द इब्राहीम का उदाहरण देते हैं तो श्री खेतसिंह का उदाहरण भी सामने रखें, डिप्टी स्पीकर साहब का उदाहरण रखते तो अच्छा था जिन २०,२५ सदस्यों को उठाकर उधर ले गये उनसे इस्तीफा दिलाते तो मैं जरूर इस्तीफा देने की मानता । मैं अलग हुआ हूं तो उसमें मेरा दोष नहीं । मैं निकाला गया था और जिस दिन मुझको निकाला गया था तो मैंने डेढ़ घन्टे तक उसका खुलासा किया था । मैं कांग्रेस के सिद्धान्तों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं । उनको कार्यरूप में परिणित करने वाला व्यक्ति हूं । जो व्यक्ति उनको कार्यरूप में परिणित नहीं करते हैं उनके खिलाफ आवाज बुलन्द करता हूं । उसके फलस्वरूप मैं निकाला गया था और उसीके फलस्वरूप यह आवाज बुलन्द हो रही है । (विपक्ष की ओर से करतल ध्वनि)

[श्री वेदपाल त्यागी]

इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह जो स्वस्थ परम्पराओं का नारा लगाया जा रहा है तो आप की इस स्वस्थ परम्परा को जरा देख लीजिये। आप शीशे में अपना मुंह देखलें। दूसरों पर छींटाकशी करते हैं, शीशे के मकान में रहकर दूसरों पर पत्थर फेंकने का कोई अधिकार नहीं रहता है। उनको अगर रहता है तो दूसरे पत्थर फेंक दें तो शीशा चकनाचूर हो जायगा। यह जो स्वस्थ परम्पराओं का नारा लगा रहे हैं तो स्वस्थ परम्पराओं के नाते अस्वस्थ परम्परायें कायम की जा रही हैं। स्वस्थ परम्परायें पार्टी की अलग हैं तो स्वस्थ परम्परायें हाउस की अलग हैं। हाउस की स्वस्थ परम्पराओं का जिक्र करते हैं तो पार्टी और व्यक्तियों की परम्पराओं का जिक्र नहीं करते हैं। यह परम्परायें घातक सिद्ध होंगी। उससे आज हमारे सदन को कितना धक्का लगने वाला है। अगर यह कहें कि एक आदमी को इस तरह से लेटर लिखने की जरूरत हुई। क्यों जरूरत हुई? क्योंकि वह एक व्यक्ति में डाइरेक्टली इन्ट्रेस्टेड था। उसको फायदा पहुंचाना चाहते थे। एक आदमी को उस लेटर के लिखने के फलस्वरूप फायदा पहुंचा। उस लेटर में एक चीज देखने की जरूरत थी। उसकी इन्क्वायरी करवा कर स्वस्थ परम्परा कायम नहीं की गई तो वह स्वस्थ परम्परा कौनसी होगी? स्वस्थ परम्परा वह होगी क्या कि जो लोग आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको गोली से मरवा दिया जाय? वह स्वस्थ परम्परा होगी? अपोजीशन में बैठने वालों का यह कर्तव्य है कि वे अंकुश रखें उस गवर्नमेन्ट पर जो कि राज्य चला रही है। उस अंकुश के कारण ही यह मोशन ला रहे हैं। आज ही नहीं हमेशा इस तरह के मोशन लायेंगे आप यह गवारा करते रहें।

आज मैं यह निवेदन करूंगा कि हाउस की स्वस्थ परम्पराओं का ब्रीच हुआ है, उसके प्रिविलेजेज का ब्रीच हुआ है तो सब का कर्तव्य है, एक स्वर से सब का कर्तव्य है कि वह ब्रीच न हो जाय और सिर्फ इसी आधार पर नहीं कि आज कोई चूंकि हमारे लिये बहुत उपयोगी व्यक्ति है इसलिये परम्पराओं को लात मारकर उसको कायम रखें। तो मैं यह निवेदन कर दूं कि वह व्यक्ति दोषी ठहराया जाता है। उन्होंने खुद ने कहा है कि मैंने दोष करा है, पत्र लिखने का। इसके लिये मैं अर्ज करूं तो संभव है वे स्वीकार कर लेंगे। मैंने रिजोल्यूशन में आपके आगे रखा है, उस रिजोल्यूशन को देखें तो उसमें लिखा है कि उन्होंने पत्र लिखा है तो उस पत्र का क्या नतीजा हो सकता है? हुआ है या होगा, उसको उद्धृत किया है वही आधार आज तक स्वस्थ परम्पराओं का आधार डेमोक्रेसी में माना गया है। इसलिये ऐसे समय में अगर वे यही चाहते हैं कि इस बात पर कमेटी बिठाई जाय कि पत्र लिखा गया है और उसका क्या नतीजा हुआ है तो मैं उसके लिये तैयार हूं, आज भी तैयार हूं और अभी भी तैयार हूं कि वे उसको जैसा चाहें वैसे एमेन्ड कर सकता हूं। उस कमेटी को स्वीकार कर सकता हूं। आज से ८ महीने पहले उन्होंने एक कमेटी बनाने की बात स्वीकार की अब उनके हित में वह नहीं मालूम होती है और कमेटी बनाने की मांग को दोहराया गया तो कहते हैं कि क्या हम अपने आपको हमेशा एक्सपोज करते रहें। अरे भाई, एक्सपोज करने की दिक्कत ही नहीं आती जब मैंने प्रस्ताव रखा था उस वक्त मान लेते और कमेटी बन जाती और वह कमेटी यह निर्णय दे देती कि वह निर्दोष है तो हम मान लेते कि वे निर्दोष हैं। वह निर्णय देने वाले भी वे व्यक्ति हैं, जो उनके साथ में उतने ही मुल्जिम हैं, जितने कि वे हैं। उन्होंने जो वायदा किया था सदन में मैं कहता हूं कि वह वायदा खिलाफी ही नहीं बल्कि सदन को धोखा दिया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक पत्र की तरफ आकर्षित

[श्री वेदपाल त्यागी]

करूंगा जो कि मैंने आपको लिखा है। वह पत्र मैंने लिखा है २ मई को जब कि इस विषय पर २ मई तक कुछ चर्चा नहीं हुई। २ मई से पहले हांलाकि १४ मार्च को एक मोशन फिर आपके पास भेजा और मोशन के साथ लिखा कि हमारे मुख्य मंत्री को ७ महीने हो गये, इसकी इन्क्वायरी करना पसन्द नहीं कर रहे हैं और न हमारे पत्र का जवाब देते हैं और पत्र लिखा तो माइन्ड बदलकर हमें एसोसियेट नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में सदन में इस मोशन को आने दिया जाय। १४ मार्च को मैंने मोशन का नोटिस दिया। मार्च का महीना पूरा निकल गया तो २ अप्रेल को एक पत्र लिखा कि माननीय मुख्य मंत्री की इन टेक्टिक्स से हम यह समझते हैं वे अपने एक साथी को बचाना चाहते हैं। वे यह चाहते हैं कि किसी तरह से समय लगा दिया जाय और अगले सत्र में मौका आये तो किसी तरह से निकल जाने दें और अगले सत्र में मौका आये कि एक कमेटी बनाना है तो बना दी जायगी। फिर इलेक्शन हो जायगा। यह डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी हत्या है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वे डेमोक्रेसी को सरकमवेन्ट करना चाहते हैं।

उस पत्र को मैं सदन के सामने रखता हूं कि जिसके कारण यह आज सदन के सामने मौका आया है, और शायद वे भी यह पत्र पहुंचने के बाद यह सोच सकें कि किस तरह से अपनी स्किन सेव करने के लिये कोई ऐसा तरीका निकाला जाय कि यह इल्जाम नहीं आये कि इन्क्वायरी नहीं की :—

"Dear Sir,

I am venturing to address this letter to you with a hope to impress upon you the intensity of the feelings of a section of the House on the attitude of the Leader of the House which he has adopted in connection with the motion that was placed about a year back regarding the conduct of Hon'ble Shri Mathura Das Mathur".

" I hope you will permit me to remind you that the Leader of the House had given specific assurance to the House that after making a preliminary enquiry he will place the matter before you and if you are of the opinion that a primafacie case is made out, the matter will be brought before the House for further consideration. It is really strange that even after the lapse of one year the Leader could not complete the enquiry which hardly needs a week to accomplish it. I am not in a position to know, whether and if so, how far you have been associated by the Hon'ble Chief Minister in this preliminary enquiry, but your silence on this matter gives rise to suspicion that the Leader has not even kept his words to keep you in touch with the matter. This attitude of the Leader to shield his close associate by keeping the House in dark as resented vehemently by the members of the House who feel that the device to circumvent the rights and the privileges of the House by delaying tactics is unbecoming for the advocates of Democracy. Perhaps the Leader believes in postponing the matter and to place it before the

[श्री वेदपाल त्यागी]

House at a time when the House is not in a position to proceed further in the matter if it comes to the conclusion that facts of the case warrant setting up of the Enquiry Committee. In this matter further delay has become intolerable and it is only with this view that I have served with another notice to move the motion. I am confident that in the light of this case you will kindly permit the motion to be moved in the House before we finally disperse without awaiting the result of the so called preliminary enquiry which the Leader is alleged to have taken his hand."

"Looking to the gravity of the matter you will be good enough to let me know your decision in this affair to enable me to make a motion on the floor of the House. If you permit me to move this motion then I will solicit a favour to fix a date for it which may suit me the most".

यह पत्र मैंने लिखा है । यह तो लीडर या अध्यक्ष महोदय स्वयं बता सकेंगे, इससे पहले फ़ाइल रखी गई या बाद में रखी गई । यह नग्न सत्य है । इन्क्वायरी का नाम लिया जाता है, उसको इन्क्वायरी कहना, इन्क्वायरी की डेफ़ीनेशन को बदलना है । वह इन्क्वायरी नहीं कागज़ों में लीडर को पढ़ना चाहिये था । उन्होंने न तो किसी मेम्बर को बुलाया । जो कमेटी के मेम्बर थे, जो प्रकाश डाल सकते थे । न बयान लिये, न किसी व्यक्ति को बुला कर बयान लिये जो व्यक्ति-शिकायत करने वाले थे, अपने आपको जो उसमें एसोसियेट करना चाहते थे । मैंने लिखा था अपने को उसमें एसोसियेट करने के लिये, श्री एच. के. व्यास ने लिखा था उसमें अपने आपको एसोसियेट करने के लिये लेकिन उनमें से किसी को नहीं लिया । ३० तारीख के बाद एक भी एक्स्प्लेनेशन नहीं देने के लिए माइन्ड क्यों बदला गया ? ३० तारीख को फ़ाइल्स बताना चाहते थे । पूरी पूरी फ़ाइल्स मंगाई गई, उन्होंने क्यों नहीं बताया । यदि हम किसी तरह से इररेस्पोन्सेबिल थे तो कम से कम फ़ाइल्स को देख कर अपने आपको तो उन्हें सेटिस्फाइड समझना चाहिये था । ये सब इस बात की द्योतक हैं कि लीडर महोदय ने कोई फाइल्स नहीं देखीं और अगर देखी भी हैं तो फाइल्स देखने के बाद ऐसी परेशानी पैदा हो गई हो कि इधर करते हैं तो खराबी है और उधर करते हैं तो खराबी है । अगर इन्क्वायरी में एसोसियेट करते हैं तो जो फ़ैक्ट्स उनके सामने आये, असेम्बली में रखते, लेकिन उनको मानने के लिये तैयार नहीं । लिहाजा वे फाइल्स सुरक्षित होंगी या नहीं होंगी । हमारा राइट है उन फाइल्स को देखना । यह भी सत्य है कि जो सूचना लायी जाय आपका कर्तव्य है, आपके पास फ़ाइल्स हैं, आप उन लोगों को सेटिस्फाई करें, फ़ाइलें देखकर उनको बताएं, वे भी उतने ही रेस्पोन्सिबिल हैं, जिम्मेदार हैं जितने कि आप रेस्पोन्सिबिल हैं । लेकिन कोई इन्क्वायरी नहीं की गई । इन्क्वायरी का ढकोसला कहा जा सकता है, कहा गया कि इन्क्वायरी की । मथुरादासजी माथुर ने कान में आकर कह दिया और आपको इल्म हो गया कि कोई फ़ाइनेन्शियल गेन नहीं हुआ । एक तरफ़ आप कहते हैं कि प्रिज़म्प्शन के आधार पर इन्क्वायरी कमेटी सैट अप नहीं करते हैं, लेकिन प्रिज़म्प्शन के आधार पर इन्क्वायरी को दबाया जा सकता है । फिर क्या कारण है कि मथुरादासजी माथुर गनपत माथुर में डायरेक्टली इन्ट्रेस्टड थे ? उसकी किताब प्रेसक्राइब हुई । एक जोन में ही नहीं किन्तु तीन जोन्स में हुई, जहां उसको १० हजार का फ़ायदा

[श्री वेदपाल त्यागी]

हो सकता था उसको पचास हज़ार रुपये साजाना का फ़ायदा हुआ। यह सोच लें कि उनको फाइनेन्शियल गेन नहीं हुआ, वह पत्र इम्प्लीमेन्ट नहीं हुआ तो फिर क्या कारण है ? मैंने पहले भी कहा कि ये बेनामा ट्रान्जेक्शन का मसला है और इशारे की बात थी और आज भी कहने के लिये तैयार हूं कि अगर इन्क्वायरी करायेंगे तो श्री मथुरादासजी माथुर का इसमें खुला हुआ हाथ था और उनको फ़ायदा हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ यह इन्क्वायरी का मामला है, आप इन्क्वायरी कराते तो इसका पता लग जाता, शहादतें लेते तो आपको पता लग जाता। सरमाइजेज के आधार पर, प्रिज़म्प्शन्स के आधार पर, यह कहने के लिये तैयार हो जाते हैं कि इन्क्वायरी नहीं करनी है। एक्सपोज़ करने के लिये तैयार हूं, हाउस में डिस्कस करने के लिये तैयार हूं पहले भी तैयार था, आज भी तैयार हूं, लेकिन आज तक एडमिट नहीं किया। प्रिज़म्प्शन्स के आधार पर एक्स्पोज़ नहीं करने देते। एक्सपोज़ीशन आप कब करेंगे ? आपने अपने मित्र के साथ पूरी मित्रता बरती एक्सपोज कराने में।

मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि फ़ाइल्स के चीफ़ मिनिस्टर महोदय ने कुछ पन्ने उलट कर कुछ बातें बताने की कोशिश की। कुछ रेकार्ड भी उन्होंने पढ़ा लेकिन उनकी इस स्पीच के तुरन्त बाद ही श्री एच. के. व्यास ने उन सब चीज़ों का खुलासा किया। वे ऐसी चीज़ें हैं, वे एक चीज़ पढ़कर बताते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमें जानने का मौका नहीं है। वे कौनसी चीज़ें बताना उचित समझते हैं और कौनसी चीज़ें बताना उचित नहीं समझते हैं, यह उनके डिसक्रियेशन पर निर्भर है, उनके जो सोचने का तरीका है, वे सोचते हैं और उन चीज़ों को बताते हैं। दूसरी तरफ़ श्री एच. के. व्यास ने जो चीज़ें बतायी, फाइल्स में ऐसी चीज़ें हैं, जिनसे नतीजा निकाले बिना रहा नहीं जा सकता है कि श्री गनपत माथुर और श्री मथुरादास माथुर को इस तरह से क्या क्या फ़ायदा हुआ ? मैं यह भी निवेदन करदूं और आज कहने के लिये भी तैयार हूं, इसके बाद श्री जयनारायण व्यास चीफ़ मिनिस्टर हो कर आये और उनके सामने कुछ पब्लिशर्स ने शिकायतें रखीं और उन शिकायतों के आधार पर उन्होंने सी. आई. डी. को मामला दिया और इंवेस्टिगेशन हुआ तो मुझको यह मालूम है और संभवतः वह फाइल अध्यक्ष महोदय के सामने नहीं रखी गई। उसमें इस बात का सबूत है कि पुलिस इन्क्वायरी ने डिटेक्ट किया कि ३१ नम्बर की किताब है इसका भी कोड नम्बर उड़ाया गया था और इसके अतिरिक्त दूसरी किताबें भी और जिनके कोड नम्बर उड़ाये गये थे। लेकिन जिन लोगों का कोई बोलने वाला नहीं था ऐसे पब्लिशर्स वहां थे उनकी किताबों को ब्लेक लिस्ट में ले लिया गया और उन लोगों की किताबों को ब्लेक लिस्ट में लेने की बजाय उनको इनाम दिया गया जो कि किताब ११३ राजस्थान के लिये स्वीकार हुई, राजस्थान के एक जोन के लिये स्वीकार हुई, उसको तीन जोन्स में स्वीकार कर दिया। यह है इन्क्वायरी आपकी और यह है इन्फ़ोर्मेशन मेरी। आप कह देंगे कि मुझको नहीं मिलती। मुझे कोई मौका नहीं है उसमें मिलती या नहीं मिलती। आप उस व्यक्ति के एक्सप्लेनेशन को देखते जिसको सस्पेन्ड किया गया था उसमें मिल जाती, और रिपोर्ट को बारीक अच्छी तरह से पढ़ते तो मिल जातीं। लेकिन इस किताब को इनाम देना ज़रूरी समझा और इसलिये ज़रूरी समझा कि मेरे व्यक्ति की किताब है जिस पर वरद् हस्त ऐसे व्यक्ति का था जिसको इधर उधर करने में मिनिस्टर महोदय में

Page No.36

[श्री वेदपाल त्यागी]

शक्ति नहीं थी। इसलिये जिस किताब को हटाना था उस किताब को १ जोन के बजाय, राजस्थान के १।३ हिस्से के बजाय, उसको पूरे राजस्थान में लागू किया गया, बजाय उसको १।३ प्रोफिट मिलने के उसको पूरा प्रोफ़िट प्राप्त हुआ। यह है आपकी एन्क्वायरी का नतीजा और यह है हमारी इन्फोर्मेशन के पोइन्ट्स जो मैं रखना चाहता हूं। फ़ाइल्स आपके हाथ में है। आप रिलेवेन्ट पोइन्ट्स को पढ़ सकते हैं, पढ़ दीजिये। आप कह दीजिये बहतर तो यह होता कि हम कोई इन्क्वायरी नहीं कराना चाहते, हमारे साथी को इन्क्वायरी को सबजेक्ट मैटर नहीं बनाना चाहते, हम मान लेते। लेकिन आप दो रंग क्यों देते हैं, आप एक का आवरण करते हैं, पक्ष करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैंने इन्क्वायरी की। मैं पूछता हूं मुख्य मन्त्री को क्या अधिकार है जो प्राइमाफ़ेसी नेचर से आगे जाते हैं। एक चीज को प्राइमाफ़ेसी स्टेज करने के लिये इन्कार हो जाइये, लेकिन हो नहीं सकते क्योंकि वह ज्यूरिस्डिक्शन है हाउस का, कमेटी बनाने का अधिकार है हाउस को, जब वह उस कमेटी में आया ही नहीं तो वह प्राइमा-फ़ेसी केस कैसे नहीं हुआ? प्राइमाफ़ेसी शब्द की परिभाषा डिक्शनरी में देखी नहीं होगी। वह स्पष्ट है। दो अर्थ नहीं हो सकते हैं। प्राइमाफ़ेसी शब्द से स्पष्ट है कि किसी कोड की अवहेलना की है, मैंने बताया था मुख्य मन्त्री उस वक्त नहीं थे। जो कोड आफ़ कन्डक्ट हैं, जिसकी स्टेच्यूट हमारे सामने नहीं हैं, उनके शब्दों की अवहेलना की गई। इसमें यह नहीं लिखा है कि उस व्यक्ति को ही कोई फायदा हो तभी ब्रीच आफ कन्डक्ट होगा अन्यथा नहीं होगा। यदि मुद्गल का केस भी नहीं होता ये वे रिश्वत भी ले लेते तो भी शायद ब्रीच आफ़ कन्डक्ट नहीं होता। 'मुद्गल' केस की शरण क्यों लेना चाहते हैं। 'मुद्गल' केस दूसरा था। उस पर रिश्वत का चार्ज था। यह केस उस तरह का नहीं है। इस केस में गवर्नमेन्ट प्रोफ़ेसर को इन्फ्लूएन्स करके किसी को मदद करने का चार्ज है, रिश्वत का कोई चार्ज नहीं है। रिश्वत का चार्ज यदि होता और साबित नहीं होता तो चार्ज नहीं बनाता। जहां 'मुद्गल' केस के सामान चार्ज नहीं है, यहां उस केस को शरण लेने की क्या आवश्यकता है। इस चीज में इन्क्वायरी करने की बात क्या है? यह केस बिल्कुल स्पष्ट है। यदि इस सदन का कोई माननीय सदस्य किसी गवर्नमेन्ट प्रोफ़ेसर के पास रिकमन्डेशन भेजता है बिजनेस सीक्योर करने के लिये और उससे बिजनेस सीक्योर करता है, उससे किसी को लाभ होता है, इसमें यह नहीं कि लिखने वाले व्यक्ति को ही लाभ हो तभी जुर्म बनता है, यदि उसको लाभ नहीं भी होता है और जिसकी सिफ़ारिश की गई उसको लाभ होता है तो भी यह ब्रीच आफ़ कन्डक्ट है। आज यदि यह कहें कि मथुरादासजी का इससे फायदा हुआ यह जुदा बात है। आपने लेटर लिखा था किसी को फायदा पहुंचाने के लिये और उससे फायदा हुआ। यह स्कोप नहीं है कि उसी स्टेज पर किसी को फायदा हुआ या नहीं। कोड आफ कन्डक्ट हमारे लिये कायम किया गया है उसको मानने में दिक्कत हो रही है, यह मैं मानता हूं क्योंकि खिलाफ़ बहुत प्रचार हो चुका है। लेकिन एडमिट करने में तकलीफ़ होती हो या नहीं लेकिन यदि हमारे माननीय सदस्य कानून में आते हैं तो, उनके खिलाफ़ कार्यवाही होनी चाहिये। मैं भी उसके अनुसार पकड़ में आता हूं तो मुझको भी सजा दीजिये। मैं यह कभी नहीं कहूंगा कि मेरे लिये कमेटी मत बैठाइये। मैंने अगर गलती की है तो मेरे लिये भी इन्क्वायरी बैठाई जा सकती है और दूसरे लोगों के लिये भी बैठाई जा सकती है। मैं एक हजार रूपये देने को तैयार हूं, अगर कोई यह कहे कि मैं ने किसी को रिकमन्डेटरी लेटर लिखा हो। यह दूसरी बात है कि आपके पास कोई ऐसे एक्सपर्टस हो जो ऊपर से नीचे तक मेरे हैन्डराइटिंग की नकल करके चिट्ठी

Page No.37

[श्री वेदपाल त्यागी]

बनालें, यह दूसरी बात है। लेकिन मैंने आज तक किसी की सिफारिश नहीं की। मेरे कई माननीय मित्र केबिनेट में हैं। माननीय नाथूराम जी मेरे मित्र पक्के रहे हैं, वे भी कहें कि क्या मैंने कभी किसी की सिफारिश की है ! मान लीजिये मैं कोड आफ कंडक्ट का ब्रीच करता हूं तो क्या मैं अपने आपको इम्यून पाऊंगा, यदि ऐसा है तो मुझको भी सजा देनी चाहिये। मुश्किल से तो पकड़ में आते हैं। दिन दहाड़े डाके पड़ते हैं और डाकू भाग जाते हैं और यदि कोई पकड़े जाते हैं तो आप कहते हैं उनको पकड़ो मत और इन्क्वायरी मत करो। आप ऐसी परंपरा पैदा कर रहे हैं जिससे आपके एडमिनिस्ट्रेशन का सत्यानाश होगा और आपकी पार्टी का सत्यानाश होगा। आपने देश को बनाने का जो ठेका लिया वह नहीं बन सकेगा। देश बनते हैं, नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने में।

मैं आपको एक उदाहरण सुनाना चाहता हूं चाइना का। चाइना में रिपब्लिकन गवर्नमेन्ट कायम हुई उसके थोड़े दिन बाद वहां के एक गवर्नर पर चार्ज लगाया गया। इन गवर्नर महोदय का देश को स्वतंत्र कराने में बड़ा हाथ था और वे पार्टी के माने हुए नेता थे लेकिन उनके मामले में इन्क्वायरी शुरू हुई। वहां पर ऐसे मामलों में ओपन कोर्ट होता है। ओपन कोर्ट में उनका इंपीचमेन्ट शुरू हुआ और अंत में यह फैसला दिया गया कि उनको फांसी की सजा देनी चाहिये। चारों तरफ देश में तहलका मच गया कि उनको फांसी से बचाया जाय। माओसे तुंग के सामने समस्या खड़ी हो गई यह इस तरह का प्रथम केस था। नेता लोग देश के नैतिक चरित्र को ऊंचा करना चाहते थे दूसरी तरफ कोर्ट का दबाव था कि उसको फांसी होनी चाहिये। दूसरी तरफ यह मांग थी कि इस व्यक्ति ने देश को इस स्थिति में लाने में बड़ा भारी त्याग किया है इसलिये उसके प्रति लीनियेन्ट व्यू लेना चाहिये। माओसे तुंग दुविधा में पड़ गये। अंत में उस व्यक्ति को बुलाया गया और उससे कहा गया कि आपने देश को बनाने में सब कुछ त्याग किया है लेकिन अब देश के सामने नैतिक स्तर का प्रश्न है। यदि आपको इस समय छोड़ते हैं तो दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है इसलिये आप स्टेटमेन्ट दें कि आप खुद इसे चाहते हैं, यह वर्डिक्ट खुद ही दें। उन्होंने इस तरह का स्टेटमेन्ट दिया और उनको फांसी पर लटकाया गया। जहां देश निर्माण होता है, जहां देश को ऊंचा बनाना होता है, जहां देश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होती है वहां इस प्रकार के इन्सटान्सेज होते हैं। जब देश में नीचे स्तर के लोग होते हैं जिनके हाथ में देश की बागडोर रखने वाले व्यक्तियों का इस प्रकार का स्तर होता है जो यह कहते हैं कि इस प्रकार का लेटर लिखने में कोई हानि नहीं थी, उस देश की हालत कैसी हो सकती है, यह सोचने की बात है।

मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप उधर बैठने वाले हैं और उधर बैठकर ऐसी बातें करने वाले को प्रोटैक्शन देना चाहते हैं किसी के दबाव में आकर तो, आज यह मौका नहीं है। आज न केवल श्री मथुरादास माथुर का परीक्षण है या श्री मोहनलाल सुखाडिया का परीक्षण है, बल्कि सदन का परीक्षण है। यदि सदन की सम्मति का प्रश्न आया है तो आपको समझना चाहिये कि आपका क्या कर्त्तव्य है ? जब स्पष्ट केस है, इस रूप में यह किसी को सजा देने से तालुक नहीं रखता है, जहां यह भी नहीं कि मान लीजिये कि इन्क्वायरी के बाद यह पता लगे कि भूल से गलती हुई, इसमें कोई आर्थिक लाभ नहीं था, उनको माफ कर दिया जाय तो मैं भी कहूंगा कि जरूर माफ कर दिया जाय। लेकिन

[श्री वेदपाल त्यागी]

यदि भूल से गलती नहीं हुई और जान बूझकर किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाना हुआ तो ऐसी सूरत में आप यदि बचाना चाहते हैं तो आप सब मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहते हैं। आप भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा बनाते हैं, वे लोग झिलमिल हो रहे हैं, मैं क्या करूं क्योंकि दबाव आता है और आखिर हरेक का काम पड़ता है। लेकिन यह व्यक्तिगत स्वार्थों को देखने का समय नहीं है। लेकिन यह परीक्षा व्यक्तिगत नहीं है यह देखना है कि आप कैसे संतुला से तोलना चाहते हैं। यदि व्यक्तिगत स्वार्थों के बांट आपके पास हैं तो वैसे बांटों से तोलिये वरना समय है कि नैतिकता के बांटों से तोलकर नैतिकता का परिचय दें। ऐसे वक्त में हमारे सम्मान का सवाल आया है, चाहे किसी के पीछे कितनी ही सत्ता क्यों न हो लेकिन यदि गुनाह किया है तो यह सदन गुनाहगार को सजा देने में नहीं हिचकता। यदि आपने सम्मान को नीचा किया तो उसके भागी आप ही होंगे। यदि आप सदन की प्रतिष्ठा गिराना चाहते हैं तो गिराइये क्योंकि आप स्वतंत्र हैं लेकिन यकीन होना चाहिये आपके दिल में यह भावना होनी चाहिये कि आप निजी तौरपर यहां पर आकर नहीं बैठे हैं। आप लोगों को रिप्रजेन्ट कर रहे हैं। एक एक लाख व्यक्तियों को रिप्रजेन्ट करने वाले व्यक्ति निजी स्वार्थों के कारण ऐसी शरण लें तो यह शर्म की बात है। मथुरादासजी तो अपनी परीक्षा दे चुके और वे इसमें फेल भी हो चुके। सुखाड़ियाजी भी परीक्षा दे चुके और फेल हो चुके। लेकिन आपकी परीक्षा बाकी है। यदि आप फेल होना चाहते हैं तो यह आपके हाथ की बात है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आप ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि आनेवाली संतान देखकर कहेंगी कि कैसे लोग थे जिन्होंने डैमोक्रेसी की नींव डाली लेकिन उनको उस पर भवन तैयार करने को कहा तो अपने स्वार्थ के कारण कच्चा भवन तैयार किया। यदि आपने इस प्रस्ताव को गिराया तो आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा। मथुरादासजी का नग्न रूप तो दुनिया के सामने आ चुका है। अखबारों ने बडे बडे शब्दों में लिखा है कि वे कैसे हैं। लेकिन यदि कमेटी बनाकर यदि आप उनको निर्दोष साबित कर सकें तो वे भी अग्नि परीक्षा में सफल हो जायेंगे और आप भी हो जायेंगे। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से वोट दीजिये। मैंने कन्वेंसिग नहीं किया है, आप लोगों ने किया है, मिनिस्टर्स ने तय किया है, आनेवाले महोदय ने किया है उनकी मोटर गाडियें दौड़ रही थीं, जो लोगों को उठाती थीं ले जाती थीं।

माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज अनैतिक ढंग से लोगों पर दबाव डाला जा रहा है और इससे निकलने का एक ही रास्ता है और वह यह कि नैतिकता के आधार पर ही कार्य हो तो ज्यादा अच्छा है, इससे सदन की प्रतिष्ठा बढ़ती है। यदि अनैतिकता से कुछ भी होगा तो इससे सदन की प्रतिष्ठा घटती है।

श्री किशनलाल शाह—It should not go untouched.

श्री अध्यक्ष—Order please!

श्री किशनलाल शाह—It should not be left in vacuum. I must have some say.

Page No.39

[श्री किशनलाल शाह]

जैसा तुम्हारे साथ किया गया है उसी तरह से मेरे साथ किया गया । इस तरह का Vacuum रहता है और हाउस एडजोर्न हो जाता है तो........

श्री अध्यक्ष--कोई बात ऐसी आपके चरित्र के खिलाफ नहीं कही गई है ।

श्री किशनलाल शाह--यह कहा गया है कि सारा हाउस चोर है । यह कहना कि यह भी चोर है, वह भी चोर है इसलिये मैं यह कहूंगा कि चोर को सजा नहीं देना चाहते, इसलिये सारे हाउस को चोर कर दें । उनके कहने के अनुसार वे ही साहूकार और बाकी सारी दुनिया चोर है । आप फिर यह कहते हैं कि पर्सनल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है !

श्री हरिकृष्ण व्यास--(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष--आपके बारे में मैंने निर्णय किया और मैंने आपको चेम्बर में भी बताया ....

(राज्य पक्ष की ओर से "**ऑर्डर-ऑर्डर**" की आवाज)

श्री हरिकृष्ण व्यास--श्री मथुरादास जी ने अलग इल्जाम लगाये हैं । आप सुनें तो सही ।

श्री अध्यक्ष--आप चाहें तो मैं, आपने जो कुछ कहा वह भाग पढ़ कर सुना दूं । आपने खुद ने जो स्वीकार किया है उसी को उन्होंने क्वोट किया है । फिर आपको एक्सप्लेनेशन देने का कोई राइट नहीं है । The right is given to the Speaker whether a member has got a point for personal explanation or not and I rule that you have no such right.

श्री हरिकृष्ण व्यास--(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष--I think after these observations the member should be satisfied. Now I put this question to vote.

श्री मानसिंह माहूर--मैं यह कहूंगा कि इसमें वोटिंग सिक्रेट वोटिंग से होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--सिक्रेट सेशन तो मैं कर सकता हूं ।

I can order all the visitors in the galleries and the Press people and everybody except the hon'ble members of this House to clear out of the house. This could be a secret session but I don't think there should be a secret vote. If the hon'ble members so desire that the strangers should not be present on the floor of the House, I can order that.

श्री वेदपाल त्यागी--माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो इस संबन्ध में नियम हैं इस प्रकार के हैं कि जब कभी वोटिंग होता है तो वह ओपन तरीके से वोटिंग होता

[श्री वेदपाल त्यागी]

है क्योंकि अमूमन जब हम किसी सिद्धान्त पर वोट देते हैं तो हमें मालूम होना चाहिये कि किस सदस्य ने किस तरफ वोट दिया । मगर यहां पर किसी सिद्धान्त का सवाल नहीं है, यहां पर तो किसी प्राइवेट सदस्य के बारे में है । बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो इनसे दुश्मनी, इनके खिलाफ वोट देकर हासिल करना नहीं चाहते । ऐसी हालत में मैं यह निवेदन करूंगा कि जब सदन में सदस्यों ने ऐसी बात रखी है कि किस प्रकार से इधर और उधर के लोगों को अनुचित रूप से दबाया जा रहा है और उनके स्वतन्त्र वोट देने पर दबाव डाल कर उनकी स्वतन्त्रता का गला घोंटा जा रहा है तो ऐसी हालत में मैं यह कहूंगा कि यह स्वतन्त्रता का गला घोटना होगा । उनको अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये ताकि वे अपनी स्वतन्त्रता को स्वतन्त्र रूप से अमल में ला सकें । दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर और दूसरे उन पर छाया करने वाले जो हैं, उनके द्वारा उनको जो नुकसान हो सकता है उससे भी वे बच जायं । मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का मोशन किसी जगह भी सदन में नहीं आया और यह तो इस सदन में ही आने का पहला मौका इसको मिला है । यहां के चीफ मिनिस्टर ने इस बात को परवाह नहीं की कि वे अपने एक मित्र के खिलाफ इस प्रकार का मोशन रख देते और इस कारण से यह एक नई चीज यहां पर हुई । इसलिये पेरेलल मिसाल तो कहीं मिलेगी नहीं क्योंकि जब कोई मामला ही सामने नहीं आया तो मिसाल कहां से आए । यह एक नई चीज है और मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के मामले में ओपिन वोटिंग की जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—Let me first put it to vote and then if division is desired, I will hear those arguments.

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री वेदपाल त्यागी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए ।

(मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ।

विरोधी पक्ष—हां पक्ष जीता ।

श्री अध्यक्ष—Division desired ?

श्री वेदपाल त्यागी—At this stage I request that there should be a secret voting.

श्री अध्यक्ष—Let there be a three minutes' bell.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, सिक्रेट वोटिंग का हमारे यहां रूल्स में कोई प्रोविजन नहीं है । यह कहना कि दबाव पड़ जावेगा, मैं समझता हूं कि यह कोई उचित बात नहीं है । हम यहां पर एक एक लाख के प्रतिनिधि मौजूद हैं । अपने अपने डिस्क्रिशन काम में लावें ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--इनको बोलने का मौका दिया जावेगा तो हमको भी मौका दिया जावे ।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री वेदपाल त्यागी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए ।

(मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ।

विरोधी पक्ष--हां पक्ष जीता ।

श्री टीकाराम पालीवाल--अध्यक्ष महोदय, अभी सुझाव आया था कि वोटिंग सिक्रेट बेलट से होना चाहिये, उस समय आपने यह निर्णय दिया कि बाद में सुनेंगे । मैं भी इस विषय में संक्षेप में ही कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष--Not like a full debate.

श्री टीकाराम पालीवाल--मैं थोड़ा सा और संक्षेप में ही बता देता हूं ।

श्री अध्यक्ष--The brevity may not exceed longevity.

श्री टीकाराम पालीवाल--अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि साधारणतया सदन के अन्दर जो भी प्रस्ताव आते हैं उन पर ओपन वोटिंग होता है । आमतौर पर मोशन्स वगैरह पर सीकरेट वोटिंग नहीं होता है । लेकिन यह जो प्रस्ताव है वह एक्स्ट्रा ओर्डिनरी मोशन के रूप में आया है और एक्स्ट्रा ओर्डिनरी तरीके से ही मूव हुआ है और एक प्राइवेट मेम्बर की तरफ से आया है । तो जहां यह एक्स्ट्रा ओर्डिनरी मोशन है और एक प्राइवेट मेम्बर की तरफ से आया है वैसी हालत में अगर इसके लिये जहां तक मेरी जानकारी है, इसमें सीकरेट वोटिंग नहीं हुआ तो वोटिंग स्वतंत्र नहीं होगा । जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया सदस्यों पर, दोनों तरफ के सदस्यों पर बहुत ही गहरा दबाव चल रहा है, वैसी हालत में स्वतंत्र वोटिंग हो नहीं सकता । मेरी जानकारी के अनुसार कम से कम जो सूचना मुझे मिली है, उसमें पचास-साठ. . . .

श्री अध्यक्ष--But these are no considerations for me.

श्री टीकाराम पालीवाल--अध्यक्ष महोदय, जहां तक कनवेंशन का सवाल है, वह तो परिस्थितियों के अनुसार नये बनते हैं । वह मैं नई स्थिति ही आपको बता रहा हूं । मैं साथ में यह भी बतला रहा हूं कि इस हाउस के माननीय सदस्यों के करीब पचास-साठ मामले ऐसे हैं जो सरकार के पास पड़े हैं, गवर्नमेन्ट में अटके हुए हैं उसमें कई लोगों को कई प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं । मैं उनमें से सिर्फ दो केसेज़ की चर्चा करूंगा ।

Page No.42

श्री अध्यक्ष—I want some ruling or convention.

श्री हरदेव जोशी—अध्यक्ष महोदय, फिर हमें भी बोलने का मौका होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—Explanation and counter explanation i order please !
I may intervene and say that I can hear the Hon'ble members only on academic points and not on facts. Any statement of facts is not going to weigh on me. I can only follow the conventions, precedents and the rulings.

श्री टीकाराम पालीवाल—जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया अध्यक्ष महोदय, नई स्थिति के अनुसार नये कनवेन्शन बनते हैं, जहां हमने यह कनवेन्शन बनाया कि ऐसा प्रस्ताव प्राइवेट मेम्बर्स की ओर से लिया उसी प्रकार नयी स्थिति के अनुसार नये कनवेन्शन बनते हैं। जब कि ऐसा प्रस्ताव सदन के नेता को रखना चाहिये था लेकिन उन्होंने नहीं रखा, यह एक प्रकार से नयी परिस्थिति थी और उसके अनुसार नया कनवेन्शन बना जो पहले दुनिया के किसी हिस्से में नहीं हुआ। वैसी हालत में अगर आप उचित समझें तो वोटिंग के मायने में भी नई प्रणाली अपनायी जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, जहां एक तरफ कई माननीय सदस्यों पर कई प्रकार के दबाव हैं वैसी हालत में स्वतंत्र वोटिंग होना नामुमकिन है। मैं उन मामलों से दो मामलों का जिक्र करूंगा जिसमें स्पेसिफिक इन्टरेस्ट बताया जाता है विरोधी दल के जो सचेतक हैं, वे तहसीलदार के पद के लिये उम्मीदवार हैं....

श्री अध्यक्ष—That would be multiplied. (श्री टीकाराम पालीवाल के पुनः खड़े होने पर) Order please ! These are not conventions. Those speeches have been made and there will be no use in bringing those controversies in the House when the Debate is closed.

(श्री टीकाराम पालीवाल के बोलने के लिये और खड़े होने पर श्री सोहनलाल भटनागर द्वारा "बैठ जाओ, बैठ जाओ" कहा गया एवं श्री हरिदेव जोशी ने भी "आप असत्य कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, बैठ जाओ" कहा तो इस पर श्री टीकाराम पालीवाल के कुपित होने पर श्री हरिदेव जोशी को सम्बोधित करते हुए)

Mr. Harideo Joshi, the feelings should not be high in the House.

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, सत्य जो होता है वह उतना ही कड़वा होता है विरोधी दल के सचेतक तहसीलदारो के लिये उम्मीदवार हैं, इसी प्रकार का दूसरा भी केस है।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—I am anxious to conclude the debate and thereby the Session in a very cordial and friendly atmosphere. I can accommodate the opposition by hearing them but there is a limit to that............

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार पचास केस ऐसे हैं कि....

श्री अध्यक्ष—I am prepared to hear on academic points. I am prepared to hear them if they are able to guide me on the point of secret voting but if they lead to controversies by elucidating new facts which would give rise to new controversies, it would be very difficult for me to allow.

श्री हरिकृष्ण व्यास—अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक कानूनी बात अर्ज करनी है। अभी अभी जो प्रश्न विचाराधीन है वह यह है कि इस मसले पर वोटिंग किस प्रकार से हो ? अगर हम इसके लिये रूल्स ओफ प्रोसीजर को देखें तो हमें मालूम पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, दो प्रकार के, वोटिंग के तरीके हैं। जहां कोई नीति संबन्धी प्रश्न हो कानून संबन्धी प्रश्न हो अथवा किसी विषय पर राय व्यक्त करने का प्रश्न हो तो अगर आवाज के जरिये मतों का निर्णय न होता हो तो डिवीजन के जरिये वोट देने का रूल्स ऑफ प्रोसीजर में प्रोवीजन है। लेकिन जहां कमेटियों के सदस्यों को चुनाव का प्रश्न है उसमें विशेष कर फाइनेन्सियल कमेटीज के सदस्यों के चुनाव का प्रश्न है, वहां पर चुनाव करने सदस्यों की सम्मति लेने का जो मौका देते हैं उसके लिये भी हमें रूल्स ओफ प्रोसीजर में प्रोवीजन मिलता है। उसमें यह दे रखा है कि वे चुनाव सीक्रेट बेलट के जरिये कराये जायेंगे। अथवा इसी प्रकार किसी व्यक्ति के पसन्द अथवा नापसन्द करने का सवाल आता है तो ऐसे समय में वोटिंग का तरीका क्या होता है। अगर व्यक्ति को पसन्द करने अथवा न करने के लिये जो मत जाने जाते हैं उसके लिये हमारे यहां यह है, when the question of an individual is involved whether you think him fit for membership of a committee or not तो सदन ने यह निर्णय दिया अथवा रूल्स में यह निर्णय दिया वह वोटिंग सीक्रेट होना चाहिये। अब तय करने का प्रश्न है, वह यह है कि जिस विषय पर वोटिंग लिया जा रहा है, उस वोटिंग को कौनसी हैसियत करार दी जाय। मेरी यह दरख्वास्त है इसे एक कमेटी के इलेक्शन की हैसियत करार देनी चाहिये। वह इसलिये कि कमेटी के लिये सदन के सदस्यों की इसलिये राय ली जाती है और वह राय यह ली जाती है कि अमुक सदस्य को आप काबिल समझते हैं या नाकाबिल। आप अमुक सदस्य को कमेटी में लाना पसन्द करते हैं या नहीं इस प्रकार इनडीविज्युअल के बारे में, उसके मेरिटस के बारे में उसकी काबलियत और नाकाबलियत के बारे में, जब राय लेने का प्रश्न आता है तो उसके लिये सदन ने यह निर्णय कर दिया कि वह चुनाव सीक्रेट बेलट से हो। अगर हम इस मसले पर जो कि सदन के सामने पेश है, एक व्यक्ति विशेष के बारे में है तो, वैसी हालत अगर हम खुले आम वोटिंग करते हैं तो वह सदन के माननीय सदस्यों में आपस में वैमनस्य बढ़ाने वाला होगा। जो प्रश्न हमारे सामने विचाराधीन है वह एक सदन के सदस्य के कन्डक्ट से ताल्लुक रखता है उसका कन्डक्ट आप अच्छा समझते हैं या बुरा समझते हैं यह एक व्यक्ति विशेष का प्रश्न है, वैसी हालत में यह हमें देखना है कि जहां हम यह चाहते हैं कि एक दूसरे में वैमनस्य की भावना पैदा न हो, उसके लिये एक ही तरीका है और रूल्स के माफिक है, वह है सीक्रेट बेलट का, इसे दूसरे नम्बर की केटेगरी में लिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न यह रहता है कि इसके बारे में कोई रूलिंग है क्या? जहां तक रूलिंग का प्रश्न है मैं समझता हूं इस विषय में बहस का प्रश्न नहीं रहता वह इसलिए कि इस किस्म का प्रस्ताव

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

प्राइवेट मेम्बर ने कभी कहीं दिया है क्या ? जब हमें ऐसा प्रस्ताव किसी प्राइवेट मेम्बर द्वारा आया हो वैसा दुनिया के इतिहास में, किसी देश के इतिहास में देखने को नहीं मिलता तो वैसी हालत में रूलिंग का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । अगर मैं गलत हूं तो माननीय अध्यक्ष आप मुझे दुरूस्त कर सकते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, इस प्रकार का प्रस्ताव एक प्राइवेट मेम्बर द्वारा कहीं प्रस्तुत किया गया हो और ऐसे प्रस्ताव के प्राइवेट मेम्बर द्वारा प्रस्तुत करने के बाद उस पर सदन की सम्मति लेने की नौबत आयी हो ऐसी प्रीसीडेन्ट कहीं नहीं मिलती लेकिन आज हमारे राजस्थान में एक नयी प्रीसीडेन्ट कायम हुई है, वैसी स्थिति के अन्दर जब कि ऐसा कहीं पहले नहीं हुआ तो वैसी हालत में वोटिंग किस किस्म से हो उसके रूलिंग मिलना असंभव है। चूंकि आज तक किसी जगह ऐसा नहीं हुआ है तो, वैसी हालत में रूलिंग की बिनाह पर कोई निर्णय नहीं होना चाहिये । मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो मेरे पूर्व वक्ता ने कही हैं । मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि यह एक व्यक्ति विशेष का प्रश्न है, एक व्यक्ति के बारे में राय देने का प्रश्न है तो, वैसी सूरत में जो चुनाव पद्धति फाइनेन्सियल कमेटीज में अपनायी जाती है उसी प्रकार इसमें सीकरेट वोटिंग से निर्णय किया जाना चाहिये, यह मेरा मत है ।

श्री तनसिंह—यदि राय स्वतन्त्रतापूर्वक लेनी है और राय की स्वतन्त्रता को रखना है तो सीक्रेट बेलट का सिस्टम ही इस समय इस प्रस्ताव पर आवश्यक है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह विवादास्पद विषय नहीं है। जो रूल्स हैं वे इस पर स्पष्ट हैं। यह एक सबस्टेंटिव मोशन के तौर पर आया है और वह गवर्न होता है सेक्शन ९७ से । तो मैं समझता हूं कि दूसरी २ बातों को इसमें मिलाने से लाभ नहीं होगा और दबाव वाली बात जो कही जाती है तो वह तो नो कोन्फीडेन्स जैसी किस्म की कोई बात हो सकती है, वह ओपनली डिस्कस होती है । तो इसमें तो वैसी बात नहीं है । तो फिर इसमें वोटिंग में ऐतराज की बात क्या है ?

(श्री मानसिंह महार के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—आप तो कह चुके अपनी बात, अब क्या कहना है ?

एक माननीय सदस्य—इन्हें कोई इससे दूसरा पोइन्ट कहना है ।

श्री मानसिंह महार—मैं तो मूवर हूं, इस प्रस्ताव पर सीक्रेट वोटिंग के लिये, इसलिये....

श्री अध्यक्ष—कह दिया वह तो आपने फिर ।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, कुछ और to the point निवेदन करूंगा । इस सदन में जो यह प्रस्ताव रखा है कि सीक्रेट वोटिंग होना चाहिये इसके बारे में....

श्री अध्यक्ष—That is a point of suggestion.

श्री मानसिंह महार—आपसे जो प्रार्थना की है, सजेशन भी क्या; कि सीक्रेट वोटिंग होना चाहिये वह इस कारण है कि मैं सही अर्ज करता हूं, आज अगर आप ओपन वोटिंग कराएंगे

[श्री मानसिंह महार]
तो कई मेम्बरों को विचारों को बड़ा भारी नुकसान होने वाला है और यह कोई नो कान्फीडेन्स का मोशन नहीं है जैसा कि लीडर ग्राफ दी हाउस ने फरमाया नो कान्फीडेन्स मोशन तो सामूहिक चीज होती है। अध्यक्ष महोदय, यह तो सरकार के खिलाफ होता है। उसके खिलाफ चाहे जो कह सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत मामला नहीं होता। पर यह तो माथुर साहब का परसनल मामला है। एक सदस्य जो हमारे परसनल फ्रेन्ड हैं उनके, यहां खिलाफ खड़े होकर वोट देते हैं तो वहां वे परसनल ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं। अगर आप हमारे वे परसनल ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं तो फिर दूसरी बात है, नहीं तो हमें आप ओपन वोटिंग के लिए प्रेस न करें, सीक्रेट वोट देने दें। अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है। दबाव की बातें भी जाने दीजिये और सब बातें जाने दीजिये पर आज हम जो आपस में इस तरह हंस कर, मजाक से बातें करते हैं, वह भी बन्द हो जावेगी। अगर आपने ऐसे ही कहा और आपकी बात को मानकर पच्चीस तीस आदमी हिम्मत भी करेंगे और खिलाफ वोट देने चले भी जावेंगे तो उनको क्या २ यातनाएं सहनी पड़ेगी यह तो ६ महिने बाद मालूम पड़ेगा। तो इसलिये निवेदन करूंगा कि और मौका होता तो बात नहीं थी पर इस समय प्रश्न यह ऐसा है कि यह अहम प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—आप तो यातना सहने वालों में नहीं हैं ?

श्री मानसिंह महार—No, Sir, मैं तो उधर ही जाऊंगा क्योंकि मैंने माथुर साहब से इजाजत ले ली है, पर सवाल तो और लोगों के लिये है।

(हंसी)

कई लोगों के क्या २ इन्ट्रेस्ट हैं यह हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसी स्थिति में कानूनी मसला भी निवेदन कर दूं। इसके बारे में अभी माननीय सदन के लीडर महोदय ने धारा ६७ के बारे में फरमाया कि यह सब्स्टेंटिव मोशन है इसलिये इस पर ओपन वोटिंग होना चाहिये। मैं यह कहता हूं कि यह सब कुछ होते हुए भी अध्यक्ष महोदय, आज जो कुछ हुआ है, वह एक्स्ट्रा आर्डिनरी चीज हो रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह मोशन इटसेल्फ एक नायाब चीज है। (हंसी) डेमोक्रेसी के लिये नई चीज है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Is it a legal argument ?

श्री मानसिंह महार—मैं वकील तो हूं नहीं, मैं तो दिमागी लीगल आर्गूमेन्ट रखता हूं। यह लीगल है, तो वकील लोग कह सकते हैं। आप अगर वकील को ही सुनना चाहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। कोई हर्ज नहीं है। तो यह कोई अदालत नहीं है जहां कानूनी दायरे में ही चलना हो। यहां पर हम अधिकतर सदस्य ऐसे हैं जो वकालत नहीं करते हैं। हम तो दिमागी वकालत ही जानते हैं। इसलिये मैं प्रार्थना कर रहा था कि आज कल से तो कई लोगों ने तो रोटी नहीं खाई है अध्यक्ष महोदय, (हंसी) कई लोगों के होठों पर पपड़ियां आ रही हैं और इससे बढ़ कर क्या बड़ा जुल्म हो सकता है कि जयपुर के भ्रष्टाचार विरोधी मोरचे या भ्रष्टाचार विरोधी मोरचे के प्रेसीडेन्ट भी डांवांडोल हैं, (हंसी) हिन्दू महासभा के प्रेसीडेन्ट भी डांवांडोल हैं। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है इसलिये आपसे खास

[श्री मानसिंह महार]

तौर से निवेदन करूंगा कि हमारे व्यक्तिगत ताल्लुकात को न बिगड़ने दें। हमें किसी से बुराई नहीं लेना चाहते और इसमें सीक्रेट वोटिंग देने दें।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल--अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं आपसे कि यह सदन एक उदाहरण पहले ही दे चुका है और यहां ६ आदमियों को इस सदन में उपद्रव करने के कारण सजाएं दी गई हैं, वे ओपन वोटिंग से दी गई हैं। जहां यह बात प्रेक्टिस के रूप में रक्खी गई है तो अब कोई कारण नहीं कि आप उस निर्णय को तब्दील करें।

श्री मानसिंह महार--क्या यह भी इसके बराबर माना जाता है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष--Order please!

श्री भैरोंसिंह (१६)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान रूल ६८ व ६६ की ओर दिलाऊंगा। रूल ६८ में उसके भाग (२) में इस बात का उल्लेख है कि "A member is not obliged to vote." अब यहां यह प्रश्न पैदा होता है कि हम यदि डिविजन द्वारा खुले रूप से वोट देने की इजाजत देते हैं उस सूरत में कोई मेम्बर ऐसा तो नहीं है जिसको ओब्लाइज किया गया हो कि अमुक प्रकार से वह वोट दे (हंसी) और माननीय अध्यक्ष में यह कहूंगा कि चाहे ओब्लाइज करने की परिभाषा, वे इस तरह की निकालें कि किसी मेम्बर को मजबूर नहीं किया जा सकता, किसी भी आदमी की तरफ से; मैं निवेदन करूंगा इसमें कई मेम्बरों को मजबूर किया गया है कि एक आदमी के पक्ष में वोट दो या विपक्ष में दो। वैसी सूरत में जिन लोगों को मजबूर किया गया है वे लोग वोट देने के अधिकारी नहीं हैं।

दूसरी धारा आती है ६६। इसमें **"Disqualification for voting on ground of pecuniary interest**: A member may not vote on any question in which he has a direct pecuniary interest. If he votes on such a question the vote may on a substantive motion carried by the Assembly, be disallowed."

माननीय अध्यक्ष, आज जिस समय वाइस वोट लिया गया था तो उन लोगों ने वोट देने में वाइस में योग दिया है, तो उस आधार से कौन किधर है, डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टरी किसको किसके साथ सम्बन्ध है, इसका निर्णय नहीं कर लेते तब तक सही वोटिंग नहीं हो सकेगा। तो इस तरह से इम्पोर्टेन्ट मैटर पर हमें गुप्त मत प्रणाली ही अपनानी पड़ेगी। मेम्बरों पर चारों तरफ से दबावें आयां है, स्वतन्त्रता से कोई भी वोट देने की चेष्टा करेगा तो नहीं कर पावेगा क्योंकि उनको ओब्लाइज किया गया है। इसलिये धारा ६८।६६ का उल्लेख करते हुए निवेदन करूंगा कि पहले इस बात का निर्णय कर दिया जावे कि कौन २ का इससे सीधा सम्बन्ध है और जो वोट देने का अधिकारी नहीं है उनके लिये माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनको हाउस से बाहर बैठा दिया जावे और उनके वोट बाहर निकाल कर फिर आजादी से वोट देने दें।

श्री सोहनलाल भटनागर--अध्यक्ष महोदय, डिविजन का जो प्रोसीजर है वह ६७ में दिया हुआ है। जितने प्रोसीजर एडोप्ट किये गये हैं सब क्लाज (बी) के अनुसार किये गये हैं :

"(4)(b) After the lapse of two minutes he shall put the question a second time and declare whether in his opinion the 'Ayes' or the 'Noes' have it"

इसके बाद सब क्लाज (सी) आता है :

"(c) If the opinion so declared is again challenged, he shall direct the 'Ayes' to go into Right Lobby and the 'Noes' into the left Lobby".

श्री अध्यक्ष--That will be followed. (शोरगुल)

श्री सोहनलाल--इस तरह जब मेन्डेटरी वोट का प्रोवीजन है तो उसको एडोप्ट किया जाना चाहिये।

(एक सदस्य के बोलने के लिये और खड़े होने पर)

श्री मुक्तिलाल मोदी--अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हर मेम्बर बिना अधिकार के ही बोलेगा तो हम भी खड़े होंगे और जब हम खड़े होंगे तो आप कहेंगे कि झगड़ा करते हैं।

श्री अध्यक्ष--आप तो बोल रहे हैं बिना अधिकार ही। (हंसी)

श्री अध्यक्ष--(श्री वेदपाल त्यागी के खड़े होने पर) आप कह चुके हैं।

श्री त्यागी--मैं थोड़ा और निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह कन्ट्रोवर्सी खड़ी हुई है। मैंने तो जिस आधार पर सीक्रेट बेलेट्स मांगा था वह आधार यह था कि चूंकि एक व्यक्ति विशेष से संबंध रखने वाला एक मोशन है, और इस मोशन में कोई मेटर ऑफ पालिसी इन्वाल्वड नहीं होता है कि जिस पर हमारी कन्स्टीटुएन्सी की जनता देखे कि हम किसी तरफ वोट करते हैं या नहीं। यहां पर यदि सीक्रेट बेलट नहीं होता है और ओपन बेलेट होता है तो जैसा कि श्री मानसिंह महार ने फरमाया कि वैमनस्य बढता है, जैसा कि श्री एच. के. व्यास ने कहा कि यहां वोटिंग का जो सिस्टम रखा गया है वहां व्यक्ति को चुनने का मामला आता है, एक व्यक्ति से संबंध रखने वाला मामला आता है तो सीक्रेट बेलट की तरह से तय करना चाहिये। वह स्थिति यहां पर अपनाई जानी चाहिये। मैं नहीं समझता कि सीक्रेट बेलेट को क्यों अपोज किया जा रहा है ? यदि आपको विश्वास है कि लोग सीक्रेट बेलेट में स्वतन्त्रता पूर्वक वोट दे सकते हैं तो वह आपको फेस करना चाहिये और इसके लिए विचार करना चाहिये। आज इसके लिये इन्कारी की जा रही है। इसको अपोज किया जा रहा है। इस तरह से देने में, सीक्रेट बेलेट से उनको खतरा है। वे अपने राइट को फ्रीली एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, नहीं करने देने का सरंजाम पैदा किया है। उसको नहीं करने दिया जाय। इस संबंध में मैं मेमस मेनुअल आफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का रेफरेन्स देता हूं कि जिसमें कहा गया है कि सीक्रेट बेलेट होता नहीं है जहां कि कोई प्रोसीजर मुकर्रर किया गया हो, किसी मोशन

[श्री वेदपाल त्यागी]

के संबंध में । अन्यथा स्थिति यह है कि पर्टीक्यूलर प्रोसीजर नहीं है तो उस सूरत में अध्यक्ष महोदय को अधिकार है कि यदि वे यह समझते हैं कि इसमें सीक्रेट बेलट होना चाहिये तो आप इसको एलाऊ कर सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सब्स्टेन्शियल मोशन बताया जाता है वह है नहीं उस रूप में, उचित रूप में रूल्स मेसन्त में एनविसेज किये हैं कि वह ऐसा मोशन हो। यह एक्स्ट्राआर्डिनरी टाइप का मोशन है और एक्स्ट्राआर्डिनरी प्रोसीजर इसमें किया जाता है इसलिए रूल ६७ का जो आधार लिया जाता है, वह आधार पूरी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि सीक्रेट बेलट डिमान्ड करते हैं तो इसलिये करते हैं कि लोग फ्रीली अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकें । यदि कोई दबाव डाला गया है । जिसका संकेत स्पीचों में सदन में आया है तो वह दबाव दूर होजाय। वैसे आप यह समझते हैं कि आपका पक्ष बहुमत में नहीं है तो उसको फेस कीजिये। यह लिखा है पेज ३८४ पर :—

"1. Voting by ballot is rarely, if ever, used in legislative bodies, as the members vote in a representative capacity and their constituents are entitled to know how their representatives vote. In order to ensure that right, constitutions usually require that all bills be passed by roll call and that the vote be recorded in the journal, and also that a small number can require a roll call on any question and have the vote recorded in the journal."

2. Whether the constitution or rules do not prohibit a vote being taken by ballot, it can be ordered by a majority of vote, or by general consent....."

मैं यह निवेदन कर दूं कि यहां पर कोई ऐसा नियम नहीं है कि इस प्रकार के मोशन पर सीक्रेट बेलट नहीं लिया जा सकता, कोई प्रोहीबिशन नहीं है । चूंकि प्रोहीबिशन नहीं है और लोगों की यह डिमान्ड है तो उस सूरत में इस डिमान्ड को कन्सीडर करना चाहिये । यह जो लॉ का फेक्ट सदन के सामने आया है, उस संबंध में इधर बैठने वालों को अपोज नहीं करना चाहिये, वर्ना अपोज करते हैं तो अपने आपको एक्सपोज करते हैं.......

श्री घोसी सिंह—माननीय अध्यक्ष, पंचन के चुनाव भी जब हाथ उठाकर कराते हैं तो यहां कौन सा डर है ।

राजा श्री मानसिंह—Mr. Speaker Sir, what I think, the question before the House is whether the enquiry should be constituted or not against a fellow member of the House. If, Sir, the Members have decided that the explanation given by the Chief Minister is sufficient not to try the enquiry committee to be constituted or the allegations made by the Hon'ble Members of Opposition are substantiated and the Members feel that an enquiry Committee should be constituted; only then Sir, that voting to constitute an enquiry committee or not should be in open voting. If an enquiry committee is constituted and the Committee has submitted

[राजा श्री मानसिंह]

its report before the House and the members have to decide as a result of their report then I would agree that the secret ballot should be taken.

श्री अध्यक्ष—सदन में इस बात की मांग की गई है कि इस विषय के ऊपर जो मतदान हो वह गुप्त मतदान किया जाय । सबसे पहले मैं यह निवेदन करूं कि जो गणतन्त्र है, जो डेमोक्रेसी की प्रणाली हमने अपनाई है इस देश के अन्दर, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं । पक्ष में वह, जो शासन चलाते हैं और विपक्ष में वह जो विरोध करते हैं । दोनों पक्षों के म्यूचुअल कन्सीडरेशन और वाद-विवाद से शासन चलाने की प्रणाली यह कही जाती है । इस शासन प्रणाली के अन्दर विपक्ष का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि लोकमत को जागृत करे, दूसरा आंशिक रूप में यह कर्तव्य हो जाता है कि गवर्नमेन्ट को अपने वाद-विवाद के द्वारा या कुछ और अधिक करके अपनी कार्यवाही से गवर्नमेंट को कोअर्स करे किसी निर्णय पर आने के लिए; गवर्नमेंट से, शासन से, मांग करे, कोअर्स करे, उस निर्णय पर आने के लिए । और जो सबसे अधिक मुख्य बात विपक्ष के लिए मानी गई है वह यह है कि आने वाले आगामी चुनावों के लिए अपने इलेक्टोरेट को तैयार करे । यदि लोगों को जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को मतदान किया है यह पता नहीं चलेगा कि हमारे प्रतिनिधि कैसे हैं और किसी मौके के ऊपर उचित या अनुचित उनकी राय कायम करते हैं तो मैं समझता हूं कि जनतन्त्र का सारा आधार है वह खिसक जायगा । मैं यह निवेदन करूं माननीय सदस्यों से कि उन्हें इस सदन के अन्दर भाषण की स्वतन्त्रता है । इस सदन के ऊपर कहूंगा कि एक ओर जहां ऐसा होना चाहिए कि वह संयम पर आधारित हो वहां दूसरी ओर यदि वह असंयमशील भी हो तो किसी अदालत के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती । जब अदालत में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती तो यह आवश्यक है कि जो कुछ कहें, नाप तौल कर संयमित भाषा में कहें । जब इतनी स्वतन्त्रता उनकी है तो उसके साथ एक और भी स्वतन्त्रता है जो यह है कि पत्र के आदमी और जो दर्शक गेलेरी के आदमी हैं, वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सारी बातों को देखें और वे इस बात का मूल्यांकन करें कि हमारे प्रतिनिधि कैसे हैं, किस प्रकार से सदन के अन्दर व्यवहार करते हैं । इसी तरीके से इसी सिद्धान्त को लेते हुए जो पत्रों के प्रतिनिधि हैं, वे सदन के सदस्य नहीं होते हुए भी उनके साथ सदन के सदस्यों जैसा व्यवहार किया जाता है और उनको एक तरह से सदन के सदस्य ही माना जा सकता है क्योंकि वह जनमत, लोकमत, में सदन के निर्णय को प्रसारित करने का कार्य करते हैं । अतः सदन के माननीय सदस्य चाहें कि उनकी कोई कार्यवाही ऐसी है कि जो एक अमुक स्थिति में, अमुक परिस्थिति के अन्दर गुप्त मत रखना चाहिए तो सदन के माननीय सदस्यों को अधिकार है कि केवल वे ही यहां रहें और उस सदन के अन्दर कोई न रहे ।

मुख्य जो बात इस जनतन्त्र की है वह यह है कि जनतन्त्र के अन्दर लोकमत बनाना चाहिये, और यदि इस जनतन्त्र के पवित्र मन्दिर में बैठे हुए लोग इस बात से डरते हैं कि इधर मत देंगे तो यह हो जायगा और उधर वोट देंगे तो ऐसा हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि वह अपने सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा को कम करना है । इसलिए चाहे हम शैशवावस्था में से गुजर रहे हों और जिन परम्पराओं को हमने अपनाया है, इंगलेंड की संसदीय परम्पराओं को अपनाया है, वहां भी ऐसा माना गया है कि गुप्त

[श्री अध्यक्ष]

मतदान इलेक्शन के अन्दर हो सकते हैं, चुनावों के अन्दर हो सकते हैं। लेकिन जहां सदन का निर्णय होता है इस पक्ष में या उस पक्ष में, किसी पोलिसी पर निर्णय होता है, किसी प्रस्ताव पर निर्णय होता है या किसी बिल पर निर्णय होता है तो वहां मतदाताओं को जानने का अधिकार है कि हमारे प्रतिनिधि किस प्रकार व्यवहार करते हैं और जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि अन्ततोगत्वा एक व्यक्ति की पसन्दगी और नापसन्दगी का सवाल आता है तो, मैं कहूंगा कि बात यह नहीं है, इलेक्शन का सवाल नहीं है, इस प्रस्ताव पर सदन के माननीय सदस्य किस व्यवहार का, नैतिकता से या अनैतिकता से, शब्दों के जंजाल में मैं नहीं जाना चाहूंगा, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि नैतिकता से यहां उनका स्तर बतावें, प्रयोग करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि गुप्त मतदान की आवश्यकता नहीं है। जो भी हो, सदन की कार्यवाही चौड़े प्रकाश में आवेगी इसलिए मैं निर्णय देता हूं कि मतदान गुप्त नहीं होगा, चौड़े होगा।

(करतल ध्वनि)

श्री दिलीपसिंह--मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष--पहले मतदान होगा।

श्री दिलीपसिंह--आपने जो फरमाया उसको मैं साफ करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--जो निर्णय होगा प्रेस वाले और सबको मालूम हो जायगा। जितने कार्य करते हैं, सब प्रकाश में आने चाहिए।

श्री दिलीपसिंह--जब लोबी में जावेंगे तो पता नहीं चलेगा। डिविजन हो तो इस हाउस में ही हो तो सब को पता चल जावेगा।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य को भ्रम है। मैं उनका भ्रम निवारण कर देता हूं, उनको यह भ्रम है कि कौन पक्ष में है और कौन विपक्ष में, यह पता नहीं लगेगा। असेम्बली की रिपोर्ट प्रकाशित होती है उसमें भी नाम आते ही हैं। आप चाहें तो मैं यहां उनको पढ़ दूं कि कौन पक्ष में हैं और कौन विपक्ष में।

(विराम)

मैं प्रस्ताव रखूं।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री त्यागीजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय?

(मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता?

श्री हरिकृष्ण व्यास--हां पक्ष जीता।

राज्य पक्ष के माननीय सदस्य--Noes have it, Sir.

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य--Ayes have it, Sir.

श्री अध्यक्ष--जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वे "एज़" की लोबीज़ में जावें और जो विपक्ष में हों वे "नोज़" की लोबीज़ में जावें।

(विभाजन घन्टी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष--दर्शक गैलेरीज़ में व्यक्ति हैं वे बैठ जावें।

(विराम)

The members in the visitors gallaries should not create disturbances.

(श्री गुलाबचन्द कासलीवाल एवं श्री श्रीदास गोयल के, विभाजन के समय सदन में परस्पर झड़प एवं श्री अध्यक्ष के आदेश से श्री सचिव द्वारा बीच बचाव)

श्री भैंरूंसिंह--माननीय अध्यक्ष, ओन दी पोइन्ट ओफ़ इन्फ़ोरमेशन सर, अभी जिस समय डिविज़न बैल हुई और उसके बाद जब माननीय सदस्य ऐज़ और नोज़ की लोबीज़ में जाने लगे उस समय सदन में कुछ सदस्य न्युट्रल रहना चाहते थे। उनको सत्तारूढ़ दल की ओर से दबाया गया और ज़बरदस्ती ले जाया गया जिस कारण से मैं समझता हूं कि यहां एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि यदि सदन के सेक्रेटरी और माननीय मित्र बीच बचाव नहीं करते तो मैं समझता हूं कि हाथापाई की नौबत आ जाती। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि आज जो अभी वोटिंग हुआ है और जितने भी वोटिंग के लिये सदस्य गये हैं, उनमें से अधिकांश दबाव के कारण से गये हैं। इसलिये एक दफ़ा और लोबीज़ में जाने और वोटिंग देने का अधिकार दिया जाए ताकि जो दबाव डाला गया है उस दबाव से मुक्त होकर वे अपना स्वतन्त्र वोटिंग दे सकें। माननीय अध्यक्ष, मैं आपको मिसाल देता हूं कि अभी रावत शम्भूसिंहजी धोखे में आकर लोबीज़ में विरोधी दल के मुख्य सचेतक के साथ चले गये विरोधी दल के सचेतक तो निकल आये और श्री शंभूसिंह ने बाहर निकलने की चेष्टा की मगर निकल नहीं सके। ऐसी सूरत में उन पर विरोधी दल के सचेतक की ओर से बहुत दबाव भी डाला गया है। हाउस में किसी तरह का कन्वेंसिंग नहीं होना चाहिये मगर वह भी हुआ है और अंतिम समय तक दबाव डाला गया है।

श्री अध्यक्ष--मैं भ्रम में पड़ गया कि भैंरूंसिंहजी बोल रहे हैं या शंभूसिंहजी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--अगर कोई महानुभव ऐसा कहें तो अब भी लिस्ट करेक्ट करली जावे।

श्री हरिकृष्ण व्यास--हाउस में झगड़ा हो गया, उसका क्या होगा ?

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)--दुबारा डिविजन कराया जावे।

श्री अध्यक्ष--मैं रिजल्ट सुनाता हूं आप रिज़ल्ट सुन लें, उसके बाद में आप कुछ कहें।

हां पक्ष	४० मत।
ना पक्ष	७८ मत।

[सर्व श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री, जवान सिंह, सन्तोष सिंह कछवाह व मथुरादास माथुर तटस्थ रहे]

The motion is lost.

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

ना पक्ष जीता

(शेम-शेम की आवाज़)

एक माननीय सदस्य--अब आप उन सदस्यों के नाम सुना दीजिये जिन्होंने 'हां' और 'ना' के पक्ष में वोट दिये हैं, जैसा कि आपने फ़रमाया था।

श्री अध्यक्ष--नाम पढ़ कर सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह लिस्ट सदन की मेज़ पर रखी जाती है, जिन सदस्यों को देखना हो देख लें।

एक माननीय सदस्य--इससे सब लोगों को मालूम नहीं होगा।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)--गैलेरीज़ और प्रेस वालों को, सब को पता होना चाहिये कि किस व्यक्ति ने किस तरफ़ वोट दिया है।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्यों ने सब देखा है कि किसने किस तरफ़ वोट दिया है।

श्री अध्यक्ष--अब मैं सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही ११-४० मध्याह्न पूर्व पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई)।

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक--२१ मई, १९५६

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

परिशिष्ट १

श्री मथुरादास माथुर द्वारा लिखे गये पत्र सम्बन्धी सदन की पूर्व कार्यवाही

आय-व्ययक, सत्र, १६५५

कार्य-विवरण दिनांक १७-३-५५

श्री हरिकृष्ण व्यास द्वारा पत्र की प्रस्तुति एवं विवेचन

श्री हरिकृष्ण व्यास--उस दिन माननीय मुख्य मन्त्रीजी बड़े जोश के साथ बोल रहे थे कि कोई ऐसी बात हो तो वे बाकायदा जांच करेंगे, तो मैं आपके ज़रिये उनकी सेवा में एक बात रखना चाहूंगा, जिसका ताल्लुक कुछ वर्षों से होते हुए भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना से है। जिस घटना का नाम रखा गया है टैक्स्ट बुक्स कमेटी कान्ड। शिक्षा विभाग में कमेटी तय हुई थी और उसका नाम एक कान्ड इसलिये बन गया कि उसमें एक आदमी गिरफ्तार भी हुआ है। गिरफ्तार हुआ है इतना ही नहीं, यह भी पता चला है कि जो सीक्रेट कोड पुस्तकों के बारे में तैयार किया गया था वह आउट हो, गया और उस पर सिफ़ारिश बाज़ी हुई, दबाव शुरू हुआ। मन्त्री महोदय से पूछते हैं कि ऐसी बातें हुईं तो पहले इन्कार किया जाता है। उनसे कहते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे सामने कोई निश्चित चीज नहीं आई, चीज आये तो जांच करायेंगे। तो मैं प्रस्तुत करता हूं, ऐसी हो एक चीज़ प्रस्तुत करता हूं, हाथ से लिखी हुई चीज है। कोई फ़ोटो या टाइप किया हुआ नहीं है जिससे कि वह कह सके कि मजमून पहले लिखा गया था और दस्तखत बाद में रखकर फ़ोटो ले लिया। वह पत्र आपको पढ़कर सुनाता हूं। वह हमारे इस सदन में बैठे हुए एक माननीय मित्र का लिखा हुआ है। आप उसको सुनते ही पहचान जायेंगे कि असलियत क्या है? जयपुर का यह पत्र है। जयपुर से लिखा हुआ है।

"My dear Director Saheb,

Kindly keep in view Book No. 31 (Hindi Primer) for Class I published by Frontier Publications.

MATHURADAS
10-1-53."

एक माननीय सदस्य--यह चिट्ठी आप कहां से लाये?

श्री हरिकृष्ण व्यास--किसी को यह पूछने का क्या अधिकार है कि यह चिट्ठी कहां से लाये हैं? यह कोई टाइप की हुई चिट्ठी नहीं है कि जिसके बारे में कहा जाय कि चिट्ठी टाइप करके फ़ोटो से दस्तखत बनाये गये। यह चिट्ठी हाथ से लिखी हुई है और टैक्स्ट बुक्स के बारे में बारबार जब जांच की गई थी तब यह कहा गया था कि अभी तक अडोप्ट नहीं हुई है। तब फिर ये कोड़ नम्बर जिन्हें डिपार्टमैन्ट ने स्वीकार किया था उनकी जानकारी मथुरादासजी को कहां से हुई? उसके आधार पर आप डाइरेक्टर

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

को लिखते हैं कि फ़लां किताब का ध्यान रखना है। इससे बढ़कर भ्रष्टाचार क्या होगा? उस समय मन्त्रीजी बढ़-बढ़ कर बातें कर रहे थे कि हमारे सामने कोई सच्ची बात लाई जाय। जो चिट्ठी अखबार में छपी थी, उसके बारे में तो आप जैसा चाहें वैसा कह सकते हैं लेकिन मैं इस बात के प्रमाण तैयार रखता हूं कि जब चाहें तब दिखाने को तैयार हूं। यह मेरे पास मौजूद हैं, इसकी जांच करनी है तो करलें। मैं चेलेन्ज देता हूं कि यदि यह गलत हो तो मेरे खिलाफ़ आप कार्यवाही कर सकते हैं। सदन में यदि मैंने गलत इत्तला दी है तो मैं यह स्वीकर करूंगा कि मुझे यहां से निकाल दिया जाय और यदि यह सच्ची है तो लिखने वाले के खिलाफ़ सख़्त से सख़्त एक्शन लिया जाय।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह--फ़र्जी हो सकती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--हाथ से लिखी हुई फ़र्जी कैसे हो सकती है? जिसने लिखा है उसके दस्तखत हैं। यदि कोई जांच करे तो मेरा यह दावा है कि इसमें असलियत है।

श्री जसवन्तसिंह--लेकिन गलती हो सकती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--गलती होने की बात दूसरी है। मैं यह चाहता हूं कि जिसका इसमें उल्लेख किया है उसकी जांच की जाय। मैं इस चिट्ठी को सदन के सामने प्रस्तुत करने को तैयार हूं यदि सदन की कोई कमेटी बनाकर जांच कराने को तैयार हैं तो मैं इस को देने को तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि उनके खिलाफ़ कोई कार्यवाही की जाय। कल से यहां पर बजट पर बहस हो रही है, वाटर बोर्ड, इन्डस्ट्रियल कोरपोरेशन आदि के बारे में कई मित्र यहां खड़े होकर बोले हैं और यहां पर उनकी आलोचना की गई है। इन सबसे पता चलता है कि इनमें गड़बड़ अवश्य है और जवाब यह दिया जाता है कि कोई खास बात हो तो बताई जाय, हम उसकी जांच करेंगे।

कार्य-विवरण दिनांक १८-३-५५ के अंश

श्री मथुरादास माथुर का उत्तर

श्री मथुरादास माथुर--सबसे पहले मैं अपने उधर बैठने वाले जोधपुर से आये माननीय सदस्य की बात का खास तौर से जवाब दूंगा। पर मुझे इस बात का अफसोस है कि वे इस सदन में मौजूद नहीं हैं। अगर मौजूद रहते तो मुझे उनकी बात का जवाब देने में ज्यादा संतोष होता।

कुंवर श्री जसवन्त सिंह--हम लोगों को भी मजा आता।

श्री अवनी कुमार मुकर्जो--जवाब तो आप दे ही दीजिये।

श्री मथुरादास माथुर--जवाब देने के लिये तो मैं खड़ा ही हुआ हूं। पर जिन्होंने सवाल उठाया उनको उनकी उपस्थिति में जवाब देता तो ज्यादा अच्छा रहता। जो मुद्दे की बात कही उनको पहले रखना बहुत जरूरी समझता हूं और खास तौर से एक बात पर जो मेरे व्यक्तित्व से संबंध रखने वाली है उसकी तरफ़ भी इशारा करूंगा। कल उनकी तरफ़ से इस सदन की टेबल पर एक स्लिप, रुक्का रक्खा गया है जिसमें मेरे हाथ के दस्तखत और मेरा खत बताया जाता है और जिसका आज के अखबारों में भी काफ़ी प्रचार हो चुका है और आप सब सदन के माननीय सदस्य भी उसको पढ़ चुके होंगे। उसमें यह लिखा गया है, वह कोई डाइरेक्टर के नाम खत है और उसमें यह कहा गया है कि फ़लां फ़लां किताब के लिये आप उसका काम ध्यान में रखें, "कीप इन व्यू (Keep in view)"। यह खत जब सदन के सामने पढ़ा गया तो कुछ मैंने अपनी याददाश्त ताजा करने की कोशिश की। आज से २७ महीने पहले यह खत लिखा गया था और किन किन आधारों पर लिखा गया, किन परिस्थितियों में और कैसे लिखा गया, वह मुझे अब भी याद नहीं पड़ता है। टेबल पर रखने के बाद उसे जब मैंने देखा तो मुझे याद आया कि यह खत मेरे ही हाथ का है और दस्तखत मेरे ही हैं। इसलिये जहां तक दस्तखत और खत का सम्बन्ध है मैं इसे कुबूल करता हूं। ("हियर-हियर" की आवाज)।

अब प्रश्न यह उठता है कि यह कैसे हुआ, क्या चीज है और इसमें ऐसी क्या चीज हुई? उस ओर बैठने वालों ने ज़ोरों से कहा कि यह भ्रष्टाचार का मामला है और सभी लोगों ने और खास तौर से कुछ लोगों ने बड़ी दिलचस्पी ली, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अदब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। यह खत जिस आदमी को लिखा गया है उनसे भी मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की क्योंकि २७ महीने का पुराना यह मामला था, इसलिये मैंने उनसे भी पूछा, और भी सदन के साथी उनके पास गये थे पूछने के लिये। मैं गया और मैंने पूछा कि यह खत आपको कब मिला, तो उन्होंने भी यही ज़ाहिर किया कि ऐसा खत मेरे पास कोई नहीं आया और न उनको याद पड़ी। मैंने उन्हें बताया, पर उन्होंने फिर यही कहा कि ऐसा कोई खत मेरे पास नहीं पहुंचा। तो मुझको ख्याल हुआ कि जिस आदमी के नाम था और जब उनके पास भी नहीं पहुंचा तो यह वहीं रह गया मालूम पड़ता है, जिसको दिया गया था। जिसको दिया उसका नाम भी मैं आपको बता दूं। गनपतलाल नाम के एक व्यक्ति को दिया था जोकि एक पोलोटिकल सफ़रर

[श्री मथुरादास माथुर]

है, जो कि प्रजा मण्डल का एक पुराना कार्यकर्ता रहा है और जिसने कि कांग्रेस के आन्दोलन में भी भाग लिया और आज़ादी के बाद में भी कई दिनों तक जेल में रहा था।

उस व्यक्ति की यह किताब थी और वह कोई बुक डीलर नहीं है। उसने यह किताब लिखी और किसी के नाम से यह किताब उसने पास करवाने को दी और यह कहा कि यह मेरी किताब है। इस किताब के मज़मून को मैंने देखा। एक छोटी सी किताब थी दस पन्द्रह पेज की। इसका मैन्युस्क्रिप्ट था उसके पास में और वह फ़र्स्ट सैकिन्ड क्लास के लिये प्राइमर की किताब थी। पांच आने उसकी कीमत थी। उसने यह कहा कि यह किताब लिखी है उसने, अच्छी किताब है; इसके लिये उसको उम्मीद थी कि यह कामयाब होगी, पर कुछ अड़चन ऐसी हो रही है, वातावरण ऐसा हो रहा है कि मुमकिन है इसे रखने नहीं दिया जावे। उसने मुझे बहुत कहा। मैं बाहर जा रहा था और डाइरेक्टर साहब से कोन्टेक्ट नहीं कर सका। मुझे मालूम भी नहीं था कि इसका डाइरेक्टर आफ़ एजूकेशन से संबंध भी है कि नहीं। मैंने इस तरह का एक नोट, रुक्का लिखा कि आप इसका ध्यान रक्खें। इसलिये मैं सदन को सूचना देता हूं कि यह कोई किसी डीलर की किताब नहीं थी, पोलीटिकल सफ़रर की किताब थी। उसने कहा कि डाइरेक्टर साहब से कह दो। उस आदमी का नाम भी मैंने सदन के सामने पेश कर दिया है।

अब इसके बाद में इन किताबों के सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, वह भी मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा क्योंकि उसका भी इससे संबंध है। जब किताबें पेश होती हैं तो रिव्यूअर्स की एक समिति होती है। चन्द आदमी मुकर्रर किये हैं। वे एक्सपर्ट्स अलग अलग विषयों के होते हैं, जो उनको देखते हैं। उस वक्त तक मुझे जानकारी नहीं थी कि रिव्युअर्स की राय में वह किताब फ़र्स्ट डिक्लेयर हो गई थी। कल ही पूछने पर मालूम पड़ा कि वह किताब फ़र्स्ट डिक्लेयर कर दी गई थी। चिट्ठी लिखने के महीनों पहले रिव्युअर्स ने उसे फ़र्स्ट डिक्लेयर कर दिया था। रिव्युअर्स कौन थे, यह अब तक नहीं मालूम है। रिव्युअर्स के पास जब वह किताब गई तो उन्होंने उसको फ़र्स्ट डिक्लेयर किया। रिव्युअर्स की रिकमन्डेशन हैड रिव्युअर के पास जाती है, हैड रिव्युअर के बाद वह रिकमन्डेशन गवर्नमेन्ट के पास जाती है। हैड रिव्युअर ने इस किताब को सैकिन्ड डिक्लेयर किया और वह रिकमन्डेशन यों की यों सरकार के पास गई। रिव्युअर्स ने फ़र्स्ट डिक्लेयर किया, हैड रिव्युअर ने सैकिन्ड डिक्लेयर किया और उसके बाद गवर्नमेन्ट के पास चली गई। इन रिकमन्डेशन्स के चले जाने के बाद टैक्स्ट बुक्स के सिलसिले को लेकर चर्चाएं चलीं, पुलिस केस भी बना, एन्क्वायरी भी बनी और वह अभी तक चल रहा है। वह दूसरों के संबंध में था, इस किताब से कोई खास संबंध नहीं है। हैड रिव्युअर ने जिस किताब को फ़र्स्ट डिक्लेयर किया था, उसके पब्लिशर को गवर्नमेन्ट ने ब्लेक लिस्ट में कर दिया। उसको ब्लेक लिस्ट में कर दिया तो जो सैकिन्ड किताब थी तो ओटोमेटिकली वह किताब एक्सेप्ट हो गई, १२ महीने के बाद में एक्सेप्ट करके डिक्लेयर कर दी गई। १२ महीने से यह किताब चल रही है। यह किस्सा और तराना है, जो मैंने सदन के सामने रख दिया। फ़िर मैं समझता हूं कि इस बात में जिस बात के लिये, इस किताब के लिये यह चिट्ठी लिखी गई थी तो किताबों के रिव्युअर्स और हैड रिव्युअर के अन्दर डाइरेक्टर आफ़ एजुकेशन का कहीं नाम भी नहीं आता।

[श्री मथुरादास माथुर]

दूसरी और सूचना देना चाहता हूं कि इन टैक्स्ट बुक्स के मामले में डिप्टी डाइरेक्टर मिस्टर कुम्भारे ही सब कुछ किया करते थे। डाइरेक्टर आफ़ एजूकेशन का इससे कोई संबंध नहीं था, टैक्स्ट बुक्स के काम को वे ही सम्हालते थे। उन्होंने उनकी रिकमन्डेशन डाइरेक्ट गवर्नमेन्ट के पास दी। यह किताब सिलेक्शन में आई लेकिन जिन साहब को चिट्ठी लिखी थी उनको वह चिट्ठी मिली नहीं और पूछने पर पता चला कि जिन साहब को चिट्ठी लिखकर दी उन्होंने इस चिट्ठी को रख लिया और डाइरेक्टर आफ़ एजूकेशन को नहीं दी क्योंकि उनका इससे संबंध नहीं था इसलिये चिट्ठी दी नहीं। यह चिट्ठी उनके पास में रखी रही। उनके यहां से कैसे गायब हुई, साथी एच. के. व्यास को कैसे मिली यह किस्सा मैं नहीं जानता। बीच में ही गायब होगई या उनके दफ्तर से निकाली गई, यह तो वे ही बता सकते हैं? इस बात से मेरा कोई संबंध नहीं है। वह चिट्ठी जो मेरे हाथ की है वह डाइरेक्टर आफ़ एजूकेशन के काम में इन्टरफ़ियरेन्स करने के आधार पर नहीं लिखी गई थी। वह सिर्फ़ इसलिये लिखी गई थी कि इस किताब को रिव्युअर्स के सामने रखें। यह मेरिट्स पर साउन्ड किताब है, जो एन्क्वायरी चल रही है वह इस किताब पर नहीं चल रही है, इसलिये डाइरेक्टर आफ़ एजूकेशन को रिकमेंड नहीं किया। वह इशारा भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वह कन्सर्न्ड आदमी नहीं रहे। वह रास्ते में ही उड़ा ली गई। यह चीज बहुत पुरानी है। राजप्रमुख के दो भाषण हो चुके और दो बजट भी निकल गए, उनमें कोई जिक्र नहीं किया गया। यह चिट्ठी किसी खास वजूहात के लिए निकाली गई। यह कोई नई चीज नहीं है। आप और हम ऐसा कई दफ़ा करते हैं। मैंने राजप्रमुख के अभिभाषण के समय भी यह कहा था जब कि श्री त्यागीजी ने कोटा के कांग्रेस प्रेसीडेन्ट की बात कही थी उसको फिर दोहराता हूं; सरकार के अफ़सरों और मिनिस्टरों के पास एम. एल. एज़. कई बातें हम एक दूसरे से कह देते हैं, पब्लिक मैन और वर्कर्स के नाते हम आम तौर पर कहते हैं, कहने का हमें हक भी है, हर एक नागरिक का हक है। उस पर क्या फ़ैसला गवर्नमेन्ट करे, क्या फ़ैसला अफ़सर करे, यह उस पर है। किसी को कोई बांध नहीं सकता है। कहने का अधिकार हमको है। इसी आधार पर चिट्ठी लिखी थी। इसके अलावा कोई विचार नहीं था और जो विचार था वह पूरा नहीं हो पाया क्योंकि वह आदमी उससे कन्सर्न्ड नहीं था।

इस खुलासे के बाद अब मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो साथी चिट्ठी लाये हैं वे यहां नहीं हैं फिर भी मुझे कुछ कहना पड़ेगा जब कि इस चिट्ठी के लिखने को भी वे करप्शन कहना चाहते हैं। वे इसी तरह उसे करप्शन कहना चाहते हैं जैसे कि मैंने साथी एच. के. व्यास से पूछा कि आन्ध्र में कम्युनिस्ट कैसे पिट गये तो उन्होंने कहा कि डिब्बे टूट गये, बैलट बोक्सेज चम्पत हो गये। उनको, कांग्रेस की कोई भी इज्जत बढ़ती है, या कोई एक्टीविटी होती है तो वह उनके लिये करप्शन का बाइस बन जाता है। यह उनके सोचने का तरीका है। वे उसको भ्रष्टाचार कहते हैं. लेकिन किसी की चिट्ठी ले आना, उड़ा लाना यह कौन सा 'चार' है। उसका उत्तर तो वे ही दे सकते हैं। वही बताएंगे सदन के सामने क्योंकि उन्होंने यह हौसला किया है।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे साथी श्री एच. के. व्यास ने भी कई दफ़ा हमको, मिनिस्टरों को मजबूर किया। अभी यहां कालेज के अन्दर एडमिशन हुए और इस सिलसिले में हड़ताल भी हुई।

[श्री मथुरादास माथर]

उनके एक कम्युनिस्ट साथी थे, उनको एडमिशन नहीं मिला तो वे कई दफ़ा मुझे बार बार टेलीफ़ोन करते रहे कि प्रिन्सिपल वर्मा को कहकर या एजूकेशन सेक्रेटरी को कहकर इसका एडमीशन दिला दीजिये। यह श्री एच. के. व्यास करते हैं और भी कितनो ही करते हैं। इसको मैं चर्चा नहीं करना चाहता था लेकिन जिस लेवल पर वह उतर आये हैं इसलिये जिक्र कर रहा हूं।

श्री गोपीलाल यादव--अब वे वहां कालेज में काम्युनिज्म का प्रचार कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर--उसका आपको परिचय होगा। मगर मैं आपको कह सकता हूं कि किस तरह का दबाव वह डालते हैं? पी. ए. सी. के मेम्बर के नाते न जाने क्या क्या होता है, उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस चिट्ठी में यह लिखा हुआ है कि "**Keep in view this** book", ज्यादा से ज्यादा तोड़ मरोड़ कर हम यही कह सकते हैं कि यह सिफ़ारिश को है कि इस किताब का खयाल रखें, लेकिन वह सिफ़ारिश की गोली भी उधर लगी जो कि कन्सर्न्ड आदमी नहीं है। वह बेकार गई।

श्री जसवन्त सिंह--गोली तो लग गई।

श्री मथुरादास माथुर--मैं इससे इन्कार नहीं करता कि कई दफ़ा इधर उधर अफ़सरों और मिनिस्टरों की कुछ बातों के लिये व तबादलों के लिये पालीवालजी ने भी कहा होगा। (करतल ध्वनि) वह उस वक्त वाजिब होंगे लेकिन अब बदले हुए वातावरण में वही चीज़ गैर वाजिब बन गई है। मुझे इससे इन्कार नहीं है कि वह चिट्ठी मेरी लिखी हुई है, लेकिन उस चिट्ठी का पूरा हवाला यह है कि चिट्ठी लिखाने वाले को उस चिट्ठी का कोई फ़ायदा नहीं मिला और जिनके नाम से यह लिखी गई थी उनको नहीं मिली। चिट्ठी बीच में ही उड़ाली गई। यह भी कम्युनिस्ट टेक्टिक्स हैं; और रात में अखबारों में प्रचार हुआ। इसके लिये मुझे भी खुशी है कि मेरा नाम मशहूर हुआ।

श्री अध्यक्ष--Why not the day, why only in night (हंसी)

श्री मथुरादास माथुर--अब मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, सदन का समय लिया उसके लिये माफ़ी चाहता हूं व्यक्तिगत मामले को लेकर। इसके ऊपर सरकारी तौर पर एजूकेशन मिनिस्टर ही ज्यादा रोशनी डाल सकेंगे गवर्नमेन्ट के रेकार्डस देखकर। चिट्ठी लिखने के पहले ही उस किताब का फ़ैट तय हो चुका था, इसलिये कोई बात हो तो मिटिगेट हो जाती है।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)--चिट्ठी लिखने का मतलब उस व्यक्ति को नाजायज फ़ायदा पहुंचाना तो था।

श्री माथुर--फ़ायदा नहीं हुआ।

श्री अवनि कुमार मुकर्जी--इन्टेन्शन तो यही था।

श्री अध्यक्ष--The Hon'ble Member must be given full opportunity.

श्री माथुर--श्री मुकर्जी तो एच. के. व्यास का इस मामले में साथ नहीं देंगे, क्योंकि वे सबसे ज्यादा पसंनली मुझे कहा करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर--वे तो कम से कम इस बात की सहायता नहीं देंगे और आगे से भी ख्याल रखेंगे। कम से कम एम. एल एज़. तो मिनिस्टर्स को परेशान न करें कि यह काम करो, इसको तरक्की दे दो; तो कम से कम मैं श्री मुकर्जी से तो आशा नहीं करता कि ऐसा कहें।

श्री वेदपाल त्यागी की आलोचना

श्री वेदपाल त्यागी—इसके अलावा में उस बात का जिक्र नहीं करूंगा जिसको मथुरादासजी लाइटली लिया। रिकमन्ड करना आसान चीज नहीं। एक किताब है, लिख दिया। मैं फैक्ट्स उनके सामने रख दूंगा और यह इतना आसान नहीं जितना कि मथुरादासजी ले रहे हैं और यह एक सोरियस चीज है और सीरियस चीज के लिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हाउस को गौर से विचार करना चाहिये और यदि हाउस के मेम्बर ही इस प्रकार, जिसका सर्विसेज़ पर डिमोरेलाईजिंग इफेक्ट हो, करने लग जायं तो जो सोशलिस्टिक पेटर्न का दावा है वह केवल कागजों की चीज रह जायगी। किसी दिन इसका अवकाश आयगा तो मैं वह बताउंगा। कारण क्या है? वित्त मंत्री गौर से सुनेंगे, कि हममें न मोरल करेक्टर (moral character) है और न करेज (courage) है; इसका अभाव है। एक चाय के प्याले और दो समोसों में हम डिमोरेलाइज हो जाते हैं।

(हंसी)

मैं निवेदन करूंगा कि हमें बड़े गौर के साथ देखने की जरूरत है। यह तो मैंने उदाहरण के तौर पर बताया। इस तरह लाखों रुपया गंगानगर और दूसरे उद्योगों में लगे हुए हैं। क्या एक पाई भी आपको मिलती है और फिर हम यह कहते हैं कि सोशियलिस्टिक पेटर्न पर बजट तैयार किया है, यह कल्याणकारी राज्य का बजट है। यह कल्याणकारी नहीं। कल्याण होता है तो डालमियांजी साहब का होता है किन्तु कल्याण उनका नहीं किया गया जो रात दिन मेहनत करते हैं। कल्याण होता है डालमियां जी का कि जिन पर आप कोई कन्ट्रोल नहीं कर सकते।

इसके अलावा मैं उस बात का जिक्र नहीं करूंगा जिसको मथुरादासजी ने लाइटली लिया; रिकमन्ड करना आसान चीज नहीं। एक किताब है, लिख दिया। मैं फैक्ट्स उनके सामने रख दूंगा और यह इतना आसान नहीं जितना कि मथुरादासजी ले रहे हैं और यह एक सीरियस चीज है और सोरियस चीज के लिये अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हाउस को गौर से विचार करना चाहिए और यदि हाउस के मेम्बर ही इस प्रकार जिसका सर्विसेज पर डिमोरेलाईजिंग इफेक्ट हो करने लग जाय तो जो सोश्यलिस्टिक पेटर्न का दावा है वह केवल कागजों की चीज रह जायगी। किसी दिन इसका अवकाश आयगा और वह किसी दिन आयगा मैं बताऊंगा।

अब १२॥ बज गये हैं।

श्री अध्यक्ष--आप खत्म कर दीजिये।

कार्य-विवरण दिनांक १९-३-५५ के अंश

श्री वेदपाल त्यागी की आलोचना (पूर्व भाषण के क्रम से)

श्री वेदपाल त्यागी--मैं अब सदन का ध्यान उस पत्र की तरफ आकर्षित करूंगा; जो मथुरादासजी माथुर का पत्र सदन में प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन्होंने डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन से यह सिफारिश की है कि इस किताब को जिसका नाम हिन्दी बाल विनोद है और जिसका कोड नं० उस लैटर में दिया है, वह ध्यान में रखी जावे । माननीय अध्यक्ष, सन् १९५१ में जिस वक्त किताबें प्रेस्काइब्ड की गई थीं उस वक्त अखबारों में बड़ा शोर हुआ था और दूसरे लोगों ने भी शिकायतें की थी कि इस संबंध में सरकार की तरफ से बडी धांधली होती है, बडा पक्षपात होता है । इसलिये सरकार ने यह निश्चित किया कि सन् ५२-५३ में जो किताबें प्रेस्काइब्ड की जावें उसके लिये एक रिव्यूअर्स कमेटी मुकर्रर की जाती है । और उसको कोई प्रभावित नहीं कर सके, इसके लिये कोड नंबर बनाये गये और वे कोड नम्बर इस तरह बनाये गये थे कि किसी रिव्यूअर को या पब्लिशर को पता नहीं लग सके और सिवाय एक आदमी को इन कोड नम्बर का पता था कि जिसके पास ये कोड नंबर रखे गये थे । उसके सिवाय उन नम्बरों को कोई नहीं जान सकता था । लेकिन मेरे माननीय मित्र ने कल आसानी से यह कह दिया कि यह तो एक बहुत मामूली सी बात है, मैंने डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन को सिफारिश कर दी । इसके साथ २ उन्होंने यह भी कह दिया कि वह लैटर डाइरेक्टर के पास पहुंचा नहीं और अगर पहुंच जाता तो उसका अर्थ निकलने वाला नहीं था क्योंकि पहले ही रिव्यूअर्स ने उसको नम्बर १ पर ले लिया था और हैड रिव्यूअर ने उसको नम्बर २ कर दिया था ।

मैं निवेदन करूं कि यह वाकया जानकर किया गया है और अपने जवाब में कहा कि यह बिल्कुल असत्य है, इसमें आंशिक सत्य भी नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि रिव्यूअर्स के पास जब किताब भेजी गई, रिव्यूअर्स का यह काम था कि वे किताब को देखें कि आया वह सिलेबस के मुताबिक है या नहीं ? इस किताब को उन्होंने देखा । इस किताब के रिव्यूअर श्री देवराज उपाध्याय थे उन्होंने इसको रिव्यू किया और उन्होंने रिव्यू करने के बाद में यह पाया कि जो सिलेबस पहली किताब के लिए प्रेस्काइब कर रखा है, उसके मुताबिक यह किताब नहीं है । उस सिलेबस में यह रखा था कि उसमें एक से दस तक के पहाडे होने चाहियें, हिन्दी भाषा के संयुक्त अक्षर नहीं आवें, चन्द्र बिन्दु और अनुस्वार नहीं आवें । चुनाचे ये तीनों चीजें इसमें मिलेंगी । इसमें पहाडे नहीं हैं, इसमें चन्द्र बिन्दु और संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया गया है । चुनाचे मैं इस बात को जानता हूं, मैंने इस बात की छानबीन की । यद्यपि मि० देवराज पर दबाव डाला कि इसको मंजूर कर लिया जाय लेकिन उन्होंने रिव्यूअर्स की लिस्ट में जिन २ किताबों को मंजूर किया है उसमें इसको पास नहीं किया । हैड रिव्यूअर के पास वह जाती है । हैड रिव्यूअर थे डा० फैय्याज अली जो जो प्रिन्सिपल, किशनगढ इन्टर कॉलेज थे, उनके पास दबाव जाता है । उनको पांच किताबें मंजूर करनी थीं । सारे राजस्थान को एक से तीन जोन में बांटा गया था और हैड रिव्यूअर को एक से पांच तक की किताबें मंजूर करनी थीं । उन्होंने इस किताब के लिये मना कर दिया । उन पर जोर डाला गया । पर उन्होंने इस किताब

Page No.61

[श्री वेदपाल त्यागी]
को इन्क्ल्यूड नहीं किया और वे इसको इन्क्ल्यूड नहीं कर सकते थे । फिर यह टेक्स्ट बुक्स कमेटी के पास पहुंचती है । टेक्स्ट बुक्स कमेटी को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था । मि० तुलानी एन्ड मि० सहानी इंगलिश के थे, डा० किनी मैथेमेटिक्स सिलेक्ट करते थे, डा० शर्मा और मिसेज् भारतीया हिन्दी सिलेक्ट करते थे और मि० सक्सेना समाजिक ज्ञान के लिये किताबें सिलेक्ट करते थे और मि० कुम्भारे टेक्स्ट बुक्स कमेटी के सेक्रेटरी थे ।

श्री कुंवर जसवन्तसिंह—ये शर्मा कौन थे ?

श्री वेदपाल त्यागी—डा० शर्मा डाइरेक्टर थे ।

तो ये किताबें टेक्स्ट बुक कमेटी के पास पहुंचती हैं और उनका इन्क्ल्यूजन टेक्स्ट बुक कमेटी करती है । यह पत्र डा० शर्मा के पास नहीं पहुंचा है और उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा, यह कहा गया है उसके लिए कि किस प्रकार उन पर असर नहीं पड़ा है । मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सबसे पहले लिस्ट में आती है तो कमेटी के पास आती है जिसमें डा० शर्मा और मिसेज भारतीया मेम्बर थे । मैं यह निवेदन कर दूं और जैसा कि मुझे मालूम है और अध्यक्ष महोदय यदि हाउस चाहे तो सब बातों पर इन्क्वायरी की जा सकती है और यह सारी बातें हाउस के समक्ष आवें । भारतीया ने दो तीन दिन तक इसका बराबर विरोध किया कि यह किताब स्लेबस के अनुसार नहीं है, रिव्यूअर्स और हैड रिव्यूअर ने इसको इन्क्ल्यूड नहीं किया है । तीसरे दिन मिसेज भारतीया नहीं आती हैं और वह किताब लिस्ट में इन्क्ल्यूड होकर गवर्नमेंट के पास पहुंच जाती है । आप देखिये कि पत्र का कितना असर होता है । असर तो इतना हुआ कि यह किताब इन्क्ल्यूड हो गई । उसका यह असर हुआ और जैसा कि माननीय मथुरादासजी कहते हैं कि असर नहीं हुआ । उसका दूसरा असर यह होता है कि राजस्थान को तीन जोन में बांटा गया था, यह किताब पूरे राजस्थान के लिए प्रेस्क्राइब होती है, जब कि यह १।३ हिस्से के लिए होनी चाहिये थी । यह कहा जाता है कि यह तो पहले ही सिलेक्ट हो गई थी और अच्छी किताब थी । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से एक पाठ इसमें से पढ कर सुनाना चाहता हूं जिससे पता लगे कि यह कितने ऊंचे दर्जे की किताब है और ऐसी किताबों को पढा कर हम अपने बच्चों को किस तरह का बनाना चाहते हैं और राष्ट्र का निर्माण करना चाहते है; यह इससे आपको पता लगेगा और इसको रिकमन्ड किया जाता है और यह प्रेस्क्राइब होती है । यह पाठ है पृष्ठ ३६ पर ।

"एक औरत ने कुतिया पाली । वह कुतिया बीमार हो गई । एक चालाक कौआ आता । वह कुतिया पर बैठ जाता । कुतिया चौंकती थी । भौंक नहीं सकती थी । औरत दौड़कर आती और कौआ उड़ जाता । औरत चली जाती तो कौआ लौट आता । कुतिया को बहुत सताता । अंत में कुतिया मर गई ।"

(हंसी)

यह पाठ है । यह सैकिन्ड नम्बर पास हो गई थी और अच्छी किताब है; यह तो एक नमूना है । अगर माननीय सदस्यगण इसको पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि वास्तव में यह किताब पहली क्लास के

Page No.62

[श्री वेदपाल त्यागी]

लिये प्रेस्क्राइब हो सकती है क्या ? यह न प्रेस्क्राइब हो सकती है और न पढ़ाई ही जा सकती है। ऊपर से तुर्रा यह है कि मामूली तरीके पर रिकमन्ड कर दी। मैं मान सकता हूं कि जहां रिकमन्डेशन के लिए काम नहीं चल सकता है कि कहीं किसी को नौकरी दिलानी, जो कि दर दर का भिखारी हो तो मैं मान लूंगा कि आपने रिकमन्ड करके किसी का भला किया है। एक तरफ तो गवर्नमेंट प्रिकाशन लेती है कि किसी को पता नहीं लगे कि किस आदमी की लिखी हुई है, किस पब्लिशर की किताब है, जिसके सिक्रेट नम्बर हैं और उसके लिये मामूली तौर पर सिफारिश कर दी थी। वह सिफारिश मामूली थी और उसका क्या असर हुआ, इसका भी मैं उल्लेख कर देना चाहता हूं। मैं पहले पूछना चाहता हूं कि सिक्रेट नम्बर जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किये थे वे माननीय साथी के पास किस प्रकार आये थे और आये तो क्योंकर उनका उपयोग किया ? ओफिशियल सिक्रेट डोक्युमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाय। ये सिक्रेट नम्बर इसलिए रखे गये थे कि किसी को पता न लगे, यदि पता लग जाय तो वे कमेटी को, हैड रिव्यूअर को और रिव्यूअर्स को इन्फ्ल्यूएन्स कर सके, माननीय अध्यक्ष। आखिर पता लग जाने पर कुछ लोगों को ब्लेक लिस्ट भी किया गया था। नम्बर पता लग जाय और इन्फ्ल्यूएन्स करके किताबें प्रेस्क्राइब करालें इसलिए कुछ लोगों को ब्लेक लिस्टेड किया गया और उनको यह इनाम मिला कि यह किताब राजस्थान के १।३ हिस्से में प्रेस्क्राइब होनी थी उसकी जगह, उस चिट्ठी के असर से, हर एक डिविजन में, पूरे राजस्थान के लिए प्रेस्काइब कर दी गई। और इसका नतीजा क्या हुआ ? नतीजा यह हुआ कि जहां एक लाख की तदाद में ये किताबें छपनी चाहिए थीं वहां वे तीन लाख छपीं और इसकी सवा पांच आना कीमत थी और यदि इसकी एक लाख हर साल बिक्री हुई तो मैं समझता हूं कि पचास हजार रुपया प्रोफिट हुआ। उस लैटर का यह असर हुआ कि एक आदमी को पचास हजार रुपये की जागीर दे दी गई। एक आदमी को सिक्रेट दे दी गई कि जिससे उसने पचास हजार रुपया कमाया इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, मैं यह बताऊंगा और इसमें क्या क्या घोटाला हुआ है; मैं यह निवेदन कर देना चाहता था माननीय अध्यक्ष, कि एक तरफ तो ओफिशियल सिक्रेट को उडाना और दूसरी तरफ जब कि गवर्नमेंट ने इतने प्रिकांशन्स लिये कि किसी को पता न लगे और इससे किसी को इन्फ्ल्यूएन्स न किया जा सके और तिस पर एक ऐसे मेम्बर जो इतने इम्पोर्टेन्ट माने जाते थे और जो इस विभाग के अध्यक्ष रह चुके थे, इस विभाग के मिनिस्टर रह चुके थे और जो एक इन्फ्ल्यूएन्सिव सदस्य सदन के हैं उन्होंने इस प्रकार से अपनी पोजीशन का दुरुपयोग किया और इसलिए किया कि वे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को फायदा पहुंचाना चाहते थे जिनका उनसे डाइरेक्ट सम्बन्ध था। जब यह एक किताब इस तरह से प्रेस्क्राइब हुई थी और एक किताब के लिए इस तरह से लिखा गया था तो इस तरह से अनेक पत्र लिखे गये होंगे। यह तो एक पत्र ही हाऊस के सामने आया है। कहा गया कि कौनसी सभ्यता थी कि जो पत्र लिखा गया उसको छीन लिया गया और ले आये। यह पत्र जो लिखा गया था वह सही हाथों से एक दूसरे के पास से चलता हुआ सदन के सामने आया है। जब इसकी इन्क्वायरी हुई तो पता चलगा कि श्री एच. के. व्यास ने कम्युनिस्ट टेक्टिक्स का प्रयोग नहीं किया और उनके पास यह पत्र आया, जब कि कहा यह जाता है कि उनके पास पत्र नहीं पहुंचा था और उसका कोई असर नहीं हुआ। इस पत्र का नतीजा यह हुआ कि सीनियर हैड रिव्यूअर और रिव्यूअर्स जिस किताब को प्रेस्काइब नहीं करते हैं उस किताब को कमेटी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और उसको तमाम राजस्थान के लिये प्रेस्क्राइब

[श्री वेदपाल त्यागी]

किया जाता है और एक आदमी को पचास हजार रुपये प्रोफिट दिला दिये जाते हैं और ऐसी हालत में यह कहना कि वह तो बेकार का पत्र था, यह निराधार है और बेकार है।

यही नहीं कि यह इतिहास यहीं खत्म हो जाता है यह आगे भी चलता है। जब इस प्रकार की बहुत धान्धलेबाजी हुई तो बहुत से पब्लिशर्स ने मिलकर उस समय के मुख्य मंत्री श्री जयनारायण व्यास को लिखकर शिकायत की। तो उन्होंने यह मामला एन्टी करप्शन विभाग को सुपुर्द किया। एन्टी करप्शन विभाग ने श्री गंगासहाय नाम के एक क्लर्क को गिरफ्तार किया जिसके पास कई प्रकार की चिट्ठियां पकडी गई उसमें न केवल मथुरादासजी माथुर की ही चिट्ठियां थीं बल्कि कई और भी व्यक्तियों की चिट्ठियां थीं जो कि आफिस में बैठे हुए थे। इसके बाद दौड धूप और शुरू हुई कि इस मामले को किसी प्रकार दबाया जाय क्योंकि उसमें एक नहीं अनेक आदमियों पर उसका असर पड़ता था। तीन चार महीने तक इस संबन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। समय लग गया और मेरे ख्याल से अब तक भी कोई इस संबन्ध में कार्यवाही नहीं, सिवाय इसके कि श्री गंगासहाय को सस्पेन्ड किया गया। मेरे खयाल से शायद अभी तक वह सस्पेन्डेड है। कोई खास कार्यवाही अब तक इस संबन्ध में नहीं हुई। समय लग गया, उसके बाद यह किताब प्राइस फिक्सेशन कमेटी के सामने आई। इस कमेटी में चार व्यक्ति थे। एक तो श्री मेक्समूलर कम्पनी के रिप्रेजेन्टेटिव सदरगानी, दूसरे श्री एस. पी. रंगा, डिप्टी सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेन्ट एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट, चौथे हैं डाइरेक्टर आफ एज्युकेशन। शायद उस वक्त अध्यक्ष शिक्षा विभाग का तबादला हो चुका था और दूसरे इस स्थान पर आये थे। जब यह किताब प्राइस फिक्सेशन कमेटी के सामने पहुंची तो इस किताब में कई प्रकार के डिफेक्ट्स निकले। जो पेपर ऐसी किताबों के छपाने के लिये प्रेसक्राइब किया था उस किताब में उस किस्म के पेपर का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिस तरह का कवर होना चाहिये था कवर भी उस किताब का वैसा इस्तेमाल नहीं किया गया और जिस प्रकार की छपाई होनी चाहिये थी वह भी उस किताब की नहीं हुई। कमेटी ने इस पर यह कहा कि हम इसको मन्जूर नहीं करेंगे, इसकी कोई प्राइस फिक्स नहीं करेंगे। इसके अलावा भी उस किताब में और भी कई बातें थीं। जैसे एक किताब के पेज की कीमत फिक्स करते समय एक पाई पर पेज की कीमत आंकी जाती है इस किताब में बहुत होशियारी से छपाई की गई, केवल भूमिका छः पेज में लिखी गई जिससे छः पाई और कीमत बढ गई। जब यह बात सामने आई कि प्राइस फिक्सेशन कमेटी ने यह निर्णय किया है कि हम इसको प्राइस फिक्स नहीं करेंगे तब इस लैटर का असर पडता है। इस लैटर का असर यह हुआ। प्राइस फिक्सेशन कमेटी पर दबाव डाला गया कि प्राइस फिक्स करनी पडेगी। तो उन्होंने १० हजार रुपये पेनेल्टी के भरने पर उसकी सिफारिश कर दी और वह एक साल के लिये प्रेसक्राइब की गई और उस पर यह तय हुआ कि साल भर के बाद ऐसी किताबों को जिन पर पेनेल्टी ली गई है नेशनेलाइज किया जायगा। उस दस हजार की रिकमन्डेशन का क्या होता है कि शिक्षा विभाग १० हजार की बजाय ३ हजार में ही उसकी किताब को मन्जूर कर लेता है जिसकी बिक्री ३ लाख किताबों की सालाना होती है। इस संबन्ध में मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जब ऐसी किताबों को जो पेनेल्टी से ली जाती हैं और जिनको नेशनेलाइज करने का सवाल था तो आज जब मार्च का महिना गुजर रहा है, आज तक उसको नेशनेलाइज करने की कोई विज्ञप्ति नहीं

[श्री वेदपाल त्यागी]

निकाली गई । क्या आपका यह इरादा है कि आप हमेशा के लिये इसको जारी रखना चाहते हैं ? तो इसका मतलब यह होगा कि किसी को ५० हजार, किसी को ४० और किसी को ६० हजार रुपये की इससे जागीर मिल गई । यह है उस पत्र का नतीजा जिसके लिये यह कहा जाता है कि इस पत्र से कोई ऐसी बात नहीं हुई । इस प्रकार की रिकमन्डेशन्स तो होती ही रहती हैं । माननीय अध्यक्ष, यह कोई मामूली रिकमन्डेशन्स नहीं थीं । इस पत्र से डाइरेक्टर आफ एज्यूकेशन को इनफ्ल्युएन्स किया गया, उनको इनफ्ल्युएन्स करने का तरीका था और वह भी एक व्यक्ति के लिये जो आपका संबन्धी है और घर पर रहता था । जिनके लिये कहा जाता है कि ये पोलिटिकल सफरर्स हैं उनको मदद पहुंचाने के लिये यह पत्र लिख दिया था । अगर वे उनका पूरा नाम लेते तो सदन को पता पड़ सकता था । केवल उन्होंने 'गणपत' इतना ही कहकर टाल दिया । उनका पूरा नाम श्री गणपतलाल माथुर है । माथुर होने के साथ साथ माननीय साथी के बहुत नजदीकी रिश्तेदार भी हैं जो कुछ दिनों तक उनके घर पर भी रहे थे । ऐसी हालत में यह कहना कि यह पोलिटीकल सफरर्स थे, मुझे जहां तक मालूम है कि सन् ४७ तक तो इनका पोलिटिक्स में कहीं नाम तक भी नहीं था । हां, सन् ४८ में इन्होंने एक अखबार जरूर निकाला है । अगर एक अखबार निकालने को ही आप पोलिटिकल सफरर मान लेते हैं व यही आपका मापदंड है तो आज ऐसे सैकड़ों अखबार निकालने वाले आपको मिल जायेंगे । क्यों नहीं आप उनको पोलिटिकल सफरर के नाते मदद करते हैं ?

कुंवर श्री जसवन्तसिंह --हम भी तो पोलिटिकल सफरर हैं ।

श्री त्यागी --(अपना भाषण जारी रखते हुए) आपको पोलिटिकल सफरर होने का तो इनाम मिल ही रहा है ।

इसलिये माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यह मामला इतना मामूली नहीं कि इसको यह कहकर टाल दिया जाय कि मैंने मामूली तरह से यह सिफारिश कर दी थी । ऐसा कहना कोई मायने नहीं रखता । इसके लिये मैं सदन से यह निवेदन करूंगा कि अभी हमारे देश में डेमोक्रेसी की शुरुआत है, जनतन्त्र हमारे देश में बच्चा है । ऐसी हालत में हमें बहुत सतर्क होकर चलना है । अभी थोड़े दिन पहले हमने अखबार में पढ़ा था कि किसी प्रकार का कार्य एक पार्लियामेन्ट के मेम्बर थे श्री मुद्गल उन्होंने भी किया था, जिन लोगों में वे इन्टरेस्टेड थे । पार्लियामेन्ट के मेम्बर होने के नाते अपना इनफ्ल्युएन्स काम में लिया था उसकी जांच के लिये पार्लियामेन्ट द्वारा एक कमेटी बैठाई गई और अन्त में कमेटी की रिपोर्ट पर उनको हाउस से अलग कर दिया गया । उस कमेटी की एक सदस्या श्रीमती दुर्गाबाई भी थीं जिन्होंने अपनी सिफारिश लिखते हुए इसके लिये कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किये हैं कि हमारे सदस्यों का कन्डक्ट किस प्रकार होना चाहिये, उनको किस प्रिन्सिपल को फोलो करना चाहिये, उन रिकमन्डेशन्स को मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा । हम केवल यह कह कर इस बात को दृष्टि से ओझल नहीं कर सकते कि यह मामूली रिकमन्डेशन थी, मामूली लेटर लिखकर दे दिया गया । यह मामूली लेटर नहीं था, इस लेटर से आफिशियल सिक्रेट आउट करने का उन पर जुर्म बन सकता है क्योंकि पहले वे भी इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं, सदन के मेम्बर हैं अगर वे इस हालत में किसी सीक्रेट को आउट करते हैं तो उनको प्रोसीक्यूट किया जा सकता है । अगर ऐसा नहीं होता है

[श्री त्यागी]

तो मैं सदन से निवेदन करूंगा कि उनको इस प्रकार की कार्यवाही को टोलरेट नहीं करना चाहिये। मैं माननीय अध्यक्ष से इस संबन्ध में प्रार्थना करूंगा कि वे इस संबन्ध में देखें कि वाकई यह मामला क्या है और सदन को भी इस मामले को गौर से देखना चाहिये ताकि सदन इस संबन्ध में कुछ निर्णय ले सके।

मैं अब सदन का ध्यान उस पैराग्राफ की ओर आकर्षित करूंगा जो श्रीमती दुर्गाबाई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है।

"I give below a number of illustrations based on certain standards by U.K. and U.S.A. and the standards of parliament expected from them:

(1) A member should not try to secure business from the Government or a firm company or association with which he is directly or indirectly concerned.

(2) A member should not unduly influence the Government officers or the Ministers either directly or indirectly.

(3) A member should not elicit information from the Government in an unauthorised manner by inducing a subordinate to give information which in the course of his normal functions he should not give.

(4) A member should not encourage any person to speak to him against senior officials in matters of public importance and policy.

(5) A member should not write recommendatory letters or speak to Government officers or employment or business contracts with any relations or other persons in whom he is directly or indirecly interested."

माननीय अध्यक्ष, जो लोग कानून जानते हैं वे इस शब्द का भी प्रयोग जानते हैं कि बेनामी भी एक चीज है। जिसमें सिर्फ नाम के लिये किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता है और फायदा किसी दूसरे व्यक्ति को होता है और मामला कुछ दूसरा ही होता है। इसलिये जो यह मामला सदन के सामने आया है वह केवल लेटर से ही ताल्लुक नहीं रखता, उससे हमारे मोरल स्टैन्डर्ड को आंका जा सकता है। आज जब कि डेमोक्रेसी का श्री गणेश है इसलिये हमारे लिये बहुत आवश्यक है कि हम अपने कन्डक्ट को ठीक रखें ताकि डेमोक्रेसी ठीक से चल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस मामले को जरा गौर से देखें और गौर से देखने के बाद जो कुछ आप उचित समझें इस पर कार्यवाही करें।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—प्रोन ए, पोइन्ट आफ आर्डर सर, गत दो या तीन दिन से इस सदन में हम जो वातावरण देख रहे हैं और जो बातें सुन रहे हैं उससे हमें और इस सारे सदन को बहुत दुख हो रहा है। जो कई प्रकार के चार्जेज और एलीगेशन्स (allegations) यहां कुछ सदस्यों पर

Page No.66

[कुंवर श्री जसवन्तसिंह]

लगाये गये वे इतने सीरियस हैं कि इस सदन का कोई भी सदस्य, छोटा हो या मोटा हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, या एक्स चीफ मिनिस्टर हो या फोर्मर मिनिस्टर हो; वह तो दूर रहा लेकिन किसी मामूली सदस्य के लिए भी यह एक ऐसी बात बन गई है कि हम राजस्थान के विधान सभाई दुनिया के सामने अपना मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहे हैं। चाहे यह बात सत्य हो या असत्य हो, परन्तु एक ऐसी घटना हो गई है और ऐसे एक माननीय सदस्य के मुताल्लिक जो कि इस राजस्थान में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं; वह जोधपुर के एक मंत्री रह चुके हैं . . .

श्री अध्यक्ष—Come to the Point of Order.

श्री जसवन्तसिंह—I am coming to explain why I have raised a point of order. If you allow me two minutes, because it is a question of the honour of this House and as an humble member of this House, I particularly feel very sorry about this incident and as to the point of order I am coming to the point if you give me just two minutes to explain why I have raised this point of order.

राजस्थान के वह मंत्री रह चुके हैं। आज मंत्री नहीं हैं तो भी जो रूलिंग पार्टी है उसके चीफ व्हिप हैं और उनकी पोजीशन मंत्री से भी कहीं अधिक ऊंची है . . . .

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—Is a speech allowed before a point of order is raised?

श्री जसवन्तसिंह—I am coming to the point of order!

श्री बृजसुन्दर शर्मा—First he should say the point of order.

श्री जसवन्तसिंह—My point of order is this that nowhere in any legislature in the world allegations of this type can be allowed on the floor of the House by a Member against another Member.

मेरे मित्र की पोजीशन को जानते हुए और उनके सिद्धान्तों को जानते हुए यह समझता हूं कि सदन के लिए और मेरे मित्र के लिए जो वाइल्ड एलीगेशन्स (wild allegations) चाहे वाइल्ड हों या असत्य हों, अपने ओनर को विन्डीकेट करने के लिए खासकर चीफ मिनिस्टर साहब को इस हाउस का ओनर विन्डीकेट करने के लिए, माननीय सदस्य का ओनर विन्डीकेट करने के लिए इसको फौरन एक इम्पार्शयल इन्क्वायरी के सुपुर्द कर दें। मैं जानता हूं कि आप इसको पसन्द नहीं करेंगे। हम नहीं टालरेट कर सकते हैं इस बात को कि ऐसे प्रतिष्ठित और पोजीशन वाले माननीय सदस्य पर इस तरह का इस सदन में एलीगेशन लगाया जाय। यह सदन के लिए कोई नई बात नहीं है, हमारे सदन के लिए कोई नई बात नहीं है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। मेरा प्रेक्टिकल एक्सपीरियन्स है कि जहां पर कि सदन में इस तरह की . . . .

श्री अध्यक्ष—What is the point of order?

Page No.67

श्री जसवन्तसिंह—The point of order is this that this question.......

श्री अध्यक्ष—The point of order will be decided by the Chair while other points will be decided by the House or the enquiry point by the Chief Minister or other Members of the House. If there is a point of order I am here to decide.

श्री जसवन्त सिंह—As a Member of this House, as an humble member of this House I request through you to the Chief Minister and also request to the Hon'ble Member that to vindicate the honour of the House the challenge should be accepted and an enquiry be instituted.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अच्छा होता कि मैं जवाब दूं तब तक इन्तजार किया जाता। मैं तो इस बारे में जवाब दे दूं कि फैक्ट्स क्या हैं..

श्री मथुरादास माथुर—On a point of personal explanation, I have to say something. Yesterday I requested to you before Mr. Tyagi opened his speech that I must be given an opportunity to.......

श्री अध्यक्ष—If it is on the point of personal explanation, I allow.

श्री मथुरादास माथुर—In regard to all the charges levied by Mr. Tyagi I must explain except that portion which concerns the Government, which of course the Chief Minister or the Education Minister will explain but since Mr H.K.Vyas placed this letter before the House, I explained the whole thing before the House. Later on, yesterday after I had soken Mr. Tyagi had tried to.

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, अगर माननीय सदस्य हिन्दी में बोलेंगे तो ज्यादा लोग समझ सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—जोश में हैं इसलिये अंग्रेजी में बोल रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर:—माननीय अध्यक्ष, सदन के सामने साथी त्यागीजी ने जो कुछ बातें कहीं वे आपने सुनीं। वे बातें कुछ उस किताब के मुताल्लिक हैं जिसकी चर्चा सदन में कल और परसों हुई थीं।

वैसे तो मैं कल जो बातें कह चुका हूं उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता, लेकिन दो तीन बातों को कहना बहुत ही जरूरी समझता हूं, क्योंकि वैसे त्यागीजी के मुंह से कोई बात निकले मुझे उसका कोई अफसोस नहीं होता। उनका हमारा खाता है......

श्री अध्यक्ष—Will it not be proper if there is anything more to come, let it come and then you give further explanation. If some more Members want to say let them say and then I will give you an opportunity to explain yourself.

श्री मथुरादास माथुर—Right, Sir

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, सदन के नेता का उत्तर

श्री मोहनलाल सुखाडिया —श्री मथुरादासजी की चिट्ठी को लेकर काफी वाद-विवाद सदन के अन्दर खडा किया गया। काफी भावनाओं को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया गया, और कोटा से आने वाले माननीय मित्र जब कह रहे थे कि रिव्युअर्स और हैड रिव्युअर ने जिस किताब को रिजेक्ट कर दिया उस किताब को इस चिट्ठी के कारण डाइरेक्टर ने लागू करके इतने हजार का फायदा पहुँचाने की कोशिश की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई आक्षेप आता है तो उसके प्रति मैं काफी सजग हूं और जो माननीय सदस्य कहते हैं, उसके खिलाफ जांच करना आवश्यक समझता हूं कि माननीय सदस्यों को उसके तथ्यों से अवगत कराया जाय। मैं समझता हूं कि वास्तविकता यह है कि जो रिव्युअर्स की कमेटी बैठाई गई थी उन रिव्युअर्स की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट २१-१२-५२ को अपनी तरफ से दी और उस रिपोर्ट के अन्दर उन्होंने उसको, 'बेस्ट बुक' यह रिमार्क देकर उस किताब को रिकमन्ड किया। उसके बाद हैड रिव्युअर के सामने वह किताब गई और उसके अन्दर, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अन्दर उसको नंबर २ बेस्ट बतलाकर आगे फारवर्ड को। जो कमेटी, टेक्स्ट बुक कमेटी, जिसके डाइरेक्टर भी मेम्बर थे, और जो रिपोर्ट हैड रिव्युअर ने भेजी उस रिपोर्ट की डेट ८-१-५३ है और जिस मथुरादासजी की चिट्ठी का जिक्र किया जा रहा है उसकी तारीख १०-१-५३ है; हैड रिव्युअर्स और रिव्युअर्स ने अपनी रिपोर्ट २१-१२ और ८-१-५३ को भेजी हैं और जो रिपोर्ट भेजी हैं उसकी मैंने आपके सामने वस्तुस्थिति रखी है। उस रिपोर्ट के बाद कमेटी ने वह किताब गवर्नमेन्ट के सामने रिकमन्ड करके भेजी। तीन जोन्स में राजस्थान को डिवाइड किया हुआ था उन तीन जोन्स के अन्दर दो जोन्स में इस किताब को लागू किया जाय और एक जोन के अन्दर एक दूसरी किताब को लागू करने की सिफारिश की गई थी। उसके मुताबिक निर्णय किया जाय; २ जोन्स में इस किताब को लागू किया जाय और एक जोन के अन्दर एक दूसरी किताब को जिसका कि १।१६ नम्बर था उसको लागू किया था, लेकिन टेक्स्ट बुक्स के संबंध में जैसी कि उसमें गडबड हुई और उसके ऊपर एन्क्वायरी कायम की गई, उसके परिणाम स्वरूप जो १।१६ नंबर की किताब थी उसको ब्लैक लिस्ट किया गया और उसके ब्लैकलिस्ट करने की वजह से इस किताब को तीनों जोन्स के अन्दर लागू किया गया। यह वस्तुस्थिति है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रिकमन्डेशन्स जो हुई हैं डेटवाइज़ आपके सामने रखी हैं। उससे स्पष्ट हो जाता है कि रिव्युअर्स और हैड रिव्युअर्स की रिपोर्ट के आधार पर यह हुई है। रिकमन्डेशन के विपरीत होने पर इस लेटर ने इन्फ्ल्युएन्स करने में क्या पार्ट प्ले किया है? मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा मैं इस वाद-विवाद के अन्दर नहीं पड़ना चाहूंगा। इससे सारी स्थिति जो है वह आपके सामने स्पष्ट है।

दूसरी एक और बात बातचीत के दौरान में कही गयी है। बैलट पेपर्स के बारे में अभी चर्चा यहां पर की गई। यह कहा गया है कि बैलट पेपर्स छपवाने में मिनिस्टर का हाथ रहा है। माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि अच्छा होता कि वह उतनी बात न कही जाती। फिर जो तथ्य सदन के समक्ष पेश किये गये हैं उसमें एक कोई श्री आर. के. गुप्ता हैं उनकी चिट्ठी को रखा गया है, और उसको आधार बनाकर मंत्री को बीच में लाने का प्रयत्न किया गया है। मैं समझता हूं कि किसी आफिसर ने चिट्ठी लिखी, उसका कारण जानना होगा। मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि चिट्ठी में खास

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

तौर से लिखा है कि रेड इन्क में बैलट पेपर तैयार किये जांय । अगर मैं गलत नहीं समझा हूं तो उस चिट्ठी में इस प्रकार की बात है । यह संभव हो सकता है कि बैलट पेपर्स तैयार कराये गये हों कि लोगों को समझा सकें कि बैलट पेपर किस प्रकार का होता है । इंक का स्पेशली इसमें जिक्र किया गया है वर्ना यह हो सकता है कि जैसे बैलट पेपर्स दूसरे पब्लिश किये गये हैं वैसे ही हजारों बैलट पेपर्स छपवाकर भेज दिये जायं । इंक के स्पेशली मेन्शन करने का प्रश्न क्यों आता । वर्ना यह कहा जा सकता था कि वैसे ही एक हजार बैलट पेपर्स मेरे पास चुपचाप भिजवा दिये जांय । तो यह जांच की बात है । मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इसकी जांच कराऊंगा । यदि इस प्रकार की जो बातें यहां पर लाते हैं उन बातों को यहां पर लाने के बजाय मुझसे कह देते तो उसकी जानकारी में निश्चित तौर से प्राप्त करता । यह मानकर चलें कि कोई भी जैसा पिछले समय में मैंने इस सदन में कहा था जब कि मेरे माननीय मित्र कुम्भारामजी के संबंध में जो अखबारों में छपा था उस बात को किये हुए १०-१२ रोज होगये हैं; की बजाय अखबारों में निकालने के असली चीज को मेरे सामने रखें तो मैं एक्शन लूंगा । दुख के साथ, माननीय अध्यक्ष, मैं कहता हूं कि इतना अरसा रखा गया लेकिन कोई मेरे सामने नहीं आये जो आकर असली चिट्ठी देते और इन चीजों को सामने रखते । चूंकि यह सरकार कायम होगई है और बहुत बडी गडबड हो, न मालूम क्या होने वाला है; इस प्रकार का वातावरण पैदा करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है । नोटिस देकर कार्यवाही करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं ।

द्वितीय सत्र, १९५५

कार्य-विवरण दिनांक ४-१०-५५ का अंश

श्री वेदपाल त्यागी द्वारा पुनः उठाये गये प्रश्न पर वाद-विवाद

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, I want to ask one thing ? मैंने एक नोटिस मोशन मूव किया, माननीय मथुरादासजी माथुर, जिनके लिये यहां पर एक आरोप था उसके संबन्ध में कि उनके कन्डक्ट की जांच कराई जाय । उस मोशन के संबन्ध में पता नहीं लग सका है कि उसका क्या हुआ ? यह मोशन पिछले सत्र में भी दिया गया था लेकिन पिछले सत्र में तो हाउस एकदम एडजर्न हो गया और वह नोटिस लैप्स होगया अब मैं यह जानना चाहूंगा कि उसका क्या हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उसके लिये काफी उत्सुक हैं तो ६ तारीख उसके लिये तय कर ली जाय ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह ६ तारीख को क्या लिया जायगा ? त्यागीजी का मोशन लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—यह मोशन जो है, जिसका अभी श्री वेदपालजी त्यागी ने जिक्र किया है वह एडमिट कर लिया गया है और जैसा कि लीडर ऑफ दी हाउस ने बताया कि ६ को ले लें या **that** will be taken within this week or the next week.

Page No.70

श्री वेदपाल त्यागी--जब हाउस को मूट करे तभी ले लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--That will be taken within this week or the next week.

श्री हरिकृष्ण व्यास--उस मोशन को पढ कर सुना दें जो कि एडमिट हुआ है ।

श्री अध्यक्ष--That will be circulated.

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह अच्छा हो कि वह पढ़ कर सुना दें ।

श्री अध्यक्ष--That is not on the Order Paper.

कार्य विवरण दिनांक १३ अक्टूबर, १९५५ का अंश

श्री वेदपाल त्यागी के प्रस्ताव की प्रस्तुति के सम्बन्ध में वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष--For the time being we suspend legislative business. Now we take next item on the agenda; the motion which was tabled by Shri Vedpal Tyagi. Just as I have done in the case of these two motions, (Motions regarding Navyug press and Shri Damodor lal Vyas) I would like to hear about the admissibility of this motion also.

श्री वेदपाल त्यागी--अध्यक्ष महोदय,..............

(श्री मोहनलाल सुखाडिया बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--When the leader stands .. ..

(श्री त्यागी के बैठ जाने के पश्चात्)

श्री मोहनलाल सुखाडिया--अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री त्यागी जी ने जो प्रस्ताव भेजा है उसके संबन्ध में पहले भी, पिछले सेशन में भी कुछ वाद-विवाद हुआ था और मैंने उस वक्त जाहिर किया था कि उस पर कोई इन्क्वायरी कमेटी या दूसरी कमेटी कायम करने की आवश्यकता नहीं है जितनी भी मैंने जांच की उसको देखते हुए । दूसरी बात यह निवेदन करूं कि श्री मथुरादासजी ने एक मेम्बर ओफ असेम्बली की हैसियत से कोई ब्रीच ओफ प्रिविलेज या और कुछ किया है तो इस प्रकार की बात मेरी निगाह में नहीं है । लेकिन फिर भी ४ अक्टूबर को विधान सभा के कार्य के लिये जो परिपत्र प्रसारित किया गया था उसमें इसको एडमिट कर लिया गया था और उसके लिये तारीख तय करने की बात बाकी थी । यहां पर भी मेरा यह ख्याल है कि शायद ४ अक्टूबर को माननीय त्यागी जी ने यह मांग पेश की थी कि इस पर कब विचार

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

किया जायगा । मैंने निवेदन किया था कि ६ अक्टूबर को उस पर विचार किया जाय । माननीय अध्यक्ष ने यह फरमाया था कि अगले हफ्ते में या उसके बाद इसको विचार के लिये यहां रखा जायगा । मैं इस समय इसके मेरिटस् या लीगल आस्पेक्ट्स या और किसी चीज पर न जाता हुवा क्योंकि यह एक सदन के माननीय सदस्य के कंडक्ट का प्रश्न है और काफी लम्बे अर्से से यह चलता आ रहा है, मैं समझता हूं हम इसकी एडमिसिबिलिटी पर वाद-विवाद करें उसके बजाय जो पहले नोटिस निकला है, अध्यक्ष महोदय ने यह फरमाया है और जब इस पर विचार करना ही है तो फिर वाद-विवाद में न पड़ कर हम इसे एडमिटेड समझ कर आगे बढ़ें ।

श्री जसवन्त सिंह—I have got Constitutional difficulty and I want to say a few words. May I say?

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री जसवन्त सिंह—Mr. Chairman, Sir..........sorry.

Mr. Speaker, Sir, I have got some constitutional difficulties in regard to these and I have to say a few words.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member is influenced by the association of the Chairman who sits by his side.

(हियर-हियर)

श्री जसवन्त सिंह (विरोधी दल के नेता)—अध्यक्ष महोदय, यह पार्लियामेन्टरी पद्धति है कि जब २ किसी खास सूरत में जो हमारी कमेटीज पार्लियामेन्टरी बनाई जाती हैं उनके अलावा एडहोक कमेटी भी सदन द्वारा नियुक्त की जाती हैं और ये एडहोक कमेटीज किसी विशेष बात को लेकर नियुक्त की जाती हैं । सीधी सी बात के लिये हमारे रूल्स ओफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ओफ बिजनस में प्रोविजन किया जाता है इसलिये विशेष समितियों की आवश्यकता नहीं पड़ती । आज के विषय के लिये एक विशेष कमेटी की नियुक्ति करने का प्रस्ताव एक माननीय सदस्य ने पेश किया है और वह एक बहुत ही उच्च कोटि के दूसरे माननीय सदस्य के कंडक्ट के लिये है इसलिये माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि वह बिल्कुल दुरुस्त है और एक करेक्ट स्टेप है । लेकिन जहां तक मैं इन बातों की जानकारी रखता हूं ऐसी एडहोक कमेटी का दूसरे माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पेश न करके यह सदन के नेता द्वारा ही इस प्रकार का प्रस्ताव सदन के सामने रखा जाता है । लेकिन ऐसी एडहोक कमेटीज नियुक्त करने का जब तय हो जाता है उसके पहले कुछ प्रिलिमिनरीज या उसके पहले कुछ ऐसे कार्य करने अनिवार्य हो जाते हैं जिनके बगैर इस प्रकार की कमेटीज नहीं नियुक्त की जा सकतीं । मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से यह निवेदन करूंगा कि यह प्रणाली भी हम पाश्चात्य देशों से और खास कर मदर ओफ पार्लियामेन्टस या जिसे सदन की माता का रूप दिया जाता है, विलायत की

[श्री जसवन्तसिंह]

पालियामेन्ट से, अपनानी पड़ती है या हम प्राय: उसकी नकल करते हैं। हमारे संविधान में भी ऐसा ही लिखा है कि जब तक हम अपने खुद के रूल्स नहीं बनालें तब तक हम उनका अनुकरण कर लेंगे। तो इस प्रकार की एडहोक कमेटी नियुक्त करने का सवाल सदन के सामने आया है । मैं निवेदन करूंगा कि यह सदन के लिये वाजिब नहीं होगा कि ऐसी कमेटी की नियुक्ति करें जब तक कि कुछ प्रिलिमिनरी काम नहीं कर लिया जाय और उसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि जब कभी माननीय सदस्यों के लिये किसी विधान सभा, किसी संसद या हाउस आफ कामन्स के माननीय सदस्यों के कंडक्ट के प्रति कोई एडहोक कमेटी नियुक्त करने का सवाल आता है तो यह अनिवार्य होता है कि कुछ प्रिलिमिनरी काम किया जाय ।

वह प्रिलिमिनरी काम क्या है अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि एक पुस्तक है, जिसे कहते हैं study of practice and procedure on the conduct of a member. उसके पेरा ११ ओन पेज ४ को ओर माननीय अध्यक्ष महोदय में आपके द्वारा इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । यह जरूरी हो जाता है कि इतने प्रतिष्ठित माननीय सदस्य के कंडक्ट का सवाल जब सदन के सामने आवे तो उस पर अच्छी तरह से सदन गौर करे । वे एक ऐसे सदस्य हैं जो मेरे परम मित्र हैं । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह सवाल तय हो जाय ताकि पता चले कि गलती कहां तक है ? तो पेरा ११ कमेटी आफ कंडक्ट आफ मेम्बर्स स्टडी आन प्रेक्टिस एंड प्रोसीजर में यह बिल्कुल साफ लिखा है कि जब एडहोक कमेटी अपोइन्ट हो, उससे पहले यह कार्यवाही की जाय ।

और मैं यह जानना चाहूंगा, मुझे मालूम नहीं है कि यह कार्यवाही कर ली गई है या नहीं ? नहीं की गई है तो कमेटी मुकर्रर करने का डिस्कस करने का सवाल इस समय पैदा नहीं होता । यह कार्यवाही होनी जरूरी है, इससे पहले कि सदन में इस पर बहस की जाय ।

"Committee on the Conduct of a Member" जो है वह इस प्रकार है :—

"The Speaker as the guardian of rights and privileges of the House, the Members and Committees thereof satisfies himself that before a motion of this character is brought in the House, the evidence, the explanation of the Member and such other facts as are relevent to the case are conclusive for further investigations of the matters by a Parliamentary Committee and it is only after he has applied his mind to the fullest possible extent and come to his own conclusion that he allows such a motion being placed on the order paper. Then again he ensures that the motion is drawn up in proper terms so that there is no defect in the procedural machinery."

माननीय अध्यक्षजी, यह बात इतनी स्पष्ट है और इतनी साफ है कि इस पर दो मत कभी हो नहीं सकते । वैसे इस पार्लियामेन्टरी हिस्ट्री में जहां तक मेरी जानकारी है दो केसेज पार्लियामेन्ट की लाइफ में आये हैं । एक तो इंगलेन्ड में बूथसे का १६४० में मि० बूथसे (बूथ) संसद के पार्लियामेन्ट के मेम्बर थे । उस पर विचार किया गया तो पहले स्पीकर को जो अध्यक्ष कहलाते हैं, प्रिलिमिनरी

Page No.73

[श्री जसवन्तसिंह]

इन्क्वायरी करनी पड़ी और उनको सेटिस्फेक्शन हो गया कि प्राइमाफेसी बनता है तो संसद में लाया गया था।

हिन्दुस्थान में भी इसी प्रकार का केस हमारी संसद के सामने आया। मुद्गल नामक हाउस ओफ दी पीपुल्स के एक सदस्य थे। उनके कन्डक्ट के मुतल्लिक कुछ इन्क्वायरी की आवश्यकता पड़ी, उस वक्त भी माननीय अध्यक्ष जो थे हाउस ओफ दी पीपुल के उनके सामने यह समस्या आई और उन्होंने आवश्यक पैसेज की पूरी २ जानकारी जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उनके लिये निकाली। उसी पुस्तक का ११ पैरा मैंने इस वक्त पढ़ कर सुनाया। तो मैं जानकारी चाहूंगा माननीय अध्यक्षजी कि क्या यह केस राइट है कि इस सदन के सामने आये? क्या माननीय अध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट हो गये हैं कि साफ प्राइमाफेसी केस माननीय सदस्य के प्रति स्पष्ट हो गया है?

एक दूसरे माननीय सदस्य ने इस सदन के सामने इस प्रस्ताव को पेश किया है। क्या वे उस प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के समय साथ में सम्मिलित किये गये हैं, उनकी क्या दलीलें हैं, उनकी क्या क्या जानकारी इस मामले में है; इसकी जानकारी माननीय अध्यक्ष द्वारा कर ली गई है? और क्या लीडर आफ दी हाउस ने इसके मुतल्लिक कोई कार्यवाही की है, की है तो किस हद तक की है, क्या इन सब बातों की जानकारी माननीय अध्यक्ष को है?

यह मेरा कॉन्स्टीट्यूशनल आब्जेक्शन है। अगर यह सब नहीं किया गया है तो यह इस स्टेज में सदन के सामने लाने में इम्मेच्योर है, प्रीमेच्योर है और इस कॉन्स्टीट्यूशनल पाइन्ट के कारण सदन के सामने नहीं आ सकता। हमारा कन्वेन्शन इतना स्पष्ट है कि इसकी पाबन्दी इंग्लैंड में होती है और भारत में संसद में हुई है। जो मैंने पढ़ कर सुनाया है उससे साबित हो जाता है कि यह एक कान्स्टीट्यूशनल सवाल है। इस पर निर्णय दें तभी यह सवाल सदन में आ सकता है।

जहां तक माननीय मुख्य मंत्रीजी का सवाल है कि इसको एक दम बहस के लिये ले लिया जाय मैं नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि हमें कन्वेन्शन की ओर भी देखना पड़ेगा, वैसे मैं खुद यह चाहता हूं कि यह सवाल जल्दी से जल्दी तय हो जाय, पर यह कॉन्स्टीट्यूशनल पाइन्ट पैदा हो जाता है, हमें कॉन्स्टीट्यूशन की पाबन्दी करनी लाजिमी है।

तो मैं निर्णय चाहूंगा कि क्या माननीय अध्यक्ष पर यह पाबन्दी नहीं है? अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि यह कॉन्स्टीट्यूशनल सवाल है, इसको तय करके बाद में ही इसे लिया जाय।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल——माननीय अध्यक्ष, यहां इस प्रस्ताव के सबन्ध में एक संक्षिप्त सा इतिहास है। जैसा कि माननीय सदन के नेता ने बताया, सदन के गत अधिवेशन में इस सम्बन्ध में चर्चा हुई और इसके बाद यहां इस प्रस्ताव के बारे में एक रोज कोटा से आये हुये माननीय सदस्य ने, इस प्रस्ताव के प्रस्तावक से पूछा कि उसके बारे में क्या निर्णय है? आपने, जहां तक मुझे याद है, अपना उत्तर दिया कि आप इस प्रस्ताव को एड्मिट कर चुके हैं।

[श्री गुलाबचन्द कासलीवाल]

इसके बाद इस प्रस्ताव का मेम्बर्स को सर्कुलेट किया और निर्णय दिया कि इसी सप्ताह में या आगामी सप्ताह में लिया जायगा।

इस तरह के विचार होते हुए भी आपने यह उचित माना कि सदन में इस बात का विचार किया जाय कि यह प्रस्ताव एडमिजिबल है या नहीं ?

इसी को देते हुए सदन के माननीय नेता ने निवेदन किया कि ऐसे प्रस्ताव को एडमिट करने में कोई आपत्ति नहीं। इन बातों पर विरोधी दल के नेता ने जो कहा वह it is just like placing the cart before the horse.

Just otherwise.

सीधी सी बात है कि पहले इस प्रस्ताव को एडमिट किया जाय अथवा नहीं किया जाय, इसका निर्णय होना चाहिये। यह निर्णय किये जाने के बाद इस प्रस्ताव पर डिस्कशन करने का प्रश्न उपस्थित होता है। अतः जैसा कि माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा है इस पर बाद में विचार किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—Any other hon'ble member wants to say anything only on the issue raised by the Leader of the Opposition..........constitutional only.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, जो आज का एजेन्डा पेपर हमें मिला है उसमें इस बात का हवाला है कि इस प्रस्ताव पर असेम्बली में विचार होगा। चार तारीख को जो सक्यूंलर हमें मिला था उसमें यह लिखा था कि आदेशानुसार श्री वेदपाल त्यागी द्वारा दिये गये निम्नांकित प्रस्ताव (जिसकी सूचना इस सचिवालय में दिनांक २२-६-५५ को प्राप्त हुई है) की एक प्रति सदस्यों की सूचनार्थ प्रेषित की जाकर सूचित किया जाता है कि यह प्रस्ताव सदन में शीघ्र ही (इस सप्ताह में या आगामी सप्ताह में) लिया जायगा और उस दिन प्रश्न पर, जहां तक मुझे याद है एडमीशन के प्रश्न पर निर्णय हो चुका था। सवाल जो हमारे सामने है वह एडमीशन का नहीं, प्रश्न यह है कि इस सिलसिले में सदन में क्या प्रोसीजर फोलो किया जावे और उस पर विरोधी दल के नेता ने कहा कि इस पर प्रोसीजर निश्चित तौर पर दिया हुआ नहीं है और जब नहीं दिया हुआ है तो मैं कहूंगा कि इस प्रोसीडिंग्ज को मोशन की लेवल पर लिया जावे। मेरी यह दरख्वास्त है कि एडमीशन हो जाने के बाद अब इस सिलसिले में जैसा कि एक प्रिविलेज मोशन के साथ होता है वैसा ही प्रोसीजर फोलो किया जाव और चूंकि सदन के नेता महोदय को भी इसमें कोई एतराज नहीं है कि इसको एडमिट मान कर चला जावे और अब जो इस पर वाद-विवाद होगा उस पर भी कोई एतराज नहीं, तो मैं यह अर्ज करूंगा कि इसे एक प्रिविलेज का मोशन मान कर चलना चाहिये। प्रस्तावक महोदय ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति चाही जिसको स्वीकृति ....

(प्रकाश चले जाने के कारण)

श्री अध्यक्ष —Just go on. We will be able to hear.

श्री हरिकृष्ण व्यास — (जारी) यह प्रस्ताव प्रिविलेज कमेटी के सुपर्द कर दिया जावे। ऐसा किया जाना चाहिये। क्योंकि इसके लिये ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इसको भी उसी लेवल पर लिया जाना चाहिये जैसे हम प्रिविलेज को मोशन लेते हैं। इन शब्दों के साथ मैं तो यह प्रार्थना करूंगा कि एडमिशन का प्रश्न चूंकि हल हो गया है और इस पर निर्णय ले लिया गया है और इस पर सदन के नेता को भी ऐतराज नहीं है इसलिये सदन को ऐतराज है या नहीं इसके लिये १५। १६ मेम्बर खड़े होकर अपनी अनुमति जाहिर करने पर इस प्रश्न को प्रिविलेज मोशन की तरह हाउस के सुपुर्द कर दिया जावे।

अब यदि यह प्रोसीजर फोलो करने की आपकी इच्छा नहीं है और इसको मामूली सामान्य प्रस्ताव मानते हैं तो ऐसी स्थिति में इसके एडमिशन का प्रश्न किस आधार पर हो सकता है? जैसा कि आज के परिपत्र पर लिखा है कि इसको एडमिसीबिलीटी पर निर्णय करने के हेतु प्रारंभिक विचार होगा। इसकी लेटेस्ट स्टेज यह है कि इसको सामान्य प्रस्ताव नहीं माना गया। इसको विशेष स्टेटस का माना गया है। मैं यह कहूंगा कि इसको विशेष रूप में लिया जावेगा और अपने रूल्स ओफ प्रोसीजर में रूल ८३, ८४, ८५ में इसका जिक्र है। एमेन्डमेंट और मोशन के साथ साथ इसका जिक्र किया गया है। जहां कहीं मोशन का जिक्र किया है उसके साथ साथ एमेन्डमेंट का भी किया गया है :

"A motion or amendment may not be moved in a form different from that in which it appears............

A motion or amendment shall not refer to.............

If a motion or amendment is not moved it shall be deemed to have been withdrawn."

ये मैंने रूल्स ८३, ८४ और ८५ में से कुछ अंश आपको पढ़ कर सुनाये हैं। तो अपने रूल्स ओफ प्रोसीजर में सामान्य प्रस्ताव के रूप में माना जाता है, तो इसकी स्थिति एमेन्डमेंट की तरह होती है। एडमिशन का प्रश्न नहीं आता। चूंकि आया, जो एक कोने में है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जिस लेवल पर अब तक माना है वैसे ही माना जावे और एडमिसिबिलीटी की रजाबन्दी को हल करने के साथ-साथ इसको प्रिविलेज मोशन के स्टेटस में माना जावे।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल —Mr. Speaker, Sir, on a point of order. The point is this that it is very clear in the May's Parliamentary Practice, page 378; that motions of this character are substantive motions and not privilege motions.

श्री एच. के व्यास—Then there is no question of admission. substantive motion is *ipso facto* admitted on the day it is put on the order paper.

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल —That is what my contention is,

श्री हरिकृष्ण व्यास —But at the moment the discussion

श्री अध्यक्ष —No discussion.

श्री कपिलदेव अग्रवाल —माननीय अध्यक्ष, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। माननीय विरोधी दल के नेता ने दो प्रश्न किये हैं कि जो शायद उन्होंने मुद्गल के कस को स्टडी करके देशमुख ने वहां के स्पीकर से किये और वे ही प्रश्न यहां पर किये गये हैं। यह एक सबसीडिअरी मोशन है, इसको स्वीकार किया जावे या नहीं यह माननीय स्पीकर का कर्तव्य है कि इसको स्वीकार करने के पहले वह किसी किस्म की इन्क्वायरी करें या नहीं। यह स्पीकर के डिस्क्रिशन पर है। मुद्गल क केस से यह जाहिर होता है कि किसी सदस्य के कन्डक्ट के बारे में अगर किसी किस्म का शक हो तो इन्क्वायरी करनी चाहिये, लीडर ग्रोफ दी हाउस को सारी इन्क्वायरी से अवगत करना चाहिये। लेकिन मौजूदा परिस्थिति में हमें मालूम नहीं कि माननीय अध्यक्ष ने कोई इस संबन्ध में इन्क्वायरी की या नहीं और की तो क्या हुआ ? अब तो प्रश्न यह है कि माननीय अध्यक्ष ने इस मोशन की इजाजत दे दी है। आज उसके बाद यह मोशन सदन के सामने है, तो अब क्या यह स्टेज है कि जो मोशन सदन के सामने है, सदन की सम्पत्ति है, माननीय अध्यक्ष उसको अपने अधिकार में लेकर उसकी एडमिसिबिलिटी का फसला दे चुके हैं। जब माननीय अध्यक्ष ने, विरोधी दल के नेता ने श्री त्यागी के प्रश्न के उत्तर में स्पष्टतया यह कह दिया है कि उनका मोशन एडमिट हो चुका तो फिर क्या दुबारा यह मोका है कि इसकी इजाजत दी जावे या न दी जावे। चाहे उसका कारण कुछ भी हो, तो अब इस पर विचार करना क्या कानूनन वाजिब है ? जहां तक मैं समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष ने जब एक बार अपना निर्णय दे दिया है, अपना निर्णय दे चुके हैं तो उसको दुबारा देने का अधिकार बाकी नहीं रह जाता है। इसलिये श्री वेदपाल त्यागी का मोशन सदन के सामने है। इस पर सिवाय इसके कि सदन में विचार किया जावे कोई दूसरा चारा नहीं है। इसलिये यह प्रश्न माननीय विरोधी दल के नेता ने उठाया कि आपने इन्क्वायरी की या नहीं और की तो उसका क्या नतीजा हुआ, यह स्टेज अब नहीं है। यह तो उस वक्त तय होना चाहिये था जब माननीय अध्यक्ष इस मोशन की स्वीकृति देते।

ऐसी स्थिति में हमको इस मोशन पर ही विचार करना चाहिये। जहां तक प्रिविलेज मोशन का सवाल है मेरे खयाल से श्री वेदपाल त्यागी जिन्होंने कि यह मोशन रखा है वे खुद महसूस करते हैं कि यह मोशन ब्रीच ग्रोफ प्रिविलेज का नहीं हो सकता क्योंकि ब्रीच ग्रोफ प्रिविलेज नहीं हुआ है। उन्होंने इसीलिये सेपरेट मोशन रखा है जो अपने यहां बिजनेस रूल्स में प्रोवाइड नहीं, सिर्फ रूल ८३ में जनरल मोशन का प्रोविजन है कि कोई सदस्य कोई मोशन पेश कर सकता है, बशर्ते कि उसका नोटिस सात दिन पहले दे। तो चाहे आप इसका मोशन कहिये, चाहे आप इसको रिजोल्यूशन कहिये क्योंकि रूल ८३ में इसका नाम मोशन रखा हुआ है। रिजोल्यूशन रख दें वह प्राइवेट मेम्बर्स डे में जा सकता है लेकिन चूंकि एक मोशन रेज्यूलूशन के रूप में है और जब रूल्स में वह मोशन के नाम से दिया हुआ है तो इसको मोशन के रूप में ही मान कर माननीय वेदपालजी त्यागी ने प्रस्तुत किया है और सारी कार्यवाहियां जो कि एक मोशन के लिये पूरी होनी चाहिये वे सब पूरी हो चुकी हैं। वे नोटिस दे चुके हैं, माननीय अध्यक्ष ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी है, हाउस में वह सर्कुलेट हो चुका है और हाउस में अपना निर्णय

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

श्री माननीय अध्यक्ष दे चुके हैं; सिवाय इसके कि हाउस में यह मोशन विचारार्थ आये और कोई चारा नहीं रहता है ।

दूसरी यह दलील है कि इसको प्रिविलेज मोशन की दलील पर लिया जाय । यह मेरे खयाल से उचित नहीं होगा क्योंकि इसमें माननीय सदस्य के कण्डक्ट का सवाल है और मुद्गल के केस का उदाहरण हमारे सामने मौजूद है और इसलिये इसको प्रिविलेज मोशन के रूप में नहीं लिया जायगा । इसे सबस्टेण्टिव मोशन के रूप में लिया जाय और ऐसा समझ कर ही माननीय अध्यक्ष ने उसको स्वीकृत किया है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि बजाय इस दलील में अपना समय नष्ट करें कि यह एडमिसिबल है या नहीं है, यह मान कर चलें कि माननीय अध्यक्ष ने इसकी स्वीकृति दे दी है, सबस्टेण्टिव मोशन है उसी पर विचार करना चाहिये और इस पर सदन के माननीय नेता ने भी स्वीकृति दे दी है इसलिये ओरिजिनल मोशन पर ही विचार कर अपनी राय प्रकट करें ।

श्री तर्नसिंह--माननीय अध्यक्ष, अभी मेरे पूर्व.....

श्री अध्यक्ष--Only on the constitutional issue.

The members are just a little drifting away from the main point.

श्री तर्नसिंह--जो अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है वह बहुत कुछ उन बातों के ऊपर जो सदन के विरोधी दल के माननीय नेता ने कहा था उसके समर्थन में कुछ नहीं कहा, जो कुछ बातें कही गईं वे एडमिसिबिलिटी और इनएडमिसिबिलिटी, जिसका कि विवाद अनायास ही बीच में चल पड़ा है, के बारे में बातें कहीं । मेरा निवेदन यह है कि जो कन्वेन्शन्स अभी हमारे सामने कोट किये गये हैं वे ऐसे कन्वेन्शन्स हैं जिनके ऊपर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिये और उसके साथ साथ यह देखना चाहिये कि ये ऐसे हेल्दी कन्वेन्शन्स हैं जिनका पालन करने में किसी भी व्यक्ति को गौरव अनुभव हो सकता है । वह यह है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति चाहे वह सदन का माननीय सदस्य ही क्यों न हो, उसके आचरण के विषय में, उसके कण्डक्ट के विषय में, उसके विषय में छींटा कशी करें उसके पहले यह अनुभव कर लिया जाना चाहिये कि जिस व्यक्ति के प्रति छींटा कशी की जा रही है अथवा जो छींटा कशी करते हैं उनका उत्तरदायित्व क्या है, छींटा कशी करने से पूर्व अनुभव करें; जो कुछ शब्द कहें उन पर मनन करें । इसके लिये यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति हमारे सामने आवे हमें यह प्रतीति होनी चाहिये, हमें यह विश्वास होना चाहिये, जिस किसी व्यक्ति के विषय में हम कहें वास्तव में उसके योग्य पात्र हैं । जो विरोधी दल के नेता ने कहा उस संबंध में निवेदन करूंगा कि किसी व्यक्ति के संबंध में, कोई विशेष व्यक्ति हमारे सामने है, कल कोई दूसरा आ सकता है परसों तीसरा आ सकता है और इसी प्रकार परम्परा बनी रहेगी तो और हर एक व्यक्ति किसी के विरुद्ध कुछ कहता रहेगा और हम ऐसी स्थिति पर पहुंच जावेंगे कि जो सदन के लिये उपयुक्त नहीं होगा, सदन की प्रतिष्ठा के लिये उचित नहीं होगा; इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि किसी व्यक्ति को छींटा कशी का पात्र बनावें इसलिये अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जो प्रस्ताव आचरण के विषय में हों उन पर स्वयं पहले तसल्ली

[श्री तर्नसिंह]
करें और जब उनको तसल्ली हो जाय कि यह प्राइमाफेसी केस बनता है तो वह सदन की मेज़ पर आना चाहिए; यह बात दूसरी है कि वह एडमिट हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा और आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि एक बात जो नियमों के द्वारा आ गई है और यदि फिर भी आप उसको अनुचित समझेंगे तो मैं नहीं मानूंगा कि आप उस अनुचित बात को ठीक करने के लिये तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन नियमों के द्वारा आपको अधिकार हैं कि आप किसी भी नियम को कुछ समय के लिये निरस्त कर सकते हैं। मेरा खयाल है कि यह एडमिट कर लिया गया है और जब एडमिट कर लिया गया है, वाद-विवाद हुआ है दोनों प्रश्नों के औचित्य और अनौचित्य की अपेक्षा यह महत्वपूर्ण है कि जो विषय ले रहे हैं यहां उस विषय के आने पर जिस उत्तरदायित्व का अनुभव होना चाहिये उसको निभाने की भावना होनी चाहिये वह महत्वपूर्ण है। इसलिये दूसरे पर एक दूसरा छींटा-कशी करे, एक दूसरा एक दूसरे पर बाहें कस कर ऊंची चढ़ाने को तैयार हो उसके पहिले यह उचित होगा कि अध्यक्ष मार्ग-दर्शन दें और यदि प्राइमाफेसी केस बनता हुआ नजर में आये तो रिजोल्यूशन को एडमिट करके सदन के सामने अनायास लाया जाय। इतना ही अर्ज करूंगा।

श्री वेदपाल त्यागी —माननीय अध्यक्ष, बहुत थोड़ा ही बोलूंगा। इस मोशन के संबंध में दो पहलुओं पर विचार करें। एक यह है कि जब मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने यह कहा कि जल्दी ही लिया जायगा तो वह आया एडमिट हो गया या नहीं? यदि एडमिट हो गया है तो जो प्रश्न माननीय विरोधी दल के नेता ने आज उपस्थित किया है वह कितने महत्व का है और उस पर सदन की क्या स्थिति होनी चाहिये उसके विषय में विचार व्यक्त किये। आज के एजेण्डे पर जब मैंने देखा तो मुझको भी कुछ अचम्भा हुआ। एक बार मेरा मोशन सर्कुलेट कर दिया और आपने सदन में भी कहा था कि इसको इस सप्ताह में या अगले सप्ताह में लिया जाय तो मैं यह समझे था कि यह एडमिट हो गया। तो मोशन की नेचर और उसकी एडमिसिबिलिटी को देखते हुए मैं यह सोचता हूं कि एडमिसिबिलिटी के लिये यह इसलिये रखा गया है कि आया जो मोशन प्राइवेट मेम्बर की ओर से आया है उसको फुल्ली डिस्कस करने दिया जाय? हमने देखा होगा कि जब सदस्यों के आचरण के संबंध में मोशन टेबल हो जाता है और बहस शुरू हो जाती है तो प्रत्येक सदस्य को बोलने का हक होता है। इस तरह आचरण सदन में डिस्कशन का विषय बने उसको रोकने के लिये आज तक परम्परायें चली आ रही हैं, उनको देख कर मुझे प्रतीत हुआ कि सम्भवतः आप सम्मति लेना चाहते हैं सदन की कि आया किस तरह से इस मोशन को डील किया जाय। इस संबंध में मैंने जितना पढ़ा मुझे यह मालूम हुआ कि जब किसी सदस्य के आचरण के विषय में कोई वाकयात प्रस्तुत होवें तो ऐसी सूरत में सदन के नेता, जिनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वे सदन की डिग्निटी को बनाये रखें, चाहे वह सदस्य किसी भी पार्टी का क्यों न हो, किसी भी गुट का क्यों न हो। ऐसे समय में उनको एक बड़े निष्पक्ष भाव से सदन की डिग्निटी को बनाये रखने के लिये एक प्रोसीजर को एडोप्ट करना पड़ता है और उसमें अध्यक्ष महोदय को भी बहुत बड़ा पार्ट अदा करना पड़ता है।

इसका प्रोसीजर अब तक यह रहा है कि जो कुछ भी होता है, हुआ है, जितने भी केसेज़ इस प्रकार के हुए हैं उनको देखने से मालूम यह होता है और इसका प्रोसीजर यह है कि जो कुछ भी फ़ैक्ट्स सामने

[श्री वेदपाल त्यागी]

आते हैं सदन के नेता उन फ़ैक्ट्स के संबंध में अपनी जानकारी प्राप्त करते हैं और उस जानकारी के बाद वे अध्यक्ष महोदय के समक्ष उपस्थित करते हैं और फिर अध्यक्ष यह देखते हैं कि यह प्राइमाफ़ेसी केस बनता है और फ़ैक्ट्स की इन्क्वायरी करना जरूरी है तो सदन के नेता प्रस्ताव पेश करते हैं और उस प्रस्ताव पर बहस करने की इजाजत नहीं दी जाती। जब प्रस्ताव आता है उस समय प्रस्ताव के साथ थोड़े से फ़ैक्ट्स का उल्लेख कर दिया जाता है और वह सदन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। हमारी पार्लियामेन्ट में जब इस प्रकार का केस आया तो वहां पर यह इजाजत दी गई कि जिस सदस्य के संबंध में प्रस्ताव आता है उसके संबंध में वह अपना एक्स्प्लेनेशन दे, उसके एक्स्प्लेनेशन के बाद में सदन के नेता का प्रस्ताव आता है और उसे स्वीकार किया जाता है या कमेटी के सुपुर्द किया जाता है। मैं समझता हूं इस प्रोसीजर से बहुत बड़ी बचत रहती है; सदस्य की प्रतिष्ठा की बचत, सदन के समय की बचत। सदन में यदि इस प्रकार प्रस्ताव पर बहस होती है तो सदन में ऐसी बातें भी कही जाती हैं जो बातें नहीं कही जानी चाहियें। ऐसी अवस्था में ऐसी सरकम्स्टान्सेज में मैं नहीं समझता कि शायद इसकी उपयुक्तता देखने के लिये या इसकी एडमिसिबिलिटी के लिये सदन के सामने रखा गया हो। यह बात नहीं।

मैं यह निवेदन करूं अगर सदन के माननीय नेता इस प्रोसीजर को जो अभी तक अपनाया गया है अपनाने के लिये तैयार हैं तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो अपने प्रस्ताव को वापिस ले। इस संबंध में आपको याद दिला दूं कि इस विषय में मैंने एक पत्र भी माननीय अध्यक्ष को लिखा था। उसमें यह लिखा था कि आप गुड आफ़िसेज इस्तेमाल करके सदन के नेता को परस्युएड करें और दूसरी परम्परा कायम न होने दें, जो आज तक इस संबंध में कायम की गई हैं उससे। किन्तु मुझे खेद है, जो इन्क्वायरी की गई जैसा कि सदन के नेता द्वारा कहा गया, क्या उन्होंने प्रस्ताव कर्ता को एसोसियेट किया या नहीं यह भी देखने की बात है। मैं माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये सदन के नेता को बताना चाहता हूं कि इस संबंध में हमें कुछ भी मालूम नहीं हुआ कि इन्क्वायरी की गई या नहीं। इसलिये मेरे लिये यह ज़रूरी होगया कि मैं मोशन को सदन के समक्ष पेश करूं। अब जब कि सदन के सामने यह मोशन आगया तो अब यह देखने की बात है कि आज तक जो प्रोसीजर ऐसे प्रस्तावों के संबंध में काम आता रहा है क्या उससे नया प्रोसीजर हम फ़ोलो कर सकते हैं। इस संबंध में मैं यह निवेदन करूं कि यह एक बहुत महत्व का प्रश्न है। इस संबंध में सदन के माननीय नेता ने और विरोधी दल के नेता ने एक प्रश्न खड़ा किया, वह भी एक महत्व का प्रश्न है। उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं और यह निवेदन करूंगा सदन के नेता से कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें और ऐसी परम्परा न डालें जिसके लिये आने वाली संतति हमारे लिये यह कहे कि हम लोग वास्तव में डेमोक्रेसी की परम्पराओं पर चलने योग्य नहीं थे। इस डेमोक्रेसी के युग में जैसा कि आपने कहा प्रजातन्त्र आज यहां एक नवजात शिशु है, तो ऐसी अवस्था में हमें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिये। ऐसे जो महत्वपूर्ण मोशन्स हों उनमें आज तक जो परम्परा चली आ रही है उसको डेविएट नहीं करना चाहिये; जहां तक हो सके उन्हीं को कायम रखना चाहिये। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अगर मुझको इजाजत दी जाती है कि मोशन एडमिट कर लिया गया है तो मैं मोशन मूव करूंगा। अगर आप उस पर विचार करना चाहते हैं, आपकी

[श्री वेदपाल त्यागी]

ड्यूटी है, जो पवित्र ड्यूटी है; न केवल सदन को बल्कि सदन के प्रत्येक सदस्य को डेमोक्रेटिक परम्पराओं की रक्षा करना आपके हाथ में है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर विचार किया जाना चाहिये विचार कर तहकीकात करें और तहकीकात में आप मुझको भी एसोसियेट करें । उसके बाद आप जिस नतीजे पर पहुंचें उसके बाद सदन में डिस्कशन कर सकते हैं । इस तरह से हम आज तक जो परम्परायें चली आरही हैं उसको कायम रख सकते हैं, यह हमारे सदन के लिये और साथ ही साथ सदन के उन माननीय सदस्य के लिये जिनके आचरण का प्रश्न उपस्थित हो रहा है, सब के लिये हितकर होगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा-सा स्पष्टीकरण कर दूं क्योंकि कुछ मेरे से संबंध रखने वाली बातें कही गई हैं । पिछले सेशन के अन्दर जब यह प्रश्न उठाया गया था उसके बाद मैंने उन सब बातों के संबंध में जांच की है । बिना जांच किये न मैं कोई निर्णय कर सकता हूं और न मैंने कभी बिना जांच किये राय देने का प्रयत्न ही किया है और उस जांच करने के अन्दर जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा इस बात का खयाल रखा है कि यह बहुत गंभीर प्रश्न है । इस प्रकार के प्रश्न और कहीं उठाये गये हों या नहीं और उन पर क्या क्या किया गया इस बात पर अभी जाने की आवश्यकता नहीं । लेकिन जो रिपोर्ट, जो जो सूचनायें मेरे पास प्राप्त होती रहीं उन सब को मैंने अध्यक्ष महोदय के पास भेजने का प्रयत्न किया और मैं यह आपके जरिये माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर मुझे जरा भी इस बात का विश्वास हो जाता और इस चीज के अन्दर जिस माननीय सदस्य के खिलाफ मोशन लाया गया वे दोषी हैं तो बिना झिझक के मैं इस चीज को मूव करता । लेकिन जो कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई; जैसे मुद्गल केस के बारे जिक्र किया जाता है । जब हम इस मोशन के वाद-विवाद में जायेंगे, उसके मेरिट्स पर जायेंगे तब वे सब चीजें सदन के सामने स्पष्ट रूप में आजायेंगी । इसलिये अभी यह समय नहीं कि हम इस सारे वाद-विवाद में जायं ।

मैंने जो कुछ इस मामले में किया इस बात को खयाल में रखते हुए किया कि यह मामला एक सदस्य का है और वह सदन के सदस्य हैं; अतः जो कुछ भी हम निर्णय करें उसके पीछे काफी गंभीरता होनी चाहियें और इसके साथ साथ मुझ से भी यह आशा की जाय कि इन सब चीजों को निष्पक्षता के साथ लूं । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से आशा करूंगा कि किसी माननीय सदस्य के कन्डक्ट के बारे में जब हम विचार करें तो अपने राजनैतिक विचार या व्यक्तिगत विचार को सामने रखकर न करें; इस सारे मामले पर शान्त मस्तिष्क से विचार करें ।

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय—–––

श्री अध्यक्ष—Only about the constitutional point.

श्री टीकाराम पालीवाल—अध्यक्ष महोदय, जो परिस्थिति त्यागीजी के मोशन से सदन के सामने उपस्थित हुई है वह इस सदन के लिये अभूतपूर्व है । लेकिन ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेन्ट में इस प्रकार की स्थिति पहले पैदा हुई थी । ब्रिटिश हाउस आफ कॉमन्स में इस प्रकार की स्थिति आई होगी, याद नहीं पड़ता ।

श्री जसवन्तसिंह :—मैंने अपने भाषण में बताया था कि सन् १९३९ में बूथ्से का केस आया था।

श्री पालीवाल (जारी) :—यह ठीक है, कभी कभी ऐसी स्थितियां आई हैं जब कि ब्रिटिश हाउस आफ़ कामन्स और थोड़े से काल में हिन्दुस्तान की पार्लियामेन्ट को ऐसी ही एक कमेटी किसी सदस्य के आचरण के बारे में नियुक्त करनी पड़ी। कोई नियम इत्यादि इस विषय में बने हुए नहीं हैं इसलिये जो परम्परायें हैं उन्हीं के आधार पर चलना संभव हो सकता है। यह भी ठीक है, कई दफ़ा नई परम्परायें भी डालनी आवश्यक हो जाती हैं किसी विशेष पाइन्ट पर। उन्हीं परम्पराओं का अनुसरण करना चाहिये जब तक कि नई परम्परा डालने की आवश्यकता न हो जावे और उस संबंध में जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा बहुत गंभीरतापूर्वक और अत्यन्त निष्पक्ष भाव से न केवल प्रस्तुत विषय के बारे में ही विचार करना चाहिये बल्कि आगे का ध्यान भी रखना होगा कि जो कुछ करने हम जा रहे हैं उससे भविष्य के लिये स्वस्थ परम्परा स्थापित हो सके।

आज के इस जनतन्त्र के प्रतिनिधित्व के काल में हम इस प्रकार की परम्परायें डालें जो आगे के लिये चलकर एक प्रकार की मिसाल साबित करने वाली चीज बनें।

मैंने जो निवेदन किया वह इसलिये कि जो प्रश्न इस समय सदन के सामने है उसके संबंध में आज तक जो भी मामले इस प्रकार के आये, आज तक जो भी इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं उनमें भी यही हुआ है कि किसी सदस्य के आचरण के बारे में किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बातें मालूम हुई हैं वे बातें पहले सदन के नेता के सन्मुख रखें। सदन के नेता ने उस जानकारी को पूर्ण करने के लिये और अपनी छानबीन की और ये जो दो केसेज बूथ्से के और मुद्गल के थे इन दोनों में यही हुआ। इनके मामले में सदन के नेता को पहले पहल जानकारी दी गई। सदन के नेता ने फिर अपनी जानकारी को पूरा करने के लिये और छानबीन करनी जितनी आवश्यक थी की, और स्पीकर महोदय को भी इस जानकारी से अवगत किया। दोनों ही केसेज में यही ले डाउन किया गया है कि जब पूरी जानकारी के आधार पर सदन के नेता और स्पीकर दोनों ही इस बात से सन्तुष्ट हो जावें कि अमुक सदस्य के विरुद्ध कोई प्राइमाफ़ेसी केस है तब ही वह मोशन सदन के सामने लाया जाता है और सदन के नेता ही उसे लाते हैं। यहां तक कि मोशन का प्रस्ताव भी और सम्भवतः उसके टर्म्स भी अध्यक्ष की सहमति से नेता द्वारा तय की जाती हैं। इसका एक ही दृष्टिकोण रहता है और वह यह कि इस प्रकार का विषय गम्भीर भी होता है और नाजुक भी होता है जिनके बारे में शुरू में ही सदन में कोई वाद-विवाद खड़ा करना उचित नहीं होता, शोभास्पद भी नहीं होता। इसलिये ये सारे अहतियात बरते जाते हैं कि सदन के नेता और सदन के अध्यक्ष दोनों इस जानकारी को पूरी तरह से करें। दोनों का एक मत बनता है कि अमुक सदस्य के विरुद्ध कोई प्राइमाफ़ेसी केस है। तब फिर वे दोनों अपनी सम्मिलित सहमति से एक विशेष शब्दावली में उसे तैयार करें और फिर वह मोशन हाउस के सामने आवे। परम्परा यह रही है इस प्रकार के मोशन्स पर। क्योंकि किसी सदस्य के आचरण की छानबीन और जांच के संबंध में सदन में इतने थोड़े समय में उस सारी डिटेल पर विचार नहीं किया जा सकता, सारी चीजें थोड़े समय में आ नहीं सकतीं इसलिये कोई समिति नियुक्ति करदी जाती है। यह समिति

[श्री टीकाराम पालीवाल]

विशेष प्रकार की होती है। प्रिविलेज कमेटी को यह काम सुपुर्द नहीं किया जा सकता जैसा कि एक माननीय सदस्य ने इसके लिये प्रोपोज किया है। इसका क्षेत्र तो बिल्कुल सीमित है, निश्चित है। इसमें न देकर के ब्रिटिश हाउस ग्राफ़ कामन्स में भी ग्रौर लोकसभा में भी इस प्रकार का जहां प्रश्न ग्राया वहां विशेष समिति ही नियत की गई, वही नियुक्त होनी चाहिये ग्रौर हुग्रा करती है।

लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया माननीय ग्रध्यक्ष, कि नेता का सहमत होना ग्रावश्यक इसलिये ग्रधिक है कि वह शुरू में ही वाद-विवाद का प्रश्न न बन जावे। सहमत होकर ऐसी समिति की नियुक्ति की जावे ग्रौर फिर वहां धैर्य, शान्ति के साथ, निष्पक्ष रूप से हर एक चीज की जांच हो, जरूरत हो तो ग्रौर गवाहियां भी वह समिति ले, जहां से भी जिस प्रकार की भी पक्ष-विपक्ष में जितनी मिसालें ग्राती हों उनको शान्ति व धैर्य के साथ देखा जावे, एक कोर्ट की तरह से, एक ग्रदालत व न्यायालय की तरह से। न्यायालय, एक कानूनी न्यायालय नहीं, पर एक प्रतिष्ठा का ग्रौर पार्टी जैसा कहती है उस तरह से उस चीज को जांच करे ग्रौर ग्रभी तक जो दो उदाहरण सामने ग्राये हैं एक हाउस ग्राफ़ कामन्स का ग्रौर एक हमारी लोकसभा का उनमें यही हुग्रा है; इसी प्रकार का फिर मोशन किया गया ग्रौर हाउस के वोट से वह पास किया गया बिना किसी बहस के वह मन्जूर भी किया गया। समिति की नियुक्ति हुई, समिति ने जांच की ग्रौर जो रिपोर्ट उसकी ग्राई उसको भी बिना किसी बहस के स्वीकार किया गया। तो यह इसलिये है कि जो नाजुक मामला है, व्यक्तिगत ग्राचरण का मामला है वह इतने बड़े सदन में ठीक तरह से जांच का विषय नहीं हो सकता। वह समिति इसके लिये बननी चाहिये।

दुर्भाग्य से या किसी भी संयोग से यहां पर एक ग्रजीब ढंग से यह मामला ग्राया। इस मामले की जानकारी, जैसा कि होना चाहिये पहले सदन के नेता के पास नहीं ग्राई। वह सीधा सदन में रक्खा गया, व इसकी जानकारी सीधी सदन के सामने ग्राई।

इसके बाद जैसा कि सदन के नेता ने कहा है, यह जानकारी सदन में ही सही, ग्राने के बाद ग्रौर उसकी छानबीन उनके द्वारा की गई ग्रौर उससे उनका जो मत बना है वह उन्होंने व्यक्त की है। लेकिन इससे फिर एक बड़ी पेचीदा स्थिति सदन के सामने पैदा हो गई है। एक ग्रोर सदन के नेता का मत यह बना है कि कोई प्राइमाफ़ेसी केस नहीं बनता है तो दूसरी ग्रोर ग्रध्यक्ष महोदय ने जब इस मोशन को सदन में पेश करने के लिये एडमिट कर लिया ग्रौर जैसा कि कहा जाता है ग्रापने एडमिट कर लिया त्यागीजी के मोशन को, तब यह मानने लगते हैं कि यदि उनके पास भी इसकी पूरी जानकारी ग्रागई, जैसा कि सदन के नेता कहते हैं कि उन्होंने इस मामले में ग्रापको भी पूरी पूरी जानकारी दी है ग्रौर उस जानकारी के होते हुए यदि इसको ग्रापने एडमिट किया है तो हमें यह मानना होगा कि ग्रापके विचार से यह एक प्राइमाफ़ेसी केस बनता है जिस पर कि ग्रापने इसे एडमिट किया है; तो सदन के सामने एक विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है कि एक ग्रोर नेता का कहना है कि उनके ख़याल से कोई भी प्राइमाफ़ेसी केस नहीं बनता, दूसरी ग्रोर इसे प्राइमाफ़ेसी केस बना हुग्रा मानकर एडमिट कर लिया गया है। तो हम लोगों के लिये यह इत्मीनान करने के ग्रलावा ग्रौर कोई रास्ता नहीं रहता कि यह ग्रापके विचार से

[श्री टीकाराम पालीवाल]

प्राइमाफ़ेसी केस है। यह एक विचित्र परिस्थिति है और ऐसी स्थिति, मेरे खयाल से, किसी भी सदन के सामने पहले नहीं आई। इसलिये मैंने पहले शुरू में यह कहा है कि यह अभूतपूर्व स्थिति है और यह अभूतपूर्व इसलिये बन गई है कि सदन के नेता का दूसरा मत है और सदन के अध्यक्ष का दूसरा मत है। मैं समझता हूं कि हम एक विचित्र परिस्थिति में फंस गये हैं और यह एक ऐसी चीज है कि जिसको साफ किया जाना चाहिये।

अगर इसके लिये नया रास्ता निकालना हो तो निकालना चाहिये, सोच समझ कर हमें यह सब करना चाहिये। उतावली में कहीं हम गलत परम्परा न डाल दें, यह देखना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पहले सदन के नेता और आप दोनों मिलकर इस चीज की अधिक बारीकी से जांच करें और उसके बाद सदन के सामने ऐसे रूप में यह चीज आनी चाहिये कि जिससे यह मालूम न हो कि सदन के नेता का इस विषय में कुछ दूसरा मत है और जिस जानकारी के आधार पर उनका यह मत है उसी जानकारी के आधार पर आप उसको दूसरी निगाह से देखते हैं। अगर यह प्राइमाफ़ेसी केस है तो सदन के नेता का भी यह मत बनना चाहिये और अध्यक्ष की दृष्टि में भी यह प्राइमाफ़ेसी केस होना चाहिये। और अगर नहीं है तब फिर वह दोनों के मत से नहीं होना चाहिये।

तो इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस सदन को दुविधा की स्थिति में आप न डालें और एक बार फिर पहले इस मामले को आप अच्छी तरह से देखें, इसकी जांच करें और तब एकमत से इसको वहां लाना उचित समझें तो लावें, इस सदन का अब तक का जो स्वस्थ मार्ग रहा है उसे अपनाया जावे। फिर भी अगर सम्भव न हो तो नया रास्ता ज्यादा सोच-समझकर गम्भीरता से निकाला जावे। अगर यह रास्ता नया होगा तो हमें इससे भी घबराना नहीं चाहिये। अगर नया होगा तो निश्चित रूप से होगा। इस प्रकार का मोशन आमतौर से सदन के नेता की ओर से आना चाहिये। यदि यह भी परम्परा हमें डालनी पड़े और डालना उचित समझे हाउस तो पहले आप दोनों एक तरह से यह देख लीजिये कि आप एकमत इस मामले में हो सकते हैं या नहीं। इसके बाद यदि आवश्यक हो तो वह परम्परा डाली जावे।

(**श्री मथुरादास माथुर** के बोलने के लिये खड़े होने पर)।

श्री अध्यक्ष—आप कहेंगे कुछ? better not to say.

(बैठजाने के पश्चात् पुनः उठकर)

श्री मथुरादास माथुर—एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—Why at this stage?

श्री भैरूं सिंह—माननीय अध्यक्ष,........

श्री अध्यक्ष—कुछ कहना शेष रह गया क्या? I think the point is quite clear.

श्री जसवन्त सिंह--ये जन संघ के दृष्टिकोण से कहेंगे ।

श्री अध्यक्ष--Within two to three minutes.

श्री भैरूंसिंह--दो मिनट में क्या कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष--It is sufficient. We can catch it. आप बोल लीजिये ।

श्री भैरूंसिंह (दाता रामगढ़)--श्री मुक्तिलालजी की सिफ़ारिश हैं ।

माननीय अध्यक्ष, इस समय सदन के एक माननीय सदस्य के चरित्र से संबंधित मामले में न्याय करने की दृष्टि से विचार हो रहा है। जितने भी माननीय सदस्यों ने राय दी है कि जो प्रस्ताव एक माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है वह प्रस्ताव सदन में इस समय मन्जूर हुआ व इस हालत में है या मन्जूर होने की स्वीकृति देना है इस हालत में है ? सदन के नेता का ख़याल यह है कि उन्होंने इस मामले की एन्क्वायरी कर ली, और परिपत्र संख्या ३४ इस सदन के माननीय सदस्यों के पास पहुंचा है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया है कि श्री वेदपाल त्यागी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके ऊपर विचार करने के लिये इस सदन में अगले सप्ताह के अन्दर विचार किया जायगा।

सदन में दो रायें चल रही हैं । एक राय यह है कि किसी भी सदस्य के चरित्र संबंधी मामले में किस ढंग से कार्यवाही की जाय ? उसमें हमें स्वस्थ परम्परा का निर्माण करना है और स्वस्थ परम्परा के लिये यह आवश्यक है कि सदन में चर्चा होने के पूर्व सदन के नेता और माननीय अध्यक्ष दोनों ही इस निर्णय पर पहुंचें कि वाक़ई में जिस सदस्य के बारे में किसी विशेष परिस्थिति में जांच करने की आवश्यकता है; ऐसी परिस्थिति है या नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से इस विषय में दो रायें हमारे सामने आ रही हैं। एक जांच के विषय में है कि माननीय सदन के नेता ने जांच कर ली है और उन्होंने जांच के बाद उसके ऊपर ऐसी विशेष चीज नहीं पाई जिसकी चर्चा करना सदन में आवश्यक है। लेकिन यह शिकायत कुछ सदस्यों की रही है कि जांच के संबंध में जो लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, जिन्होंने आरोप लगाये हैं उनको कान्फ़ीडेन्स में लिया गया है या नहीं ? और जब उनको कान्फ़ीडेन्स में नहीं लिया गया है तो हम यह स्पष्ट रूप से कहेंगे कि जांच अपूर्ण थी। केवल अपूर्ण जांच के ऊपर नेता कोई कार्यवाही न करे, यह इस प्रकार की चीज है जो संदिग्ध स्थिति को बनाती है। लेकिन इसका स्पष्टीकरण होता है परिपत्र संख्या ३४ से, क्योंकि हमें माननीय अध्यक्ष का आदेश मिला है, और उस आदेश के जरिये यह स्थिति बन गई है कि जो कुछ सदन के नेता ने इन्क्वायरी की है और उस इन्क्वायरी में उनके समक्ष किसी ख़ास बात का स्पष्टीकरण हुआ हो वह शायद अपर्याप्त हैं, और अपर्याप्त होने की सूरत में ....

श्री अध्यक्ष—Better the Hon'ble Member should press his own view point.

श्री भैरूंसिंह—वह आ रहा है । वैसी सूरत में परिपत्र संख्या ३४ यह स्पष्ट करता है कि प्राइमाफेसी केस बन गया है और प्राइमाफ़ेसी केस बनने के बाद कौन सा प्रोसीजर एडोप्ट करना है।

[श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)]
उसके दो तरीके हैं; या तो एक छोटी-मोटी कमेटी एप्वाइन्ट करदी जाय जो कि जांच सदन के बाहर उन चीजों की गम्भीरता से करे और जांच करने में जिन व्यक्तियों की आवश्यकता समझे ....

श्री लक्ष्मण सिंह--On a point of Order, Sir, the same thing is being repeated over and over again.

श्री अध्यक्ष--Five minutes are up.

श्री भैरूं सिंह--It is not the same thing. वैसी सूरत में हमें यह मानकर चलना चाहिये कि जो कुछ माननीय अध्यक्ष ने परिपत्र संख्या ३४ में उल्लेख किया है कि सदन में अमुक प्रस्ताव पर विचार करना है वह इस बात की दलील है कि वह (प्रस्ताव) विचार करने के लिये स्वीकार कर लिया गया है। वैसी सूरत में मैं यह समझता हूं कि इस पर विचार कर लेना चाहिये

यह एक अलग परम्परा है कि सदन के माननीय सदस्य के प्रति यदि कोई आरोप लगाया जाता है। तो मैं तो यह समझता हूं कि वह परम्परा बिल्कुल स्वस्थ होगी कि वह माननीय सदस्य जो आरोप उनके ऊपर लगाये जाते हैं उन आरोपों का साहसपूर्वक इस सदन के अन्दर उत्तर दें। सबसे नीची प्रणाली यह होगी कि हम किसी जगह बैठकर अलग किसी चीज की एन्क्वायरी करें और वह एन्क्वायरी सदन में आये केवल इसलिये कि सदन के एक विशेष सदस्य की चर्चा नहीं की जाय और रिपोर्ट को यों ही पास कर दें। मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी को यदि स्वस्थ बनाना है तो हमें डेमोक्रेटिक प्रिन्सिपल्स के आधार पर जो हम प्रतिनिधि यहां पर आये हैं उनके ऊपर यदि किसी प्रकार का छोटे से छोटा आक्षेप लगाया जाय और वह ठीक हो तो साहसपूर्वक सदन में स्वीकार करलें, सदन में उसके ऊपर बहस करके यह स्पष्ट करना चाहिये कि जो आक्षेप लगाये गये हैं वे गलत हैं या सही हैं, ताकि आयन्दा न तो कोई आरोप लगाने की हिम्मत करे, और अगर हिम्मत करता है तो सदन में उसके ऊपर बहस होगी और सदन इस बात का निर्णय देगा कि जो आरोप लगाये गये हैं वे गलत हैं ? वैसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार हुआ समझकर ऐसे प्रस्ताव के ऊपर हमें विचार कर लेना चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास--माननीय अध्यक्ष, एक क्लेरीफिकेशन मैं करदूं कि जिस एन्क्वायरी का जिक्र यहां किया गया है उसमें मैं कम्प्लेनेन्ट था, मेरे पास बहुत से सुबूत मौजूद हैं। मुझको सदन के नेता ने पूछा तक नहीं। रेकार्ड दिखाकर साबित करने का दावा मेरा अब भी है। उन्होंने मुझसे पूछे बिना कैसे एन्क्वायरी पूरी करली ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--माननीय अध्यक्ष, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि आपने जो कुछ कहा था कि चिट्ठी लिखी है और उसको माननीय मथुरादासजी ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद में पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरिकृष्ण व्यास--वह चिट्ठी मिली या नहीं; कैसे मिली, किनको मिली, क्या हुआ, उस सबके बारे में भी मेरे पास मैटीरियल है ।

श्री अध्यक्ष--Order ! Order please !!

श्री अध्यक्ष-मुझे बड़ा खेद है कि सदन में मेरे कुछ कह देने से माननीय सदस्यों को कुछ भ्रान्ति हुई और यह वाद-विवाद इतना बढ़ा। जो बातें हुईं और जिस तरह का संदेह प्रकट किया गया वह स्वाभाविक था। जैसा कि सदन के नेता ने बताया कि यह प्रस्ताव पिछले अधिवेशन की अन्तिम तारीख को······

श्री त्यागी--Two days before.

श्री अध्यक्ष--यह प्रस्तुत किया गया है।

This was put on the 31st of March, the day on which we adjourned. It was put at 9-30 A.M.

और इसके बाद मेरे पास श्री भैरूंसिंह जी का एक पत्र आया····

एक माननीय सदस्य--कौन से भैरूंसिंह ?

श्री भैरूंसिंह (१६)--दांता रामगढ़।

एक माननीय सदस्य--भैरूंसिंह कई हैं कौन से हैं ?

श्री अध्यक्ष--Order please ! डिवीजन नम्बर १६, एक ही हैं **वे**।

और वह पत्र मुझे प्राप्त हुआ ११ मार्च को, और दूसरा पत्र ११ सदस्यों का दस्तखती और प्राप्त हुआ। जिनकी प्रतिलिपियां मैंने सदन के नेता को प्रेषित कर दीं। सदन के नेता का मेरे पास ३० मार्च, १९५५, का लिखा हुआ पत्र ३१ मार्च, १९५५, को प्राप्त हुआ जिसको मैं सदन के सामने, क्योंकि सारी चीज़ नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन उसका भाव या उसकी कुछ रिलेवेन्ट लाइन्स को पढ़ दूं :

"I have not been able to study the case fully owing to my busy programme on account of the visit of the President to Rajasthan. It goes to show that I am making enquiries into the entire affair and I shall let you know any other facts which come to my notice as soon as I have studied all the relevant papers. You will agree with me that as the whole matter is receiving my earnest consideration, any enquiry by the House is not called for at such a stage."

और ३१ मार्च को हमारा सदन स्थगित हो गया। उसके बाद २६ अप्रेल, १९५५ को मेरे पास सदन के एक माननीय सदस्य, श्री टीकाराम पालीवाल, का पत्र आया जो मैंने सदन के माननीय नेता को प्रेषित कर दिया···

श्री जसवन्तसिंह--उन्होंने उस पत्र में क्या लिखा था, यदि कान्फीडेन्शियल नहीं है तो बतावें।

श्री अध्यक्ष--This I will not reveal because if the House someway thinks to go into enquiry, this is subject to enquiry.

श्री हरिकृष्ण व्यास--इससे काफी प्रकाश पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष--No, no.

इसके बाद में जितने पत्र मेरे पास आये वे श्री वेदपालजी त्यागी के थे जिनका उन्होंने जिक्र किया था और वे मैंने सदन के नेता को प्रेषित कर दिये । फिर २२ सितम्बर, १९५५ को १० बजकर ३० मिनिट पर श्री वेदपाल त्यागी ने वही मोशन फिर रखने का एसेम्बली को नोटिस दिया, हमारे स्टाफ को यह दिया । इसकी भी प्रतिलिपि मैंने सदन के नेता को भेजी । फिर श्री वेदपालजी ने २६ सितम्बर को पत्र दिया, उसकी प्रतिलिपि भी मैंने भेज दी । इसके उपरान्त फिर १ अक्तूबर, १९५५ को श्री वेदपालजी त्यागी का पत्र आया । ये सारे पत्र इसी मोशन के बारे में थे ; इसे लिया जाय या लीडर इसे पेश करें और इन सारे पत्रों की प्रतिलिपि मैं सदन के नेता के पास भेजता रहा । इसके उपरान्त ३१ मार्च, ५५ और ११ अक्तूबर, १९५५ तक या ४ अक्तूबर, १९५५ तक जिस रोज सदन में त्यागीजी ने खड़े होकर पूछा उस वक्त में, इस प्रस्ताव का क्या रूप होगा, किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसीजर होगा, इस पर अपना दिमाग नहीं लगा सका था और इतनी लंबी अवधि जाने के बाद मैंने समझा कि यदि सदन के नेता का कोई उत्तर नहीं आता है तो अस्थायी रूप से (प्रोवीजनली) क्यों नहीं मैं एडमिट करके सदन के सामने रख दूं कि ऐसा तथ्य है, इस पर सदन अपना विचार प्रकट करे । इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ४ अक्तूबर को सदन के सामने यह निवेदन किया था कि वह इस सप्ताह या अगले सप्ताह में लिया जायगा । लेकिन ऐसा प्रस्ताव, जिस पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, साधारणतः और प्रस्तावों के स्तर पर उसको नहीं लिया जा सकता । यह ठीक है कि सदन के नेता इनके बारे में जांच करें और उनकी जांच के बाद में भी जो अल्पमत के और भी सदस्य हैं या सारे सदन के और भी भिन्न २ पार्टीज् के सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार के रक्षण का सवाल अध्यक्ष के पद में निहित होता है । यह संभव हो सकता है कि किसी समय सदन के नेता जिनके लिये जांच करें उनकी जांच के बाद सदन का अध्यक्ष उनसे सहमति करे और इसके विपरीत दिशा में भी हो सकती है । ऐसी सूरत में जब ३१ मार्च और ४ अक्तूबर तक मेरे पास कोई सूचना इस बात की नहीं आई कि सदन के नेता का क्या अभिमत है, इस पर मैंने वह विचार आप लोगों के सामने व्यक्त किया कि इसको ले लिया जायगा । लेकिन इसके बाद में ११ अक्टूबर को मुझे सदन के नेता का पत्र मिला जिसमें उन्होंने इस बात की सम्मति प्रकट नहीं की कि कोई ब्रीच ग्रोफ प्रिविलेज का केस बनता है ; तो फिर मेरी स्थिति बड़ी असमंजस की हो गई और मैंने यह उचित समझा कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव को सदन के सारे सदस्यों के सामने ही स्वीकार करना चाहिये या नहीं, उस पर बहस करके इसे लिया जाना चाहिये । कुछ ऐसे तथ्य मेरे सामने उस वक्त नहीं थे, जो बाद में सामने आये, जिन पर मैं अपना निश्चित मत बनाकर चल सकता और संभव है जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा वे और कुछ तथ्य देना चाहते हैं और इसके बारे में सदन के सामने प्रकाश डालना चाहें तो जितनी भी, पक्ष और विपक्ष में सारी सामग्री है इस प्रस्ताव को एडमिट करने, न करने के बारे में वह सदन के सामने आजाय, फिर प्रस्ताव तोला जाय ताकि सदन के सारे सदस्य एप्रीशियेट कर सकें कि सदन का अध्यक्ष निर्णय लेता है और अनुमति देता है कि वह किस प्रकार की है । इसी बात को ध्यान में रख कर और

[श्री अध्यक्ष]

बहुत असमंजस और विचार विनिमय के बाद में इस निर्णय पर पहुंचा कि पहले इस प्रस्ताव पर जो सामग्री है वह सारी सदन के सम्मुख पेश हो जाय, फिर निर्णय हो कि इसको स्वीकार करना चाहिये या नहीं। मैं समझता हूं कि जब सदन के नेता इस बात को कहते हैं तो वे इस बात को एसर्ट करेंगे कि इसको एडमिट करने में उनका विरोध नहीं है क्योंकि एक बार एडमिट करने की बात कह दी जाती है कि हम इस प्रस्ताव की एडमिसिबिलिटी का विरोध नहीं करते हैं तो सदन के नेता का उत्तरदायित्व दूसरा हो जाता है। इसके इम्पलीकेशन्स अच्छी तरह से समझने चाहिये बनिस्पत इस प्रस्ताव की एडमिसिबिलिटी को स्वीकार किया जाय, तो मैं यह समझता हूं कि इतने स्पष्टीकरण के बाद में माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट हो जायगा कि ऐसा प्रस्ताव जो जिन्युग्राइन हो सकता है और वडा वेक्सेशियस हो सकता है, जिसमें माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा का सवाल ही निहित नहीं है लेकिन यह बात भी निहित है कि सदन की प्रतिष्ठा कैसी है, उनका स्तर कैसा है? कहीं ऐसा वेक्सेशियस या रागद्वेष मूलक और दूसरों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचानेवाला प्रस्ताव यदि सदन के सम्मुख आयेगा तो सदन के नेता उसकी जांच करेंगे और उनके साथ और इनके साथ, अल्पमत का संरक्षण करने के लिये, सदन के माननीय सदस्यों का संरक्षण करने के लिये सदन का अध्यक्ष जो है वह उस एन्क्वायरी में चाहे वह मेम्बर में हो, चाहे खुले रूप में सदन में हो, उसमें जरूर अपना सहयोग देना चाहेगा।

तो इन्हीं सारे स्पष्टीकरणों के बाद में माननीय सदस्यों से यह चाहूंगा कि वे जो भी कुछ उनके पास, अपने पास है कि जिससे यह प्राइमाफेसी केस बनता है सदन के सामने अभी रखें और इसकी एडमिसिबिलिटी पर विरोध हो तो वे विरोध करें और अपने तथ्य रखें।

इसके बाद इस पर निर्णय लिया जायगा कि ऐसे प्रस्ताव की सदन के सामने एडमिसिबिलिटी है या नहीं।

एडमिसिबिलिटी पास हो जाने से उसका एक वडा भारी महत्व हो जाता है। इस महत्व को लेने के लिये, इस प्रस्ताव को लेने के लिये जब तक मैं पूरी बातें नहीं सुन लूं मैं जिम्मेवरी नहीं ले सकता।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू) --माननीय अध्यक्ष.....

श्री अध्यक्ष -- All through we have been discussing nonserious subjects.

श्री मोहनलाल सुखाडिया--माननीय अध्यक्ष, मैं थोडा सा स्पष्टीकरण जानना चाहूंगा कि आपके आदेश से इस प्रस्ताव की एडमिसिबिलिटी पर वहस करें या इसके मेरिट्स पर पूरी बहस करें?

श्री अध्यक्ष --नहीं प्राइमाफेसी के लिये जितना जरूरी है वही कहेंगे, मेरिट्स के ऊपर बहस नहीं होगी। एडमिसिबिलिटी के लिये प्राईमाफेसी है कि नहीं, इसी पर कहेंगे। किसने डॉक्यूमेन्ट पेश किया या नहीं, इसमें नहीं जायेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा--एडमिसिबिलिटी का निर्णय तो आप ही करेंगे? (हंसी)

श्री गोपीलाल यादव--नाथूराम जी साहब, आप नहीं करेंगे ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--यदि आप अनुमति दें तो इसकी एडमिसिबिलिटी पर कुछ कहूं । (घंटी)

श्री टीकाराम पालीवाल--मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जवाब में कहा कि सदन के नेता यदि इसको एडमिट करने में कोई एतराज नहीं करते हैं तो उनका दायित्व दूसरा हो जाता है, इसका मतलब मैं नहीं समझा ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह--इसका स्पष्टीकरण मैं आपकी तरफ से कर दूं ।.....

श्री अध्यक्ष--I have got in writing that the Leader opposes the admissibility of this.

श्री मोहनलाल सुखाडिया--अध्यक्ष महोदय, एडमिसिबिलिटी के बारे में मैंने पूरी बातें कहीं; उसके ऊपर मेरी बातों को समझा जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--That is what I say.

श्री वेदपाल त्यागी--शुरू में इसको एडमिट हुआ मान लिया गया है ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया--मैंने निवेदन किया था, पहले ही सब्स्टीट्यूट लेट हो गया है इसलिये इस पर विचार करने की स्टेज निकल चुकी है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास--सदन के नेता ने यह कहा कि इसको एडमिट हुआ मानकर चलें । You agree to the admissibility of this?

कुं० श्री जसवन्तसिंह--This is a case purely for your decision.

श्री अध्यक्ष--My decision is there.

श्री हरिकृष्ण व्यास--आपके पास बाद में आया, पहले उन्होंने एडमिट कर लिया ।

श्री नाथूराम मिर्धा--यह पोजिशन दुविधा की हो गई है । सारे हालात सदन को आपने बताये, सदन के नेता माननीय ने बताये; माननीय सदस्यों ने, दुविधा क्या है, वह भी सब सीधी बातें कह दीं ।

आपने एडमिशन करने का हुक्म दे दिया है तो हम क्या बहस करेंगे? अब वह गलत हुक्म था या सही था, आप हुक्म दे चुके हैं। एक दफा आपका हुक्म बन गया है, उसको मानना चाहिये और उसको हम मानते हैं ।

श्री अध्यक्ष--But the hon'ble member has not followed the implications of the admissibility if the Treasury Benches accept it. It is subject to some

Page No.90

[श्री अध्यक्ष]
conditions which the Leader has denied and which I think that under the circumstances the Leader has opposed the admissibility of this.

श्री एच० के० व्यास —But the admissibility········

श्री अध्यक्ष —Order Please !

I make it very clear if the Hon'ble member is not discerning the point what I have expressed. When it is provisionally admitted by the Speaker and the Leader concurs then the responsibility is that there is a primafacie case against the member which the leader has specifically denied that there is no case. So my difficulty is that whether I should stick to the provisional decision that I took or when the facts are placed before me of an enquiry by the Leader I should reject it.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir, I have to say something. I am sorry that I started this, but I did it in a pure good faith. What I was saying was about the precedents and on the conventions held elsewhere. Now, Sir, the position emerged after your decision is this that the preliminary enquiry is incumbent and necessary and your honour representing us—the minority have to be associated into the enquiry and that enquiry has to be done outside the House. This is the position according to me.

श्री वेदपाल त्यागी —After having given in writing to you what he has said on the floor of the House it should be taken to have been admitted. Even now if he opposes it as my friend has just said that an enquiry should be held outside the House in camera and after having made that enquiry if you come to the conclusion that a primafacie case has been established, then it should be admitted and after that whatever the consequences follow, should come.

श्री अध्यक्ष — Then even if I do not give my decision and place it before the House let the members of the opposition face the House. I put it to the House and let it be decided by votes. If the opposition is prepared to face it I will atonce order and put it for vote of the House. But what is all this? I have made it very clear that if the hon'ble member moves it and then there is no opposition of the Leader, I will put it to the vote of the House here and now and let it be decided. That way there was a clear indication on behalf of the Leader that it be taken on the sixth (October) and if the hon'ble members are prepared, I am prepared to put it for vote of the House here and just now without giving my decision.

श्री एच. के. व्यास—The Leader must move the motion if he primafacie admits the position otherwise.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Why did you waste all this time? If I was told before hand I would not have wasted my time and that of the House.

श्री अध्यक्ष —This is the constitutional check which the hon'ble Leader of the House wanted the house to put in but if the Speaker does not come I put before the House and get it voted.

कु० श्री जसवन्तसिंह—We want the convention to be sticked at. The Speaker is the guardian of the rights of the minority and has to come into picture.

श्री अध्यक्ष—I fail to understand the arguments.

श्री वेदपाल त्यागी—Then we have no objection if the motion is that a prima facie case has been made out and it is admissible.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया —मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कई बातें इक्ट्ठी हो रही हैं। कई माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि प्राइमाफेसी केस है कि नहीं, कई यह कह रहे हैं कि इसकी एडमिसिबिलिटी पर बहस हो तथा एक माननीय सदस्य कहते हैं कि प्राइमाफेसी केस है कि नहीं, इसकी अध्यक्ष महोदय जांच कर लें और फिर सदन में यह आये। ये दो तीन तरह की बातें सदन में आती हैं। सदन में निर्णय होता है तो अलग अलग स्थिति है; एक बात मालूम हो जाय कि विरोधी पक्ष की ओर से क्या चाहा जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष —They are confused.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—They were pressing for its moving immediately and just now want to postpone the discussion.

श्री वेदपाल त्यागी —We want to know from the Leader of the House whether they want to follow the convention. If he wants a prima facie case to be established before the House for admissibility, we are ready. If he wants to follow the convention by him of course we will welcome this also. This is for the Leader of the House to decide and not for me.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया —माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि मैं चाहूं या न चाहूं; मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का आज जो खयाल है वह पहले होता तो सदन में खड़े होकर यह नहीं पूछा जाता कि कब लिया जायगा।

("हिअर हिअर" की आवाज)

श्री वेदपाल त्यागी—On a point of explanation, I had given in writing through you that the matter should be taken up by him and it should be moved by him. Since he did not take any action I had to ask that question and I wanted him to do his duty but since he has failed in his duty, I have to fulfil that.

श्री हरिकृष्ण व्यास --यह बार बार कहा जाता है कि ओपोजीशन की क्या स्थिति है। जो भी स्थिति है उसको मैं बता देना चाहता हूं। यदि आप इसको एडमिशन मान कर चलें तो उसके पक्ष में दलीलें देने के लिए तैयार हूं और अगर आप प्राइमाफेसी की आवश्यकता महसूस करते हैं तो प्राइमोफेसी केस बनता है या नहीं, इसके लिए हम दलीलें देने को तैयार हैं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रकार का निर्णय देंगे उसको मंजूर करने के लिये भी ओपोजिशन तैयार है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया--माननीय अध्यक्ष माननीय सदस्य जो बात अब कह रहे हैं पहले कहते तो ठीक था।

श्री हरिकृष्ण व्यास--हम तो अपना काम करने के लिये तैयार हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह--(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष --What do I take ? If subject to the limitations which the Leader has expressed the hon'ble members want the moving of the motion, it can be directly taken up for discussion. The admission stage might be taken as over if the Treasury Benches are prepared to face it even if it is inadmissible on the floor of the House. If they want to discuss its admissibility, then admissibility can be discussed. Even if it is inadmissible and the Treasury Benches are prepared to take the motion to the vote of the House, it will come naturally.

श्री हरिकृष्ण व्यास--एडमिट होने पर डिस्कशन तो इस पर होगा।

(घंटी)

श्री वेदपाल त्यागी--I, as a mover, accept both the positions. If the Leader wants its admissibility to be discussed on the floor of the House I am prepared to do that. If he wants that it is admissible, it has already been admitted and prima facie case is there and they do not object the admissibility of this, then the consequences whatever may be, should follow.

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)--Perhaps the hon'ble Member forgets the context. On that day it was finally admitted and in that context the Leader has said.....

श्री वेदपाल त्यागी --What is the position ? Does the hon'ble Leader of the House want to take it now; we want to know ?

श्री बृजसुन्दर --There is no other situation except that it has been admitted and we have to take that it has been admitted.

श्री वेदपाल त्यागी --Then the implications and the consequences which the hon'ble Speaker has just now said should follow. If you feel that it is worthwhile admitting then the consequences must follow.

श्री अध्यक्ष--It is quite clear.

श्री एच०के० व्यास—I wanted one clarification, Sir. If it is taken as admitted then the debate would follow. What is the conception of the Leader of the House on that point? Does he want the voting to be taken or is he prepared to hear the arguments?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—We meet tomorrow, Sir. We are starving now.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—माननीय अध्यक्ष, एडमिशन के बारे में बार बार कहा जाता है कि इसको मान कर चला जावे। मैं यह कहूंगा कि एक बार इस प्रस्ताव के बारे में आपके चेम्बर में भी बातचीत हुई थी और आपने बताया था कि रूल ८३ में ऐसे मोशन का जिक्र है कि यह स्पीकर के अख्तयार की भी बात नहीं है, यह बात कही गई थी। उसके बाद इसको एडमिट किया जावे या नहीं किया जावे। इसको एडमिट किया जावे, इसको मैं एग्री करता हूं। इसको एडमिट करके इस पर निर्णय किया जावे? लेकिन प्राइमोफेसी बनता है इसलिये इसको एडमिट किये-जाने की बात है इसको मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष—तो फिर मूव करिये। The position is quite clear, so the motion should be moved. One information I want to give to the hon'ble Members is that the papers regarding the Five Year Plan proposals are lying in the Notice Office and the Members while departing should pick them up.

Regarding this, the Leader even admitting that there is no prima facie case, accepts the challenge that it should be debated.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Challenge of what? Here is the Speaker to decide. How does the challenge come in? You don't agree?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—We have never said that.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Then?

श्री वेदपाल त्यागी—I will take about an hour to make the motion.

कुछ माननीय सदस्य (कांग्रेस)—We are prepared to sit.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—Because this is a very important motion in which the dignity of one of our members is involved, we may take it up tomorrow in the afternoon. Tomorrow in the afternoon.

कुछ माननीय सदस्य—No

श्री मोहनलाल सुखाडिया—Then we can take it up today afternoon.

श्री वेदपाल त्यागी—I have taken the leave of the High Court only upto 1 P.M. I must go there.

राज श्री हिम्मतसिंह —Let it be tomorrow morning.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Tomorrow morning we will be discussing the Rajasthan's Second Five Year Plan.

(घंटी, पारस्परिक वार्ता एवं शोरगुल)

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसको कल सुबह रख लीजिये और प्लान वाला कल शाम को रख लीजिये ।

श्री अध्यक्ष —So without going into the merits of the case or deciding its primafacie nature I concur with the Leader that the motion be admitted. And when should it come tomorrow ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया – Either today, Sir, or tomorrow morning.

श्री विशम्भरनाथ जोशी —On a point of information, Sir, the meeting of the Rajasthan Planning Board is scheduled to meet today evening and in the mean-time we would like to go for lunch.

श्री मथुरादास माथुर —Then tomorrow morning.

श्री वेदपाल त्यागी —You can keep anyday you like.

राज श्री हिम्मतसिंह —ओर्डिनेन्स पास हो जाना चाहिये ।

(विराम एवं शोरगुल)

समय नहीं है तो इसको अगले सेशन के लिये पोस्टपोन कर दीजिये ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं समझता हूं कि पिछले सेशन से अब तक चला आ रहा है बहस मुबाहसा । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सहमत होंगे कि जब किसी माननीय सदस्य का कन्डक्ट इन्वोल्व्ड हो और मोशन हाउस के सामने हो और उसको पोस्टपोन करते चले जायं तो ठीक नहीं है। कल शाम तक के लिये इसको पोस्टपोन कर दें ।

श्री वेदपाल त्यागी—शाम को टाइम मुझे सूट नहीं करता है । I am the mover and my convenience must be accommodated by the House.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—आपकी कन्वीनियेन्स जरूर देखी जाय, इसके लिए इन्कारी नहीं है। यह सदन अभी मिल रहा है और फिर छुट्टियां हो रही हैं । अगर इसे कल नहीं लेते हैं तो संभव नही है आगे ....

श्री श्रं.दास गोयल --सदन के माननीय लीडर ओपोजीशन के माननीय लीडर और सूबर साहब तीनों मिल कर निर्धारित कर लें।

श्री हरिकृष्ण व्यास --हमारा तो यह कहना है कि समय पूरा मिलना चाहिये। चाहे कल लें, परसों लें, तरसों लें। ऐसा न हो 'कल-कल' करके फिर आने वाले आर्डिनेन्सेज़ हैं उनको पांच पांच मिनिट में ही खत्म करें। यह सदन के नेता को भी सोचना है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा -- We are prepared to sit for the whole night.

एक माननीय सदस्य --आज शाम को छः बजे से रख लीजिये। प्लानिंग का कल हो जायगा।

श्री अध्यक्ष :--So we adjourn till tomorrow morning at 8-30 A.M. and it will be announced, rather the papers will be circulated to the hon'ble members.

कार्य विवरण दिनांक १४ अक्टूबर, १९५५ का अंश

श्री वेदपाल त्यागी के द्वारा प्रस्ताव को प्रस्तुति, उस पर वाद-विवाद एवं उसे वापिस लेना

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा प्रस्ताव यह है :

"That a Committee of five members of the House be appointed by the Hon'ble Speaker—

(*a*) to investigate the activity of Shri Mathuradas Mathur, an Hon'ble Member of the Rajasthan Legislative Assembly, regarding his letter dated 10-1-1953 addressed to the Director of Education, Government of Rajasthan, which *inter alia* establishes *prima facie* the following facts with regard to his conduct as a member of this House :

(*i*) Shri Mathur obtained the secrets of the Government in an unauthorised manner for business contact.

(*ii*) He wrote recommendatory letter to an official of the Government to secure business from the Government for Shri Ganpat Mathur in whom he was directly interested.

(*iii*) He influenced or attempted to influence the Government official in the discharge of his function for the furtherance of his personal ends.

(*iv*) As is evident from his own words Shri Mathur is in the habit of doing such things.

(*b*) to submit a report by the last day of the first week of the next session whether the conduct of the hon'ble member was derogatory to the dignity of the House and inconsistent with the standards which this House is entitled to expect from its Members.

(2) That the quorum of the Committee shall be three.

[श्री वेदपाल त्यागी]

(3) (*a*) That the Committee shall have power to hear and/or to record evidence, oral or documentary, connected with the matters referred to the committee or relevant to the subject matter of the enquiry and that it shall be in the discretion of the committee to treat any evidence tendered before it as secret or confidential;

and

(*b*) That the committee shall have the power to hear and/or to record evidence, oral or documentary in Jaipur and/or any other place as the Speaker may decide;

(4) That Shri Mathura Das Mathur has leave to be heard before the Committee by himself or by counsel if he thinks fit and the Committee may hear counsel to such extent as they think fit on behalf of any other person;

(5) That the Hon'ble Speaker may, from time to time, issue such instructions to the Chairman of the Committee as he thinks necessary for regulating the procedure and organization of the work of the Committee."

माननीय अध्यक्ष यह वास्तव में दुःख का विषय है कि मैं एक ऐसे प्रस्ताव को आज सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि जिसमें सदन के एक चुने हुए माननीय सदस्य के आचरण के बारे में जांच करने के लिये कमेटी बिठाने का एक सिद्धान्त तय किया जायेगा।

मेरे लिये कहा जाता है कि माथुर साहब के खिलाफ होने के कारण यह प्रस्ताव, मैं इस तरह का प्रस्ताव पेश करता रहा हूं।

श्री मथुरादास माथुर--Who has said this ?

श्री वेदपाल त्यागी--आपने नहीं, और दूसरे लोगों ने।

In the last Meeting your goodself had said.

(बाधा)

श्री.एच. के. व्यास--Now he (Shri Mathur) does not remember whatever he had said.

श्री वेदपाल त्यागी--लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष, आपको और आपके द्वारा सदन को यह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि इसको प्रस्तुत करने में इस सदन के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उससे प्रेरित होकर मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। बल्कि मैं शायद सबसे ज्यादा प्रसन्न होऊं, अगर कमेटी नियुक्त हो जावे और कमेटी यह वर्डिक्ट दें कि माथुर साहब निर्दोष हैं। लेकिन आज जिस तरह से यह प्रस्ताव सदन के समक्ष आ रहा है उसके अन्दर मुझे दुःख जरूर हो रहा है। कल इस प्रस्ताव

[श्री वेदपाल त्यागी]

के लिए इस सदन में यह बहस हुई कि आया उसको एडमिट किया जावे या नहीं। इस सम्बन्ध में कुछ कॉन्स्टीट्यूशनल पोइन्ट्स भी उठाये गये, पर मुझे दुःख है कि सदन के नेता ने यह मानते हुए कि मैं इसके प्राइमाफेसी नेचर को नहीं मानता फिर भी कहा कि इसको सदन में रखा जाय और इस पर वाद-विवाद किया जावे। यह प्रस्ताव आज सदन के समक्ष पेश करने के लिये मुझे बाध्य होना पड़ रहा है अन्यथा मैं चाहता यह था कि किसी सदन के सदस्य के आचरण के सम्बन्ध में यहां वाद-विवाद का मौका न आता और एक कमेटी नियुक्त हो जाती, जिसको यदि सदन के नेता प्रस्तावित करते तो उस पर वाद-विवाद की आवश्यक्ता नहीं होती और कमेटी तमाम वाकयात को देखकर इस निर्णय पर पहुंचती कि आया मिस्टर माथुर गुनहगार है या बेगुनाह। अगर गुनहगार हैं तो वे किसी भी पार्टी के सदस्य हों, उनकी कैसी भी अब तक पोजीशन रही हो, उनको सजा मिलनी चाहिये और अगर बेगुनाह हैं तो आनरेबल तरीके पर एक्विटल मिलनी चाहिये और वह बात मिल सकती थी जब कि कमेटी कायम होकर तमाम वाकयात पर जिस पर कि एक तरफ से यह कहा जाता है कि गलत है और दूसरी तरफ से यह एसर्ट किया जाता है कि वे सही हैं और यह उसकी रोशनी में इस प्रकार का कन्डक्ट है कि जिसको डेरोगेटरी कहा जा सकता है। मैं मानता हूं कि हमारे यहां एडोप्टेड कानून ऐसा नहीं कि जिसके आधार पर कहा जा सके कि कौनसा एक्ट सदन के सदस्य का डेरोगेटरी कहा जावेगा और कौनसा नहीं। हमारे यहां डेमोक्रेसी की शुरूआत है और इस स्थिति में हमें यह एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिये कि हमारे यहां कहीं ऐसा केस मिल जावे। पर मदर आफ़ पार्लियामेन्ट से जहां इंगलेन्ड में डेमोक्रेसी परिपक्व रूप में है और जहां से हमने कॉन्स्टीट्यूशन में लिया है कि जो प्रिविलेजेज के क्वेश्चन वहां हैं वही प्रिविलेज हमारे माने जावेंगे जो कि हाउस आफ़ कामन्स में माने जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष, हाउस ऑफ़ कामन्स का भी लिखित कॉन्स्टीट्यूशन नहीं है। इंगलैन्ड का कॉन्स्टीट्यूशन कन्वेन्शनस् पर चलता है और प्रिविलेजेज भी कन्वेन्शनस् पर चलते हैं। ऐसी हालत में हमें उनको देखना है कि जिनको कि इंगलैन्ड ने ऐसी सूरत में अपनाया है। उनके कन्वेन्शनस् को हमने अपनाया है और उसी के आधार पर हमारे यहां भी ऐसे केस हुए हैं। मैं, पूर्व इसके कि वाकयात सदन के सामने रक्खूं मैं इस बात पर रोशनी डालना चाहूंगा कि कौन-कौन से एक्ट इस प्रकार के हैं जिनको देखने से यह कहा जा सकता है कि सदन की डिग्निटी पर उनसे असर पड़ता है।

श्री रामकरण जोशी--माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इससे एक नया कन्वेन्शन बन जावेगा, जिस प्रकार से कि प्रस्तुत कर्ता द्वारा इस विषय को प्रस्तुत किया जा रहा है; आगे के लिये नये कन्वेन्शनस् बनेंगे हमारी राजस्थान विधान सभा में।

कुंवर श्री जसवन्त सिंह--राजस्थान ही में नहीं; सारे हिन्दुस्तान में भी बनेंगे।

श्री रामकरण जोशी--मुझे यह भी दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह कन्वेशन इसलिये बन रहा है कि सदन के नेता में इतना आत्मविश्वास नहीं कि यह कह सकें कि हम पर जो चार्ज लगाया

Page No.99

[श्री रामकरण जोशी]

जा रहा है हम उसका सामना करने को तैयार हैं और उस पर कमेटी बिठाने के लिये भी तैयार हैं और उस कमेटी के वरडिक्ट को सहन करने को भी तैयार हैं। ऐसे वक्त में जिस वक्त कि ऐसे चार्ज लगते हैं जो ग्रोनेस्ट होते हैं, ईमानदार और सच्चे होते हैं वे कहते हैं कि हम हर परिस्थिति का मुकाबला करने को तैयार हैं, तुम भले ही इसका फ़ैसला दुश्मन के हाथ में भी दे दो; हम सामना करने को तैयार हैं। पर आज हमारे यहां यह बात देखने को मिल रही है कि वे कमेटी भी नहीं बिठाना चाहते। कमेटी के फ़ोर्मेशन से डर रहे हैं।

मैं आपसे कह रहा था कि क्या यह कन्वेन्शन हो जावेगा कि इसी तरह से बिना किसी मुकदमें के शुरूआत की कार्यवाही हुए बिना, बिना किसी पूरी जांच के हुए और बिना यह जाने कि यह प्राइमाफ़ेसी केस बनता है कि नहीं, किसी भी सदस्य के बारे में विचारार्थ बहस के लिये समझकर लिया जा सकता है? इससे आइन्दा के लिये ऐसा ही कन्वेन्शन बन जावेगा।

श्री अध्यक्ष--(श्री मथुरादास माथुर से) आपको कोई एतराज है क्या?

श्री मथुरादास माथुर--किस बात का?

श्री अध्यक्ष--जो ये कह रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर--आपकी रूलिंग चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष--My ruling was given yesterday.

श्री रामकरण जोशी--मैं समझा नहीं कि यह रूलिंग का कन्वेन्शन क्यों बनता है? इस तरह का जैसा कि दुनियां में कहीं नहीं है और जब तक कोई प्राइमाफेसी केस नहीं बनता है उसके पहले ही हाउस में किसी भी सब्जेक्ट पर डिसक्शन करना ठीक नहीं होगा। अगर आज इसकी इजाजत मिल जायेगी और इस पर बहस की जायेगी तो क्या यही कन्वेन्शन आइन्दा के लिये लागू रखेंगे आप? आज की स्थति दूसरी है। मान लीजिये कि इस मामले में ये चार्ज सच्चे लगाये जा रहे हैं और उनकी स्पिरिट देखकर आप कहते हैं कि यह एडमिट कर लिया जावे और किन्हीं भी परिस्थितियों में कह दिया गया कि बहस के लिये यह ले लिया जावे। पर माननीय अध्यक्ष, आपके हाथ में सदन को चलाने की जिम्मेदारी है और हरेक सदस्य की इज्जत की सुरक्षा भी आपके हाथों में है, आप एक तरह से कस्टोडियन हैं हाउस के; तो ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विचार करिये कि इसी तरह से पहले सारी बात को गौर से देखे बिना आप उनके ही कहने मात्र से इजाजत दे देते हैं ऐसे सब्जेक्ट को हाउस में डिसकस करने के लिये या आपने कोई प्राइमाफेसी केस के बारे में बिना निश्चित निर्णय पर पहुंचे इस वास्ते डिसकस करने की इजाजत दे दी कि हाउस ही यह तय करे कि यह प्राइमाफेसी है या नहीं, एडमिशन के लायक है या नहीं? तो यह कन्वेन्शन मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा।

इस सिलसिले में माननीय सदस्यों ने अभी तक कन्वेन्शन की बात करते हुए इतना ही निवेदन किया है कि कन्वेन्शन वही काम में आता है जो आज तक ऐसे मामलों में हाउस ऑफ कामन्स में या

[श्री रामकरण जोशी]

लोक सभा में काम में आता रहा है। तो यहां के लिये भी जो वहां के कन्वेन्शन्स हैं उन्हीं को ले लिया जावे और यदि नया कन्वेन्शन डाला जाता है तो आगे के लिये वही लागू होंगे और दूसरी जगह धारा-सभाएं होंगी वहां भी अपना यह नया कन्वेन्शन अमल में आवेगा। वे भी अपने यहां इसे अमल में लावेंगे तो ऐसी बात है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम यह गम्भीरता से विचार करें कि क्या यह सही तरीका होगा? हमारे एक साथी के केरेक्टर पर विचार करने के लिये क्या इस तरह से एक नया कन्वेन्शन डालना उचित होगा कि बिना प्राइमाफेसी केस तय हुए, केवल इसलिये कि कोई हममें से किसी से नाराज है और किसी साथी पर आक्षेप करके ऐसा रिजोल्यूशन प्रस्तुत करदें हाउस में और फिर बहस के लिये भी ले लिया जावे, उसे तो किसी के पास मेजोरिटी है वह थोडी देर यहां की बातें बरदाश्त करके उसे रूल आउट करा देगा। पर मान लीजिये कि किसी के पास वोटिंग पावर नहीं है, माइनोरिटी में है उस पर इसी किस्म के ऐसे दूसरे ही आरोप लगा दिये और वे झूठे भी हों भले ही, पर चूंकि वोटिंग से तय होगा इसलिये धांधली उसके साथ होगी और बे-इज्जत भी उसे किया जावेगा और आगे जाकर कोई एक्शन भी शायद हो गया; तो इस तरह तो हमारे उस साथी का आगे का सारा केरियर बिगड़ सकता है और जिसके पास मेजोरिटी है उस पर सही भी आरोप हों; पर चूंकि मेजोरिटी है इसलिये वह उसे रूल आउट करा सकेगा।

इसलिये मैं माननीय अध्यक्ष से और उनकी मार्फत सदन के माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का कन्वेन्शन डालने के पहले इस पर हाउस को गम्भीरता से सोचना चाहिये कि हमारे साथी के खिलाफ उसकें केरेक्टर पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने से पहले हमको किसी कन्वेन्शन के बारे में विचार कर लेना चाहिये कि क्या यह परम्परा इस हाउस के लिये और इसी प्रकार की दूसरी विधान सभाओं के लिये मौजू पड़ेगी। मैं चाहता था कि इस पर आप रोशनी डालें।

मालूम ऐसा होता है कि माननीय सदस्य, जिन्होंने इस वक्त यह एतराज उठाया कल सदन में मौजूद नहीं थे। कल मौजूद होते तो उनको यह कहने का कष्ट उठाना नहीं पड़ता। यह एतराज जो कि आज मेरे माननीय मित्र ने उठाया उससे ज्यादा एतराज काबिल शब्दों में कल मैंने उठाया था और मैंने ओथोरिटीज कोट कीं और जिन ओथोरिटीज को कान्ट्राडिक्ट कोई नहीं कर सका और वैसे यहां दुनियां में दो केसेज देखने में आये जिसमें कि, जैसा मेरे माननीय मित्र ने सुझाव दिया वे प्राइमाफेसी फेयरली कायम किये गये। किसी मेम्बर के प्रति उसके आचरण पर हमला हो तो पहले प्राइमाफेसी केस बनाकर और माइनोरिटीज़ का हक कायम रखने के लिये माननीय अध्यक्ष और पार्टी का हक और सदन का हक रखने के लिये माननीय मुख्यमंत्री इसकी पहले जांच करें?

मैंने जो आथोरिटीज़ कोट कीं आथोरिटीज़, अनइम्पीचेबल ऑथोरिटीज कोट कीं जिनके विरुद्ध कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं माननीय मित्र के लिये जो कि सदन में मौजूद हैं कहता हूं कि इतनी जबरदस्त ऑथोरिटी है जिसको गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया भी मानती है और जो मदर ऑफ पार्लियामेन्टस् कही जाती है, इंगलेन्ड जिससे बन्धित है इन शब्दों को वह मानती है कि, "The Speaker as the guardian of rights and privileges of the House, the

[श्री रामकरण जोशी]

Members and the committees thereof satisfies himself that before a motion of this character is brought in the House, the evidence, the explanation of the Member and such other facts as are relevant to the case are conclusive of further investigation of the matter by a parliamentary committee and it is only after he has applied his mind to the fullest possible extent and come to his own conclusion that he allows such a motion being placed in the order paper. Then again he ensures that the motion is drawn up in proper terms so that there is defect in the procedural machinery."

इन उपर्युक्त शब्दों में, जोरदार शब्दों में वर्ल्ड की आथोरिटीज ने कहा है। इस बात को जो हम हमारी विधान सभा में रख रहे हैं उसके लिये हमें दुनियां में सबसे नीचे देखना पड़ेगा। तो देखना यह है कि हम लोग जो माइनोरिटीज में हैं, जो कि विरोधी पक्ष में हैं, जो कि अपोजीशन में हैं, जिन्हें कि सिद्धान्त रूप से गवर्नमेन्ट की गल्तियां निकालनी पड़ती हैं, उनका फ्यूचर इस सदन में डार्क है, और कोई भी अपने बहुमत के जोर से माननीय सदस्य मेरे अगेन्स्ट में ला सकता है, माननीय त्यागीजी के विरुद्ध कोई प्रस्ताव ला सकता है, श्री एच. के. व्यास के विरुद्ध ला सकता है, माननीय भैरूंसिंहजी के विरुद्ध ला सकता है। हम चार आदमी टारगेट हैं गवर्नमेन्ट के। यह साफ़ कहने के लिये तैयार हूं। यह जो प्रणाली हो रही है इससे बिल्कुल शंका है कि अगर माननीय अध्यक्ष हमारे इन्ट्रेस्ट को नहीं बचायेंगे, रक्षा नहीं देंगे तो जैसी कि मेरे माननीय मित्र ने शंका जाहिर की है व शंकाएं हमारे दिल में कूट कूट कर भर गई हैं। गवर्नमेन्ट की जो जो गल्तियां हैं, दिल चाहता है कि कहें या न कहें; अगर कहेंगे, हमारी ड्यूटी अदा करेंगे तो यही डर है कि बहुमत के बल पर हमें कन्डेम किया जा सकता है। हम किस को कह सकते हैं ? हम माननीय अध्यक्ष आप से ही कह सकते हैं। यदि आप इस डर से प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो ठीक है कि जो कुछ भुगतना पड़ेगा वह भुगतेंगे, या हमें सिद्धान्त बदलने पड़ेंगे।

(श्री जवान सिंह को बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—Let the Leader give a reply. Sufficient debate was held yesterday and the Leader holds his view.

(श्री किशन लाल शाह बोलने के लिये खड़े होने पर)।

श्री अध्यक्ष—No, all these things were discussed very widely.

(श्री मोहन लाल सुखाड़िया और श्री किशनलाल शाह दोनों के बोलने के लिये खड़े रहने पर)

श्री हजारीलाल शर्मा—Who is in the possession of the House ?

श्री अध्यक्ष--The Leader of the House.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री)--अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं समझता हूं कि कल से काफ़ी वाद-विवाद हुआ था, और जो एक कनफ्यूज्ड पोजीशन पैदा हुई है उसके कारण मैंने प्रकाश डाला था कि अगर........

श्री रामकरण जोशी--माननीय अध्यक्ष, मेरा एक सवाल था वह कल की बहस से ताल्लुक नहीं रखता है। एक मैंने मोशन मूव किया था कि यह फ्यूचर के लिये कन्वेन्शन नहीं बनेगा। गलत परम्परा जो कायम की जा रही है उसके बारे में मैं समझता हूं वह रुके या न रुके, लेकिन मैं एक सवाल यह पूछना चाहता हूं कि यह आयन्दा के लिये कन्वेन्शन बन जायगा या आप ऐसा कहेंगे कि यह कन्वेन्शन नहीं है।

श्री किशनलाल शाह--मैं यही कह रहा था कि उसका जवाब देना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष--I will give an opportunity. Let the Leader explain and then if there is anything to be said next, I will give an opportunity and even then if the hon'ble members are not satisfied, I will clarify the position.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन यह कर रहा था कि इसको सदन में विचार के लिये बिना प्राइमाफ़ेसी के संबंध में पहले फ़ैसला किये जो यहां पर लिया था उसके कुछ कारण यहां पैदा हुए थे और वह कारण यह था कि शुरू से इस सदन में माननीय सदस्यों के कन्डक्ट के संबंध में हम किस प्रकार से क्या कहें उसकी परम्परा स्वस्थ स्थापित नहीं की गई। पिछले सदन में खुले आम चार्ज लगाया गया सदन में खड़े होकर। उसके बाद सदन के लिये प्रस्ताव यहां पर आया है। सदन की एक प्रोपर्टी के तौर पर वह प्रस्ताव बनाया जाता है। एक माननीय सदस्य का कन्डक्ट बराबर चर्चा का विषय बना रहे, मैं समझता हूं कि यह कोई माननीय सदस्य पसन्द नहीं करेगा। उस मजबूरी की स्थिति के अन्दर उस बात को यहां पर करना पड़ रहा है, और मैं यह मानता हूं कि जो परम्परा हमारे यहां पर पड़ रही है या जो तरीका इस प्रस्ताव के संबंध में अपनाया गया है वह कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि एक राजनैतिक कारण से या किसी कारण से एक मामले को लेकर बराबर उसका बाहर प्रचार किया गया, यहां प्रचार किया गया। उस चीज को लाने के बाद जो लगातार चर्चाएं हुईं, अच्छी और बुरी; लेकिन सबसे बड़ी जो आपत्ति थी कि एक सवाल को कायम रखें और खत्म नहीं करें, उसके ऊपर बाहर और अन्दर बहस चलती रहे तो उसके लिये जरूरी है कि उसका फ़ैसला हो जाना चाहिये बजाय उसको लिन्गर ओन किया जाय या पेंडिंग रखा जाय। इस कारण से यहां पर रखा है। मैं स्वयं नहीं कहता कि स्वस्थ परम्पराएं इस बात को लेकर कायम की गई हैं। मुझे अफ़सोस है, माननीय अध्यक्ष, कि माननीय सदस्य ने जो मोशन में यह सुझाया है कि कमेटी मुकर्रर कर दें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गलत परम्परा है। एक मेम्बर भी यह कह दे कि अमुक आदमी पर हमारा यह चार्ज है और एक कमेटी कायम करने के लिये एक मोशन मूव करदो, तो उसके लिये मैं तैयार नहीं होऊंगा।

श्री जसवन्तसिंह--यह गलत फ़हमी है, कमेटी एपॉइन्ट करने का कोई सवाल नहीं आता है।

श्री सुखाड़िया--मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं।

श्री जसवन्तसिंह--वह त्यागीजी हों या मैं।

श्री टीकाराम पालीवाल--अध्यक्ष महोदय, कल भी इस प्रकार की भावनाएं प्रकट की गई थीं कि अपोजिशन चैलेन्ज एक्सैप्ट करता है या नहीं। मेरे खयाल से यह प्रश्न अपोजिशन वर्सेज़ ट्रेजरी बेन्चेज़ का नहीं है या वाइस वर्सा नहीं है। प्रश्न एक माननीय सदस्य के आचरण से संबंध रखता है, और वह सारे ही सदन का है। इसलिए मेजोरिटी और माइनोरिटी की दृष्टि से देखने में वह नहीं आता, लेकिन फिर भी जैसा कि माननीय जोशीजी ने कहा कि यह ठीक है कि कल इस बात को आपने भी एडमिट कर लिया है, लीडर ऑफ दी हाउस ने भी कहा कि प्राइमाफेसी केस के निर्णय के बिना ही इस मोशन को एडमिट कर लिया जाय। मैं भी निवेदन करना चाहता हूं और मेरी कल से यह फीलिंग रही, कल भी मैंने यह निवेदन किया था कि इस प्रकार की परम्परा डालने की बात गलत होगी, अब गलत होगी और आयन्दा के लिए भी गलत होगी। यह संभव है कि इस प्रकार की परम्परा का दुरुपयोग आज नहीं हो, कल हो सकता है। दुरुपयोग हो या नहीं, हमें यहां पर एक स्वस्थ परम्परा डालना है। इस दृष्टि से भी निवेदन किया था कि पहले आप स्वयं प्राइमाफेसी केस होने के बारे में अपने आपको संतुष्ट कर लें। जो कुछ अब तक कहा गया है उससे तो ऐसा लगता है कि यह ठीक है। मैंने कल भी निवेदन किया था कि यह एक अभूतपूर्व स्थिति है हाउस के सामने। आम तौर से यह परंपरा रही है कि जब किसी सदन के सदस्य के आचरण के प्रति किसी को खिलाफ बात मालूम है तो स्वस्थ्य परंपरा यह है कि वह सदन के नेता को वह चीज बतावे और सदन के नेता उस चीज के बारे में जांच करें और जांच के परिणाम की कार्यवाही से भी सदन के अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श करें और दोनों ही जब एक मत हो जायं कि आया इस बात पर कि कोई प्राइमाफेसी केस है तब दोनों की राय से एक मोशन सदन में आवे और यदि दोनों एक राय के हैं कि प्राइमाफेसी केस नहीं है तो यह मेटर ड्रोप कर दिया जाता है। यही नहीं बल्कि इस हद तक जो सूचना दी गई है वह फेबुलस है, अकारण है, वैमनस्य के कारण है; तो इस प्रकार के सूचना देनेवाले सदस्यों के खिलाफ इस प्रकार का मोशन ब्रीच ओफ प्रिविलेजेज़ का लाया जा सकता है। यह परंपरा है और इन परंपराओं को हम निभाना चाहते हैं। यह ज्यादा अच्छा होता कि जो चिट्ठी सदन में पेश की गई वह पत्र सदन के नेता को दिया जाता और सदन के नेता इस बारे में छानबीन करते। लेकिन यह नहीं हुआ किसी कारण से। या तो जिन्होंने इसे सदन में रखा है वे बतावें कि सदन में रखने के बजाय सीधी पेश करने में क्या शंका थी ? लेकिन वह हो गया। वह चिट्ठी यहां आई और जिनके द्वारा लिखी हुई थी उन्होंने स्वीकार किया कि यह उनके द्वारा लिखी गई थी, लेकिन फिर भी यह कहा गया कि यह अमुक जगह नहीं पहुंची, अमुक परिणाम इसका नहीं हुआ; ऐसा प्रश्न आया। जहां तक याद पड़ता है मार्च १७ या १८ के आस पास वह सदन में आयी थी उसके पश्चात् ५-७ सप्ताह सदन और चलता रहा। यह उपयुक्त समय था कि जिस समय के बीच सदन के नेता को उसके बारे में जांच करनी चाहिये थी और अध्यक्ष के साथ विचार विमर्श होना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय ने कल जो पत्र यहां पढ़ कर सुनाये उनसे यह पता चलता है कि आपने पूछा भी और उन्होंने बताया कि जांच कर रहे हैं और इस बीच सदन स्थगित हो गया। कल मैंने निवेदन किया था कि लंबा अर्सा चला गया, इस बीच में आपका और सदन के नेता का संपर्क रहा है, ऐसा मालूम

[श्री टीकाराम पालीवाल]

नहीं पड़ता और यह मालूम होता है कि यह झूलता रहा है । या तो आपने स्वयं जानकारी लेने का प्रयत्न नहीं किया या सदन के नेता को जो जानकारी देनी चाहिये थी वह उन्होंने नहीं दी । तो जो कड़ी रह गई है वह अब पूरी की जाय और अब इसके तथ्यों में जाकर कि यह प्राइमाफेसी केस है या नहीं, आप स्वयं जानकारी लें और सदन के नेता से प्राप्त करें, और और स्त्रोत से प्राप्त करें। सदन के नेता से जानकारी करके आप दोनों एक निर्णय पर पहुंचें कि यह प्राइमाफेसी केस है या नहीं। यदि है तो अधिक अच्छा हो कि यह मोशन सदन के नेता की तरफ से आवे, बजाय सदन के एक प्राइवेट मेम्बर की तरफ से आवें । प्राइवेट मेम्बर की तरफ से मोशन आना एक नई परंपरा होगी, जो उचित नहीं होगी। यदि ऐसी ही परंपरा डाली जानी है तो डाली जाय लेकिन वह अधिक स्वस्थ नहीं होगी । अच्छा यही होगा कि इसके औचित्य के बारे में सदन के नेता और आप मिलकर जांच करें और यदि माना जाय कि मोशन आना चाहिये तो वह सदन के नेता की ओर से आना चाहिये चाहे वे माननीय सदस्य इस ओर के हों या उस ओर के हैं । इसमें अल्पमत और बहुमत, ट्रेजरी बेन्चेज और अपोजिशन का प्रश्न नहीं है । आप सदन के अध्यक्ष के नाते सामूहिक सदन की प्रतिष्ठा के संरक्षक हैं और मैं मानता हूं कि सदन के नेता का कर्त्तव्य है कि वे इस प्रकार का कार्य करेंगे जिससे सदन की प्रतिष्ठा बढ़ती है, अभी बढ़ती है और आगे भी बढ़ती रहे; चाहे वे सदस्य किसी भी दल के हों, चाहे वे विरोधी दल के हों या इस दल के हों या कितने ही निकट के संबंधी हों । जैसा उन्होंने कहा था कि उन्हें यह विश्वास हो जाय कि इसमें कुछ तथ्य हैं तो वे कभी भी नहीं हिचकेंगे ।

माननीय अध्यक्ष, जैसा आपने कल कहा था और जो तथ्य सामने आये थे और जो कुछ सदन के नेता द्वारा कहा गया उससे तो लगता है कि जानकारी पूरी नहीं की गई । जैसा कि माननीय श्री व्यासजी ने कल कहा कि उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई, प्रस्तावक महोदय ने भी कहा कि उनसे भी कोई पूछताछ नहीं हुई और आपने भी जो कुछ कहा उससे मालूम होता है कि आपको जानकारी नहीं दी गई । यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने दिनों तक लटका रहा, जो नहीं रहना चाहिये था, पहले ही पूरा होना चाहिये था । जिसकी कार्यवाही सदन के पिछले अधिवेशन में नहीं होना भी दुर्भाग्य की बात है । यह किसकी गलती से हुआ, किस कारण से हुआ, किसने इसको लटकाना चाहा इन चीजों पर बहस करने से लाभ नहीं । यह एक गलत परंपरा डाल रहे हैं । यह गलत परंपरा न केवल राजस्थान के लोगों के सामने बल्कि सारे देश के लोगों के सामने आयेगी और लोग हंसेंगे कि यह भी एक विधान सभा है जो नयी गलत परंपराएं डालती है । वे लोग हमारी बुद्धि पर हंसेंगे, हमारी परंपराओं पर हंसेंगे । यह अवसर हमें अन्य दूसरे लोगों को नहीं देना चाहिये । इससे हमारी व्यक्तिगत रूप से, दलों के रूप से और सामूहिक रूप से सदन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी नहीं इस प्रकार के आचरण से । इसलिये मैं निवेदन करता हूं, कल भी किया था कि हम जो चीज करें निष्पक्ष रूप से करें और भविष्य को ध्यान में रखकर करें। आज किसी कठिनाई को पूरा करने के लिये विशेष रूपसे अनुकल पड़ता हो, लेकिन आगे के लिये वह अच्छा रास्ता नहीं है स्वस्थ नहीं है, इस दृष्टि से वास्तविक परंपरा मानना चाहिये । मैं यह कहूंगा कि अभी आप सदन के नेता की सम्मति से निश्चित करें कि इसकी जांच करके निश्चय करेंगे कि प्राइमाफेसी केस है या नहीं, और उसके बाद यह चीज आयेगी । आज जो

[श्री टीकाराम पालीवाल]
सदन में सदस्य बैठे हैं उनकी अलग अलग राय हो सकती है। कोई कहेंगे कि प्राइमाफेसी केस बनता है, कोई कहते हैं प्राइमाफेसी केस नहीं है; लेकिन पूरी जानकारी किसी ने नहीं की । जो कहते हैं कि प्राइमाफेसी केस है उन्होंने भी जानकारी नहीं की और जो कहते हैं ऐसा केस नहीं है, उनके पास भी पूरी जानकारी नहीं है । पूरी जानकारी रखी नहीं जा सकती सिवाय इसके कि मौखिक विरोध कर दिया । जो तथ्यपूर्ण कागजात हैं उनको देखना सबसे ज्यादा जरूरी है । उस फायल को देखना होगा किताबों के सिलेक्शन के बारे में । उसे आप देख सकते हैं, सदन के नेता देख सकते हैं और भी बहुत सी बातों की जानकारी रखनी होगी, जिनसे इनका संबंध है । उन्होंने जिनको प्रभावित किया उनसे जानकारी लेनी होगी । यह देखना भी जरूरी है कि जिस किताब का सिलेक्शन हुआ वह कैसी किताब है, किस प्रकार वह किताबों के सिलेक्शन में आई, आदि । इनका निर्णय आपको और सदन के नेता को करना चाहिये । उसके बाद यहां आया चाहिये कि यह प्राइमाफेसी केस है या नहीं । यदि नहीं है तो नेता इसको ड्रोप कर देंगे और उसके बाद यदि यह पता चले कि श्री व्यास और त्यागीजी ने वैमनस्य के कारण ऐसा किया है तो मैं कहूंगा कि सदन को अधिकार होगा, उनके खिलाफ कार्यवाही करे ।

श्री जवानसिंह--माननीय अध्यक्ष, इससे पहले कि जो कांस्टिट्युशनल पोइन्ट उठाया गया है, जो कल भी उठाया गया था और आज फिर विशेष चर्चा का विषय बना है उसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि दो-तीन घंटों के वाद-विवाद के पश्चात् इस पोइन्ट पर एक मत धारण कर लिया और तय किया कि इस मोशन को एडमिट करने की इजाजत दी जाती है और उसके बाद इसको प्रोग्राम में रखा । उसको लेकर वापिस चर्चा चल रही है और सदन का समय नष्ट किया जा रहा है । एक चीज को तय कर लिया है तो उसी चीज पर वापिस बहस हो, डिस्कशन हो और वापिस चर्चा का विषय हो; मैं तमाम बातों को मानता हूं जो विरोधी दल के नेता ने और दूसरों ने कही हैं । उनका तथ्य यह है कि जल्दबाजी की गई है । लेकिन क्या सदन के रूल्स के अंतर्गत यह मानते हैं कि एक चीज को जब मान लिया गया है तो उसको बार-बार रिपीट कर सकते हैं ? उसमें एक षड्यंत्र हो सकता है कि दूसरे रूप से कोशिश करके सदन के सामने लाना चाहते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आप रूलिंग दें कि जो चीज कल तय हो गई उसको बार बार क्यों लिया जाता है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास --मेरा कुछ उल्लेख आया है ।

अध्यक्ष महोदय, परम्पराओं के मुतल्लिक मेरा उल्लेख दिया है । एक माननीय सदस्य ने बार बार परम्पराओं का उल्लेख किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, किया जाता है, अभी अभी यह कहा गया, सदन के नेता ने कहा, दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि अच्छा यह होता कि वह पत्र जो सदन के सामने प्रस्तुत किया गया वह सदन के नेता के सामने प्रस्तुत किया जाता . . . .

श्री अध्यक्ष --With regard to that the Hon'ble member will have a right to speak when he speaks on the substantive motion.

श्री हरिकृष्ण व्यास --I only want to make a statement on that point, Sir. I don't want to enter into any controversy.

श्री अध्यक्ष --Not necessary.

श्री हरिकृष्ण व्यास--परम्पराओं का जिक्र है इसलिये थोड़ा सा जिक्र कर दूं । बहस नहीं करूंगा, आधा मिनिट लूंगा ।

वह पत्र इस सदन में इसलिये प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई कि मुझे इस बात का यकीन नहीं है और आज भी नहीं है कि ठीक जांच की जायगी । आज, अध्यक्ष महोदय, यदि मुझे इस बात को गारन्टी दें तो मैं एक दूसरा इस प्रकार का दस्तावेज सदन के नेता के पास पेश करूं और घंटे भर में संबन्धित कागजात आप अपने कब्जे में ले लें तो मैं पेश करने को तैयार हूं । वह नहीं हो तो फिर आवश्यकता होती है सदन के सामने पेश करने की ।

आज मैं प्रस्तुत करने को तैयार हूं, उस सदस्य के खिलाफ, उस भयंकर आदमी के खिलाफ शिकायत पेश करने को तैयार हूं बशर्ते के वह दस्तावेज एक घंटे के अन्दर अन्दर अध्यक्ष महोदय के हाथ में आ जाय ।

श्री नाथूसिंह शक्तावत (उपाध्यक्ष)--अध्यक्ष महोदय, इस सारे वाद-विवाद को सुनने के बाद में ऐसा महसूस करता हूं कि जो सम्मति दी गई वह वापिस लेनी चाहिये । यह पहले जैसा कि और जगह हुआ है, सदन के नेता और अध्यक्ष महोदय इस विषय की जांच करें और जांच करके इस निर्णय पर पहुंचें कि यह कोई कमेटी कायम करने लायक मामला है; तो फिर सदन के नेता इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करें और जैसा कि और जगह हुआ है वैसा होना चाहिये ।

इस विषय को श्री पालीवालजी ने स्पष्ट किया, मैं उनके विचारों से सहमत हूं । कुछ जल्दबाजी में, जोश में, पूरा सुने बिना नहीं होना चाहिये और जो गलती जितनी हुई है वहीं से वापिस लौट जाना अच्छा होगा......

(हियर हियर एवं करतल ध्वनि)

......बजाय इसके कि आगे इसको पूरा करना । यह एक स्वतन्त्र राय मैं रखता हूं और मुझको यह बात स्पष्ट है ।

माना कि इस बात में वाद-विवाद होने के बाद बहुमत होगा कि कमेटी कायम नहीं की जाय । किसी सदस्य के विरुद्ध कोई सदस्य कोई आक्षेप लाये और वह आक्षेप साधारण तौर पर सदन के सामने रख कर उसके आचरण के विषय में ऊंची-नीची बातें कहने का मौका दिया जाय, यह उस सदस्य के लिये अनुचित है । फिर चाहे वह जीत जाय, सदन पास कर दे कि सारा गलत है, पर जो जो बातें कही गई वे वापिस नहीं ली जा सकतीं, पब्लिसिटी हो तो गई । इसलिये उस सदस्य की दृष्टि से अनुचित हैं कि इस तरह इस पर वाद-विवाद हो ।

माननीय अध्यक्ष, जो सबके लिये जिम्मेदार हैं वे और सदन के नेता पूरी छान बीन नहीं करलें और करने के बाद कोई ग्रेव, सीरियस मामला महसूस करें जिसके लिये कमेटी मुकर्रर करना आवश्यक

[श्री लालसिंह शक्तावत]

हो तो यह मामला सदन में आय, वरना कई शिकायतें सदन के सदस्यों के खिलाफ रोजमर्रा आती हैं उनकी प्राइवेट लाइफ में कई शिकायतें आती हैं, सदन कोई जुडिशियल कोर्ट नहीं है। सदन को तो ऐसा आचरण, जो सदन के सदस्यों की दृष्टि से आलोचनात्मक हो, जिसकी आलोचना सदन को करना हो, ऐसा सीरियस हो तभी करनी चाहिये।

आगे जाकर भी इसको रोकना तो पड़ेगा ही। तो जितना आगे बढ़ गये हैं, वहीं इसे रोकना ठीक है, आवश्यक है। इसमें फिर ऐसी कोई बात नहीं है कि बुरा लगेगा, गलती हो जाती है।

मेरे विचारों से सदन के ज्यादा तादाद में सदस्य सहमत होंगे। जहां आगे बढ़ गये हैं, जो खामी पहले रही है, सदन के नेता और अध्यक्ष उसको अनुभव करके अगर आवश्यक समझें कि सदन के सामने लाने का मामला है तो सदन के नेता उसे सदन में प्रस्तुत करें, जैसी कि और जगह परम्परा है।

श्री श्रीवास गोयल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट इसके लिये बोलना चाहता हूं। वास्तव में अगर किसी चीज को दुरुस्त करें तो वह देरी से भी हो तो उसका स्वागत करना चाहूंगा दलीलें दी गई हैं, एक माननीय सदस्य के पक्ष में या विरोध में बहस हो, १० तरह के आरोप लगायें जायं उनको एवोइड करने के लिये वे परम्पराएं थीं, जिनका जिक्र माननीय उपाध्यक्ष ने किया, उनसे मैं सहमत हूं।

सरकार के एक किसी साधारण चपरासी के खिलाफ कार्यवाही करनी होती है तो उसकी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी होकर चुप चाप हो जाता है। तो अपने हाउस में माननीय सदस्य के खिलाफ डिबेट चले, १० प्रकार के आरोप लगाये जायं, यह ठीक नहीं। इसलिये जो सुझाव दिया गया है, और माननीय उपाध्यक्षजी ने जो फरमाया है, मैं उनसे सहमत हूं। इस पर इसी तरीके से विचार किया, जाय।

श्री बलवीर--माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं, उनसे मुझे बड़ा अफसोस है। जब कल सदन के माननीय नेता ने कह दिया था कि मेरे खयाल से कोई प्राइमाफेसी केस नहीं बनता और माननीय अध्यक्ष ने गलत या सही तरीके से मोशन मूव करने की इजाजत दे दी तो फिर अब नये सिरे से यह बहस क्यों की जा रही है?

माननीय सदस्य के आचरण पर गलत बातें कही जा रही हैं जब कि यह लैटर, इसका कोई असर नहीं रहा, जिसको दिया गया उसके पास पहुंचा नहीं.....

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)--आप लैटर के बारे में बोल रहे हैं या मोशन के बारे में?

श्री देवपाल त्यागी--Are you advocating the cause of the Member against whom the motion is being moved?

श्री अध्यक्ष--I think it has been sufficiently discussed.

श्री बलवीर -- (अश्रव्य)

कुं० श्री जसवन्तसिंह --माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे मित्र श्री पालीवालजी ने फरमाया, मेरे विचार शुरू से ही थे, जब से यह बात सदन के सामने आई, मुझे बड़ा अनुभव हो रहा था इसलिये कि हम दुनिया में छोटे न दिखें और ऐसी परम्परा कायम नहीं करें । बहुत विचारने के बाद में और अपने प्रान्त के हित को अपने सामने देखते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोगों के लिये अच्छी बात होगी और मैं बहुत जोर से मेरे मित्र श्री त्यागीजी को निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को विद्ड्रा करें और जब वे विद्ड्रा करें तो मैं पूरी आशा करता हूं कि माननीय अध्यक्ष और माननीय चीफ मिनिस्टर भी हमें आश्वासन दें और हमें आशा है कि हमेशा जैसे उनके विचार रहे हैं वे देश और प्रान्त का हित देखेंगे और जो नोरगल चीज ऐसे कामों में होगी, करते हैं, करेंगे । यह प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी माननीय अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर करें और अगर कुछ तथ्य हो तो उसको सदन के सामने लावें । यही हाउस आफ कामन्स में भी होता है । अगर ऐसा वातावरण हम नहीं बनावेंगे तो हम सब के लिये बहुत बुरी बात होगी । इन विचारों के साथ मेरे माननीय मित्र श्री त्यागी से निवेदन करूंगा कि सभी सदस्यों के हितों के लिये और बुरा न दिख पड़े, वे इस प्रस्ताव को वापिस लेवें और मैं माननीय चीफ मिनिस्टर से अपील करता हूं कि दुनिया में जैसी दूसरी जगह इस प्रकार की चीजें होती हैं, करें; माननीय अध्यक्ष के लिये इस मामले को साफ करें ।

श्री वेदपाल त्यागी---I want to express my opinion on this. I will be the last man to lay down a convention which is not a healthy one.

और मैं कभी इस बात को पसन्द नहीं करूंगा कि मेरे द्वारा इस बात का कोई कन्वेन्शन बने, आने वाली संताने यह कहें कि हम लोग डेमोक्रेसी को चलाने में नाकामयाब हैं । इसलिये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने आपको इसके लिये एक पत्र लिखा था कि यदि इसको उन्हीं कन्वेन्शनों के आधार पर, जो इस संबन्ध में दूसरी जगह लागू होते हैं, उसके अनुसार हमारे माननीय सदन के नेता और माननीय अध्यक्ष दोनों मिलकर इसकी इन्क्वायरी करें और उस इन्क्वायरी में प्राइमाफेसी अगर उनके सामने आवे तो जरूर सदन के सामने लावें । अगर, प्राइमाफेसी कोई चीज सामने आवे तो चीफ मिनिस्टर इसको पेश करेंगे और अगर आप लोग इसके लिये तैयार हैं तो मैं अपने मोशन को खुशी से विद्ड्रा करने के लिये तैयार हूं ।

(दोनों ओर से "हियर हियर" की आवाज एवं अनौपचारिक चर्चाएं)

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री) --माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू से कभी इस बारे में इनकार नहीं किया कि अगर कोई भी परम्परा हाउस आफ कामन्स की है चाहे हमारी Parliament की हो; उन्हीं परम्पराओं के आधार पर अगर हम चलना चाहते हैं, उस पर न चलें ; यह मेरी मंशा कभी नहीं है, न रही है और न आगे रहेगी; यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं । मैं अपनी

[श्री मोहन लाल सुखाड़िया]

जिम्मेवरी को स्पष्टतया समझता हूं । अगर सदन के माननीय सदस्य जो परम्पराएं दूसरी जगह पर ऐसे अवसरों के लिये काम में ली जाती हैं लें, अपने इन्हीं परम्पराओं के अनुसार हमारे यहां पर भी अच्छी कार्यवाही होनी चाहिये और उसके होने की आवश्यकता है, तो उसको करने के लिये मुझे कोई एतराज नहीं होगा ।

("हियर हियर" विपक्ष की ओर से)

इसके करने का प्रयत्न भी किया गया, लेकिन मैं समझता हूं कि यह मोशन यहां दे दिया गया है। माननीय अध्यक्ष, इसके संबन्ध में और कुछ कहना चाहूं और जो विषय चर्चा का है वह इस सदन के जुरिस्डिक्शन में है और दूसरी बातों पर विचार किया जावे और विचार करके जैसा पहले हमारा ख्याल था कि सबस्टेन्टिव मोशन के तौर पर सदन के अन्दर हर हालत में इसको पेश करने का अधिकार है वह न समझ कर कि ऐसे केसेज में माननीय सदस्य के कन्डक्ट से संबंध है, इसको दूसरा मूव बताया कि इसमें स्वस्थ परम्पराएं कायम होनी चाहिये और जब तक प्राइमाफेसी केस पहले इन्क्वायरी से साबित न हो जावे, सदन में न आवे और यह स्पष्ट बात है; इस पर मुझे कोई एतराज नहीं होगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास——अध्यक्ष महोदय, अभी यह बात साफ तौर से कही गई सदन के नेता की ओर से कि सदन के नेता और अध्यक्ष महोदय प्रिलीमिनरी इन्क्वायरी करें । इस बात को स्पष्टता; सदन के नेता ने कबूल नहीं किया ।

(सदन में विपक्ष की ओर से आवाज, "कुबूल किया गया है")

नम्बर दो । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि इस सिलसिले में जो भी सुबूत; सरकारी कागजात आदि हैं वे अध्यक्ष महोदय और चीफ मिनिस्टर के पास एवेलेबल किये जावें उस समय, चूंकि मैंने यह खास तौर से रखा है, मुझे मौका अवश्य दिया जावे कि अध्यक्ष और सदन के नेता के समक्ष सरकारी कागजों के आधार पर बता सकूं और खातरी कर दूं कि प्राइमाफेसी केस है ।

श्री अध्यक्ष—— Order Please !

जो वातावरण इस वक्त उपस्थित किया गया है उसके लिये तो मैं सदन के नेता को धन्यवाद देता हूं, लेकिन यह सारा वाद-विवाद मैं समझ नहीं सका । आखिरकार जो रास्ता, प्रोसीजर वे कायम कर रहे हैं और किस तरह चलें तो मुझे स्वयं कोई दोष नहीं देना चाहिये कि अध्यक्ष का एक ऐसा प्रतिबन्ध है कि किसी भी माननीय सदस्य के ऊपर यदि कोई सच्चा या झूठा आरोप लगाया गया हो, वह इस पर अनुमति देने के लिये अधिकार रखता है; लेकिन वह आपत्ति कहां है जब कि सदन के नेता और माननीय सदस्य उसको सदन में लाना चाहते हैं ?

आखिरकार उस इन्क्वायरी का तात्पर्य तो यह हुआ कि प्राइमाफेसी केस है या नहीं और थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय कि वह प्राइमाफेसी केस बनता है, एक की राय

[श्री अध्यक्ष]

में और दूसरे को राय में कोई भिन्नता है तो उस सारे मामले को दबाये जाने की अपेक्षा वह सारा मामला सदन के सामने आये और वह विचार ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित माननीय सदस्य और सदन के नेता ने स्वीकार किया है कि अगर प्राइमाफेसी केस हो तो सदन के सामने रखने को तैयार हैं। तो मैं नहीं समझता। यह ठीक है जो दो केसेज का हवाला दिया गया उनमें दो भिन्न प्रयोजन हैं और उनमें सदन के नेता और अध्यक्ष एक राय हुए थे और तब ही वह प्रश्न लिया गया था, लेकिन अन्ततोगत्वा तो इसका सारा निर्णय, इसकी सारी तजवीज तो सदन करता है और प्राइमफेसी केस मान लिया और इसके बारे में भी कोई विभिन्न राय हो तो इसको भी सदन तय करेगा। तो इस परम्परा में कोई बात नहीं रही कि इसमें कोई मतभेद हो, इसमें कोई ज्यादा कन्सर्न हो। मैं समझता हूं कि जो निर्णय लिया गया था कल वह उचित था और वैधानिक था। मैं स्वयं उससे संतुष्ट हूं लेकिन अच्छा वातावरण इस सदन में फैले तो मैं समझता हूं मुझ से अधिक किसी को प्रसन्नता नहीं होगी और जो प्रस्ताव किया गया है मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं इन शब्दों के साथ।

(करतल-ध्वनि)

श्री वेदपाल त्यागी--अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मुझको और सदन को विश्वास दिलाया गया है सदन के नेता अध्यक्ष महोदय के साथ इसको प्रिलिमिनेरी जांच करके बतावेंगे।

श्री अध्यक्ष--One thing I may make clear. The Speaker will himself not make any enquiry. He will be associated with the Leader. The Speaker is not Executive Head. It is the duty of the Leader to take the Speaker into confidence.

श्री हरिकृष्ण व्यास--रेकर्ड आयगा या नहीं?

श्री अध्यक्ष--No. It will be at the sweet will of the Leader.

श्री हरिकृष्ण व्यास--उसमें तो गड़बड़ी हो जायगी।

श्री वेदपाल त्यागी---Ultimately it is . . . .

श्री अध्यक्ष--I am not in-charge of the Government.

श्री वेदपाल त्यागी---Ultimately it is the function of the Leader in association with the Speaker to find out wheather a *prima facie* case has been made or not and in that event, if a *prima facie* case is made out, then of course the case will come before the House, and if both of you come to this conclusion that there is no *prima facie* case, I will have no objection, because we must reside our confidence at least in one man, who is known as the Speaker. The institution of the Speaker is a very sacred institution and every member of this House should reside his confidence in the Speaker. If you come to this conclusion that their

[श्री वेदपाल त्यागी]

no *prima facie* case, then, of course we will have no objection and if you come to the conclusion that there is a *prima facie* case, then the case will be brought before the House.

With these remarks I am prepared to withdraw my motion and I withraw it.

एक माननीय सदस्य --यह तो कुछ हुआ नहीं साहब ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--I have to add nothing to what I have said.

श्री टीकाराम पालीवाल --अध्यक्ष महोदय, कुछ कन्फ्यूजन मालूम होता है । यह शर्त के साथ कहा जाता है और क्रिटिसाइज किया जाता है कि सदन के नेता की राय कुछ हो और आपकी राय कुछ भिन्न हो तो तब दूसरी तरह की कार्यवाही हो और यदि दोनों की राय मिलती हो तो दूसरी तरह का कार्यवाही हो। यह प्रस्तावक महोदय के कहने से मैं समझता हूं । अब तक की जो स्थिति है, सदन के नेता ने कहा है कि वे इसको नहीं मानते और अब आगे इन्क्वायरी स्पीकर महोदय नहीं कर सकते जैसा उन्होंने कहा । तो आगे इन्क्वायरी होगी या नहीं यह भी मालूम नहीं । इस स्थिति में स्पष्ट तौर से कहा जाय कि आपके भी निर्णय में प्राइमाफेसी केस नहीं है; मेरी समझ में नहीं आया, वे विदड्रा करना चाहते हैं या नहीं । यह भी साफ नहीं है ।

कुंवर जसवंतसिंह --माननीय अध्यक्षजी, इस चीज में ....

(घण्टी)

श्री मथूलाल मिश्रा --यह यहीं तक खत्म हो जाये, आगे कुछ नहीं होने वाला है ।

(घंटी एवं शोरगुल)

श्री अध्यक्ष --Order please !

श्री मथुरादास माथुर --माननीय अध्यक्ष, कलसे स्पष्टतः काफी वातावरण हो रहा है । मेरी इच्छा थी कि मैं इस समय सदन में कुछ विचार नहीं रखूं और जब मुझे आप कहें उस वक्त बोलूं, लेकिन एक नई तजवीज सदन के सामने पेश हुई है । मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ, मैं यह चाहता हूं कि सदन में कोई ऐसी परम्परा न बने जिससे कि भविष्य में सदन के किसी साथी के साथ में भी अगर कोई इस तरह की घटना घटे तो वह उसका मुकाबला न कर सके ।

जहां तक मुझ से संबंध है इस प्रस्ताव का जो कुछ भी त्यागीजी और दूसरे साथी, चाहे इधर हों या उधर हों और जो प्रस्ताव रखने में हों या रखवाने में आगे हो ....

श्री वेदपाल त्यागी --I have made it myself.

श्री अध्यक्ष -- The Hon'ble Member should not get startled.

(हंसी)

श्री मथुरादास माथुर --जो कुछ भी इसके बारे में कहा जा सकता है वह पहले से ही सदन की मेज पर रख दिया गया। आज से छः महीने पहले इस प्रस्ताव पर राजप्रमुख के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए और बजट पर बहस करते हुए इस सदन में काफी कहा जा चुका और वह भी मैंने सुना है। मैंने आपको उत्तर शीघ्र ही दे दिया था और लीडर आफ दी हाउस ने भी थोड़े समय में जो कुछ जांच करके उन्होंने अपना वक्तव्य सदन में दिया था, यह सब सदन की मेज़ पर मौजूद है। उसके बाद में त्यागीजी ने एक प्रस्ताव रखा आखरी दिन और उस वक्त हाउस एडजोर्न होगया और उन दिनों हाउस प्रोरोग होगया, इसलिये छः महीने तक ऐसा प्रस्ताव नहीं आया। सदन के नेता महोदय फ़र्दर इन्क्वायरी नहीं कर सके। उसके बाद फ़र्दर इन्क्वायरी की। उन्होंने मुझे पत्र लिखा, मुझसे जवाब मांगा। दूसरी शहादतें इकट्ठी कीं। जो कार्यवाही मुनासिब समझी वह काफ़ी थी या नहीं थी मैं वह नहीं कह सकता। उन्होंने मुझे पत्र लिख कर जवाब पूछा और मैंने उसका जवाब दिया। उसके बाद त्यागीजी ने जोर दिया कि एडमिट होना चाहिये, वह एडमिट हुआ और आपने ऐलान किया। जहां तक मुझ से संबंध है मैं साफ कह देना चाहता हूं कि अगर इस प्रस्ताव पर बहस होती है तो हो। अब परम्परायें अच्छी नहीं होंगी, परम्परायें अच्छी नहीं हैं इसको जानते हुए इस सदन में कुछ लोग उतारू हैं कि गलत परम्परायें लागू हों। इस सदन को बहस करने का अधिकार है या नहीं इस पर भी कुछ चर्चाएं हुई। मैं अपनी बरियत इस तरह देना चाहता हूं कि इस सदन को अधिकार है कि वह इस पर विचार करे। सदन के सदस्यों को सजा करने का अधिकार हो तो अवश्य करे, अगर नेता इन्क्वायरी करना चाहें तो अवश्य करें, अगर अध्यक्ष महोदय इन्क्वायरी करना चाहें तो अवश्य करें, अगर कमेटी बना कर इन्क्वायरी करना चाहते हैं तो अवश्य करें।

(राज-पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

हाउस को अधिकार नहीं होने पर अगर हाउस के बाहर, कानूनी तौर पर हाउस में नहीं आ सकता है, तो माननीय एच. के. व्यास हैं, त्यागीजी हैं, वे इसकी जांच करें और मन को तसल्ली दें।

(करतल-ध्वनि)

मैंने सोचा नहीं था, मैंने तुरन्त कहा था। जिसको चिट्ठी कहा जाता है, जो एक लाइन की चिट्ठी है, मैंने लिखी है। मथुरालालजी ने क्या किया मैं नहीं जानता, उनके पास पहुंची या नहीं पहुंची? सदन के नेता ने कहा नहीं पहुंची और कोई जिरह की जाये, कमेटी की जाय, मैं हमेशा तैयार हूं। मैं यह कह देना चाहता हूं कि अगर हाउस में अच्छी तरह की परम्परायें कायम करने के लिये होता है तो मैं उसमें बाधक नहीं होऊंगा। पूरी कमेटी के सामने तैयार हूं। जो साथी कहना चाहें बुरी से बुरी बात कहें, उन्हें कहने का हक था। अगर मैंने कोई कसूर किया है तो मैं सजा पाऊंगा। सदन नहीं देगा तो मैं अपने आपसे दूंगा। जो खत लिखा है, मैं इक़बाल करता हूं, लिखा है। उस चिट्ठी को लेकर अगर

Page No.113

[श्री मथुरादास माथुर]
मैंने कोई ग्रेटिफिकेशन किया हो या सैटिसफ़ैक्शन रिसीव किया हो, किसी दुर्भावना से लिखा हो और मुद्गल केस में जो जो बातें सैटिसफ़ैक्शन और दूसरी बात थी, सदन के ज्युरिसडिक्शन में आती हैं या नहीं, इन दोनों में जो कुछ कहा गया आपने पढ़ा होगा। ये केसेज़ हाउस में रैफ़र किये गये हैं मैंने भी पढ़े हैं।

अगर उसी तरह का यह केस होता है तो हाउस उसकी इन्क्वायरी करे। जहां तक इस संबंध में होने वाली छींटाकशी का सवाल है मैं माननीय अध्यक्ष आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस संबंध में बहुत छींटाकशी हो चुकी, उसको बर्दाश्त किया और सुना है। इस हाउस में इस प्रस्ताव पर ही नहीं दूसरे प्रस्तावों पर और यहां तक कि लैंड रेवेन्यू बिल पर अमेन्डमेन्ट के सिलसिले में छींटाकशी इस तरह की हुई जो विधान सभा के इतिहास में संसार भर में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहां तक कि व्यभिचार से संबंधित बातों तक का भी उल्लेख किया गया था इस दौरान में। ये सब बातें इसलिये होती हैं कि सदन में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि इस देश में अनार्की स्थापित हो और वे इस डेमोक्रेटिक देश को इनफ़ैन्टल डेमोक्रेसी को मरडर करना चाहते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं और आपको तसल्ली देता हूं कि जो भी निर्णय अध्यक्ष करें या नेता करें या त्यागीजी करें वह मुझे मन्जूर है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, मेरी समझ में नहीं आया आखिर इस सारी बहस का क्या परिणाम है?

एक माननीय सदस्य—कमेटी बैठा दो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कमेटी बिठाने का कोई सवाल नहीं।

मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि एक बात जो विरोधी दल के नेता ने कही उस पर मैंने अपनी बात कही। मैं समझता हूं कि उसमें और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ पहले कहा मैंने उसमें। उसके बाद ऐसा लगा मुझे कि श्री त्यागीजी अपने विथड्रावल को कुछ कन्डीशनल बना रहे हैं; यह स्पष्ट होना चाहिये।

कुंवर श्री जसवन्त सिंह—इस प्रकार का सुझाव सदन में मैंने रखा था। जो सुझाव मैंने रखा था उसमें यह कन्डीशन रखी थी और इधर त्यागीजी से अपील की थी कि वे अपने मोशन को विथड्रा करलें और आपसे मैंने यह अपील की कि उनके विथड्रा करने के बाद में आप कृपया जो फ़ोर्मेलिटीज़ ऐसी बातों में हुआ करती हैं आप और अध्यक्षजी मिल कर जांच करें। अगर प्राइमाफ़ेसी केस बनता हो, तो वह हाउस के सामने आये.........

श्री हरिकृष्ण व्यास—स्पीकर की राय में प्राइमाफ़ेसी हो और दोनों की राय डिफ़र करती हो तो वह हाउस के सामने आना चाहिये। यह एक नई चीज है इसलिये मैंने निवेदन किया।

कुंवर श्री जसवन्त सिंह—मेरा प्रोपोजल यह था कि ऐसी बातों में जो परम्परायें चली आ रही हैं वैसा ही कार्य हो। अगर उसमें स्पीकर महोदय एग्री न करें तो न आयें। मेरे सुझाव के माफ़िक और

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]
दो केसेज़ जो पहले हुए हैं, जिनमे यह सिद्ध है कि अगर दोनों एक मत न हों यह मामला सदन में आयेगा। यह जो सुझाव मैंने सदन के सामने रखा वह विधान सभा के हित के लिये, माननीय सदस्य के हित के लिये अपने और दूसरों के हित के लिये रखा है। इन बातों को मेरे मित्र त्यागीजी ने माना और मेरा जहां तक ख्याल है माननीय मुख्य मन्त्री भी इसे मानेंगे। इसके बाद कोई सवाल नहीं रह जाता।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय अध्यक्ष, जो कुछ मैंने कहा उस पर गलत फ़हमी पैदा हो गई, उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, किसी मेम्बर के कन्डक्ट के खिलाफ़ चार्ज होते हैं तो यह सदन के नेता का कर्तव्य है कि इसकी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करके स्पीकर को अपने साथ एसोसियेट करके स्पीकर की रजामन्दी से यदि वे इस नतीजे पर आते हैं कि यह प्राइमाफ़ेसी केस नहीं तो इसको सदन में लाने की आवश्यकता नहीं। अगर दोनों में से एक भी इस नतीजे पर पहुंचता है कि यह प्राइमाफ़ेसी केस है then there is need for further enquiry and further action. दोनों इस नतीजे पर आते हैं कि प्राइमाफ़ेसी केस है तो माननीय सदन के नेता को मोशन मूव करना पड़ता है। अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाय जो आज तक किसी केस में देखने में नहीं मिली, माननीय नेता कहें कि यह प्राइमाफ़ेसी केस नहीं और स्पीकर यह कहें कि यह प्राइमाफ़ेसी केस है तो ऐसी स्थिति में भी वह सदन के सामने आना चाहिये। क्योंकि ये ऐसे मामले हैं जिनमें सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है। सदन के स्पीकर कस्टोडियन हैं, उनकी जो कुछ राय है उसके आधार पर आगे चलना चाहिये। मैंने यह बात स्पष्ट करने की पहले भी कोशिश की थी। हो सकता है मैं उसको स्पष्ट न कर सका हूं। इसी कन्वेन्शन को फ़ोलो करने के लिये मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं और लेने के लिये तैयार हूं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर चुका था। प्रोसीजर की डिटेल्स में जाना एक अलग सवाल है। मैंने यह स्पष्ट कहा था कि जो परम्परा हाउस ऑफ़ कामन्स में हमारी यहां की पार्लियामेन्ट में हैं ऐसे मामलों के बारे में काम में लाई जाती हैं; उसका पालन करने के लिये मैं तैयार रहूंगा।

श्री वेदपाल त्यागी—मैं भी पालन करने के लिये तैयार हूं और रहूंगा और आपकी भी जो आज्ञा होगी उसको भी मैं मानूंगा।

श्री रामकरण जोशी—माननीय अध्यक्ष, इस संबंध में मैं समझता हूं, जो सवाल मैंने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया उस सवाल पर आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं; सब लोग आपसे सुनना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अभी तक फ़ोर्मल विथ्ड्राअल का मोशन होना बाकी है।

श्री रामकरण जोशी—मैं समझता हूं कि विथ्ड्राअल का मोशन हो चुका।

एक माननीय सदस्य—परमिशन आफ़ दी हाउस भी तो लेनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष -- If the Hon'ble Member is agreeable to the discussions which have taken place in the House, he should move for leave for a formal withdrawal of the motion; if not then I will take it that he does not want to withdraw it with all the implications of the discussion that has taken place.

श्री वेदपाल त्यागी – Of course I have already submitted before the House and after having expressed myself on the procedure that is to be followed, I have already submitted before the House that I, in that event take leave of the House to withdraw the motion.

श्री अध्यक्ष -- There can be conditional withdrawal. The withdrawl will be complete and absolute. The Hon'ble Member must bear in mind all the implications of the withdrawal

श्री वेदपाल त्यागी— Mr. Speaker, Sir, when the procedure is being followed, I have got no reservations in my mind. I may make it clear that when the Leader of the House and the Speaker both will sit together and make preliminary enquiry, then of course I shall have no reservations in my mind.

श्री अध्यक्ष -- I can adjourn the House for half an hour so that the differerences may be resolved and formal withdrawal motion may come.

श्री टीकाराम पालीवाल—आपने जो बात रखी है कि इसलिये हाउस को एडजोर्न कर दिया जाय; by adjourning the House for half an hour we will lose nothing. The way will be clear.

श्री मोहनलाल सुखाडिया–Mr. Speaker, Sir, I have not been able to understand why this interval of half-an hour is necessary, when we have expressed ourselves clearly.

श्री टीकाराम पालीवाल -- यह बहुत खुलासा मालूम होता है कि जो बात अध्यक्ष महोदय ने कही, जो बातें नेता महोदय ने कहीं, और जो बातें प्रस्तावक महोदय ने कहीं, उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों अलग अलग चीजें सोच रहे हैं और तीनों के तीनों एक साथ नहीं हैं, एक चीज नहीं सोच रहे हैं।

श्री अध्यक्ष -- Yes. The House may come after consultation with the Leader, the Mover and the Leader of the Opposition and other Members to come to any decision. We will meet at five past twelve, i.e. 15 minutes later.

(इसके बाद ११-५५ पर सदन की बैठक स्थगित होकर पुनः १२-१२ बजे प्रारम्भ हुई)।

श्री वेदपाल त्यागी — I beg leave of the House to withdraw my motion.

(करतल–ध्वनि)

श्री अध्यक्ष--I thought I was late but the members are still

श्री प्रबनिकुमार मुखर्जी--I think the bell should be used.

श्री अध्यक्ष-- Order please ! श्री वेदपाल त्यागी का प्रस्ताव है कि जो मोशन उन्होंने श्री मथुरादास माथुर के आचरण के संबंध में सदन में प्रस्तुत किया है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई । I may take it as unanimous.

समस्त माननीय सदस्य -- Yes, Sir.

श्री अध्यक्ष--So the leave to withdraw is granted.

श्री वेदपाल त्यागी--I withdraw my motion.

आय-व्ययक सत्र, १९५६

कार्य-विवरण दिनांक १४ मार्च, १९५६ के अंश

श्री वेदपाल त्यागी द्वारा प्रारम्भिक जांच का प्रश्न उठाना एवं श्री टीकाराम पालीवाल के वक्तव्य का अंश

श्री वेदपाल त्यागी--मैं बताऊं पिछले बजट अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया था माथुर साहब के खिलाफ । उनके खिलाफ जब चिट पेश हुआ तो प्रस्ताव रखा गया कि इसकी खुली जांच होनी चाहिये और सरकार की कमेटी के द्वारा जांच होनी चाहिये जिसमें संसदीय परम्पराओं को कायम रखने के लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच करके और अध्यक्ष महोदय को कॉन्फिडेन्स में लेकर सदन के सामने उस जांच का परिणाम रखेंगे । पर निवेदन करूं कि साल भर का अरसा गुजरने को आया; न जांच की गई, न कुछ किया गया । हां, एक चिट्ठी जरूर आई थी मेरे पास और मैंने उसका जवाब भी दे दिया कि आप फाइल देख लीजिये । मैं फाइल से ही साबित कर दूंगा, एस्स एविडेन्स की जरूरत नहीं, फाइल ही सब कुछ बोल रही है । आप जो कारण देते हैं वह तो पहले ही रिपोर्ट आ चुकी थी, लैटर बाद में लिखा गया । जब रिपोर्ट पहले हो आ गई थी तो फिर लैटर लिखने की क्या जरूरत पड़ी, मैं यह नहीं समझ पाया । लैटर लिखा गया, फिर किस उद्देश्य से ? पर आज यह सारा मामला दबाया जाता है और अगर कोई शिकायत करता है तो उनसे कहा जाता है कि यह शिकायत बेजा है । मैं निवेदन करूं, उस दिन एक सज्जन ने बोलते हुए,

Page No.117

[श्री वेदपाल त्यागी]
यद्यपि मैं यह कहूंगा कि वह आवेश में या रोष में बोल रहा था, इस सरकार को नाजी सरकार कह दिया और उस पर मुख्य मंत्री महोदय ने जवाब देते हुए यह कहा है कि नाजी सरकार कहने से पहले वे नाजिज्म को स्टडी कर लेते तो नाजी सरकार इसे नहीं कहते, लेकिन जवाब में जो कहा वह यह बात कही कि आप हमको नाजी सरकार बताते हैं पर हमारे यहां इतने एजीटेशन हुए पर हमने एक बार भी गोली नहीं चलाई। अगर गोली न चलाना ही सिर्फ इस बात का द्योतक है कि आप नाजी नहीं हैं और जहां गोली चले वह नाजी सरकार है तो पं० जवाहरलाल नेहरू की सरकार के लिये आप क्या कहेंगे जिसमें सन् ४६ में कबायलियों पर बम बरसाये थे ? मैं समझता हूं कि सरकार जो लोग चलाते हैं उनको मौका पड़ने पर गोली भी चलानी पड़ती है।

श्री जसवन्तसिंह--आज बम्बई में बड़ी गोलियां चलीं और २ जगह भी काफी चली हैं।

श्री वेदपाल त्यागी-- हां तो इस माने में तो मुरारजी तो सबसे बड़े नाजी कहलावेंगे जो कि बम्बई में काफी गोली चलवाते हैं। पर यह नाजी सरकार होने, न होने का माप दण्ड नहीं है कि किसने कितनी बार गोली चलाई। आप गोली तो इसलिये भी नहीं चलाते कि आप हर मौके पर दब जाते हैं एजीटेशन का मुकाबला करने की आपमें हिम्मत ही नहीं है, न ही आप एजीटेशन का मुकाबिला कर सकते, हैं। जयपुर में एजीटेशन हुआ उसमें दबे, हाउस टैक्स और ओक्ट्रॉय के लिये। जयपुर में आपने फिर एक बार यह विज्ञप्ति जारी की कि धन तेरस से आक्ट्राय लगेगी पर नहीं लगी उस दिन और आप फिर दब गये और उसे पोस्टपोन कर दिया। तो.य.[?] गोली न चलने का कारण तो यह है कि एजीटेशनों का मुकाबला आप सरकार के स्तर से नहीं करते। हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से मामला दबा रहे तो अच्छा है।

तो जैसा मैं निवेदन कर रहा था वह चिट्ठी जो माननीय हमारे विरोधी दल के नेता ने पेश की उसके लिये पहले यह कहा गया कि ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई, पर जब वह चिट्ठी सदन में पेश हो गई तो तब भी बड़े कुशल वकील की भांति, 'मैंने लिखा है या नहीं' यह साफ नहीं कहा केवल उसको एक्सप्लेन किया गया और बाद को जब रिजोल्यूशन पेश हुआ तो उसी प्रकार एक्सप्लेन फिर किया गया और कहा गया कि यह मामला इस प्रकार का है जिस पर चर्चा नहीं की जा सकती थी। न करते चर्चा आप। चिट्ठी जब लिख दी थी तो आपकी नैतिकता का यह तकाजा था कि आपको स्वीकार करना चाहिये था कि चिट्ठी मैंने लिखी है और इन हालतों में लिखी है। पहले मना कर देना, फिर एक्सप्लेन करना, और उस वक्त भी यह नहीं कहना कि मैंने लिखी है या नहीं यह सब इस बात के द्योतक हैं कि आप दल चलाने के योग्य नहीं हैं। पर जिस सरकार में हमारे उन अधिकारों पर, उन बुनियादी अधिकारों पर, जिन अधिकारों की रक्षा की गई है हमारे संविधान में, अगर हमला होता है तो वह नाजी से भी बदतर सरकार है क्योंकि बुनियादी अधिकारों की रक्षा करना सरकार का परम कर्तव्य है।

× × × ×

श्री टीकाराम पालीवाल--इस प्रकार से मैं आपसे कहता हूं कि नीति प्रकट होती है हमारे कार्यों से। और कल भी चर्चा हुई और शायद आज भी किसी ने चर्चा की एक टेक्स्ट बुक के बारे में।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

उसका सीधा संबंध है इधर के मुख्य सचेतक से । एक साल से अधिक हो गया । एक साल हो गया करीब २ और उसके बारे में जो तथ्य हैं उन तथ्यों के लिये कोई बहुत बड़ी इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है । सीधा-सादा तथ्य है और वह यह है कि किसी खास बैक ग्राउन्ड के पीछे मैंने अपने साथी, जो मेरे साथ एजुकेशन मिनिस्टर थे उनको मैंने यह सलाह दी थी कि टेक्स्ट बुक्स के सिलेक्शन के लिये जो मशीनरी सिलेक्ट करें उसमें इस बात का ध्यान रखें कि उसके पहले साल में जिस प्रकार का गोलमाल हुआ था वह नहीं हो पाये, जिससे कि कांग्रेस गवर्नमेंट बदनाम हुई थी । इसलिये मैंने उनको कॉशन किया कि अब की दफा ऐसी मशीनरी डिवाइज करें कि जिससे वह गोलमाल न हो पाये और उन्होंने बड़ी वफादारी के साथ, सच्चाई के साथ जितनी कोशिश कर सकते थे ऐसी मशीनरी डिवाइस की और वह मशीनरी यह थी कि आथर्स को यह कहा गया था कि वह डिपार्टमेंट में अपनी किताबें भेज दें और डिपार्टमेंट को यह इन्स्ट्रक्शन्स थे कि वह ऑथर या पब्लिशर जिस किसी की तरफ से आई है, उनके ऊपर का जो टाइटल पेज है उसको अलग निकाल कर रखें, और हरेक किताब को एक सीक्रेट नम्बर दिया जाय । वह नम्बर सीक्रेट रहने वाला था । यह ऑर्डर मेरी सलाह से शिक्षा मंत्री ने दिया था उस वक्त । रिव्युअर्स व एग्जा-मिनर्स वगैरह थे, जिनके नाम सीक्रेट रखने की कोशिश की गई । किसी को उनका नाम मालूम नहीं पड़ा, लेकिन यह सारा प्रबन्ध किया गया; नम्बर एलोट किये जायं, वह सीक्रेट रहें । रिव्युअर्स के नाम सीक्रेट रहें । यह सीक्रेसी हमने जितनी होनी चाहिए रखने की कोशिश की । मेरे बावजूद और मेरे एजुकेशन मिनिस्टर के बावजूद भी कुछ लोगों ने उन नम्बर्स को जान लिया और रिव्युअर्स के नाम भी जान लिये, और एक क्लर्क भी गिरफ्तार हुआ था सेक्रेटेरियेट का । उसके पश्चात का पता नहीं कि क्या २ मसाला मिला । यह सीक्रेट लीक करने के सिलसिले में मुझे मालूम हुआ कि एक गिरफ्तारी हुई । उसका क्या हुआ बाद में, मालूम नहीं । मैं गवर्नमेंट में नहीं था इसलिये मालूम नहीं । लेकिन बाद में जो पत्र माथुर साहब का यहां पेश किया गया वह उनके ही हैन्डराइटिंग से उनका ही साइन किया हुआ था, इसलिये मानने के अलावा दूसरा चारा नहीं है । उन्होंने साफ तौर से सिफारिश की थी एक किताब के बारे में, जिसके ऊपर कि नम्बर लिखा हुआ था कि अमुक नम्बर की किताब का ध्यान रखेंगे । ऐसी सिफारिश की थी एक पब्लिक सरवेन्ट को, डाइरेक्टर को । उसका एक्स्प्लेनेशन यह दिया जाता है कि वह लेटर कभी उनके पास पहुंचा ही नहीं और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी इस एक्सप्लेनेशन को काफी समझ लिया और अगर सिफारिश कर दी तो इन्नोसेन्स सी चीज मान ली और उसकी इन्क्वायरी करने में एक साल लग गया । जब मैं कहना नहीं चाहता था, उस समय मैंने कहना ठीक नहीं समझा, और मुख्य मंत्रीजी को ही इसकी सूचना दी, लेकिन आज इस-लिये कहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी उस पर सो गये । मैंने सूचना दी थी कि यह कहना कि यह लेटर डाइरेक्टर के पास नहीं पहुंचा गलत है, क्योंकि डाइरेक्टर ने वह लेटर मुझको दिखाया था (हियर हियर) और किन सरकमस्टान्सेज में देखा था वह भी बता दिया (श्री जसवन्तसिंह जी के हंसने पर) कुंवर साहब ....

श्री जसवन्तसिंह—I am sorry.

श्री पालीवाल— I am not saying anything for anybody's pleasure, I am saying because I feel and if somebody derives pleasure out of it I resent it.

श्री जसवंतसिंह—– All right.

श्री पालीवाल —–किन्हीं खास परिस्थितियों में वह लैटर मुझे दिखाया था और वह परिस्थिति यह थी कि उनको पहले, जैसा कि उन्होंने आकर बतलाया था; एक एजीटेटेड मूड में मेरे पास आये थे कि जब कि मैं गवर्नमेंट में नहीं था । यह शायद जून या अप्रेल में था, जब कि मैं गवर्नमेंट में नहीं था। तो वह मेरे पास आये थे, जून या जुलाई के आसपास। बहुत एजिटेटेड मूड में मेरे पास आये और कहने लगे कि मुझे आश्वासन दिया था कि तुमको एक्सटेन्शन दिया जायगा; लेकिन अब एक दम मुझे रिटायर करने का आर्डर भेज दिया जिसमें मैं छुट्टी भी नहीं ले सका, पहले पता चलता तो छुट्टी तो अवेल कर लेता, अब मुझे वे रिटायर कर रहे हैं और देखिये इस प्रकार से मुझसे काम लेते रहे हैं ; इसके बावजूद भी हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है । इस तरह से काम लेते रहने के संबंध में यह चिट्ठी दिखाई थी । उन्होंने यह नहीं कहा कि इस प्रकार का मैंने काम किया या नहीं किया और मुझे भी पूछने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे वह लेटर दिखाया था । यह सूचना मैंने मुख्य मंत्रीजी को दी एक लैटर के द्वारा और मुख्य मंत्रीजी ने मेरे पास जवाब भेजा, एक लैटर लिखकर भेज दिया और उसमें यह लिखा कि मैंने डाइरेक्टर साहब के पास एक लैटर भेजा था उसके जवाब में जो लैटर उनके पास से आया है उसकी प्रतिलिपि भेज रहा हूं । आपने उनसे पूछा बताया कि ऐसा लैटर आपके पास पहुंचा या नहीं । यह पूछने की जरूरत क्यों पड़ी ? उसके जवाब में उन्होंने यह लिखा कि यह लैटर मुझे नहीं मिला । प्रत्येक सदस्य आज जिसके पास न्याय की दृष्टि है उनसे मैं पूछता हूं कि क्या ऐसी परिस्थिति में डाइरेक्टर यह बात जाहिर करेगा, जब कि सिलेक्शन न्यायपूर्वक करना चाहिये और उससे सिफारिश की जाती है कि तुम इस पुस्तक में रियायत करो और वह कर डाले तो क्या वह स्वीकार करेगा कि मैंने ऐसा किया है ? ऐसी हालत में क्या उसका जवाब संतोषप्रद हो सकता है ? और उसके बाद में मुख्य मंत्रीजी चुप बैठे रहे । इसके बाद में क्या उन्होंने कोई इन्क्वायरी की है या सिर्फ यही लैटर एडमिट करके ही बैठ गये ?

किताब सिलेक्ट की गई । इसका फर्स्ट नंबर नहीं आता है, दूसरा नंबर आता है । पर्टिकुलरली यह चीज देखने की है कि इसको स्वीकार किया गया । एक और किताब थी जिसको रिव्यूअर्स ने फर्स्ट नंबर दिया था और उसको फर्स्ट नंबर से स्वीकार किया गया, लेकिन फिर उसको ब्लेक लिस्ट कर दिया गया क्योंकि उसके पब्लिशर ने सीक्रेट नंबर मालूम करने की कोशिश की । जिस किताब को रिव्यूअर्स ने फर्स्ट रखा उसको ब्लैक लिस्ट किया गया इसलिये कि उसके पब्लिशर ने नंबर मालूम करने की कोशिश की या मालूम कर लिया होगा। इसलिये उसे ब्लेक लिस्ट किया गया और इस लिये कि इस किताब को दूसरा नंबर दिया गया था, सिफारिश के आधार पर इसलिये वह फर्स्ट हो गई । ज्यादा से ज्यादा आप कहेंगे कि सिफारिश के आधार पर नहीं लेकिन उसका सेकन्ड नंबर ही था । सेकन्ड नंबर तक आने में सिफारिश ने काम नहीं किया यह कहेंगे, लेकिन मैं फिर पूछता हूं कि इसका क्या जवाब है कि एक किताब को नंबर मालूम करने के अपराध में ब्लेक लिस्ट किया गया और दूसरी किताब नंबर मालूम करने के आधार पर फर्स्ट हो गई और वह फर्स्ट आज तक मौजूद है । आप यह कह सकते हैं कि सिफारिश की बात नहीं मालूम थी जब कि उसे फर्स्ट किया गया । लेकिन मालूम पड़ने के बाद आपने क्या किया ? क्या उसे ब्लैक लिस्ट किया या किताब को रिमूव किया केरिकुलम से ?

[श्री टीकाराम पालीवाल]

माथुर साहब का कहना है कि सीक्रेट नंबर मैंने नहीं मालूम किये, गणपत माथुर ने मालूम किया होगा। लेकिन गणपत माथुर की पहुंच नहीं हो सकती कि वह गुप्त नंबर मालूम करले। इस तरह की पहुंच माथुर साहब की ही हो सकती है। मान लीजिये कि उन्होंने नहीं मालूम किया, गणपत माथुर ने किया, लेकिन फिर गणपत माथुर के खिलाफ कुछ एक्शन लिया गया क्या? ग्रोफिशियल सीक्रेट एक्ट में पॉवर दी गई है कि जो गवर्नमेंट के सीक्रेट्स मालूम करे उसे सजा दी जा सकती है। जब इस किताब के बारे में मालूम हो गया, मान लीजिये सिफारिश नहीं चली, डाइरेक्टर ने सिफारिश के ग्राधार पर फर्स्ट नहीं किया, तब भी यह तो मालूम हो गया कि इस ग्रोथर को सीक्रेट नंबर मालूम हो गया है तो उस ग्रोथर की किताब को क्यों नहीं रिमूव किया गया? What is it? गोलमाल जवाब का क्या ग्रर्थ है? क्या इमानदारी के साथ जवाब दिया जा सकता है कि हम निष्पक्ष रूप से बिना भेदभाव के इस चीज को चला रहे हैं? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां बस नहीं चलता। लेकिन बस चलता है वहां भी नहीं चलाया जा रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि इसके बाद होने वाली चीज भी सामने नहीं ग्राती, उसको एक साल हो गया है।

दूसरी परंपरा की बात करते हैं। पालियामेन्ट में एक केस ऐसा हुग्रा था उसकी नेचर ग्रोन ग्राल फोर्स वही नहीं थी। यदि हाई कोर्ट की तरह नजीर ढूंढना चाहें ग्रोन ग्रॉल फोर्स तो ऐसी नजीर नहीं मिल सकती क्योंकि इस प्रकार के केसेज कभी २ ही हुग्रा करते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री)--मुझे इन्टरप्शन के लिये माफ करें, माननीय ग्रध्यक्ष। इस बहस के बाद ग्रापको ग्रौर मुझको विचारने की बात की जरूरत नहीं रहेगी ग्रौर न कुछ कहने की।

श्री वेदपाल त्यागी--प्रतीक्षा की भी हद होती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--मैं एतराज नहीं करता, लेकिन फिर हम दोनों को विचार करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी।

श्री ग्रध्यक्ष--When the leader stands, he should not be interrupted.

श्री टीकाराम पालीवाल--मैं यह निवेदन कर रहा था कि ग्रोडिनरी क्रिमिनल केसेज में नजीर ग्रोन ग्रॉल फोर्स मिल सकती है इसलिये कि जन साधारण में साधारण ग्रादमी एक से जुर्म करते रहते हैं ग्रौर वे केसेज इनवेरिएबली कोर्ट्स में पहुंचते रहते हैं; इसलिये बहुत से केसेज एक प्रकार के निकल जाते हैं। लेकिन किसी विधान सभा के सदस्य इस प्रकार की कार्यवाही करते हों, ऐसे केसेज कम होते हैं। इसलिये ग्रोन ग्रॉल फोर्स ऐसी नजीर नहीं मिल सकती। हां, सिद्धान्त एक से ग्रापको मिल जायेंगे। यह चीज ग्रापको मुद्गल केस में मिल जायगी, जिसमें श्री मुद्गल को पालियामेंट से एक्सपेल किया गया ग्रौर हमारे नेता श्री जवाहरलालजी नेहरू के कहने पर किया गया। पालियामेंट्री

[श्री टीकाराम पालीवाल]

परंपरा है कि सदन के नेता ऐसे मामलों में इनिशियेटिव लें। ऐसे मामलों में उनके द्वारा प्रोटेक्टिव व्यू नहीं लिया जाता है। दूसरे देशों में भी ऐसा ही हुआ है। जिन देशों में ऐसी चीज आई है वहां पर सदन के नेता ने इनिशियेटिव लेकर इन्क्वायरी कराई है और उन सदस्यों के खिलाफ एक्शन लिया गया है और कई जगह तो सदस्यों ने खुद ने अपनी हालत देखकर स्थान छोड़ दिया है। ऐसी परंपरा है। आप क्या परंपरा की बात करेंगे? ये हमारी परम्पराएं हैं और इन चीजों के होते हुये भी आश्चर्य होता है जब कभी २ इतनी स्पष्ट चीज को जानते हुये और कहते हुए भी कुछ लोग सुनते होंगे, जो स्वयं इससे सीधे संबंधित नहीं हैं, उन लोगों को भी थोड़ी बेचैनी हो रही है। वह बेचैनी क्यों हो रही है, समझ में नहीं आया। वह बेचैनी वैसी ही मालूम होती है जब हम राजाओं के शासन काल में उनके शासन की आलोचना करते थे तब उनके जो भृत्य हुआ करते थे वे राजाओं से भी ज्यादा नाराज होते थे क्योंकि उनसे वे संबंधित थे और उन पर डिपेन्डेन्ट थे। वे उनसे भी ज्यादा नाराज मालूम होते थे। वह नाराजगी इस सदन के सदस्यों के लिये नहीं है। इस सदन के सदस्य खुले दिमाग से बात सोचें और क्लीयर निर्णय दें और गाइडेंस दें कि किस प्रकार काम करना चाहिये। लेकिन यदि हम केवल अपने बहुमत के जोर पर जो मूल सिद्धान्त है शासन का, जिसको लेकर हमने कांग्रेस में रह कर इतने वर्षों तक बड़ी लड़ाई लड़ी और देश के सामने बड़ा नक्शा पेश किया, इन चीजों के बल पर, केवल अपने बहुमत के बल पर चलते रहे तो मैं, माननीय अध्यक्ष, यह निवेदन करूंगा कि यह बड़ी खतरनाक स्थिति होगी।

कार्य विवरण १५ मार्च, १९५६ (प्रातः कालीन बैठक) का अंश

सदन के नेता, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, द्वारा स्पष्टीकरण

श्री मोहनलाल सुखाड़िया -- इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय एक तरीका बन गया सदन में लोगों को उभारने के लिये।

इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, माथुर साहब का मामला है, जो कि चीफ व्हिप हैं। किताबों का मामला है। उन किताबों के मामले में एक बार आपके और मेरे बीच सवाल उठाया गया। मैं इस बात को भी समझ सकता था कि इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है, अगर यह कहा जाता तो। लेकिन इस सारी चीजों की जानकारी के बिना और विलम्ब क्यों हो रहा है इसका कारण भी जाने बिना यह बात कही गई कि डाइरेक्टर आफ एजूकेशन ने मुझे एक कागज बताया था। मैं कहना चाहता हूं कि डाइरेक्टर आफ एजूकेशन ने आपको आकर कागज बतलाया और आज उसको डिनाई करने का मौका आया कि जब वे यूनीवर्सिटी में हैं। पर हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि उन्हें उन्होंने स्वयं कागज बताया। मैं निवेदन करूं कि जो एक बार वाइस चान्सलर थे और आज जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जब वे अपने पद पर नहीं रहे, उस समय पालीवाल जी के पास जायें और कहें कि मेरे पास यह कागज आया और आज उसे डिनाई करें तो ऐसी स्थिति में उनको गलत समझूं और माननीय सदस्य को सही समझूं, क्या यह उचित होगा? इसके सिवाय तो और मैं ज्यादा कह क्या सकता हूं? मैंने तो आपको रेफर किया था कि आपने जो बात कही उसके बारे में यह कहते हैं वे।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मैं नहीं समझता कि ऐसी स्थिति में इतना जिक्र करने की जो नौबत आई इस मामले में वह क्यों आई ? आपने कहा और लिखकर भी भेजा वह बात वहीं पर समाप्त हो सकती थी । इस बारे में और चर्चा करने की थी तो हम कर सकते थे । पर इसको भी यहां लाकर चर्चा करें ......

श्री हरिकृष्ण व्यास--जांच क्यों नहीं करवाते आप ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जांच करवाये जाने का प्रश्न नहीं जांच की कार्यवाही की जाने के लिये मैंने आपसे भी खतो-किताबत की कि कुछ तथ्यों की जानकारी कर रहा हूं । मई तक हम इस सदन को ले जाना चाहते हैं क्योंकि काफी काम हमारे सामने पड़ा है । बजट के समय तो समय नहीं मिलेगा । इसके बीच में जो कुछ होगा वह मैं स्पीकर महोदय को बताता रहूंगा । पर इतना धैर्य रखने की बात है । यह मत समझें कि हम किसी चीज को दबा देना चाहते हैं । पर आपने जिस लेवल पर छोड़ा और फिर कहा मुझसे गया; तो मैंने इस पर भी कहा कि उचित ट्रेडीशन जाने दीजिये, यह सवाल आ गया है तो फैसला हो जाने दीजिये । ट्रेडीशन की बात विरोधी दल के नेता ने कही थी और अब वह ट्रेडीशन वाली बात मेरे अन्दर डाल दी गई। तो तथ्यों से हमें दूर नहीं जाना चाहिये । बहुत दूर की भी बात नहीं है जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं ।

परिशिष्ट २

श्री मथुरादास माथुर के पत्र सम्बन्धी जांच करने हेतु एक समिति की नियुक्ति सम्बन्धी श्री त्यागी के प्रस्ताव पर विभाजन

हां पक्ष—४०

क्रम संख्या	सदस्य नामावली
1.	Shri Bhagwan Singh Tarangi.
2.	Shri Bhairav Lal Kala Badal.
3.	Major Th. Bhairon Singh from Sojat Desuri.
4.	Shri Bhawani Sahai Sharma.
5.	Shri Bhairon Singh from Danta Ramgarh.
6.	Shri Bhola Nath.
7.	Shri Bhopal Singh.
8.	Shri Bishambhar Nath Joshi.
9.	Shri Chandan Mal Baid.
10.	Shri Jai Narain Vyas.
11.	Shri Dalip Singh.
12.	Shri Ghasi Ram.
13.	Shri Hanwant Singh.
14.	Shri Hazari Lal Sharma.
15.	Shri Raj Himmat Singh from Atru.
16.	Shri Dwarka Das Purohit.
17.	Shri Ishwar Singh.
18.	Shri Jagat Singh Jhala.
19.	Shri Kanwar Lal Jalia.
20.	Shri Keshri Singh from Sojat Main.
21.	Maharaj Shri Kesri Singh from Patan.
22.	Shri Kesri Singh from Mandalgarh.
23.	Shri Kishan Lal Shah.
24.	Shri Chand Mal
25.	Rawat Shri Man Singh.

क्रम संख्या	सदस्य नामावली
26.	Maulvi Mohammad Ibrahim.
27.	Shri Mukti Lal Modi.
28.	Shri Nathu Singh.
29.	Shri Ram Dayal Upadhyaya.
30.	Shri Ram Karan Joshi.
31.	Shri Ram Lal Bansiwal.
32.	Capt. Shri Sajjan Singh.
33.	Shri Sri Bhan Singh.
34.	Shri Shri Dass Goel.
35.	Shri Tan Singh.
36.	Shri Tej Pal.
37.	Shri Tika Ram Paliwal.
38.	Shri Vedpal Tyagi.
39.	Shri Virendra Singh.
40.	Shri H. K. Vyas.

ना पक्ष—७८

क्रम संख्या	सदस्य नामावली
1.	Shri Amrit Lal Yadav.
2.	Shri Badri Prasad Gupta.
3.	Shri Balvir Singh.
4.	Th. Shri Bhairon Singh from Bali Desuri.
5.	Shri Bhairon Singh from Rajsamand Relmagra.
6.	Th. Shri Bhanu Pratap Singh.
7.	Th. Shri Bhim Singh.
8.	Shri Bhogi Lal Pandya.
9.	Lt.-Col. Kr. Shri Bishan Singh.
10.	Pt. Chandra Kant Rao.
11.	Shri Chhanga.
12.	Shri Chunni Lal Birla.
13.	Shri Damodar Vyas.
14.	Shri Deen Bandhu Parmar.
15.	Kr. Shri Devi Singh.
16.	Th. Shri Dharam Chand.
17.	Shri Dharam Pal.
18.	Lt.-Col Shri R. Dileep Singh.
19.	Shri Durlabh Singh.
20.	Shri Ghasi Ram Yadava.
21.	Shri Ghisi Singh Katela.
22.	Shri Jai Singh Ranawat.
23.	Shri Gopi Lal Yadav.
24.	Shri G.C. Kasliwal.
25.	Shri Hans Raj Arya from Bhadra.
26.	Shri Hans Raj Jatia trom Bari.
27.	Shri Hari Deo Joshi.
28.	Shri Hari Singh.
29.	Sardar Harlal Singh.
30.	Shri Jai Chandra Mohil.

क्रम संख्या	सदस्य नामावली
31.	Shri Kan Singh.
32.	Shri Gyan Chand Modi.
33.	Shri Kastur Chand.
34.	Shri Khet Singh.
35.	Shri Mohammad Abdul Hadi.
36.	Ch. Shri Kumbha Ram Arya.
37.	Shri Ladu Ram Choudhri.
38.	Shri Lal Bahadur.
39.	Shri Lal Sinha Saktawat.
40.	Shri Lalu Ram.
41.	Shri Laxman Hirat.
42.	Th. Shri Laxman Singh.
43.	Shri Madho Lal (Mehar).
44.	Th. Shri Madho Singh from Jalore 'A'.
45.	Shri Gauri Shanker Acharya.
46.	Shri Mahadeo Prasad Banka.
47.	Shri Mangal Singh Kachhwaha from Jodhpur Tehsil North.
48.	Shri Manphool Singh Bhadoo.
49.	Raja Shri Man Singh.
50.	Shri Mohabbat Singh.
51.	Shri Mohan Lal Sukhadia.
52.	Shri Mota Ram.
53.	Shri Moti Lal Chaudhri.
54.	Shri Moti Ram.
55.	Shri Narsingh Kachhawaha.
56.	Shri Nathu Ram.
57.	Shri Prabhu Dayal.
58.	Shri Brij Sunder Sharma.
59.	Shri Radha Krishna Maroo.
60.	Shri Ram Chandra Choudhari.

क्रम संख्या	सदस्य नामावली
61.	Shri Ramji Lal Yadav.
62.	Shri Ram Kishore.
63.	Shri Ram Ratan Tikkiwal.
64.	Shri Ridhi Chand Paliwal.
65.	Shri Roshan Lal Sharma.
66.	Shri Sampat Ram.
67.	Shri Shah Alimuddin Ahmad.
68.	Rawat Shri Shambhu Singh.
69.	Maharaj Shri Sheo Dan Singh.
70.	Shri Srigopal Bhargava.
71.	Shri Shyam Lal Goel.
72.	Shri Sohan Lal Bhatnager.
73.	Shri Soma Wala Bhil.
74.	Shri Sugan Chand Jain.
75.	Shri Tej Mal Bapna.
76.	Shrimati Kamla Kumari.
77.	Shri Triveni Shyam Sharma.
78.	Shri Udai Lal Verdia.